Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

फरवरी 2025

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

- संधारणीय भारत के लिये इथेनॉल मिश्रण 3
- कृषि उत्पादकता और संवहनीयता 9
- भारत के जहाज़ निर्माण उद्योग का सुदृढ़ीकरण 15
- भारत की MSME क्षमता का लाभ उठाना 20
- भारत में औद्योगिक उत्सर्जन में कमी के प्रयास 27
- जनजातीय कल्याण के लिये वित्तपोषण 33
- भारत की मध्य पूर्व रणनीति 39
- शासन के लिये AI का उपयोग 44
- फिनटेक पावरहाउस के रूप में भारत 51
- लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका की पुनर्कल्पना 57
- भारत-फ्राँस संबंधों का सुदृढ़ीकरण 61
- भारत में वनाग्नि का बढ़ता खतरा 66
- भारत की आपदा रणनीति में सुधार 86
- मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड 91
- भारत में राष्ट्रपति शासन और संघवाद 96
- भारत का मृदा स्वास्थ्य संकट 106
- RTI के उद्देश्य का पुनर्स्थापन 112
- भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी का सुदृढ़ीकरण 118
- भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन में सुधार 123
- भारत में दिव्यांगजनों से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं? 124
- भारतीय रेलवे का पुनरुद्धार 128
- अभ्यास प्रश्न 134

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

संधारणीय भारत के लिये इथेनॉल मिश्रण

यह एडिटोरियल 21/01/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "Blending dilemma: Conflicting priorities on flex-fuel need clear policy" पर आधारित है। यह लेख भारत के इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम को संवहनीयता, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में सामने लाता है। हालाँकि, फीडस्टॉक की कमी, जल-गहन उत्पादन और आपूर्ति शृंखला की अक्षमताओं जैसी चुनौतियों से नीति समर्थन एवं नवाचार के माध्यम से निपटने की आवश्यकता है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-3, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, नवीकरणीय ऊर्जा, द्वितीय एआरसी

भारत का इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम संवहनीयता, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, **1.1 ट्रिलियन रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत** की है और **50 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन** को रोका है। हालाँकि, **फीडस्टॉक की कमी, जल-गहन इथेनॉल उत्पादन, आपूर्ति शृंखला की अक्षमताएँ** और **मूल्य निर्धारण संबंधी चिंताएँ** सहित चुनौतियाँ बनी हुई हैं। नीति समर्थन, बुनियादी ढाँचे के विस्तार और तकनीकी नवाचार के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करना इस संबंध में प्रगति को गति देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है?

- **इथेनॉल सम्मिश्रण के बारे में:** इथेनॉल, जो कि पादप आधारित स्रोतों से प्राप्त एक जैव ईंधन है, को पेट्रोल के साथ मिलाकर अधिक संधारणीय और स्वच्छ ईंधन बनाने की प्रक्रिया को इथेनॉल सम्मिश्रण कहा जाता है।
  - इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है।
  - भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्यत: **गन्ना, गुड़, मक्का, चावल और अन्य बायोमास** स्रोतों से किया जाता है।
  - भारत सरकार ने परिवहन ईंधन में इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2003 में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम शुरू किया था।
- **इथेनॉल मिश्रण के लिये सरकारी पहल:**
  - **PM-JI-VAN योजना**– कृषि अपशिष्ट से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन को समर्थन देती है।
  - राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम– संधारणीय ऊर्जा के लिये इथेनॉल और अन्य जैव ईंधन को बढ़ावा देता है।
  - **ब्याज अनुदान योजना**– इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - **GST में कमी** - EBP कार्यक्रम के लिये इथेनॉल पर **5% कर** लगाया गया (18% से घटाकर) ताकि इसे अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **वर्तमान स्थिति और भविष्य का रोडमैप:** वर्ष 2022 तक **10% सम्मिश्रण** का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया, जिससे वर्ष 2025 तक **20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20)** का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त हो गया।
  - वर्तमान में, **वर्ष 2024 तक** इथेनॉल सम्मिश्रण 15% है। **इथेनॉल-समर्पित ईंधन स्टेशनों** और **E20-संगत वाहनों** का विस्तार कार्यान्वयन में तेज़ी लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत के लिये इथेनॉल सम्मिश्रण के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- **ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता में कमी:** भारत **अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 87% से अधिक आयात करता है,** जिससे यह मूल्य असंवहनीयता और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
  - **इथेनॉल सम्मिश्रण** आयातित पेट्रोल के स्थान पर घरेलू स्तर पर उत्पादित जैव ईंधन **का उपयोग** करके इस निर्भरता को कम करता है, जिससे **ऊर्जा में आत्मनिर्भरता** बढ़ती है।
  - इथेनॉल **मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम** से पिछले दशक में पहले ही **1.1 ट्रिलियन रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत** हो चुकी है।
    - इसके अतिरिक्त, इथेनॉल सम्मिश्रण से वर्ष 2014 और वर्ष 2024 के दौरान **181 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रतिस्थापित करने में मदद** मिली।
- **कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी: वाहनों से होने वाला उत्सर्जन** शहरी वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदानकर्त्ता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ एवं पर्यावरण क्षरण बढ़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

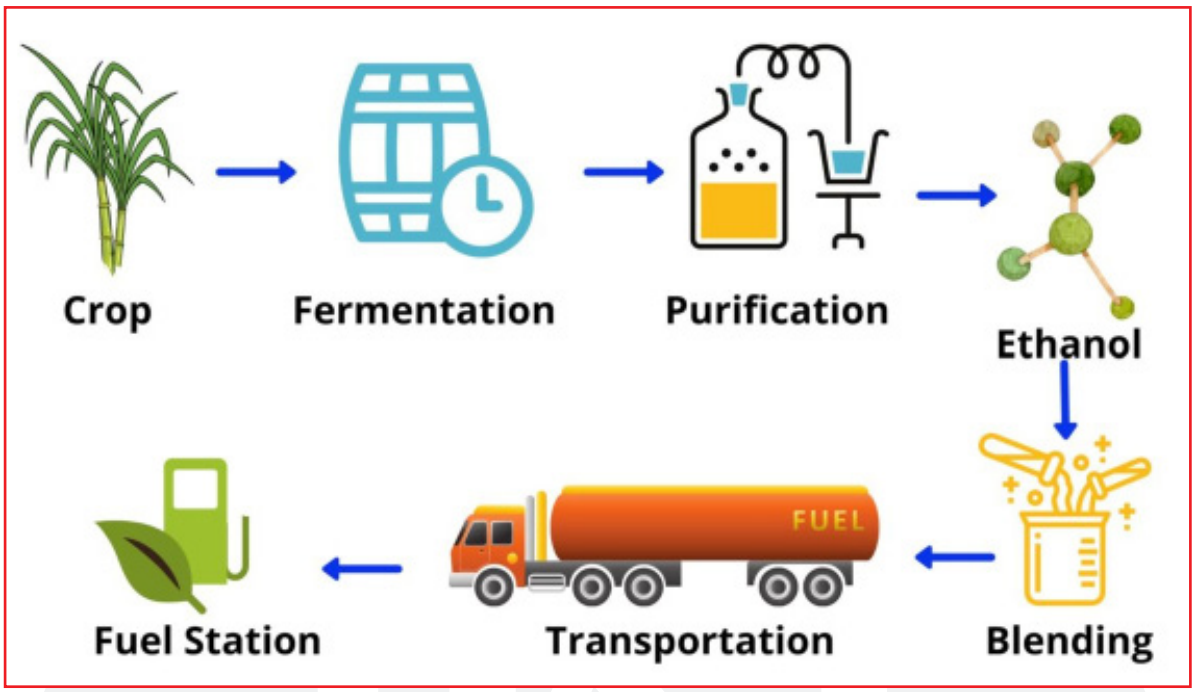

- इथेनॉल में **ऑक्सीजन अणु** होते हैं जो अधिक पूर्ण दहन को संभव बनाते हैं तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और कणिका पदार्थ उत्सर्जन को कम करते हैं।
- राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में इथेनॉल को बढ़ावा देता है, जो भारत के **नेट-ज़ीरो वर्ष 2070 लक्ष्य के अनुरूप** है।
  - वर्ष 2014 से अब तक इथेनॉल कार्यक्रम ने CO_2 **उत्सर्जन में 544 लाख मीट्रिक टन की कटौती** की है, जिससे वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

- **आर्थिक विकास और ग्रामीण रोज़गार: इथेनॉल उत्पादन गन्ना, मक्का** और **अन्य जैव ईंधन फसलों** के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
  - इथेनॉल की बढ़ती मांग से डिस्टिलरी और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे **रोज़गार सृजन** होता है तथा **संकटपूर्ण प्रवास में कमी** भी आती है।
  - **PM-JI-VAN योजना** सेकंड जेनरेशन के इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी मज़बूती मिलती है।
  - इथेनॉल सम्मिश्रण से **किसानों को ₹87,558 करोड़** और **डिस्टिलर्स को ₹1,45,930 करोड़ का भुगतान** किया गया, जिससे ग्रामीण रोज़गार एवं कृषि-औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला।
- **फसल पद्धति में विविधता और अपशिष्ट उपयोग:** इथेनॉल उत्पादन **चावल और गेहूँ जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों के स्थान पर** मक्का एवं ज्वार जैसे वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित करता है, जिससे संधारणीय कृषि को बढ़ावा मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

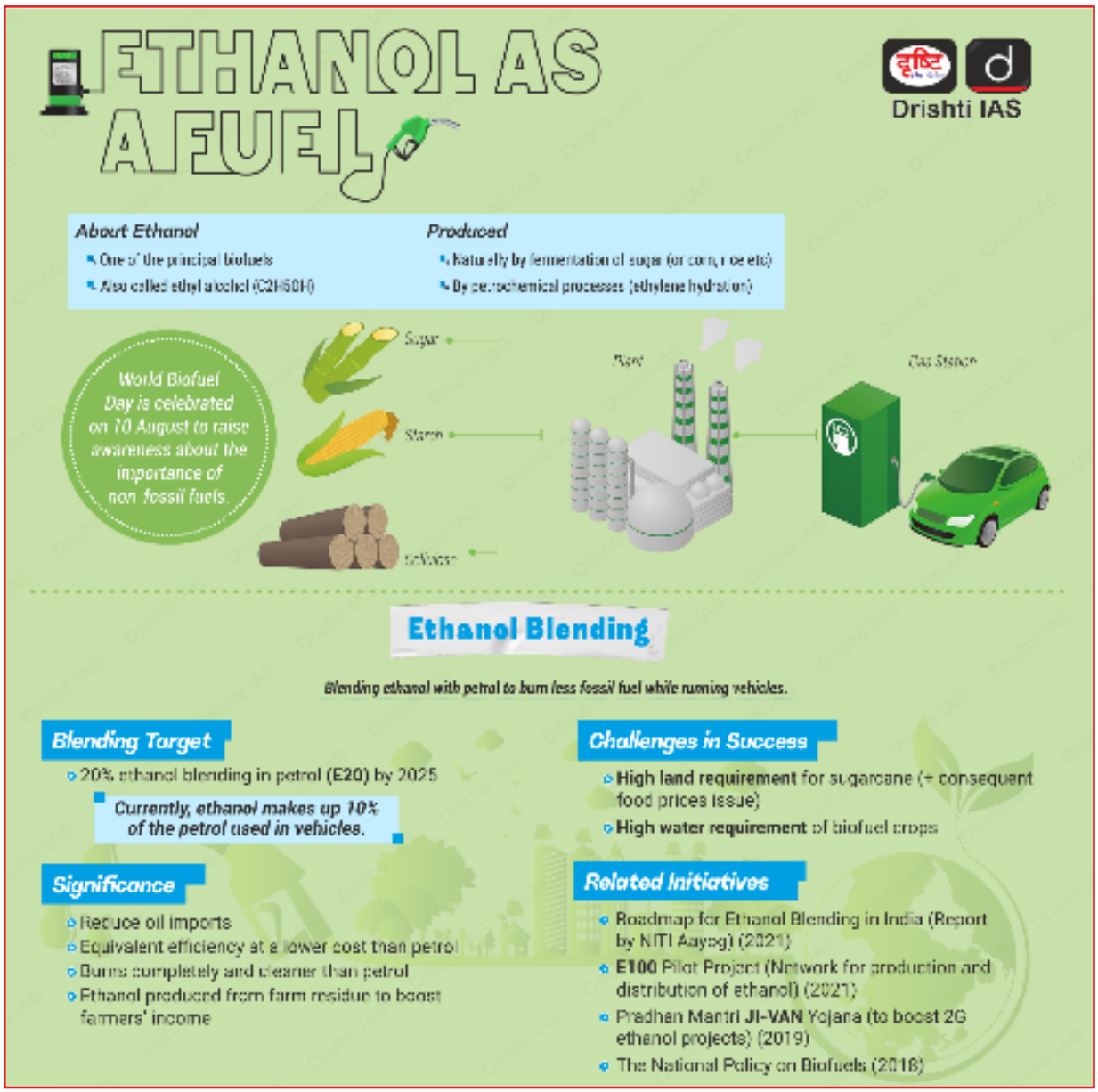

- सरकार ने **भारतीय खाद्य निगम (FCI) को इथेनॉल उत्पादन के लिये चावल और मक्का की अनुमति** दे दी है, जिससे किसानों की सतत् आय सुनिश्चित होगी।
- मक्का से प्राप्त इथेनॉल की कीमत **51.55 रुपए प्रति लीटर है** और FCI चावल से प्राप्त इथेनॉल की कीमत **56.87 रुपए प्रति लीटर है** जिससे अधिशेष अनाज का उपयोग आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ब्याज **अनुदान योजना ने अनाज आधारित डिस्टिलरी** में निवेश आकर्षित किया है, जिससे इथेनॉल की आपूर्ति को बढ़ावा मिला है।

- **विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास:** भारत के इथेनॉल प्रोत्साहन ने जैव ईंधन अवसंरचना में निजी निवेश के लिये एक आकर्षक बाज़ार का सृजन किया है, जो घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की पूंजी को आकर्षित कर रहा है।
  - **दीर्घकालिक इथेनॉल खरीद नीति** जैसी नीतियाँ राजस्व दृश्यता प्रदान करती हैं तथा डिस्टिलरी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित करती हैं।
  - **G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2023** में शुरू किये गए **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) ने** भारत को इथेनॉल व्यापार और प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।
  - इथेनॉल उद्योग के तीव्र विस्तार से **40,000 करोड़ रुपए का नया निवेश** हुआ है, जिससे भारत की विनिर्माण और निर्यात क्षमता बढ़ी है।
- **ऑटोमोबाइल और ईंधन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना:** उच्च इथेनॉल मिश्रण के लिये वाहन प्रौद्योगिकी और ईंधन वितरण नेटवर्क में प्रगति की आवश्यकता है, जिससे भारत के ऑटो क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
  - वाहन निर्माता **E20-अनुरूप इंजन** विकसित कर रहे हैं, जिससे इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण में दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके।
  - अप्रैल 2024 तक **E20 पेट्रोल 13,569 PSU आउटलेट्स** पर उपलब्ध होगा। यह पूरे भारत में इथेनॉल मिश्रण के विस्तार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - यह परिवर्तन **राष्ट्रीय हरित गतिशीलता रणनीति** का समर्थन करता है, जो बहु-ईंधन भविष्य के लिये इथेनॉल को EV और हाइड्रोजन ईंधन के साथ एकीकृत करता है।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **इथेनॉल उत्पादन की जल-गहन प्रकृति:** भारत में इथेनॉल उत्पादन **बहुत हद तक गन्ने पर निर्भर** है, जिसके लिये भारी मात्रा में जल संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे पहले से ही सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की कमी और भी बढ़ जाती है।
  - इससे, **विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश** जैसे राज्यों में, असंवहनीय कृषि पद्धतियों एवं भूजल की कमी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - **मक्का और ज्वार** जैसे वैकल्पिक फीडस्टॉक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कम इथेनॉल उत्पादन और किसानों की प्राथमिकताओं के कारण उनका उपयोग सीमित है।
  - **NITI आयोग** के अनुसार, गन्ना और धान दोनों ही देश के सिंचाई जल का 70% उपयोग करते हैं, जिससे इथेनॉल की दीर्घकालिक संवहनीयता के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- **खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति पर प्रभाव:** जैसे-जैसे **इथेनॉल की मांग बढ़ती है, चावल और मक्का** जैसे खाद्यान्नों का अधिक उपयोग ईंधन के लिये किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं तथा खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
  - इथेनॉल उत्पादन के लिये **FCI चावल और मक्का** के उपयोग से **अधिशेष बफर स्टॉक में कमी** आ सकती है, जिससे कमी के दौरान खाद्य कीमतों को स्थिर रखने की सरकारी क्षमता सीमित हो सकती है।
    - इससे ऊर्जा के लिये खाद्यान्नों के उपयोग को लेकर नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, जबकि भारत में कुपोषण एक चुनौती बनी हुई है।
  - **FAO रिपोर्ट-2023** में चेतावनी दी गई है कि **जैव ईंधन के विस्तार से वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएँ कड़ी** हो सकती हैं, जिससे कमज़ोर आबादी प्रभावित होगी।
- **सीमित इथेनॉल उत्पादन क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला की अड़चनें: तीव्र विकास के बावजूद, भारत का इथेनॉल उत्पादन और वितरण बुनियादी कार्यढाँचा वर्ष 2025 तक 20% मिश्रण** लक्ष्य को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है।
  - परिवहन चुनौतियों और भंडारण बाधाओं सहित आपूर्ति श्रृंखला की अकुशलताएँ सभी क्षेत्रों में समान इथेनॉल उपलब्धता को कठिन बना देती हैं।
  - कई राज्यों में **पर्याप्त डिस्टिलरी और मिश्रण सुविधाओं का अभाव** है, जिसके कारण उन्हें अन्य राज्यों से इथेनॉल आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रौद्योगिकी और वाहन अनुकूलता चुनौतियाँ:** भारत का वाहन बेड़ा मुख्यत: **E10 ईंधन के लिये डिज़ाइन** किया गया है, तथा **E20 और उससे आगे के ईंधन** पर परिवर्तन के लिये इंजन डिज़ाइन तथा ईंधन प्रणालियों में संशोधन की आवश्यकता है।
  - इथेनॉल की उच्च मात्रा से **संक्षारण हो सकता है** और **ईंधन दक्षता कम हो सकती है,** जिससे उपभोक्ताओं के लिये दीर्घकालिक प्रबंधन में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - ऑटोमोबाइल निर्माता **E20-संगत इंजन पर काम** कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा वाहनों को रेट्रोफिट किये जाने तक प्रदर्शन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- **वित्तीय व्यवहार्यता और मूल्य असंवहनीयता:** गन्ना और अनाज उत्पादन में परिवर्तनशीलता के कारण इथेनॉल उत्पादन **मूल्य में उतार-चढ़ाव के अधीन** है, जिससे **उद्योग की लाभप्रदता और निवेश संवहनीयता** प्रभावित होती है।
  - डिस्टिलरी कंपनियाँ सरकार द्वारा निर्धारित खरीद मूल्यों पर निर्भर रहती हैं, जो हमेशा बाज़ार की गतिशीलता के अनुरूप नहीं होते, जिससे निवेशकों के लिये अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
  - इथेनॉल की ऊर्जा **सामग्री गैसोलीन की तुलना में कम** है, जिससे समान माइलेज के लिये अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिये लागत लाभ की भरपाई हो सकती है।
- **इथेनॉल उत्पादन में पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** जबकि इथेनॉल वाहनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया, विशेष रूप से गन्ने व गुड़ से अधिक जल उपयोग, निर्वनीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट उत्सर्जन को बढ़ावा देती है।
  - इथेनॉल डिस्टिलरी से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल निकलता है। इस अपशिष्ट जल को **विनेसे के नाम से** जाना जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, अवशिष्ट शर्करा और अन्य प्रदूषकों की उच्च सांद्रता होती है।
    - यदि इसका उचित उपचार नहीं किया गया तो **इससे गंभीर पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न** हो सकते हैं, जिनमें जल प्रदूषण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन की कमी शामिल है।
- **सरकारी सब्सिडी पर भारी निर्भरता:** भारत में इथेनॉल उत्पादन **ब्याज अनुदान योजनाओं, विभेदक मूल्य निर्धारण** और **कर छूट** सहित **सरकारी प्रोत्साहनों पर बहुत अधिक निर्भर** है।
  - किसी भी नीतिगत बदलाव या वित्तीय सहायता में कमी से डिस्टिलर्स और किसानों के लिये **इथेनॉल उत्पादन आर्थिक रूप से अव्यवहारिक** हो सकता है।
  - दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री JI-VAN योजना को सत्र 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन उच्च पूंजीगत लागत के कारण इसके **अंगीकरण की गति धीमी** है।
  - इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्यों में नीतिगत उतार-चढ़ाव, जैसे कि वर्ष **2030 से 2025 तक का परिवर्तन,** उद्योग के हितधारकों के लिये कार्यान्वयन चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण को मज़बूत करने और कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये क्या उपाय किये जाएंगे?

- **गन्ने से परे फीडस्टॉक विविधीकरण का विस्तार:** इथेनॉल के लिये गन्ने पर निर्भरता संधारणीय नहीं है; भारत को वैकल्पिक फीडस्टॉक के रूप में **मक्का, ज्वार, बांस और कृषि अपशिष्ट को** बढ़ावा देना चाहिये।
  - बेहतर अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण के साथ **प्रधानमंत्री जी-वन योजना** को मज़बूत करने से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन में तेज़ी आ सकती है।
  - सरकार को जैव ईंधन फसलों की ओर रुख करने वाले किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये **PM-किसान योजना** को भी एकीकृत करना चाहिये।
  - **क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों और नगरपालिका अपशिष्ट** से इथेनॉल उत्पादन का विस्तार करने से इसकी उपलब्धता और बढ़ सकती है।
    - इथेनॉल से जुड़ी फसलों के लिये एक संरचित **न्यूनतम समर्थन मूल्य** (MSP) कार्यढाँचा स्थिर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।
- **ग्रामीण आसवनियों और विकेंद्रीकृत उत्पादन को सुदृढ़ बनाना: ग्रामीण क्षेत्रों में लघु-स्तरीय आसवनियों** के साथ

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विकेंद्रीकृत इथेनॉल उत्पादन मॉडल से आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार हो सकता है और परिवहन लागत में कमी आ सकती है।

- इथेनॉल इकाइयों को **FPO (किसान उत्पादक संगठनों) के साथ जोड़ने** से स्थानीय किसान सशक्त हो सकते हैं तथा फीडस्टॉक की प्रत्यक्ष खरीद बढ़ सकती है।
- सरकार को छोटे उद्यमियों को इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिये **मुद्रा योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण** उपलब्ध कराना चाहिये।
- अनाज उत्पादक राज्यों में **जैव-रिफाइनरी क्लस्टर** स्थापित करने से क्षेत्रीय इथेनॉल उपलब्धता में संतुलन आएगा।

- **वाहन अनुकूलता और ईंधन अवसंरचना में वृद्धि:** वर्ष 2025 तक **E20-संगत वाहनों को** अनिवार्य बनाने के साथ -साथ उपभोक्ताओं की नाराजगी से बचने के लिये **पुराने वाहनों को पुन:** उपयोग में लाने के लिये प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिये।
  - **ऑटोमोबाइल निर्माताओं और IIT** के साथ मिलकर लागत प्रभावी इंजन संशोधन विकसित करने से यह बदलाव आसान हो सकता है।
  - पूरे भारत में, विशेषकर गैर-गन्ना उत्पादक राज्यों में, **इथेनॉल-समर्पित ईंधन पंपों का** विस्तार करने से एक समान पहुँच सुनिश्चित होगी।
  - **सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में इथेनॉल-मिश्रित ईंधन का** उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिये, तथा हाइब्रिड समाधानों के लिये जैव ईंधन नीतियों के साथ **इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अपनाने और विनिर्माण (FAME) को एकीकृत किया जाना चाहिये।**
- **मूल्य संवहनीयता और बाज़ार-संबद्ध खरीद में सुधार: इथेनॉल उत्पादकों को कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिये** एक गतिशील **इथेनॉल मूल्य स्थिरीकरण कोष** बनाया जाना चाहिये।
  - विद्युत क्षेत्र के **नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) के समान, बाज़ार संचालित इथेनॉल खरीद तंत्र** की ओर बढ़ने से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी कार्बन क्रेडिट प्रणाली** हरित ईंधन अपनाने वाले उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है।
  - **फसल उपज और कच्चे तेल की कीमतों में मौसमी बदलावों** के आधार पर लचीले मूल्य निर्धारण तंत्र से इथेनॉल उत्पादन को अधिक पूर्वानुमानित बनाया जा सकता है।
- **इथेनॉल उत्पादन में जल संवहनीयता को संबोधित करना:** PM कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रोत्साहन के माध्यम से **जल-कुशल जैव ईंधन फसलों** की ओर रुख करने से इथेनॉल उत्पादन में अत्यधिक जल की खपत को कम किया जा सकता है।
  - इथेनॉल से जुड़ी फसलों के लिये **ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को** बढ़ावा देने से संवहनीयता बढ़ेगी।
  - इथेनॉल संयंत्रों को **शून्य-तरल उत्सर्जन (ZLD) प्रणाली लागू करने के लिये प्रोत्साहित करने से** औद्योगिक जल प्रदूषण में कमी आ सकती है।
  - **नमामि गंगे** के अंतर्गत **अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं** के साथ इथेनॉल संयंत्रों को एकीकृत करके ज़िम्मेदार जल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी में तेज़ी लाना: कर प्रोत्साहन के साथ** एक समर्पित **इथेनॉल अवसंरचना विकास कोष** इथेनॉल संयंत्रों में निजी निवेश को आकर्षित कर सकता है।
  - इथेनॉल उत्पादन को **मेक इन इंडिया** के साथ जोड़ने से डिस्टिलरी उपकरणों और ईंधन योजकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) को** गैर-पारंपरिक जैव ईंधन राज्यों में निजी इथेनॉल संयंत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिये।
  - **जैव ईंधन अनुसंधान एवं विकास में एफडीआई अवसरों के** विस्तार से वैश्विक विशेषज्ञता और पूंजी आएगी।
    - **इथेनॉल रसद और वितरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को सक्षम करने से देशव्यापी आपूर्ति दक्षता में वृद्धि होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **नीति समन्वय और शासन कार्यढाँचे को मज़बूत करना:** राज्य सरकारों को निवेश आकर्षित करने के लिये **इथेनॉल-विशिष्ट औद्योगिक नीतियाँ शुरू करने के लिये** प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - **अंतर्राज्यीय इथेनॉल परिवहन विनियमों को** मज़बूत करने से रसद संबंधी व्यवधानों और मूल्य असमानताओं को रोका जा सकेगा।
  - इथेनॉल संयंत्र अनुमोदन के लिये एकल **खिड़की मंज़ूरी प्रणाली** से नौकरशाही संबंधी देरी कम हो जाएगी।
  - **इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साथ जोड़ने से दीर्घकालिक स्वच्छ ईंधन रोडमैप तैयार हो सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की इथेनॉल-मिश्रण पहल में **ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं। हालाँकि, वर्ष 2025 तक 20% मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने** के लिये फीडस्टॉक की कमी, जल के उपयोग और बुनियादी अवसंरचना की सीमाओं जैसी चुनौतियों पर काबू पाना महत्त्वपूर्ण है। नीति समर्थन को मज़बूत करना, विकेंद्रीकृत उत्पादन का विस्तार करना तथा वाहन अनुकूलता में सुधार करना प्रगति को गति प्रदान करेगा।

■■■

कृषि उत्पादकता और संवहनीयता

यह एडिटोरियल 03/01/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "Stopping short of the farm" पर आधारित है। यह लेख भारत के कृषि क्षेत्र के विरोधाभास को सामने लाता है, जहाँ 46.1% कार्यबल सकल घरेलू उत्पाद में केवल 17.7% का योगदान देता है। यह वित्त वर्ष 2026 के बजट के वृद्धिशील दृष्टिकोण की समालोचना करता है और दीर्घकालिक संवहनीयता के लिये सब्सिडी से निवेश-संचालित विकास की ओर परिवर्तन की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर - 3, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा, कृषि विपणन

वित्त वर्ष 2026 के लिये नई बजटीय पहलों के बावजूद भारत का कृषि परिदृश्य कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। यद्यपि यह क्षेत्र **46.1% कार्यबल को रोज़गार** देता है, फिर भी इसका **GDP योगदान घटकर 17.7%** रह गया है। जो उत्पादकता और किसानों की आय में गिरावट को दर्शाता है। बजट का वृद्धिशील दृष्टिकोण, **आवंटन में केवल 4% की वृद्धि** के साथ 1.49 ट्रिलियन रुपए है, **जो अपर्याप्त R&D निवेश, फसल-कटाई के बाद के नुकसान और जलवायु समुत्थानशील आवश्यकताओं** जैसे संरचनात्मक मुद्दों का हल करने में विफल रहता है। आगे की राह के लिये सब्सिडी पर भारी निर्भरता वाले हस्तक्षेपों से हटकर निवेश द्वारा प्रेरित विकास की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

भारतीय कृषि में प्रमुख प्रगति क्या हैं?

- **सिंचाई अवसंरचना और जल उपयोग दक्षता का विस्तार:** भारत के 55% निवल बुआई क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसलिये सरकार जल उपयोग को अनुकूलतम बनाने के लिये **सूक्ष्म सिंचाई, वाटरशेड प्रबंधन** और **सौर ऊर्जा चालित सिंचाई** पर ज़ोर दे रही है।
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और **हर खेत को पानी** जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई दक्षता में सुधार करने में मदद कर रहे हैं।
  - अटल भूजल योजना समुदाय-संचालित जल संरक्षण को बढ़ावा देकर भूजल की कमी की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
  - भारत सरकार ने राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई कवरेज का विस्तार करने और संसाधन जुटाने में मदद करने के लिये NABARD के साथ मिलकर **5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF)** स्थापित किया है।
- **जलवायु-स्मार्ट कृषि और समुत्थानशील निर्माण:** भारत **चरम मौसम की घटनाओं, सूखे और मृदा क्षरण के विरुद्ध समुत्थानशक्ति बढ़ाने के लिये जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को तेज़ी** से अपना रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (NICRA) जैसी पहल अनुकूली कृषि तकनीकों, जल संरक्षण एवं कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देती हैं।
- सूखा सहिष्णु फसल किस्मों, परिशुद्ध कृषि और कृषि वानिकी का व्यापक रूप से अंगीकरण भारत के स्थायित्व लक्ष्यों के अनुरूप है तथा जलवायु जोखिमों को कम करने में मदद करता है।
  - वर्ष 2024 में, भारतीय प्रधानमंत्री ने 34 क्षेत्रीय फसलों और 27 बागवानी फसलों सहित **61 फसलों की 109 किस्में** जारी कीं।

- **कृषि-तकनीक और डिजिटल खेती का विकास:** कृषि में **AI, IoT, सैटेलाइट इमेजिंग** और **ब्लॉकचेन** का उदय बेहतर मौसम पूर्वानुमान, मृदा स्वास्थ्य निगरानी एवं स्मार्ट सिंचाई के माध्यम से कृषि पद्धतियों को बदल रहा है।
  - कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPIA) कृषि परामर्श, ऋण सेवाओं और बाज़ार संपर्कों को एकल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत कर रही है।
  - एग्रीस्टैक, e-NAM और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) एकीकरण जैसे प्लेटफॉर्म मूल्य निर्धारण एवं आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार कर रहे हैं।
  - अक्तूबर 2024 तक **e-NAM से 1.78 करोड़ किसान** और **2.62 लाख व्यापारी** जुड़ चुके हैं। इसके अलावा, भारत में वर्तमान में 3,000 से अधिक **एग्रीटेक स्टार्टअप** हैं, जिनमें से 1,300 से अधिक उभरती और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों (EDT) का उपयोग करते हैं।
- **कृषि ऋण और वित्तीय समावेशन को मज़बूत करना:** किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) **सीमा में वृद्धि, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण** और **ब्याज अनुदान योजनाओं** के साथ किफायती ऋण तक अभिगम में सुधार हुआ है।
  - बजट 2025-26 में **KCC की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख** कर दी गई। जिससे 7.7 करोड़ किसानों को कार्यशील पूंजी तक बेहतर पहुँच मिल सकेगी। मार्च 2024 तक KCC खातों की संख्या 7.75 करोड़ तक पहुँच गई।
  - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने जोखिम कवरेज का विस्तार किया है, कृषकों को जलवायु आघात से बचाया है और अब तक 4 करोड़ कृषकों को सहायता प्रदान की है।
- **उच्च मूल्य वाली फसलों और संबद्ध क्षेत्रों की ओर विविधीकरण:** बेहतर लाभ और जलवायु लचीलेपन के कारण किसान तेज़ी से **चावल-गेहूँ की एकल खेती से दलहन, तिलहन, बागवानी और जैविक कृषि** की ओर रुख कर रहे हैं।
  - **आत्मनिर्भर दलहन मिशन** और **फल एवं सब्ज़ी मिशन (500 करोड़ रुपए का आवंटन)** का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना एवं आयात पर निर्भरता कम करना है।
  - **पशुधन (12.99% CAGR)** और **मत्स्य पालन (2024 में 184 LMT उत्पादन)** जैसे संबद्ध क्षेत्र पारंपरिक कृषि से आगे निकल रहे हैं।
    - सत्र 2021-22 तक समाप्त होने वाले पिछले 7 वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र **लगभग 7.26% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (AAGR)** से बढ़ रहा है।
- **संधारणीय कृषि और जैविक कृषि विकास:** भारत **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)**, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) और **कार्बन कृषि प्रोत्साहन** जैसी पहलों के साथ **प्राकृतिक, जैविक और पुनर्योजी कृषि** की ओर बढ़ रहा है।
  - **जलवायु-अनुकूल कृषि और कृषि वानिकी** के लिये प्रयास भारत की **शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धताओं एवं सतत् विकास लक्ष्य के अनुरूप** है। जैविक खाद्य निर्यात बढ़ रहा है, जो रसायन मुक्त उत्पादन की वैश्विक मांग को दर्शाता है।
  - मार्च 2024 तक, भारत में **1.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि के अंतर्गत** है, जिसमें से 3.63 मिलियन हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि में संक्रमण को अग्रसर है।
- **कृषि में नीतिगत सुधार और व्यापार उदारीकरण:** सरकार की नीतियाँ भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र बनाने के लिये **निर्यात संवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन** और **कृषि प्रसंस्करण में FDI पर ध्यान केंद्रित** कर रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **दालों और बाजरे के MSP में वृद्धि से** किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित होती है, साथ ही संवहनीय फसल विकल्पों को प्रोत्साहन मिलता है।
- वर्ष 2024 में मत्स्य उत्पादन **184 LMT तक पहुँच** गया। साथ ही, वित्त वर्ष 2024 में भारत का कृषि-खाद्य निर्यात **46.44 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया।

- **ग्रामीण रोज़गार और कृषि में कौशल: भारत का 46.1% कार्यबल कृषि** में लगा हुआ है। इसलिये कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता और आय बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
  - बजट 2025-26 में घोषित ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशील कार्यक्रम का उद्देश्य निवेश, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास को एकीकृत करके **अल्प-रोज़गार को कम करना** है।
  - ग्रामीण रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिये कृषि-MSME और **FPO (कृषक उत्पादक संगठन) को समर्थन** दिया जा रहा है।
    - सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) का लक्ष्य पूरा करना है।

भारत में कृषि उत्पादकता और दक्षता में बाधा डालने वाले कारक क्या हैं?

- **भूमि जोत के आकार में कमी और भूमि का विखंडन:** बढ़ती जनसंख्या दबाव एवं उत्तराधिकार कानूनों के कारण भारतीय खेत छोटे और खंडित होते जा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और मशीनीकरण व्यवहार्यता कम हो रही है।
  - छोटी भूमि जोत के कारण **आधुनिक सिंचाई, उच्च तकनीक आधारित कृषि** और **परिशुद्ध कृषि** कम व्यवहार्य हो जाती है, जिससे समग्र उत्पादकता प्रभावित होती है।
    - **जीवंत भूमि पट्टा बाज़ार** का अभाव तथा प्रतिबंधात्मक भूमि स्वामित्व कानून कृषि में बड़े पैमाने पर निवेश को और अधिक बाधित करते हैं।
  - **भूमि पूलिंग तंत्र और सहकारी कृषि मॉडल** समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इनके अंगीकरण की प्रक्रिया धीमी है।
  - **86.1% भारतीय किसान** लघु और सीमांत (SMF) हैं, अर्थात उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है।
    - **औसत कृष्ट-भूमि का आकार** 2.28 हेक्टेयर (1970-71) से **घटकर 1.08 हेक्टेयर (2015-16)** हो गया।
- **मानसून पर अत्यधिक निर्भरता और कम सिंचाई कवरेज:** प्रगति के बावजूद, **भारत की कृषि अत्यधिक मानसून पर निर्भर** है। जिससे यह अनियमित वर्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।
  - **निवल बुआई क्षेत्र** का **केवल 55% ही सिंचित** है। शेष **45% क्षेत्र सूखे के जोखिम से ग्रस्त** है।
    - पारंपरिक सिंचाई प्रणालियाँ अकुशल हैं तथा नहरों के अपर्याप्त प्रबंधन के कारण जल की बर्बादी बहुत अधिक होती है।
  - यद्यपि **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)** और **सूक्ष्म सिंचाई पहल** का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है, लेकिन **उच्च प्रारंभिक लागत एवं जागरूकता की कमी के कारण इसके अंगीकरण की गति धीमी** है।
  - फोरम ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट (FEED) द्वारा हाल ही में किये गए सर्वेक्षण में पाया गया कि **सूखा (41%), अनियमित वर्षा (32%),** और **मानसून के समय से संबद्ध समस्याएँ (24%)** फसल क्षति के मुख्य कारण थे।
    - लगभग 43% किसानों ने बताया कि उनकी आधी से अधिक फसल नष्ट हो गयी।
- **मृदा क्षरण और मृदा उर्वरता में गिरावट: रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और एकल फसल (विशेष रूप से चावल और गेहूँ)** के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पोषक तत्त्व नष्ट हो गए हैं और भूमि क्षरित हो गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- गहन हरित क्रांति **प्रथाओं** के कारण **लवणता, जलभराव, कार्बनिक कार्बन का ह्रास** हुआ है। जिससे मृदा उत्पादकता कम हुई है।
  - यद्यपि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और **प्राकृतिक कृषि मिशन** जैसी पहल संवहनीय पद्धतियों को बढ़ावा देती हैं, फिर भी उनका अंगीकरण सीमित है।
- भारत में प्रति वर्ष मृदा (जल) अपरदन के कारण औसतन 16.4 टन प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग **1 मिलीमीटर ऊपरी मृदा का क्षरण** हो जाता है।

- **कृषि अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश: भारत में कृषि उत्पादकता कम अनुसंधान एवं विकास व्यय, सीमित विस्तार सेवाओं और अपर्याप्त प्रौद्योगिकी के अंगीकरण** के कारण पिछड़ रही है।
  - यद्यपि उच्च उपज देने वाली और जलवायु-अनुकूल फसलें सतत् विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी **बीज अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में निवेश वैश्विक मानकों से नीचे है।**
  - वर्तमान में, भारत **अपने कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% से भी कम अनुसंधान एवं विकास में निवेश** करता है, जो वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम है।
- **कृषि विपणन और मूल्य प्राप्ति में अकुशलता: किसानों को अंतिम उपभोक्ता मूल्य** का केवल 30-40% ही प्राप्त होता है। क्योंकि अकुशल **APMC बाज़ार, अत्यधिक बिचौलिये और अपर्याप्त रसद** उनकी आय को कम कर देते हैं।
  - **अपर्याप्त बाज़ार संपर्क, प्रसंस्करण बुनियादी अवसंरचना की कमी व खंडित मूल्य शृंखलाएँ** लाभप्रदता को और अधिक प्रभावित करती हैं।
  - **वर्ष 2020 से 2022 के** दौरान NABCON द्वारा किये गए नवीनतम बड़े पैमाने के अध्ययन के अनुसार, भारत को प्रत्येक वर्ष लगभग **1.53 ट्रिलियन रुपए का खाद्यान्न नुकसान** होता है।
- **MSP-केंद्रित खरीद और फसल विविधीकरण का अभाव: MSP प्रणाली का फोकस चावल और गेहूँ पर अधिक है।** जिससे किसान दलहन, तिलहन और उच्च मूल्य वाली फसलें उगाने से हतोत्साहित होते हैं।
  - इससे **जल-प्रधान खेती, मृदा क्षरण, बाजार असंतुलन, अतिरिक्त अनाज भंडार** और **अपर्याप्त दलहन/तिलहन उत्पादन** होता है।
    - यद्यपि आत्मनिर्भर दलहन मिशन और **फसल-तटस्थ प्रोत्साहन प्रस्तावों** का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है, फिर भी एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है।
- **कम मशीनीकरण और कृषि प्रौद्योगिकी अंगीकरण: वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में केवल 47% कृषि कार्य मशीनीकृत** हैं, जो कृषि मशीनीकरण में **चीन (60%) और ब्राज़ील (75%)** जैसे विकासशील देशों से पीछे है।
  - खेतों का छोटा आकार, मशीनों की उच्च लागत, तथा किफायती वित्तपोषण का अभाव मशीनीकरण में बाधा डालते हैं।
  - कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना **(DPIA)** के तहत **ड्रोन, AI-संचालित सटीक खेती और IoT-आधारित स्मार्ट सिंचाई को** बढ़ावा देना आशाजनक है, लेकिन व्यापक रूप से इसके **अंगीकरण की गति धीमी** है।
- **छिपी हुई बेरोज़गारी और स्थिर कृषि मजदूरी:** कृषि की **GDP हिस्सेदारी में गिरावट (वित्त वर्ष 24 में 16%) के बावजूद, इसकी कार्यबल हिस्सेदारी बढ़कर 46.1%** हो गई।
  - **शहरी क्षेत्रों द्वारा अधिशेष श्रम को आकर्षित करने में असमर्थता** के कारण कम कृषि मज़दूरी और प्रछन्न बेरोज़गारी बनी हुई है।
  - वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी स्थिर रही; कृषि रोज़गार का अधिकांश हिस्सा खेतिहर मजदूरों से बना है, जो प्रायः न्यूनतम मजदूरी से कम कमाते हैं।

भारत में कृषि उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **भूमि चकबंदी और सहकारी खेती को बढ़ावा:** खंडित भूमि जोत से मशीनीकरण, दक्षता और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ कम हो जाती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

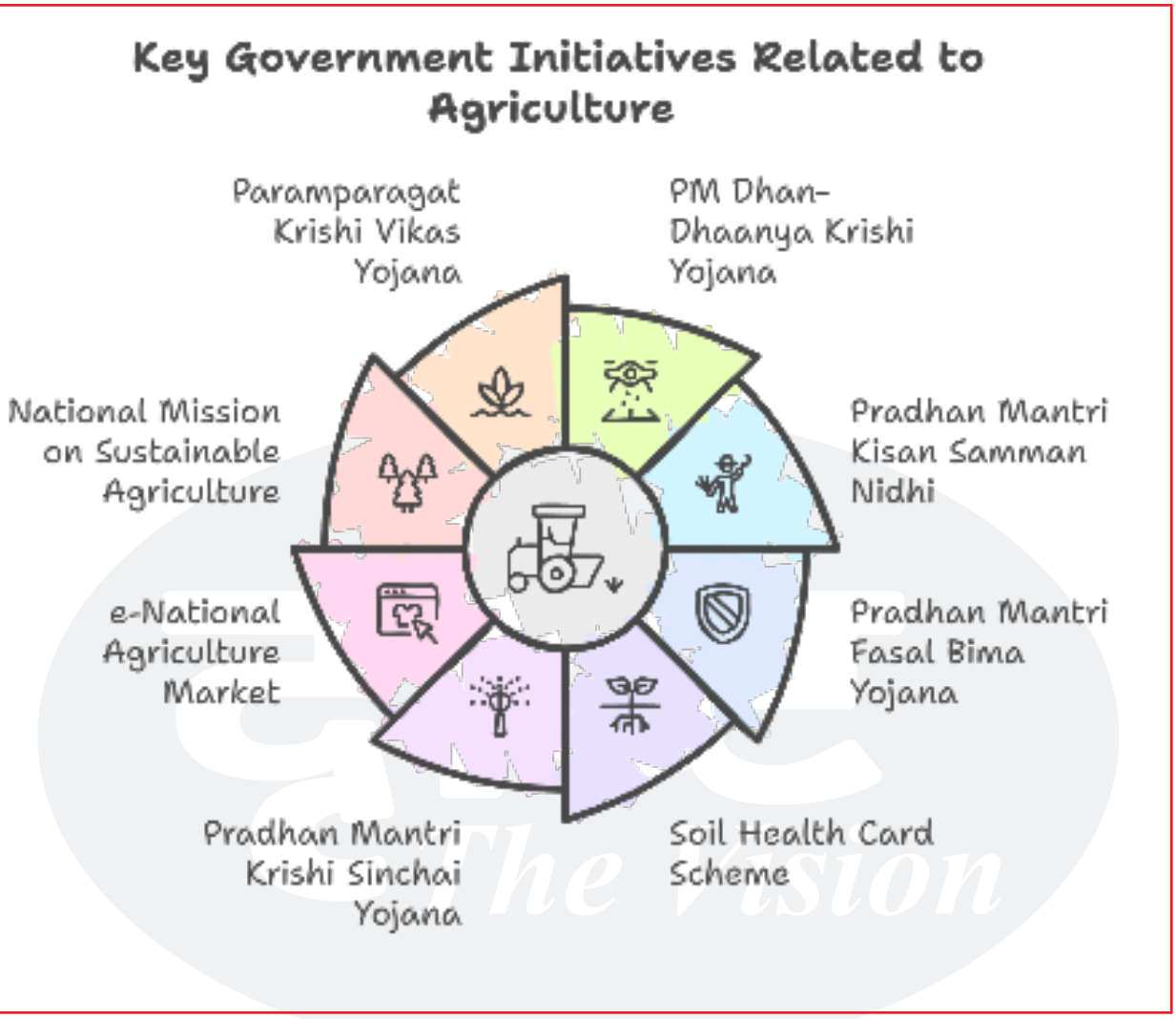

- **भूमि पूलिंग तंत्र, सहकारी कृषि मॉडल और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से** लघु किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं ऋण तक पहुँच प्राप्त हो सकेगी।
  - **अनुबंध कृषि** और कृषक उत्पादक संगठन (FPO) को प्रोत्साहित करने से **सामूहिक सौदाकारी शक्ति** एवं **बाज़ार संपर्क में सुधार** हो सकता है।
- **भूमि पट्टा कानूनों को सुव्यवस्थित करने से** स्वामित्व विवादों के बिना बेहतर भूमि उपयोग सुनिश्चित होगा।
  - बजट 2025-26 **में भूमि डिजिटलीकरण** पर ध्यान केंद्रित करना एक बेहतर कदम है।

- **सूक्ष्म सिंचाई और वाटरशेड विकास का विस्तार:** सिंचाई दक्षता महत्त्वपूर्ण है क्योंकि **भारत की 45% कृषि भूमि अभी भी मानसून पर निर्भर** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग**, तथा **विकेंद्रीकृत वर्षा जल संचयन** को बढ़ाया जाना चाहिये, विशेष रूप से अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में।
  - **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को** अटल भूजल योजना के साथ एकीकृत करने से भूजल संरक्षण एवं कुशल सिंचाई दोनों सुनिश्चित हो सकते हैं।
- **सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंपों** को प्रोत्साहित करने से डीज़ल आधारित जल निष्कर्षण पर निर्भरता और भी कम हो जाएगी।

- **कृषि अनुसंधान एवं विकास तथा जलवायु-अनुकूल कृषि को सुदृढ़ करना:** जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, परिशुद्ध कृषि तथा AI-संचालित कृषि सलाह के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।
  - उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन जैसे कार्यक्रमों का विस्तार कर उन्हें दलहनों और तिलहनों पर केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - **जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के साथ एकीकृत करने** से उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा जलवायु जोखिम भी कम होगा।
- **कृषि ऋण और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना:** संस्थागत ऋण पहुँच को बढ़ाना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अभिगम को सुव्यवस्थित करना और इसे एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना किसानों के लिये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा।
  - KCC की सीमा **3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख** करना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
  - **PMFBY के अंतर्गत फसल-विशिष्ट बीमा उत्पाद** विकसित करने से बाज़ार में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी।
- **कृषि विपणन में सुधार और e-NAM को सुदृढ़ करना:** हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि किसानों को **टमाटर के लिये उपभोक्ता मूल्य का केवल 33%, प्याज के लिये 36%** और **आलू के लिये 37%** ही मिलता है।
  - **e-NAM** को ONDC के साथ एकीकृत करना, **सीधे खेत से बाज़ार तक मॉडल को प्रोत्साहन** और **किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का विस्तार** बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करेगा।
  - **फसल-उपरांत नुकसान को कम करने हेतु** कृषि संरचना निधि कोष (AIF) के अंतर्गत ग्रामीण लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग में निवेश करना आवश्यक है।
  - **कृषि-निर्यात क्षेत्र और क्लस्टर-आधारित कृषि मॉडल** भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्त्ता बना सकते हैं।
- **उच्च मूल्य और जलवायु-स्मार्ट फसलों की ओर विविधीकरण:** चावल एवं गेहूँ पर अत्यधिक निर्भरता से मृदा स्वास्थ्य का ह्रास होता है और अधिक उत्पादन होता है, जिससे MSP खरीद पर दबाव पड़ता है।
  - **दालों, तिलहनों, बाजरा, बागवानी और कृषि वानिकी** को बढ़ावा देने से आय एवं स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **आत्मनिर्भर दलहन मिशन को फसल-तटस्थ प्रोत्साहनों के साथ जोड़ने से** आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
  - **जैविक खेती क्लस्टरों** और **GI-टैग वाली क्षेत्रीय फसलों** का विकास करने से निर्यात के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
- **संधारणीय और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को सुदृढ़ करना:** रसायन-प्रधान कृषि ने **मृदा एवं जल की गुणवत्ता को क्षीण** कर दिया है, जिससे **शून्य-बजट प्राकृतिक कृषि, कृषि वानिकी और जैव-उर्वरक** आधारित कृषि की ओर संक्रमण आवश्यक हो गया है।
  - **कार्बन क्रेडिट बाज़ारों को संधारणीय कृषि प्रोत्साहनों** के साथ एकीकरण से पुनर्योजी कृषि करने वाले किसानों के लिये अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं।
  - **उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन** और **PM धन-धान्य कृषि योजना** जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य कम उत्पादकता वाले ज़िलों में उत्पादन को बढ़ावा देना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **फसल-उपरांत नुकसान में कमी:** आधुनिक भंडारण, शीत-भण्डारण श्रृंखलाओं और ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण पार्कों में निवेश से नुकसान कम होगा तथा मूल्य-वर्द्धित कृषि उत्पाद तैयार होंगे।
  - **PM किसान संपदा योजना को** सुदृढ़ करने और **इसे बागवानी मिशन से जोड़ने से** प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है।
  - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के माध्यम से भंडारण बुनियादी अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत के कृषि क्षेत्र ने प्रगति की है, लेकिन **भूमि विखंडन, मानसून पर निर्भरता और मृदा-क्षरण** जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी पूरी क्षमता का सदुपयोग करने के लिये, **भारत को संधारणीय कृषि प्रथाओं, जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों, बेहतर बुनियादी अवसंरचना और नीति सुधारों** पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और कृषि विपणन में सुधार करने से खाद्य सुरक्षा, किसानों की उच्च आय एवं दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो सकता है।

■■■

भारत के जहाज़ निर्माण उद्योग का सुदृढ़ीकरण

यह एडिटोरियल 04/02/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Some wind behind the sails of India's shipping industry" पर आधारित है। यह लेख मज़बूत GDP वृद्धि और सागरमाला परियोजना में ₹5.8 लाख करोड़ निवेश के बावजूद वैश्विक रैंकिंग में गिरावट और न्यूनतम बेड़े के विस्तार का सामना कर रहे भारत के शिपिंग उद्योग की स्थिरता को दर्शाता है। हालाँकि बजट 2025 में ₹25,000 करोड़ के समुद्री विकास कोष जैसी पहल आशाजनक हैं, फिर भी इस क्षेत्र को फिर से जीवंत करने के लिये और अधिक सुधार आवश्यक हैं।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, सामान्य अध्ययन पेपर-3, वृद्धि और विकास, बुनियादी अवसंरचना

सागरमाला कार्यक्रम **(वर्ष 2035 तक 5.8 लाख करोड़ रूपए)** के माध्यम से भारत की मज़बूत GDP वृद्धि और महत्त्वपूर्ण समुद्री निवेश के बावजूद, देश का शिपिंग उद्योग कार्गो हैंडलिंग एवं जहाज़ संख्या में न्यूनतम वृद्धि के साथ स्थिर बना हुआ है। भारतीय बेड़े ने हाल ही में **21 वर्ष की औसत आयु में सुधार** किया है, लेकिन **जहाज़ स्वामित्व में भारत की वैश्विक रैंकिंग 17वें से 19वें स्थान पर** आ गई है। हालाँकि सरकार की हालिया बजट- 2025 घोषणाएँ, जिसमें **25,000 करोड़ रूपए का समुद्री विकास कोष** और **जहाज़ों के लिये बुनियादी अवसंरचना** का दर्जा शामिल है, सकारात्मक कदम हैं, लेकिन भारत को अभी भी अपने शिपिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिये कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

भारत में जहाज़ निर्माण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **विषय:** वर्ष 2024 में, **भारतीय जहाज़ निर्माण उद्योग का मूल्य 1.12 बिलियन डॉलर** था, जो कि वर्ष 2022 के 90 मिलियन डॉलर के मूल्यांकन से **एक महत्त्वपूर्ण उछाल है।**
  - भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह, 200 से ज़्यादा अन्य बंदरगाह, 30 शिपयार्ड हैं जिनमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैं। प्रमुख शिपयार्ड में शामिल हैं:
    - **सार्वजनिक क्षेत्र:**
    - कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL)
    - हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL)
    - गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)
    - मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL)
    - **प्राइवेट सेक्टर:**
    - L&T शिपबिल्डिंग
    - रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (RNEL)
- **सरकारी पहल और नीति समर्थन**
  - **जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता नीति (वर्ष 2016-2026) - जहाज़ निर्माण अनुबंधों पर 20% तक की सब्सिडी** प्रदान करती है।
  - **सागरमाला कार्यक्रम** - इसका उद्देश्य **बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, तटीय शिपिंग का विकास और रसद दक्षता** को बढ़ाना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- जहाज़ निर्माण में आत्मनिर्भर भारत - विमान वाहक (INS विक्रांत) सहित **स्वदेशी युद्धपोत उत्पादन** पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **भारत** को वर्ष **2047** तक पुराने जहाज़ों को प्रतिस्थापित करने के लिये लगभग 700 वाणिज्यिक जहाज़ों (200 समुद्री और 500 तटीय/अंतर्देशीय) की आवश्यकता है।
- गति शक्ति पहल— जहाज़ निर्माण से संबंधित रसद को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देना।

जहाज़ निर्माण क्षेत्र में निवेश भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- **आर्थिक विकास और वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी का विस्तार:** जहाज़ निर्माण में निवेश से विनिर्माण को बढ़ावा मिलने, रोज़गार सृजन और इस्पात एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सहायक उद्योगों को सशक्त करने के माध्यम से **गुणक प्रभाव** अर्थात् पूरे अर्थव्यवस्था में कई अन्य लाभ उत्पन्न हो सकते हैं।
  - भारत के **बढ़ते वैश्विक व्यापार के साथ,** एक सुदृढ़ घरेलू जहाज़ निर्माण क्षेत्र **विदेशी निर्भरता को कम कर सकता है** और **निर्यात बढ़ा सकता है।**
  - भारत का जहाज़ निर्माण उद्योग 90 मिलियन डॉलर (वर्ष 2022) से बढ़कर 1.12 बिलियन डॉलर (वर्ष 2024) हो गया तथा **वर्ष 2033 तक 8 बिलियन डॉलर (60% CAGR) होने का अनुमान** है।
    - मैरीटाइम इंडिया विज़न- 2030 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष 10 जहाज़ निर्माण देशों में शामिल कराना है।
- **सामरिक और रक्षा तैयारी:** एक सुदृढ़ जहाज़ निर्माण क्षेत्र **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण** है, जो युद्धपोतों, पनडुब्बियों और गश्ती जहाज़ों के निर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करता है।
  - स्वदेशी जहाज़ निर्माण को सुदृढ़ करना आत्मनिर्भर भारत **के साथ संरेखित** है, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी और **समुद्री सीमाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित** किया जा सकेगा।
  - प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों (कलवरी श्रेणी) का निर्माण स्वदेशी रूप से (**मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई** में) किया गया है।
- **तटीय और ब्लू इकॉनमी विकास को समर्थन:** जहाज़ निर्माण **भारत की ब्लू इकॉनमी** का एक अभिन्न अंग है, जिसमें मात्स्यिकी, बंदरगाह विकास और समुद्री पर्यटन शामिल हैं।
  - एक सुदृढ़ जहाज़ निर्माण उद्योग **अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग को बढ़ाता है, रसद लागत को कम करता** है और **सड़क व रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ को कम करता है।**
    - इसके अतिरिक्त, यह **भारत को खनिजों और हाइड्रोकार्बन के लिये गहन सागरीय अन्वेषण में सहायता** प्रदान कर सकता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।
  - **ब्लू इकॉनमी** भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान** देती है। सागरमाला कार्यक्रम का लक्ष्य बंदरगाह आधारित विकास, तटीय आर्थिक क्षेत्र और जलमार्ग विस्तार है।
- **नवीकरणीय और हरित शिपिंग को सुदृढ़ करना:** नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्यों के साथ, भारत को एक संधारणीय जहाज़ निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता है जो **न्यूनतम उत्सर्जन, ईंधन-कुशल जहाज़ों का उत्पादन** करता हो।
  - **हरित हाइड्रोजन चालित** और **इलेक्ट्रिक जहाज़ों में निवेश** से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) **के मानदंडों का अनुपालन** करने में मदद मिलेगी।
  - **ग्रीन शिपयार्ड** विकसित करने से वैश्विक संधारणीय नौ-परिवहन में भारत की स्थिति भी मज़बूत होगी।
    - कोचीन शिपयार्ड ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप, वर्ष 2024 में **भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित नौका लॉन्च** की।
- **वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की भूमिका को बढ़ाना:** एक सुदृढ़ जहाज़ निर्माण क्षेत्र **वैश्विक समुद्री आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की स्थिति** को मज़बूत करता है, जिससे यह **जहाज़ निर्माण, मरम्मत और पट्टे** के लिये एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इससे **पूर्वी एशियाई देशों पर निर्भरता कम** हो जाएगी और यह वैश्विक आपूर्ति शृंखला विविधीकरण के रुझान के अनुरूप हो जाएगा।
- भारत समुद्री विनिर्माण में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भी आकर्षित** कर सकता है।

भारत में जहाज़ निर्माण क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **प्रतिस्पर्द्धी जहाज़ निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव:** भारत का जहाज़ निर्माण उद्योग **लंबी निर्माण समयसीमा** और **असंगत गुणवत्ता मानकों से ग्रस्त** है, जिससे भारत द्वारा निर्मित जहाज़ वैश्विक बाज़ार में कम प्रतिस्पर्द्धी बन जाते हैं।
  - चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के विपरीत, भारत में निकटस्थ शिपयार्ड, कलपुर्जा आपूर्तिकर्त्ताओं तथा उन्नत अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं वाले एक अच्छी तरह से **एकीकृत समुद्री क्लस्टर का अभाव** है।
  - इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक बाधाओं के कारण **परियोजना निष्पादन में विलंब से प्रतिस्पर्द्धात्मकता और कम हो जाती है।**
  - वैश्विक जहाज़ निर्माण में भारत **मात्र 0.06% हिस्सेदारी के साथ 20वें स्थान पर** है, जबकि **अकेले चीन की हिस्सेदारी 50% से अधिक** है।
    - भारतीय शिपयार्डों का वार्षिक जहाज़ निर्माण उत्पादन **केवल 0.072 मिलियन GT** है, जिसे मैरीटाइम इंडिया विज़न (MIV) वर्ष 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वर्ष **2030 तक 0.33 मिलियन GT** तक बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **उच्च पूंजी लागत और वित्तपोषण का अभाव:** जहाज़ निर्माण एक **पूंजी-प्रधान उद्योग** है, जिसमें शिपयार्ड, मशीनरी और कुशल श्रम में महत्त्वपूर्ण अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है।
  - भारतीय जहाज़ निर्माता कंपनियों को **कम लागत पर वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई** होती है, जबकि उनके वैश्विक प्रतिस्पर्द्धियों को **मज़बूत सरकारी समर्थित वित्तीय सहायता** प्राप्त होती है।
    - **दीर्घकालिक जहाज़ निर्माण ऋण सुविधाओं** तथा **समर्पित समुद्री वित्तपोषण संस्थान का अभाव** भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता को और कमज़ोर करता है।
  - **चीन अपने घरेलू जहाज़ निर्माण उद्योग को भारी सब्सिडी देता है,** जबकि विदेशी प्रतिस्पर्द्धियों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे गैर-चीनी जहाज़ निर्माताओं की बाज़ार पहुँच सीमित हो जाती है, जबकि भारतीय शिपयार्ड महंगे वाणिज्यिक बैंक ऋणों पर निर्भर रहते हैं।
- **आयातित कच्चे माल और घटकों पर भारी निर्भरता:** भारत के जहाज़ निर्माता समुद्री ग्रेड स्टील, नेविगेशन सिस्टम और प्रणोदन उपकरण जैसे महत्त्वपूर्ण घटकों के लिये विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भर हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च लागत एवं आपूर्ति शृंखला कमज़ोरियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - **मेक इन इंडिया** के बावजूद जहाज़ निर्माण घटकों का घरेलू विनिर्माण अपर्याप्त बना हुआ है।
  - गिरावट के बावजूद भी भारत ने **वर्ष 2023 में 479.60 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के जहाज़ों, नावों और फ्लोटिंग अवसंरचनाओं का आयात** किया।
- **बुनियादी अवसंरचना की बाधाएँ और आधुनिक शिपयार्डों का अभाव:** भारत के शिपयार्ड वैश्विक अग्रणी देशों की तुलना में **छोटे और कम स्वचालित** हैं, जिसके कारण **उत्पादन लागत अधिक है तथा निर्माण समय भी अधिक** लगता है।
  - कई सरकारी शिपयार्ड **पुरानी मशीनरी और अपर्याप्त ड्राई डॉक्स** के साथ काम करते हैं, जिससे बड़े जहाज़ निर्माण की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
    - इसके अलावा, **बंदरगाहों पर भीड़भाड़** और **निम्नस्तरीय रसद व्यवस्था** के कारण जहाज़ निर्माण आपूर्ति शृंखला में अकुशलताएँ बढ़ जाती हैं।
  - **कोचीन शिपयार्ड का सबसे बड़ा ड्राई डॉक 310 मीटर** का है, जबकि चीन का शंघाई वैगाओकियाओ शिपयार्ड विश्व का सबसे बड़ा ड्राई डॉक है, जहाँ **बड़े जहाज़** बनाए जा सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **जहाज़ निर्माण के लिये सुदृढ़ घरेलू बाज़ार का अभाव:** चीन के विपरीत, जहाँ **नए जहाज़ों की घरेलू मांग बहुत अधिक** है, भारत की शिपिंग कंपनियाँ भारतीय शिपयार्डों से नए जहाज़ मंगवाने के बजाय **अन्य विदेशी जहाज़ खरीदना** पसंद करती हैं।
  - इसका कारण **उच्च लागत, डिलीवरी की लंबी अवधि** तथा भारत में निर्मित जहाज़ों के लिये **वित्तपोषण विकल्पों का अभाव** है।
  - मज़बूत घरेलू ऑर्डर बुक के बिना, भारतीय शिपयार्ड **उत्पादन बढ़ाने** और **लागत कम करने के लिये संघर्ष** करते हैं।
- **कमज़ोर मरम्मत और रखरखाव इकोसिस्टम:** यद्यपि भारत में व्यापारी नौसेना और रक्षा बेड़े में वृद्धि हो रही है, इसकी **जहाज़ मरम्मत और प्रबंधन (MRO) क्षमताएँ अविकसित** बनी हुई हैं।
  - वैश्विक जहाज़ मरम्मत बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी **1% से भी कम** है। कई भारतीय जहाज़ मालिक लागत और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण **मरम्मत के लिये भारतीय शिपयार्ड के बजाय सिंगापुर, चीन या UAE को जहाज़** भेजना पसंद करते हैं।
  - **अत्याधुनिक ड्राई डॉक** और **मरम्मत संबंधी बुनियादी अवसंरचना की कमी** के कारण भारत की आकर्षक जहाज़ मरम्मत बाज़ार पर प्रभावी होने की क्षमता सीमित हो गई है।

भारत अपने जहाज़ निर्माण क्षेत्र के विकास में तीव्रता लाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **जहाज़ निर्माण घटकों के घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करना:** **आयातित समुद्री-ग्रेड स्टील, प्रणोदन प्रणाली और नेविगेशन उपकरण** पर निर्भरता को कम करना, भारतीय निर्मित जहाज़ों को लागत-प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - प्रमुख जहाज़ निर्माण घटकों को शामिल करने के लिये **उन्नत विनिर्माण के लिये उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार** किया जा सकता है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
  - इसके अतिरिक्त, **मेक इन इंडिया को सागरमाला कार्यक्रम के साथ जोड़कर** बंदरगाहों के निकट **समर्पित समुद्री औद्योगिक क्षेत्र** बनाए जा सकते हैं।
    - **संरचित तरीके से स्वदेशीकरण को बढ़ावा** देने के लिये चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) भी शुरू किया जा सकता है।
- **समर्पित जहाज़ निर्माण वित्त की स्थापना:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत एक **समर्पित जहाज़ निर्माण** और **समुद्री वित्तपोषण संस्थान कम ब्याज दर पर ऋण, निर्यात ऋण एवं जहाज़ पट्टे के विकल्प** प्रदान कर सकता है।
  - संरचित वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिये इसे **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)** से जोड़ा जा सकता है।
  - **जहाज़ निर्माण निर्यात संवर्द्धन कोष,** रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर **भारतीय शिपयार्डों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा** करने में भी मदद कर सकता है।
- **मौजूदा शिपयार्ड अवसंरचना का पुनरुद्धार और विस्तार:** **उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास (DESH) विधेयक-2022** को पारित करने में तीव्रता लाने की आवश्यकता है, जिसका लाभ **समुद्री SEZ** बनाने के लिये उठाया जा सकता है, जिससे जहाज़ निर्माताओं को **विश्व स्तरीय रसद, प्रौद्योगिकी और कर लाभ प्राप्त करने में मदद** मिलेगी।
  - **कोचीन शिपयार्ड, मझगाँव डॉक** और **हिंदुस्तान शिपयार्ड** जैसे मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों को **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल** के तहत आधुनिक बनाया जाना चाहिये, जिससे वैश्विक विशेषज्ञता एवं निवेश को आमंत्रित किया जा सके।
  - इसके अलावा, भारत को **रंगराजन आयोग** की सिफारिश के अनुसार **जहाज़ों को बुनियादी अवसंरचना की सूची में वर्गीकृत** करने की आवश्यकता है।
- **भारत में निर्मित जहाज़ों के लिये सतत् घरेलू मांग का सृजन:** **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)** और **बंदरगाह मंत्रालय** को एक **भारतीय खरीद नीति** अपनानी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

मंत्रालय द्वारा जारी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के अनुरूप, भविष्य में सभी सरकारी और रक्षा जहाज़ के ऑर्डर भारतीय शिपयार्डों को ही दिये जाएं।

- इसके अतिरिक्त, **PM गति शक्ति पहल को जहाज़ निर्माण के साथ जोड़ने से** मालवाहक जहाज़ों, यात्री नौकाओं और तटीय परिवहन **जहाज़ों की मांग को बढ़ावा** मिल सकता है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा और हरित नौवहन के साथ जहाज़ निर्माण को एकीकृत करना:** भारत के **नेट जीरो लक्ष्य-2070** के साथ संरेखित करने के लिये, जहाज़ निर्माण क्षेत्र को **शून्य उत्सर्जन, हरित हाइड्रोजन-संचालित** और **इलेक्ट्रिक जहाज़ों में विकसित** होना चाहिये।
  - **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** को **हाइड्रोजन-संचालित जहाज़ों एवं ईंधन संबंधी बुनियादी अवसंरचना** विकसित करने के लिये जहाज़ निर्माण के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, **बैटरी भंडारण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेतु PLI योजनाओं** को विद्युत चालित अंतर्देशीय एवं तटीय जहाज़ों को बढ़ावा देने के लिये बढ़ाया जा सकता है, जिससे **डीज़ल चालित जहाज़ों पर निर्भरता कम हो जाएगी।**

- **अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिये समुद्री क्लस्टर: उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग की कमी** ने उन्नत जहाज़ निर्माण प्रौद्योगिकियों में भारत के नवाचार को धीमा कर दिया है।
  - **मैरीटाइम इंडिया विज़न- 2030** के तहत एक **राष्ट्रीय समुद्री नवाचार केंद्र** स्थापित किया जाना चाहिये, जो स्टार्टअप्स, रक्षा अनुसंधान एवं विकास और निजी जहाज़ निर्माणकर्त्ताओं को **स्मार्ट जहाज़ों, AI-आधारित नेविगेशन** व **मॉड्यूलर जहाज़ डिज़ाइन पर सहयोग** करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
  - **जहाज़ निर्माण प्रशिक्षण संस्थानों के साथ कौशल भारत कार्यक्रम** को एकीकृत करने से उद्योग के लिये **कुशल श्रमिकों की निरंतर आपूर्ति** सुनिश्चित हो सकती है।

- **निजी शिपयार्डों के लिये वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन:** वर्तमान में केवल कुछ ही **सरकारी शिपयार्डों को प्रमुख रक्षा** और **वाणिज्यिक जहाज़ के ऑर्डर प्राप्त होते हैं,** जिससे निजी भागीदारों का कम उपयोग हो पाता है।
  - जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता नीति **(SFAS) को वर्ष 2026 से आगे तक विस्तारित करने** तथा इसकी **अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने से निजी निवेश को प्रोत्साहन** मिल सकता है।
  - नये शिपयार्डों की स्थापना और मौजूदा शिपयार्डों के उन्नयन के लिये **प्रारंभिक पूंजी सब्सिडी** प्रदान करने हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को भी बढ़ाया जा सकता है।

- **वैश्विक जहाज़ निर्माण आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की स्थिति को मज़बूत करना:** भारत को जहाज़ों और समुद्री उपकरणों के लिये निर्यात केंद्र बनने के लिये **ASEAN और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ** मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) **का लाभ** उठाना चाहिये।
  - **हुंडई, मित्सुबिशी और Daewoo जैसी अग्रणी वैश्विक जहाज़ निर्माण कंपनियों के साथ सह-उत्पादन समझौते** स्थापित करने से भारत को उन्नत जहाज़ निर्माण प्रौद्योगिकी हासिल करने में मदद मिल सकती है।

- **प्रशासन संबंधी विलंब को कम करना और व्यापार में सुगमता बढ़ाना: भारत में जहाज़ निर्माण अनुमोदन प्रक्रिया जटिल** है, जिसमें कई मंत्रालय और नियामक निकाय शामिल हैं।
  - जहाज़ निर्माण अनुमोदन के लिये **एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली** स्थापित करने से **विलंब कम हो सकता है, कर संरचना सरल हो सकती है,** और **लाइसेंसिंग सुचारू हो सकती है।**
  - इसके अतिरिक्त, **राज्यों में कर प्रोत्साहनों में सामंजस्य** स्थापित करने से **निवेश आकर्षित होगा** तथा **नीतिगत असंगतियों को रोका जा सकेगा** जो निजी भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निष्कर्ष:

भारत के जहाज़ निर्माण क्षेत्र में आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के लिये अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन उच्च पूंजी लागत, पुरानी बुनियादी अवसंरचना एवं आयात पर भारी निर्भरता जैसी संरचनात्मक चुनौतियाँ प्रगति में बाधा डालती हैं। हालाँकि समुद्री विकास कोष और जहाज़ों के लिये बुनियादी अवसंरचना की स्थिति जैसी पहल सकारात्मक कदम हैं, फिर भी दृढ़ नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू विनिर्माण प्रोत्साहन और वित्तपोषण सहायता आवश्यक बने हुए हैं।

■■■

भारत की MSME क्षमता का लाभ उठाना

यह एडिटोरियल 02/01/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "New definition for MSMEs, increased credit guarantee" पर आधारित है। इस लेख में विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में MSME निवेश एवं टर्नओवर सीमा के विस्तार को सामने लाया गया है। हालाँकि, लगातार चुनौतियों से निपटने के लिये गहन नीतिगत हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर- 2, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, सामान्य अध्ययन पेपर- 3, संसाधनों का जुटाना

सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के निवेश और टर्नओवर सीमा का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है, जिससे अधिक व्यवसायों को इस क्षेत्र के लाभों से लाभ मिल सके। 1 करोड़ से अधिक MSME **7.5 करोड़ लोगों को रोज़गार** देते हैं तथा विनिर्माण एवं निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हुए ये क्षेत्र विकास के प्रमुख चालक बने हुए हैं। संशोधित वर्गीकरण का उद्देश्य उच्च टर्नओवर सीमा के साथ **सूक्ष्म उद्यम के लिये निवेश सीमा को 2.5 करोड़ रुपए, लघु उद्यम के लिये 25 करोड़ रुपए** और **मध्यम उद्यमों के लिये 125 करोड़ रुपए तक बढ़ाना** है। इन सुधारों का उद्देश्य **MSME विकास को बढ़ावा** देना और **भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रबल** करना है। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, **दीर्घकालिक संवहनीयता के लिये गहन नीतिगत हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता** है।

New classification of MSME

Type	INVESTMENT		TURNOVER	
	Current	Revised	Current	Revised
MicroEnterprise	Rs 1cr	Rs 2.5cr	Rs 5cr	Rs 10cr
Small Enterprise	Rs 10cr	Rs 25cr	Rs 50cr	Rs 100cr
Medium Enterprise	Rs 50cr	Rs 125cr	Rs 250cr	Rs 500cr

Source: Budget 2025-2026, Speech of Nirmala Sitharama, Union Minister of Finance February 1, 2025.

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत की आर्थिक वृद्धि में MSME की क्या भूमिका है?

- **रोज़गार सृजन और आजीविका सहायता:** MSME भारत में गैर-कृषि रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत हैं, विशेष रूप से **अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों** के लिये, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।
  - डिजिटलीकरण और फिनटेक समाधानों के उदय ने सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय बाज़ारों तक अभिगम एवं परिचालन बढ़ाने में सक्षम बनाया है।
  - PM विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना विस्तार (वित्त वर्ष 2024 में **5.41 लाख करोड़ रुपए** स्वीकृत) जैसी योजनाओं ने स्वरोज़गार को और भी बढ़ावा दिया है।
    - भारत में **1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME** हैं, जो **लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोज़गार** प्रदान करते हैं।
- **सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक विकास में योगदान:** MSME घरेलू उत्पादन, औद्योगिक विस्तार और स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देकर भारत की आर्थिक समुत्थानशक्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  - ये कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति करके वृहत उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वे औद्योगिक समूहों का एक महत्त्वपूर्ण घटक बन जाते हैं।
  - उद्यम पोर्टल के माध्यम से बढ़ती औपचारिकता (**मार्च 2024 तक 4 करोड़ MSME पंजीकृत**) के साथ, संरचित आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का विस्तार हो रहा है।
  - हालिया रिपोर्टों के अनुसार, **MSME का योगदान** भारत के कुल **सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30%** और **विनिर्माण उत्पादन का 45%** है।
- **निर्यात और विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा देना:** MSME वैश्विक व्यापार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनके विशिष्ट उत्पाद विशेष रूप से वस्त्र, चमड़ा और इंजीनियरिंग वस्तुओं के क्षेत्र में विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की मांग को पूरा करते हैं।
  - सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में MSME की भागीदारी को सुदृढ़ किया है।
  - सत्र 2023-24 में, MSME-संबंधित उत्पादों का **भारत के कुल निर्यात में 45.73% हिस्सा** रहा, जिससे देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में उनकी भूमिका दृढ़ हुई है।
- **डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा देना:** डिजिटल भुगतान, स्वचालन और AI-संचालित समाधानों के अंगीकरण में वृद्धि के साथ, MSME तकनीक-संचालित उद्यमों में परिवर्तित हो रहे हैं।
  - ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) और **₹1 लाख करोड़ की ब्याज मुक्त नवाचार निधि (बजट 2024)** जैसी सरकारी पहल डिजिटल एकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं।
  - **MSME के 72% लेन-देन अब डिजिटल** हो गए हैं, तथा फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिये RBI का सार्वजनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म गैर-संपार्श्विक ऋणों तक पहुँच में सुधार कर रहा है।
  - एयरोस्पेस (**तमिलनाडु MSME के लिये बोइंग अनुबंध**) और फार्मा (**हैदराबाद में अरागेन लाइफ साइंसेज का 2,000 करोड़ रुपए का निवेश**) जैसी पहल एक सुदृढ़ **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा** दे रही हैं।
- **महिला एवं सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना:** महिलाओं के नेतृत्व वाली MSME सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तीकरण में सुधार के वाहक के रूप में उभर रहे हैं।
  - मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण पहुँच के तहत 51.41 करोड़ ऋणों के लिये 32.36 लाख करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं, जिनमें से **68% ऋण महिलाओं को लाभान्वित कर रहे हैं,** जिससे अधिक महिला उद्यमियों को व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME अब **उद्यम पंजीकरण का 20.5% हिस्सा** हैं, जो अर्थव्यवस्था में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि-आधारित उद्यमों को सुदृढ़ करना:** ग्रामीण MSME स्थानीय रोज़गार के अवसरों का सृजन करके और कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों को समर्थन देकर शहरों की ओर पलायन को कम करने में मदद करते हैं।
  - PM विश्वकर्मा योजना **(₹13,000 करोड़ परिव्यय)** और **आत्मनिर्भर भारत (SRI) निधि (₹50,000 करोड़ निधि) ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा** दे रहे हैं।
  - इसके अलावा, पशुपालन ऋण गारंटी योजना (वर्ष 2023) के तहत, पशुधन MSME को अब संपार्श्विक-मुक्त ऋण मिलता है, जिससे भारत के डेयरी एवं मांस प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।

- **हरित एवं सतत् विकास को सुविधाजनक बनाना:** स्वच्छ ऊर्जा समाधान और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाकर MSME भारत की हरित औद्योगिक क्रांति में सबसे आगे हैं।
  - RAMP योजना (विश्व बैंक के समर्थन से) और तेलंगाना MSME नीति (MSME और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये 4,000 करोड़ रुपए) संवहनीयता पर ज़ोर देती है।

MSME क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **ऋण तक सीमित अभिगम एवं वित्तीय बाधाएँ: MSME को प्राय: सख्त संपार्श्विक आवश्यकताओं** और जोखिम-विरोधी बैंकिंग नीतियों के कारण अपर्याप्त वित्तपोषण की समस्या से जूझना पड़ता है।
  - **अनाधिकारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता** उनकी **विकास क्षमता को सीमित** करती है तथा **परिचालन व्यय को बढ़ाती है।**
    - सरकार समर्थित योजनाओं के बावजूद, **वितरण में विलंब** और **जागरूकता की कमी** प्रभावी उपयोग में बाधा डालती है।
  - क्रिसिल के अनुमान के अनुसार, **देश के 40% से भी कम MSME** औपचारिक वित्तीय प्रणालियों से **ऋण लेते हैं।** हाल ही में CGTMSE गारंटी में वृद्धि से मदद मिली है, लेकिन 6.3 करोड़ **MSME में से केवल 2.5 करोड़ ने ही औपचारिक ऋण का लाभ उठाया** है, जो एक **बड़े अंतर** को उजागर करता है।
  - इसके अलावा, बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों से भुगतान में विलंब के कारण चलनिधि की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे इनकी उत्तरजीविता कठिन हो जाती है।
    - वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में **MSME को विलंबित भुगतान** कुल मिलाकर लगभग **₹10.7 लाख करोड़ या देश के GVA का 6%** है।

- **विनियामक बोझ और अनुपालन जटिलता:** MSME को **जटिल विनियामक प्रक्रियाओं,** लगातार नीतिगत परिवर्तनों और उच्च अनुपालन लागतों का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यापार करने में सुगमता सीमित हो जाती है।
  - श्रम, कराधान और पर्यावरण संबंधी विनियमों में कई अतिव्यापी कानून **प्रशासनिक बाधाएँ** उत्पन्न करते हैं।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 **में MSME विकास को बढ़ावा देने के लिये तत्काल विनियमन हटाने का आह्वान** किया गया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि अत्यधिक नियामक बोझ व्यवसाय की दक्षता और नवाचार में बाधा डालते हैं।

- **कुशल कार्यबल की कमी और तकनीकी अंतराल:** कुशल कार्यबल तक सीमित पहुँच और कम तकनीकी अपनाने से उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो जाती है।
  - अधिकांश MSME पुरानी मशीनरी पर निर्भर हैं तथा **स्वचालन एवं AI-संचालित समाधानों में निवेश करने की वित्तीय क्षमता का अभाव** है।
  - **केवल 6% MSME** ही बिक्री के लिये **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग** करते हैं, जो इस क्षेत्र में सीमित डिजिटल अंगीकरण को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- MSME मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार, **केवल 45% MSME** ने अपने परिचालन में किसी न किसी रूप में AI का अंगीकरण किया है।

- **बुनियादी अवसंरचना की बाधाएँ:** अपर्याप्त सड़क कनेक्टिविटी, अकुशल रेल परिवहन प्रणाली और उच्च रसद लागत वस्तुओं की समय पर परिवहन में बाधा डालती है, जिससे MSME की प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो जाती है।
  - **निरंतर बिजली कटौती** और औद्योगिक बिजली की उच्च लागत, विशेष रूप से ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी MSME समूहों में उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है।
  - **हाई-स्पीड इंटरनेट तक सीमित अभिगम, औद्योगिक पार्कों की कमी** और अपर्याप्त सामान्य सुविधा केंद्र MSME को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने एवं परिचालन बढ़ाने से रोकते हैं।
  - इसके अलावा, **अधिकांश औद्योगिक समूह कुछ ही राज्यों में केंद्रित** हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में MSME को निम्नस्तरीय बुनियादी अवसंरचना का समर्थन प्राप्त है, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में उनका एकीकरण सीमित हो रहा है।

- **बाज़ार अभिगम और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता चुनौतियाँ: MSME को अपर्याप्त ब्रांडिंग, निर्यात प्रोत्साहन की कमी और कड़े गुणवत्ता मानकों** के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक सीमित अभिगम से जूझना पड़ता है।
  - उच्च रसद लागत एवं वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) के साथ सीमित एकीकरण प्रतिस्पर्द्धात्मकता को और भी कम कर देता है।
    - **आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23** के अनुसार भारत में **लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के 14-18% के दायरे में** रही है, जबकि **वैश्विक बेंचमार्क 8%** है।

- **सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और उपयोगिता का अभाव:** अनेक सरकारी योजनाओं के बावजूद, कई MSME कम जागरूकता और प्रशासनिक बाधाओं के कारण लाभ उठाने में विफल रहते हैं।
  - जटिल आवेदन प्रक्रिया और उचित मार्गदर्शन का अभाव छोटे व्यवसायों को लाभ प्राप्त करने में बाधक है।
    - पहली बार उद्यम करने वाले और ग्रामीण MSME के लिये स्थिति और भी खराब है, जिन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है।
  - नवंबर 2024 तक, **मुद्रा योजना के तहत 2.57 लाख करोड़ रुपए** मंजूर किये गए, लेकिन **कई पात्र व्यवसाय ऋण के दायरे से बाहर** हैं।

- **पर्यावरण एवं स्थिरता अनुपालन दबाव:** वैश्विक ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानकों में वृद्धि के साथ, MSME को स्थिरता मानदंडों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
  - सेंटर फॉर स्टडी रिपोर्ट- 2018 में अनुमान लगाया गया है कि **भारतीय MSME सालाना लगभग 110 मिलियन टन CO_2 का उत्सर्जन** करते हैं। यह उनके महत्त्वपूर्ण कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरणीय प्रभाव को उजागर करता है।
    - हरित प्रौद्योगिकी अंगीकरण की उच्च लागत और प्रोत्साहनों का अभाव छोटे उद्यमों को पर्यावरण-अनुकूल पद्धतियों को अपनाने से रोकता है।
  - कई निर्यात-संचालित MSME को वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण **अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को खोने का खतरा** है।
    - उदाहरण के लिये, यूरोप का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो यूरोपीय संघ में कुछ निर्यातों पर कार्बन कर लगाती है, **से भारत के इस्पात उद्योग को नुकसान पहुँचने की आशंका** है।

- **औपचारिकता का अभाव:** MSME का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा **अपंजीकृत** है, जिसके कारण विश्वसनीय आँकड़ों की कमी, कमज़ोर नीति कार्यान्वयन और **संस्थागत समर्थन तक सीमित अभिगम** है।
  - अनौपचारिक व्यवसायों को वित्तीय समावेशन में कठिनाई होती है, जिससे उनके लिये सरकारी लाभ, संरचित ऋण और बीमा योजनाओं का लाभ उठाना कठिन हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **औपचारिक श्रम अनुबंधों के अभाव** के कारण श्रम **संहिताओं का अपर्याप्त प्रवर्तन** हो पाता है, जिससे **श्रमिक** ESI, PF और स्वास्थ्य बीमा जैसे **आवश्यक सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रह जाते हैं।**

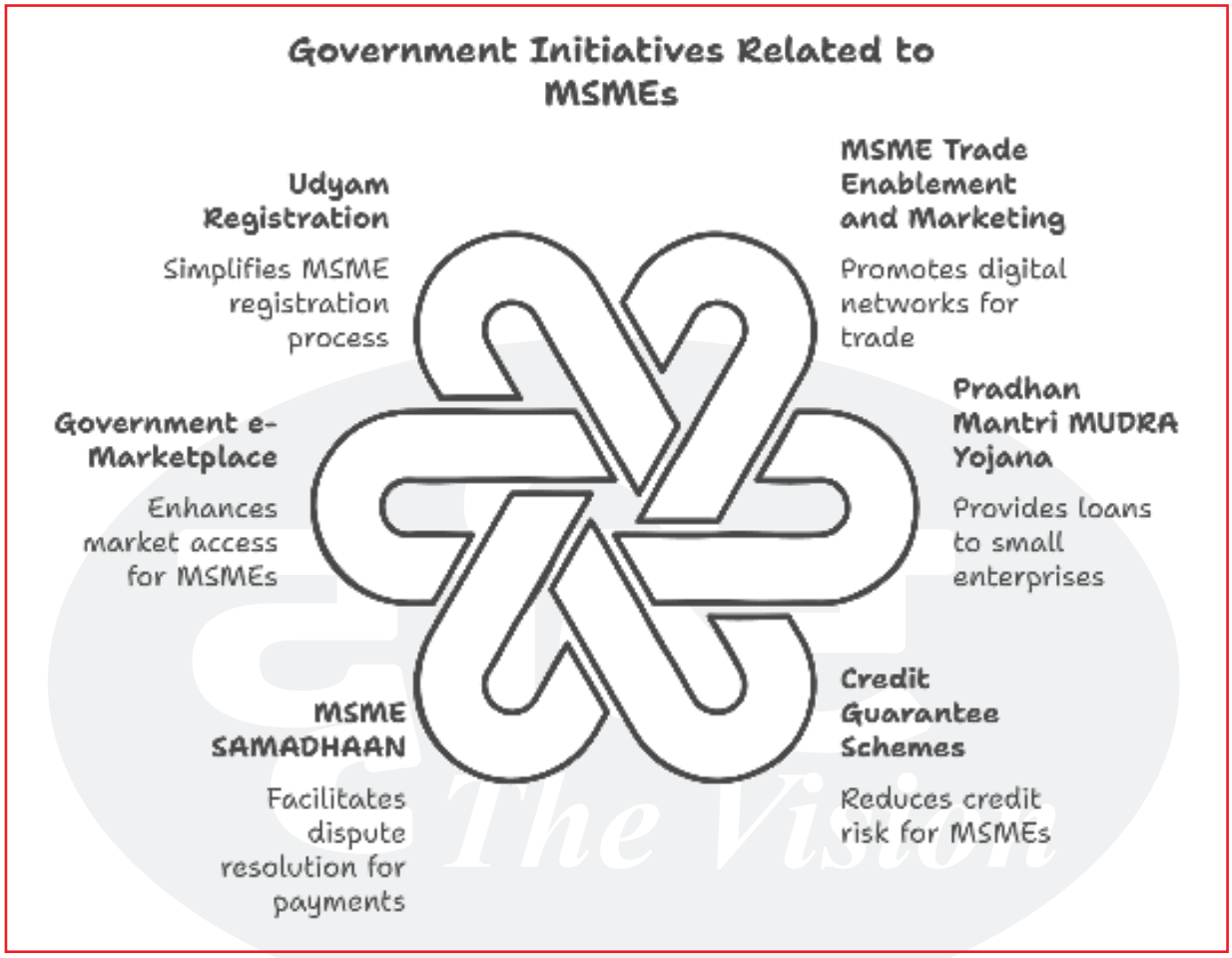

भारत में MSME क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **औपचारिक ऋण अभिगम को सुदृढ़ करना और वित्तीय बाधाओं को कम करना:** फिनटेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से **संपार्श्विक-मुक्त ऋण का विस्तार** करने की आवश्यकता है। बेहतर जोखिम कवरेज के लिये **मुद्रा योजना और CGTMSE को एकीकृत** किया जाना चाहिये।
  - ऋण में विलंब पर नज़र रखने के लिये **MSME क्रेडिट मॉनिटरिंग सेल की स्थापना** की जानी चाहिये। नकदी प्रवाह को आसान बनाने के लिये **फैक्टरिंग सेवाओं और इनवॉइस डिस्काउंटिंग को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये। साथ ही, **MSME फाइनेंस कंपनियाँ भी स्थापित** की जा सकती हैं।
  - MSME समाधान पोर्टल के अंतर्गत **भुगतान की सख्त समयसीमा** अनिवार्य करने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- तेज़ी से चालान निपटान के लिये **TReDS और GeM खरीद** को लिंक किया जाना चाहिये। **सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और बड़ी कंपनियों को** MSME भुगतान को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- **विनियामक कार्यढाँचे को सुव्यवस्थित करना और अनुपालन बोझ को कम करना:** MSME अनुमोदन के लिये **एकल-खिड़की मंजूरी** लागू करने की आवश्यकता है। लालफीताशाही को कम करने और अनुपालन लागत को कम करने के लिये **RAMP योजना को सुदृढ़** करने की आवश्यकता है। मामूली विनियामक फाइलिंग के लिये **स्व-घोषणा तंत्र स्थापित** करने की आवश्यकता है।
  - तीव्र शिकायत निवारण के लिये **राज्य स्तरीय MSME सुविधा परिषदों का** गठन किया जाना चाहिये।
- **बाज़ार पहुँच और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना:** मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से **निर्यातोन्मुख MSME को** बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - स्थानीय उद्योगों को मज़बूत करने के लिये **PLI योजनाओं और क्लस्टर आधारित विकास का** विस्तार करने की आवश्यकता है।
    - प्रत्यक्ष बाज़ार पहुँच के लिये ONDC और GeM के साथ **ई-कॉमर्स एकीकरण में** सुधार किया जाना चाहिये।
  - अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिये **सब्सिडीयुक्त ब्रांडिंग एवं प्रमाणन सहायता** प्रदान की जानी चाहिये।
- **डिजिटल और तकनीकी अंगीकरण को बढ़ावा देना:** MSME टेक हब के माध्यम से **AI, IoT और ऑटोमेशन अंगीकरण की सुविधा** प्रदान करने की आवश्यकता है। निर्बाध डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिये **उद्यम और ONDC प्लेटफॉर्म को एकीकृत** करने की आवश्यकता है।
  - साइबर सुरक्षा, क्लाउड एक्सेस और ई-कॉमर्स भागीदारी में सुधार के लिये डिजिटल MSME 2.0 लॉन्च किया जाना चाहिये।
  - क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के लिये **कौशल भारत और PM विश्वकर्मा योजना का** विस्तार किया जाना चाहिये।
    - औद्योगिक क्लस्टरों में **MSME अप्रेंटिसशिप केंद्र** स्थापित किया जाना चाहिये।
- **कच्चे माल की लागत और आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को कम करना:** स्थिर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये **MSME-केंद्रित कच्चे माल बैंक विकसित** किया जाना चाहिये।
  - आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत **प्रमुख इनपुट के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये।
  - बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन के लिये **वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पार्कों को सुदृढ़** किया जाना चाहिये। लागत कम करने के लिये **क्लस्टर-आधारित खरीद मॉडल लागू** किया जाना चाहिये।
    - MSME को सस्ते कच्चे माल तक पहुँच प्रदान करने के लिये **थोक खरीद सहकारी समितियों को** बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **ग्रामीण एवं कृषि आधारित MSME का सुदृढ़ीकरण:** कारीगर आधारित उद्यमों के लिये **PM विश्वकर्मा योजना और स्फूर्ति क्लस्टरों का** विस्तार करने की आवश्यकता है।
  - कृषि प्रसंस्करण और हस्तशिल्प में **ग्रामीण उद्योगों के लिये लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन** प्रदान किया जाना चाहिये।
  - ग्रामीण MSME को बढ़ावा देने के लिये **सहकारी आधारित व्यवसाय मॉडल को मज़बूत** किया जाना चाहिये। कृषि MSME के लिये **कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
    - छोटे किसानों को वैश्विक बाज़ारों से जोड़ने के लिये **MSME-अनुकूल कृषि निर्यात केंद्र** विकसित किया जाना चाहिये।
- **हरित MSME एवं सतत् विकास को बढ़ावा देना:** पर्यावरण अनुकूल व्यवसायों के लिये **हरित MSME प्रमाणन कार्यक्रमों का विस्तार** करने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिये **कम ब्याज दर पर हरित वित्त** उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- अपशिष्ट को न्यूनतम करने और पुनर्चक्रण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये **चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन** स्थापित किया जाना चाहिये। संधारणीय व्यावसायिक प्रथाओं के लिये **ESG-लिंक्ड क्रेडिट कार्यक्रमों को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।

- **MSME में महिला एवं सामाजिक उद्यमिता को सुदृढ़ करना:** CGTMSE के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME के लिये **उच्च ऋण गारंटी कवर** प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - **मुद्रा योजना के समर्पित महिला उद्यमी कोष का विस्तार** किया जाना चाहिये। वित्तीय समावेशन के लिये **स्वयं सहायता समूहों (SHG) को MSME क्लस्टरों से** जोड़ने की आवश्यकता है।
    - महिला उद्यमियों के लिये **सह-कार्यशील स्थानों और मेंटरशिप कार्यक्रमों को** प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। **महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिये GeM के माध्यम से बाज़ार पहुँच में सुधार** किया जाना चाहिये।
- **आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन को बढ़ाना:** आर्थिक आघात से बचाव के लिये **MSME आपदा रिकवरी फंड** विकसित किया जाना चाहिये। महामारी जैसी बाधाओं को कवर करने के लिये **बीमा योजनाओं को सुदृढ़** करने की आवश्यकता है।
  - मंदी के दौरान **लचीली ऋण पुनर्गठन नीतियों को** लागू किया जाना चाहिये। **क्राउडफंडिंग और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग जैसे वैकल्पिक ऋण स्रोतों को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
- **MSME का औपचारिकीकरण और संस्थागत समर्थन को दृढ़ करना:** औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये **कम GST दरों और प्राथमिकता वाले ऋण लाभ** जैसे प्रोत्साहनों के साथ **अनिवार्य उद्यम पंजीकरण को** लागू करने की आवश्यकता है।
  - बेहतर भागीदारी के लिये औपचारिक पंजीकरण को **सरकारी योजनाओं, GeM खरीद और ऋण गारंटी कार्यक्रमों तक अभिगम** के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
    - **केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) द्वारा वार्षिक खरीद का 25%** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से किया जाना सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - छोटे व्यवसायों के लिये अनुपालन में आसानी सुनिश्चित करते हुए **श्रम संहिताओं** के प्रवर्तन को मज़बूत किया जाना चाहिये। नीति लक्ष्यीकरण और कार्यान्वयन में सुधार के लिये **MSME डेटाबेस को आधार, GSTIN** और **बैंकिंग प्रणालियों के साथ एकीकृत** किया जाना चाहिये।

मुख्य सिफारिशें: MSME ऋण पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट (अप्रैल 2022)

- **ऋण देने के लिये डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र:** संपार्श्विक आवश्यकताओं को कम करने और सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के लिये उद्यम पोर्टल के माध्यम से एक केंद्रीकृत डिजिटल ऋण प्रणाली विकसित किया जाना चाहिये। (उदाहरण: **उद्यम पंजीकरण** ऋणदाताओं के लिये डेटा संग्रह के रूप में कार्य करता है।)
- **अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क:** क्रेडिट एक्सेस में सुधार, धोखाधड़ी को रोकने और NPA को कम करने के लिये सुरक्षित वित्तीय डेटा साझाकरण को सक्षम किया जाना चाहिये। (उदाहरण: **SAHAY GST** प्लेटफॉर्म ने भौतिक संपार्श्विक को GST चालान-आधारित ऋण के साथ बदल दिया है।)
- **नकदी प्रवाह ऋण मॉडल:** GST और लेनदेन डेटा का उपयोग करके परिसंपत्ति-आधारित से नकदी प्रवाह-आधारित ऋण की ओर बदलाव। (उदाहरण: बेहतर ऋण मूल्यांकन के लिये खाता एग्रीगेटर कार्यढाँचे में **GSTIN का उपयोग।**)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **MSME औपचारिकीकरण में तेज़ी लाना:** ऋणों को GST चालान से जोड़कर औपचारिक क्षेत्र की ऋण पहुँच में वृद्धि किया जाना चाहिये। (उदाहरण: GST पंजीकरण द्वारा औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने से ऋण पात्रता में सुधार हुआ।)
- **लक्षित ऋण गारंटी:** कमज़ोर उधारकर्त्ताओं को क्षेत्र-और क्षेत्र-विशिष्ट गारंटी प्रदान किया जाना चाहिये। (उदाहरण: आर्थिक संकट के दौरान सलॉन और टूर एजेंसियों जैसे उद्योगों पर विशेष ध्यान देना)।
- **SIDBI को सुदृढ़ बनाना:** उधार दरों को कम करने और NBFC वित्तपोषण का समर्थन करने के लिये सिडबी में ₹5,000-₹10,000 करोड़ की इक्विटी डाला जाना चाहिये। (उदाहरण: **SIDBI का उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म** MSME पंजीकरण को बढ़ावा दे रहा है।)
- **व्यापार क्रेडिट कार्ड योजना:** अल्पावधि, कम ब्याज वाले ऋण के लिये किसान क्रेडिट कार्ड जैसे व्यवसाय क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की जानी चाहिये।(उदाहरण: कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों के लिये MSME व्यापार क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं।)

निष्कर्ष:

MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है, जो रोज़गार, GDP और निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। **औपचारिकता को सुदृढ़ करना, हरित प्रथाओं को बढ़ावा देना और बाज़ार अभिगम को बढ़ाना** MSME को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा सकता है। लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधार इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को अनलॉक करने में महत्त्वपूर्ण होंगे। अंतत: एक समुत्थानशील MSME इकोसिस्टम **भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता की कुंजी** है।

■■■

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर - 3, संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ

भारत में औद्योगिक उत्सर्जन में कमी के प्रयास

यह एडिटोरियल 07/02/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "The saga of regulating India's thermal power emissions" पर आधारित है। इस लेख में भारत के थर्मल पावर क्षेत्र द्वारा SO_2 उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन में बार-बार की जाने वाली विलंब को सामने लाया गया है, जिसमें नवीनतम विस्तार इसे वर्ष 2027 तक आगे बढ़ा सकता है। यह शासन संबंधी चुनौतियों को उजागर करता है जहाँ आर्थिक प्राथमिकताएँ प्राय: पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर हावी हो जाती हैं।

प्रिलिम्स के लिये: भारत का ताप विद्युत क्षेत्र, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) तकनीक, मीथेन लीक, SATAT योजना, नैनो-यूरिया, ग्रीन हाइड्रोजन, PAT (प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार), विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) परिनियोजन, समर्पित माल ढुलाई गलियारा

मेन्स के लिये: भारत में प्रमुख उत्सर्जन-गहन उद्योग, भारत में औद्योगिक उत्सर्जन में कमी लाने में प्रमुख बाधाएँ।

वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्त्ता भारत का ताप विद्युत क्षेत्र लंबे समय से उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने में विलंब से जूझ रहा है, **SO_2 अनुपालन** के लिये नवीनतम विस्तार ने समय सीमा को **दिसंबर 2027 तक बढ़ा दिया है।** हालाँकि, थर्मल पावर से परे **स्टील, सीमेंट और परिवहन** जैसे उद्योग भी उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ और जलवायु चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे-जैसे भारत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, पर्यावरणीय दायित्व **के साथ औद्योगिक विस्तार को संतुलित करना अनिवार्य** है। नियामक प्रवर्तन को दृढ़ करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में तीव्रता लाना और सभी क्षेत्रों में व्यापक उत्सर्जन में कमी के लिये रणनीति का अंगीकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए सतत् विकास को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण होगा।

भारत में प्रमुख उत्सर्जन-गहन उद्योग कौन से हैं?

- **विद्युत उत्पादन (ताप विद्युत संयंत्र):** भारत का विद्युत क्षेत्र ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है, जिसका मुख्य कारण **कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र** हैं, जो देश के **ईंधन-संबंधित CO_2 उत्सर्जन में लगभग 50% का योगदान** करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) तकनीक के कार्यान्वयन में विलंब और SO_2 उत्सर्जन मानदंडों में लगातार विस्तार से प्रदूषण और अधिक बढ़ गया है।
- इसके अतिरिक्त, पुराने विद्युत संयंत्रों की अकुशलता और उच्च संचरण हानि के कारण अनावश्यक उत्सर्जन होता है।

- **लोहा और इस्पात उद्योग:** इस्पात क्षेत्र अत्यधिक ऊर्जा-गहन है, जो **CO_2 उत्सर्जन और कणिका पदार्थ प्रदूषण में महत्त्वपूर्ण योगदान** देता है।
  - अधिकांश भारतीय इस्पात उत्पादन स्वच्छ विद्युत आर्क भट्टियों के बजाय **कोयला आधारित ब्लास्ट भट्टियों पर निर्भर है, जिससे उत्सर्जन बढ़ रहा है।**
    - उच्च लागत और सीमित हाइड्रोजन अवसंरचना के कारण **हरित हाइड्रोजन आधारित इस्पात निर्माण** की ओर परिवर्तन धीमा है।
  - **भारत दूसरा सबसे बड़ा** कच्चा इस्पात उत्पादक है, जिसने वर्ष 2022 में 242 मीट्रिक टन CO_2 उत्सर्जित किया। स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति (वर्ष 2021) का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना है, फिर भी महत्त्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं।
- **सीमेंट उद्योग:** सीमेंट विनिर्माण एक 'हार्ड-टू-अबेट' क्षेत्र है क्योंकि यह **चूना पत्थर के कैल्सीनेशन पर निर्भर** है, **जो सीधे CO_2 उत्सर्जित करता है।**
  - **निर्माण क्षेत्र सीमेंट और ईंट उत्पादन** के साथ-साथ डीज़ल चालित मशीनरी के कारण प्रमुख उत्सर्जक है।
    - **मिश्रित सीमेंट (फ्लाई ऐश, स्लैग) और वैकल्पिक ईंधन** का उपयोग करने के प्रयासों से उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है, लेकिन आर्थिक बाधाओं के कारण इसका अंगीकरण अभी भी सीमित है।
  - सीमेंट उत्पादन वर्तमान वैश्विक CO_2 उत्सर्जन के 7-8% और **भारत में CO_2 उत्सर्जन के लगभग 5.8% (2022) के लिये जिम्मेदार** है।
- **तेल और गैस उद्योग (रिफाइनरियाँ और पेट्रोकेमिकल्स):** रिफाइनरियाँ और पेट्रोकेमिकल संयंत्र मीथेन लीक, CO_2 और **वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs)** के प्रमुख स्रोत हैं।
  - भारत द्वारा **रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार** और शोधन क्षमता बढ़ाने के प्रयासों से उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।
  - अनुमान है कि भारत में तेल की मांग वर्ष 2045 तक दोगुनी वृद्धि के साथ **11 मिलियन बैरल प्रतिदिन** तक पहुँच जाएगी, जिससे उत्सर्जन संबंधी समस्याएँ और भी गंभीर हो जाएंगी।
  - यद्यपि **SATAT योजना के अंतर्गत** जैव ईंधन और संपीड़ित बायोगैस (CBG) परियोजनाओं का उद्देश्य कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है, फिर भी प्रगति धीमी बनी हुई है।
- **उर्वरक उद्योग:** उर्वरक क्षेत्र **नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)** का एक **प्रमुख उत्सर्जक** है, जो एक **शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस** है जो **CO_2 से 300 गुना** अधिक शक्तिशाली है।
  - **यूरिया आधारित उर्वरकों** के अत्यधिक उपयोग से न केवल मृदा स्वास्थ्य का क्षरण होता है, बल्कि **अमोनिया संश्लेषण**, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है, **से होने वाले उत्सर्जन में भी वृद्धि** होती है।
    - यद्यपि सरकार ने **उपयोग को कम करने के लिये** नैनो-यूरिया की शुरुआत की है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसके अंगीकरण की गति धीमी है।
  - भारत का उर्वरक क्षेत्र **उत्पादित उर्वरक के प्रति टन लगभग 0.58 टन CO_2 उत्सर्जित** करता है, जिससे सत्र 2022-23 में कुल उत्सर्जन लगभग 25 मिलियन टन CO_2 हो गया।
- **एल्युमीनियम और गैर-लौह धातु उद्योग:** एल्युमीनियम उत्पादन सबसे अधिक ऊर्जा-गहन औद्योगिक प्रक्रियाओं में से एक है, क्योंकि यह **बिजली और कार्बन एनोड पर निर्भर** है, जिससे उच्च CO_2 उत्सर्जन होता है।
  - भारतीय एल्युमीनियम उद्योग **प्रति टन एल्युमीनियम 20.88 टन CO_2 उत्सर्जित** करता है।
  - भारत के विशाल बॉक्साइट रिज़र्व ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है, लेकिन अधिकांश प्रगालक अभी भी कोयला आधारित बिजली पर निर्भर हैं।
    - यद्यपि एल्युमीनियम के पुनर्चक्रण से उत्सर्जन में कमी आ सकती है, परंतु **भारत में स्क्रैप पुनर्चक्रण** की बुनियादी अवसंरचना अविकसित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **हरित एल्युमीनियम** की वैश्विक मांग बढ़ रही है, लेकिन भारतीय उत्पादक स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के अंगीकरण में पीछे हैं।

- **परिवहन एवं ऑटोमोटिव उद्योग: वाहन स्वामित्व, माल ढुलाई और विमानन विकास में वृद्धि** के कारण परिवहन क्षेत्र का उत्सर्जन तीव्रता से बढ़ रहा है।
  - **राजमार्गों के विस्तार** और एसयूवी की बिक्री में वृद्धि ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को और बढ़ा दिया है।
  - NITI आयोग के अनुसार, भारत का परिवहन क्षेत्र **तीसरा सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जित करने वाला क्षेत्र** है और **सड़क परिवहन** वर्तमान में **भारत के ऊर्जा-संबंधित CO_2 उत्सर्जन का 12% हिस्सा** है और शहरी वायु प्रदूषण में इसका प्रमुख योगदान है।

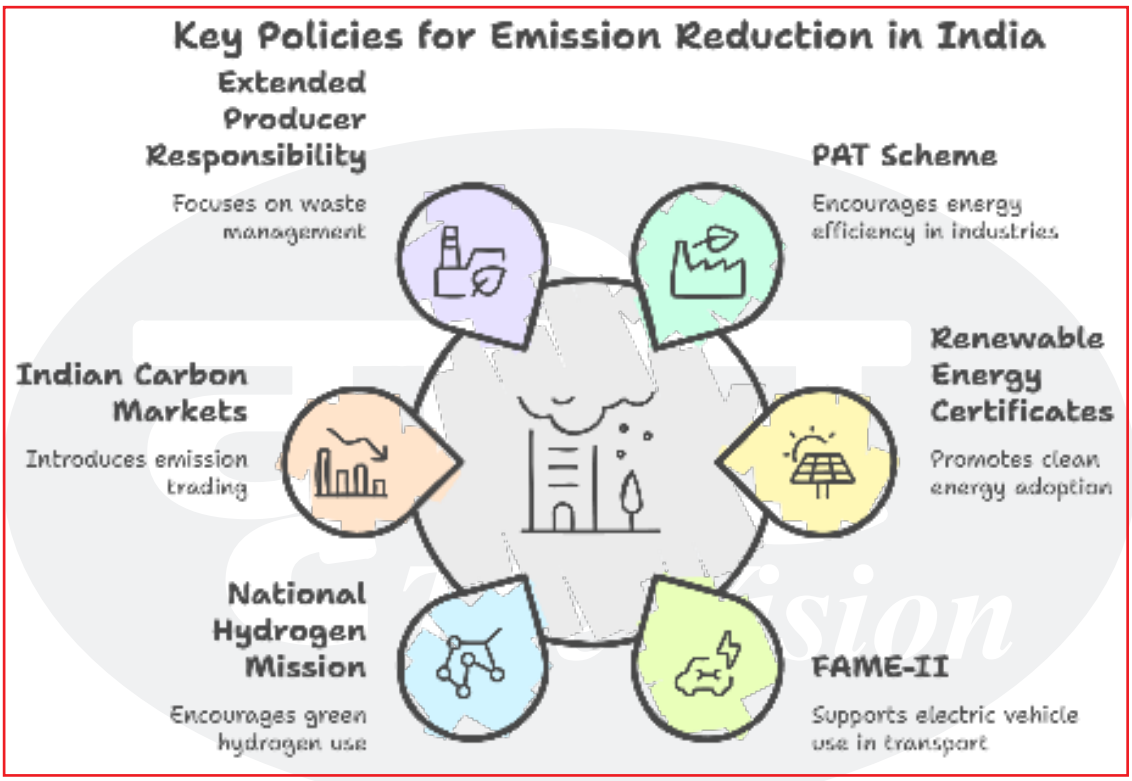

भारत में औद्योगिक उत्सर्जन में कमी लाने में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

- **कोयला आधारित ऊर्जा पर निर्भरता: भारत का औद्योगिक क्षेत्र बिजली और प्रक्रम ऊष्मा** के लिये कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे उत्सर्जन में कमी लाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  - **इस्पात, सीमेंट और एल्युमीनियम** जैसे कई उद्योगों में उच्च तापमान प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जहाँ कोयला सबसे सस्ता एवं सुलभ विकल्प है।
  - नवंबर 2024 में, सरकार ने बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये **36 नई कोयला परियोजनाओं को मंजूरी** दी, जिससे कोयले पर निरंतर निर्भरता पर ज़ोर दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की उच्च लागत:** उच्च पूंजी निवेश के कारण **कार्बन कैप्चर, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा-कुशल प्रक्रियाओं** को अपनाने की गति धीमी है।
  - उदाहरण के लिये, ग्रीन हाइड्रोजन **की** कीमत **350-400 रुपए प्रति किलोग्राम** है, जिससे यह बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग के लिये अव्यवहारिक है।
  - कई उद्योगों, विशेषकर MSME को दीर्घकालिक ऊर्जा बचत के बावजूद बहुत अधिक प्रारंभिक लागत लगती है।
    - **ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD)** और **इस्पात उत्पादन में विद्युतीकरण** जैसी प्रौद्योगिकियाँ वित्तीय बाधाओं के कारण कम उपयोग में लाई जाती हैं।
  - इसके अलावा, हालाँकि भारत ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार किया है, लेकिन **ग्रिड एकीकरण के मुद्दे, ट्रांसमिशन बाधाएँ** और औद्योगिक पैमाने पर भंडारण की कमी इसे अपनाने में बाधा उत्पन्न कर रही है।
- **कमज़ोर विनियामक प्रवर्तन और नीतियों का बार-बार कमज़ोर पड़ना:** उद्योगों के लिये उत्सर्जन मानदंडों को प्राय: **समय सीमा विस्तार, कमज़ोर पड़ने या असंगत कार्यान्वयन का सामना** करना पड़ता है।
  - उद्योग, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश से बचने के लिये **विनियामक कमियों और अनुपालन जाँच में विलंब का लाभ** उठाते हैं।
  - **प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में प्राय: उल्लंघनों की सख्ती से निगरानी करने** और **दंडित करने की क्षमता** एवं संसाधनों का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप अनियंत्रित उत्सर्जन होता है।
    - उदाहरण के लिये, **SO_2 उत्सर्जन अनुपालन की समय सीमा वर्ष 2027** तक बढ़ा दी गई है, जिससे स्वच्छ वायु लाभ में विलंब हो रही है।
- **डीकार्बोनाइजेशन के लिये वित्तीय प्रोत्साहन का अभाव: जबकि भारत ने** PAT (प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार) **और** कार्बन ट्रेडिंग बाज़ार जैसी पहल शुरू की है, उद्योगों को प्राय: पर्याप्त वित्तीय सहायता का अभाव रहता है।
  - हरित वित्तपोषण के विकल्प सीमित हैं, तथा **स्वच्छ निवेश से मिलने वाले रिटर्न में अनिश्चितता के कारण बैंक ऋण देने में अनिच्छुक** हैं।
  - **कार्बन क्रेडिट की कीमत अभी भी कम** है, जिससे उत्सर्जन में कमी के लिये न्यूनतम प्रोत्साहन मिलता है।
    - भारत का कार्बन क्रेडिट बाज़ार मूल्य 300-600 रुपए प्रति टन है, जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिये बहुत कम है।
- **औद्योगिक प्रक्रियाओं में अकुशलता:** कई भारतीय उद्योग अभी भी **पुरानी, अकुशल मशीनरी के साथ काम** कर रहे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा खपत एवं उत्सर्जन बढ़ रहा है।
  - भारत में अधिकांश ताप विद्युत संयंत्र **1990 के दशक के अंत में स्थापित** किये गये थे और वे घटती दक्षता की समस्या का सामना कर रहे हैं।
    - **पुराने संयंत्रों का नवीनीकरण महंगा** है तथा उद्योग प्राय: दक्षता में सुधार के बजाय उत्पादन आउटपुट को प्राथमिकता देते हैं।
  - जागरूकता और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण **अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति, सह-उत्पादन** और **निम्न-कार्बन विनिर्माण तकनीकें** अभी भी कम उपयोग में लाई जा रही हैं।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन में धीमी प्रगति:** औद्योगिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग **अविकसित** रह गया है, जिससे कच्चे माल की मांग एवं उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है।
  - कई उद्योग **चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अंगीकरण में विफल** रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक संसाधन निष्कर्षण एवं अपशिष्ट उत्पादन होता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4.43 मिलियन टन **खतरनाक अपशिष्ट** उत्पन्न होता है, जिसमें से **केवल 71,833 टन को ही भस्मीकरणीय** (दहन प्रक्रिया के तहत निपटान के लिये उपयुक्त) **श्रेणी में वर्गीकृत** किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इसके अलावा, भारत का **केवल 21% स्टील** स्क्रैप से बनाया जाता है।

- **औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन में सामाजिक-आर्थिक समझौता: आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन एवं उत्सर्जन में कमी के बीच संतुलन** बनाना एक महत्त्वपूर्ण **चुनौती** है।
  - कई उत्सर्जन-गहन उद्योग प्रमुख **रोज़गार सृजनकर्त्ता** हैं, जिससे सख्त नियमन राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाते हैं।
  - **न्यायोचित परिवर्तन कार्यढाँचे** के बिना, स्वच्छ उद्योगों की ओर संक्रमण को श्रमिकों और व्यवसायों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
  - नौकरियों के संदर्भ में, अध्ययन का अनुमान है कि **3.6 मिलियन लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोयला खनन** और बिजली क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिससे संक्रमण कठिन होता जा रहा है।

उत्सर्जन में कमी और संवहनीयता के लिये सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियाँ क्या हैं?

- **नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण: पवन ऊर्जा से डेनमार्क** की लगभग **60% बिजली** उत्पन्न होती है।
  - **जर्मनी** की ***एनर्जीवेंडे*** **नीति** के कारण सौर एवं पवन ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाया गया है।
- **कार्बन मूल्य निर्धारण और कर: स्विट्ज़रलैंड और लिकटेंस्टीन** वर्तमान में प्रति टन कार्बन उत्सर्जन पर $130.81 की उच्चतम कार्बन कर दर लगाते हैं।
  - कनाडा ने अनेक उद्योगों को कवर करने वाली संघीय कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की है।
  - यूरोपीय संघ की **उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS)** कार्बन उत्सर्जन को विनियमित करने के लिये **कैप-एंड-ट्रेड मॉडल** का अनुसरण करती है।
- **संवहनीय परिवहन: नॉर्वे में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन सबसे अधिक** है, जहाँ 80% से अधिक नई कारें इलेक्ट्रिक हैं।
  - चीन **दुनिया का सबसे बड़ा EV चार्जिंग नेटवर्क** चलाता है, जिसमें 1.8 मिलियन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं।
- **ऊर्जा दक्षता और हरित भवन: जापान का टॉप रनर कार्यक्रम** उपकरणों के लिये दक्षता मानक निर्धारित करता है।
  - **सिंगापुर के ग्रीन बिल्डिंग मास्टरप्लान** का लक्ष्य शुद्ध-शून्य उत्सर्जन है।
- **वनरोपण और कार्बन सिंक:** कोस्टा रिका ने **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये भुगतान (PES) कार्यक्रम के माध्यम से अपने वन क्षेत्र का 50% से अधिक पुन:स्थापन** कर लिया है।
  - **चीन ग्रेट ग्रीन वॉल** के साथ विश्व की सबसे बड़ी वनरोपण पहल का नेतृत्व कर रहा है।

औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा परिवर्तन में तीव्रता लाने के लिये भारत क्या उपाय लागू कर सकता है?

- **कार्बन मूल्य निर्धारण और उत्सर्जन व्यापार को मज़बूत करना:** भारत को उत्सर्जन में कमी को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये कड़े **कैप-एंड-ट्रेड विनियमों** के साथ एक **अनिवार्य कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र** को लागू करना चाहिये।
  - **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का** विस्तार कर इसे अधिक उद्योगों तक पहुँचाने तथा वैश्विक बाज़ारों के साथ एकीकृत करने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी।
    - उच्च कार्बन मूल्य निर्धारण उद्योगों को **स्वच्छ ईंधन, ऊर्जा दक्षता और कार्बन कैप्चर** अंगीकरण की ओर प्रेरित करेगा।
  - सरकार को **गैर-अनुपालन के लिये कठोर दंड** भी लगाना चाहिये, ताकि उद्योगों को उत्सर्जन में कटौती करने के बजाय कम जुर्माना भरने से रोका जा सके।
- **हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार:** नीतिगत प्रोत्साहन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से **हरित हाइड्रोजन उत्पादन** को बढ़ाने से **इस्पात, सीमेंट और उर्वरक क्षेत्रों को कार्बन मुक्त** करने में मदद मिल सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इसके साथ ही, **SATAT योजना के तहत जैव ईंधन और संपीड़ित बायोगैस (CBG) को बढ़ावा देने से परिवहन एवं शोधन क्षेत्रों** में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगी।
- उद्योगों को इस ओर आकर्षित करने के लिये इन स्वच्छ विकल्पों को **कम लागत वाले वित्तपोषण द्वारा समर्थित** किया जाना चाहिये।

- **विनिर्माण में चक्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र अंगीकरण: भारत को इस्पात, सीमेंट, वस्त्र और ई-अपशिष्ट** जैसे उद्योगों के लिये सख्त **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू करना चाहिये**, तथा पुनर्नवीनीकृत और द्वितीयक कच्चे माल की ओर बदलाव को अनिवार्य बनाना चाहिये।
  - **औद्योगिक सहजीवन** को बढ़ावा देने से- जहाँ एक उद्योग का अपशिष्ट दूसरे उद्योग के लिये कच्चे माल के रूप में काम करता है - उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है।
  - स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये **ZED (शून्य दोष, शून्य प्रभाव) प्रमाणन** जैसे स्थिरता कार्यढाँचे के तहत **अनिवार्य सामग्री पुनर्प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किये** जाने चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, **पुनर्चक्रित सामग्री के बाज़ार** बनाने से आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार हो सकता है तथा कच्चे माल की मांग कम हो सकती है।
- **तीव्र FGD और CCS परिनियोजन के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों का डीकार्बोनाइज़ेशन: भारत को कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) परिनियोजन में तीव्रता** लाते हुए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में लंबे समय से विलंबित **फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) स्थापना** को लागू करना चाहिये।
  - **कार्बन उपयोग केंद्रों** की स्थापना, जहाँ एकत्रित CO_2 को रसायनों, सिंथेटिक ईंधनों और निर्माण सामग्री के लिये पुन: उपयोग किया जा सके, आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ा सकती है।
  - पुराने कोयला संयंत्रों को **सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी से सुसज्जित** करने से दक्षता में सुधार आएगा तथा उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट उत्सर्जन में कमी आएगी।
  - इसके **समानांतर, कोयला गैसीकरण और हाइब्रिड ऊर्जा मॉडल (कोयला + नवीकरणीय)** की ओर क्रमिक बदलाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **औद्योगिक ऊर्जा दक्षता मानकों को सुदृढ़ बनाना: क्षेत्र-विशिष्ट दक्षता मानदंडों** के साथ अधिक ऊर्जा-गहन उद्योगों को शामिल करने के लिये **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना** का विस्तार करने से लक्षित सुधार सुनिश्चित होंगे।
  - **कारखानों के लिये ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) का अनुपालन अनिवार्य** बनाने से **अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति, सह-उत्पादन और स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशन** को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।
  - उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कमी लाने के लिये MSME को **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (TUF) जैसी योजनाओं के तहत ऊर्जा कुशल मशीनरी** और डिजिटल निगरानी उपकरणों तक सब्सिडी वाली पहुँच मिलनी चाहिये।
- **उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तीव्रता लाना:** जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली पर निर्भरता कम करने के लिये उद्योगों को **कैप्टिव सौर, पवन और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों** को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - **मुक्त पहुँच नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों** का विस्तार करने से उद्योगों को **हरित ऊर्जा आपूर्तिकर्त्ताओं** से कम दरों पर सीधे बिजली खरीदने की सुविधा मिलेगी।
  - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के माध्यम से तीव्रता से **बैटरी भंडारण की स्थापना,** औद्योगिक उपयोग के लिये नवीकरणीय ऊर्जा की विश्वसनीयता में सुधार लाएगी।
- **निम्न-कार्बन परिवहन और हरित लॉजिस्टिक्स का विकास:** माल परिवहन को कार्बन मुक्त करने के लिये, उद्योगों को **इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन-चालित ट्रकों की ओर रुख करना होगा,** जिन्हें **EV बैटरी स्वैपिंग पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन** प्राप्त होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- समर्पित माल ढुलाई गलियारा (DFC) को बढ़ाने तथा सड़क परिवहन की अपेक्षा **रेल आधारित माल परिवहन को बढ़ावा** देने से उत्सर्जन में काफी कमी आएगी।
- प्रमुख बंदरगाहों में **हरित शिपिंग पहल का विस्तार** करने तथा **शून्य-उत्सर्जन गोदामों को अनिवार्य बनाने से** आपूर्ति शृंखला उत्सर्जन में और कमी आएगी।
  - **रेल विद्युतीकरण को औद्योगिक परिवहन नीतियों के साथ जोड़ने से** स्वच्छ परिवहन के लिये समन्वित संक्रमण सुनिश्चित हो सकता है।

- **कोयला-निर्भर उद्योगों के लिये न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करना:** कम कार्बन विकल्पों की ओर बढ़ते हुए, भारत को **कोयला खनन, ताप विद्युत और ऊर्जा-गहन उद्योगों** पर निर्भर श्रमिकों एवं समुदायों की सुरक्षा के लिये **न्यायसंगत परिवर्तन कार्यढाँचे** को लागू करना चाहिये।
  - एक राष्ट्रीय **पुनर्कौशल और हरित नौकरियाँ कार्यक्रम** सौर पैनल विनिर्माण, हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी और EV घटक उत्पादन में श्रमिकों को प्रशिक्षित कर सकता है।
  - औद्योगिक क्षेत्रों को **स्वच्छ ऊर्जा और संधारणीय विनिर्माण केंद्रों के रूप में पुन: उपयोग में** लाया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा परिवर्तन में कोई भी क्षेत्र पीछे न छूट जाए।
- **अपशिष्ट से ऊर्जा और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण: अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों, जैव-CNG उत्पादन और औद्योगिक अपशिष्ट मूल्यांकन** को बढ़ाने से मीथेन और CO_2 उत्सर्जन में काफी कमी आएगी।
  - **बड़े उद्योगों के लिये शून्य लैंडफिल नीतियों** को लागू करने से **वस्त्र, रसायन और खाद्य प्रसंस्करण** जैसे क्षेत्रों को बंद लूप उत्पादन अपनाने के लिये प्रेरित किया जाएगा।
  - **प्लास्टिक-भारी उद्योगों में जैव-निम्नीकरणीय विकल्पों और रासायनिक पुनर्चक्रण** को प्रोत्साहित करने से भी उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।
    - उद्योगों को स्रोत पर अपशिष्ट उत्पादन को रोकने के लिये **प्रमाणित हरित पैकेजिंग का उपयोग** करना अनिवार्य किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत के औद्योगिक क्षेत्र को **सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये उत्सर्जन में कमी** के साथ आर्थिक विकास को तत्काल संतुलित करना चाहिये। **क्योटो प्रोटोकॉल के सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR) के सिद्धांत** के साथ तालमेल बिठाते हुए, भारत को अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए अपने बदलाव को तीव्र करना चाहिये। इन उपायों को लागू करने से **SDG7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), SDG 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी अवसंरचना)** और **SDG 13 (जलवायु कार्रवाई)** में भी योगदान मिलेगा।

■■■

जनजातीय कल्याण के लिये वित्तपोषण

यह एडिटोरियल 07/05/2024 को ***द इंडियन एक्सप्रेस*** *में प्रकाशित "**Budget and Adivasis: Is it about development or politics?**" पर आधारित है। लेख में* ***केंद्रीय बजट 2025-2026*** *में जनजातीय कल्याण के लिये वित्तपोषण में ऐतिहासिक 46% वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है,, जिसमें पीएम जनमन, DA-JGUA और एकलव्य स्कूल पर ज़ोर दिया गया है। हालाँकि, अप्रयुक्त धन, संसाधनों का विचलन और विस्थापन जैसी चुनौतियाँ गंभीर चिंताएँ बनी हुई हैं।*

एस टैग: सामान्य अध्ययन- 2, SC और ST से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

केंद्रीय बजट 2025-26 ने **जनजातीय मामलों के मंत्रालय को आवंटन में 46% की वृद्धि** के साथ **आदिवासी कल्याण** के लिये अभूतपूर्व प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। बजट में तीन प्रमुख पहलों को प्राथमिकता दी गई है- **कमज़ोर आदिवासी समूहों के लिये पीएम जनमन, व्यापक विकास के लिये DA-JGUA** और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। बढ़ा हुआ बजट भारत के आदिवासी समुदायों के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, लेकिन महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं - **अप्रयुक्त धन और संसाधनों के विचलन से लेकर विस्थापन-संचालित विकास परियोजनाओं तक,** जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये आवंटन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

प्रभावी आदिवासी कल्याण के लिये ज़मीन पर वास्तविक बदलाव में तब्दील हों।

भारत के लिये जनजातीय समुदायों का क्या महत्त्व है?

- **भारत की जैव विविधता और वन संरक्षण के संरक्षक:** आदिवासी अपने पारंपरिक ज्ञान और सतत् प्रथाओं के माध्यम से **वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता को संरक्षित करने** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - वे **वनों की कटाई, अवैध खनन और अवैध शिकार** के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, तथा पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करते हैं।
  - ISFR, 2019 के अनुसार देश का लगभग **60%** वन क्षेत्र **मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा** जैसे आदिवासी राज्यों में है।
- **समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत:** भारत के जनजातीय समुदाय **विविध भाषाओं, कला रूपों, लोककथाओं और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करते** हैं, जिससे राष्ट्रीय पहचान समृद्ध होती है।
  - उनकी परंपराएँ, त्यौहार और हस्तशिल्प पर्यटन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  - **GI टैग रजिस्ट्री** से पता चलता है कि **गोंड पेंटिंग (मध्य प्रदेश) और पट्टचित्र (ओडिशा)** जैसे **कई आदिवासी कला रूपों** को भौगोलिक संकेत (GI) का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिससे आर्थिक क्षमता में वृद्धि हुई है।
- **भारत की आर्थिक और कृषि विविधता के लिये महत्त्वपूर्ण:** **आदिवासी लोग कृषि, लघु वनोपज (MFP) संग्रहण और पारंपरिक शिल्प** में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होती है।
  - वे **लाख, तेंदू पत्ते, बाँस और औषधीय जड़ी-बूटियों के प्रमुख उत्पादक हैं**, फिर भी मूल्य निर्धारण और बाज़ार पहुँच में शोषण का सामना करते हैं।
  - **ट्राइफेड** के अनुसार, जनजातीय लोग अपनी वार्षिक आय का **20-40%** लघु वनोपज से प्राप्त करते हैं।
    - **वन धन योजना** का लक्ष्य देश भर में **50,000 वन धन विकास केंद्र** स्थापित करना है, जिससे लगभग **10 लाख आदिवासी उद्यमियों** को लाभ मिलेगा।
- **भारतीय लोकतंत्र में महत्त्वर्ण राजनीतिक प्रभाव:** **104 मिलियन से अधिक** की आबादी (**जनगणना 2011**) के साथ, आदिवासी एक महत्त्वपूर्ण मतदाता समूह हैं, जो राज्य और राष्ट्रीय चुनावों को प्रभावित करते हैं।
  - **झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे आदिवासी बहुल राज्यों** में चुनावी राजनीति में उनकी भूमिका स्पष्ट है।
  - शासन में जनजातीय लोगों का बढ़ता प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है कि उनकी सामाजिक-आर्थिक चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए।
  - भारत की **पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू** की नियुक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व में बढ़ते आदिवासी प्रतिनिधित्व को दर्शाती है।
    - इसके अलावा, एक ऐतिहासिक कदम के तहत, **ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति** ने पहली बार **2024 के आम चुनाव** में मतदान किया।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सतत् विकास के लिये आवश्यक:** **आदिवासियों के पास जलवायु अनुकूलन, जल संरक्षण और सतत् कृषि** का गहन पारंपरिक ज्ञान है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्त्वपूर्ण है।
  - उनकी **स्वदेशी जल संचयन विधियाँ, जैव विविधता संरक्षण प्रथाएँ, तथा आपदा सहनीयता तकनीकें** आधुनिक स्थिरता रणनीतियों के लिये शिक्षा प्रदान करती हैं।
  - यूनेस्को ने माना है कि स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ बदलती जलवायु का अवलोकन करके जलवायु कार्रवाई पर **सतत् विकास लक्ष्य 13 की प्राप्ति** में योगदान देती हैं।
  - उदाहरण के लिये यह पाया गया है कि **ज़ाबो कृषि (नगालैंड)** जैसी **जनजातीय जल संरक्षण तकनीकें** भूजल पुनर्भरण में सुधार करती हैं तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देती हैं।
- **भारत की पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद का ज्ञान:** जनजातीय समुदायों के पास **हर्बल चिकित्सा, आयुर्वेद और नृजातीय-वनस्पति** पद्धतियों का विशाल ज्ञान है, जो भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में योगदान देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वैकल्पिक चिकित्सा प्राकृतिक उपचारों और औषधीय पौधों** के उपयोग से समर्थित है, हालांकि ये संसाधन अति-व्यावसायीकरण के कारण खतरे में हैं।
- आयुष **और जनजातीय स्वास्थ्य मिशन** जैसी सरकारी पहलों को **जनजातीय ज्ञान संरक्षण और उचित लाभ-साझाकरण** सुनिश्चित करना चाहिये।
- **यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में जनजातीय और जातीय समुदाय** अपने स्वास्थ्य देखभाल के लिये **8,000** से अधिक पौधों की प्रजातियों का उपयोग करते हैं।

- **सतत् पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिये महत्त्वपूर्ण:** जनजातीय क्षेत्र **भारत के कुछ सर्वाधिक जैवविविध परिदृश्यों** समृद्ध हैं, जो उन्हें **सतत् और पारिस्थितिकी पर्यटन** में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
  - उनके **सांस्कृतिक उत्सव, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों** को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
  - स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका को समर्थन देने के लिये **1,000 जनजातीय गृहस्थलों** को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत में जनजातीय समुदायों के समक्ष प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **भूमि हस्तांतरण और विस्थापन:** औद्योगिक परियोजनाओं, खनन और संरक्षण प्रयासों के कारण जनजातीय समुदायों को बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पारंपरिक आजीविका का नुकसान हो रहा है।
  - **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** के उचित कार्यान्वयन के अभाव में भूमि के स्वामित्व से वंचित किया जाता है, जिससे वे और अधिक हाशिये पर चले जाते हैं।
    - **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** के अनुसार, केवल **50% FRA दावों** को मंजूरी दी गई है, जिससे लाखों आदिवासी भूमिहीन हो गए हैं।
  - इसके अलावा, कभी-कभी पुनर्वास नीतियाँ अपर्याप्त रहती हैं, जिससे वे अत्यधिक गरीबी में चले जाते हैं।
    - वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि **मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व से विस्थापित सैकड़ों आदिवासियों** को जून 2022 तक पुनर्वास और मुआवजा नहीं दिया गया।
- **खराब स्वास्थ्य और कुपोषण:** जनजातीय आबादी **उच्च मृत्यु दर, कुपोषण और स्वास्थ्य देखभाल की कमी** से पीड़ित है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में खराब बुनियादी ढाँचे के कारण और भी बदतर हो जाती है।
  - तपेदिक, सिकल सेल एनीमिया और कुपोषण की व्यापकता चिंताजनक होने के बावजूद, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल अप्रभावी हैं।
    - सिकल सेल रोग भारत में जनजातीय आबादी में व्यापक रूप से फैला हुआ है, जहाँ **अनुसूचित जनजातियों में 86 में से लगभग 1 जन्म लेने वाले बच्चे सिकल सेल रोग से ग्रसित** हो जाते है।
  - इसके अलावा, एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाँच वर्ष से कम आयु के **30.8% आदिवासी बच्चे** कुपोषण से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनका कद छोटा रह जाता है और वे कमजोर हो जाते हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव और EMRS कार्यान्वयन में कमी:** भाषा संबंधी बाधाएँ, अपर्याप्त सुविधाएँ, तथा उच्च शिक्षा में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर, आदिवासी छात्रों के लिये समस्याएँ हैं।
  - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)** निर्माण में देरी और शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे हैं।
    - इसके अलावा, **हाल ही में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिये भर्ती प्रक्रिया के केंद्रीकरण** तथा हिंदी प्रवीणता की अनिवार्यता ने भी चिंता उत्पन्न कर दी है।
- **आजीविका संकट:** पारंपरिक जनजातीय व्यवसाय जैसे कि **झूम खेती, वनोपज संग्रहण और हस्तशिल्प, वनों की कटाई, कानूनी प्रतिबंधों और बाज़ार शोषण** के कारण कम हो रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- मनरेगा और अन्य रोज़गार कार्यक्रमों से कुछ मदद मिलती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वास्तविक लाभ कम हो जाता है तथा मज़दूरी भी कम रहती है।
- ऋण प्राप्त करने में निरंतर कठिनाई के कारण, कई लोग बिना लाइसेंस वाले साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसने को मज़बूर हो जाते हैं।
- हालिया रिपोर्टों में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में **अनुसूचित जनजाति समूह के केवल 12.3% लोगों** के पास वेतन रोज़गार था, जो इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करता है।

- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण का प्रभाव:** वनों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर जनजातीय समुदाय **जलवायु परिवर्तन** और पर्यावरणीय क्षरण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं।
  - **अनियमित वर्षा** के कारण कृषि उपज और वनोपज की उपलब्धता कम हो गई है।
    - **वनरोपण और संरक्षण को बढ़ावा देने वाली** सरकारी नीतियाँ अक्सर आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित किये बिना उन्हें विस्थापित कर देती हैं।
- **स्वदेशी संस्कृति की हानि और भाषाई हाशिए पर जाना:** शहरीकरण, संस्थागत समर्थन की कमी और मुख्यधारा की नीतियाँ सभी आदिवासी भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत के तेज़ी से विलुप्त होने में योगदान दे रही हैं।
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 मातृभाषा शिक्षा पर ज़ोर देती है, लेकिन आदिवासी भाषाओं में **पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों और नीति-स्तरीय** मान्यता का अभाव है।
  - डिजिटल और जनसंचार माध्यमों का प्रसार इस सांस्कृतिक दुर्बलता को और बढ़ा रहा है।
  - **यूनेस्को** ने **197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय' घोषित किया है**। कई अलिखित भाषाएँ विशेष रूप से विलुप्त होने के खतरे में हैं
- **मानवाधिकार उल्लंघन और सुरक्षा मुद्दे:** आदिवासी लोग अक्सर **राज्य द्वारा किये जाने वाले विस्थापन, पुलिस ज्यादतियों और माओवादी उग्रवाद के शिकार बन जाते हैं** और सरकार और चरमपंथी समूहों के बीच फंस जाते हैं।
  - **संवैधानिक संरक्षण** के बावजूद आदिवासियों के खिलाफ भूमि हड़पने, जबरन बेदखली और हिंसा की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। **आदिवासी कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ UAPA जैसे कानूनों का दुरुपयोग और अपर्याप्त कानूनी सहायता न्याय** को दुर्गम बनाती है। निजी मिलिशिया और कॉरपोरेट भूमि अधिग्रहण के बढ़ने से आदिवासियों की कमज़ोरी और भी बदतर हो गई है।
  - NCRB के 2021 के आँकड़ों के अनुसार, **अनुसूचित जनजाति (ST)** समुदायों के खिलाफ अपराधों में **9.3%** की वृद्धि हुई है।

जनजातीय कल्याण और विकास के लिये भारत सरकार की क्या पहल हैं?

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006:** आदिवासियों को **व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार** प्रदान करता है, उन्हें भूमि और संसाधनों के प्रबंधन के लिये सशक्त बनाता है।
- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996:** ग्राम सभाओं को भूमि और संसाधनों पर **निर्णय लेने की शक्तियाँ** देकर जनजातीय क्षेत्रों में **स्वशासन** को मज़बूत करता है।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):** दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों को **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये 740 विद्यालय स्वीकृत** किये गए हैं।
- **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन):** विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिये **स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका** पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **वन धन विकास योजना (VDVY):** लघु वनोपज (MFP) के **मूल्य संवर्द्धन और विपणन** को बढ़ावा देती है।
- **लघु वन उपज (MFP) के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)**- वन उपज एकत्र करने वाले आदिवासियों के लिये **उचित मूल्य सुनिश्चित** करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल - 'स्वास्थ्य' - जनजातीय स्वास्थ्य संकेतकों** पर नज़र रखने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।

जनजातीय कल्याण और विकास को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का प्रभावी कार्यान्वयन: व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों (IFR और CFR)** की समय पर मान्यता सुनिश्चित करने से आदिवासियों को अपनी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने में सशक्त बनाया जा सकेगा।
  - **भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (जैसा कि बजट 2025-25 में परिकल्पित है), फास्ट-ट्रैक FRA न्यायाधिकरणों** की स्थापना, और दावा सत्यापन में स्थानीय ग्राम सभाओं को शामिल करने से प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है।
  - **वन अधिकार अधिनियम और मनरेगा** के बीच संबंध को मज़बूत करने से वनरोपण और संरक्षण में स्थायी रोज़गार उपलब्ध हो सकता है।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) का विस्तार और सुदृढ़ीकरण: EMRS (2025-26) के लिये 7,088 करोड़ रुपए का बजट आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है,** लेकिन बुनियादी ढाँचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और आधुनिक शिक्षण पद्धति को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **जनजातीय भाषा की पाठ्यपुस्तकें, डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म और व्यावसायिक प्रशिक्षण** शुरू करने से शैक्षिक परिणामों में सुधार हो सकता है।
  - **EMRS को पीएम दक्ष योजना** से जोड़ने से शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण भी सुनिश्चित होगा।
- **मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और आयुष एकीकरण के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य सेवा में सुधार:** जनजातीय क्षेत्र **उच्च कुपोषण, मातृ मृत्यु दर और स्थानिक रोगों से पीड़ित हैं,** जिसके लिये **विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा** समाधान की आवश्यकता है।
  - दूरदराज के क्षेत्रों में **टेलीमेडिसिन के साथ मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों** की तैनाती से स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अंतराल को कम किया जा सकता है।
  - **जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और पोषण अभियान** को मज़बूत करने से शिशु और मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हो सकता है।
- **लघु वन उपज (MFP) के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से सतत् आजीविका सुनिश्चित करना:** जनजातीय आजीविका **तेंदू पत्ते, महुआ और शहद जैसे लघु वन उपज (MFP) पर निर्भर करती है,** फिर भी बाज़ार में शोषण के कारण संकटपूर्ण बिक्री होती है।
  - अधिक लघु वनोपजों के लिये MSP कवरेज़ का विस्तार करने तथा **वन धन विकास केंद्रों (VDVK) को मज़बूत** करने से जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है।
  - **समुदाय-नेतृत्व वाली वन उपज सहकारी समितियों** को प्रोत्साहित करने से उचित मूल्य सुनिश्चित होगा तथा बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।
    - **प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना** को वन धन विकास केंद्रों के साथ एकीकृत करने से मूल्य संवर्द्धन और जनजातीय उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा मिल सकता है।
- **स्वयं सहायता समूहों और माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से जनजातीय महिलाओं को सशक्त बनाना:** जनजातीय महिलाओं को **आर्थिक रूप से हाशिये पर रहने और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है,** जिसके लिये लक्षित वित्तीय समावेशन नीतियों की आवश्यकता होती है।
  - **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** के अंतर्गत **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** को मज़बूत करने से ऋण और उद्यमिता के अवसरों तक उनकी पहुँच में सुधार होगा।
  - **ब्याज मुक्त ऋण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और डिजिटल बैंकिंग तक पहुँच** प्रदान करने से आदिवासी महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- स्वयं सहायता समूहों को एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल से जोड़ने से जनजातीय हस्तशिल्प के लिये बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।

- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जनजातीय शासन को बढ़ावा देना:** आरक्षित सीटों के बावजूद, **उच्च निर्णय लेने वाले निकायों में जनजातीय लोगों** का प्रतिनिधित्व कम है, जिससे नीति कार्यान्वयन प्रभावित होता है।
  - **PESA (पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996** को मज़बूत करने से **ग्राम सभाओं** को निर्णय लेने में सशक्त बनाया जाएगा।
  - **बजट आबंटन में जनजातीय लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी** सुनिश्चित करके विकास योजना का विकेंद्रीकरण करने से शासन की दक्षता में सुधार होगा।
  - **जनजातीय नेताओं के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रमों** को लागू करने से उनकी राजनीतिक एजेंसी को बढ़ावा मिल सकता है।
- **भूमि विस्थापन और पुनर्वास चुनौतियों का समाधान: खनन, बाँध परियोजनाओं और संरक्षण** के कारण जनजातीय विस्थापन भूमिहीनता और सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता को जन्म देता है।
  - जबरन बेदखली को रोकने के लिये भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का सख्ती से क्रियान्वयन आवश्यक है।
  - **विस्थापित आदिवासियों के लिये भूमि बैंक** स्थापित करना, वैकल्पिक आजीविका की पेशकश करना तथा उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना विस्थापन के प्रभावों को कम कर सकता है।
- **आर्थिक विकास के लिये जनजातीय पर्यटन का विकास:** जनजातीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन से **स्थायी रोज़गार उत्पन्न हो सकता है** तथा **जनजातीय विरासत को संरक्षित** किया जा सकता है।
  - **सामुदायिक स्वामित्व वाले जनजातीय पर्यटन उद्यमों** को विकसित करने से निजी संचालकों के बजाय आदिवासियों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित होगा।
  - **होमस्टे, हस्तशिल्प केंद्रों और निर्देशित इको-टूर** को बढ़ावा देने से सांस्कृतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आय में वृद्धि हो सकती है। **स्वदेश दर्शन योजना को जनजातीय पर्यटन सर्किटों के साथ एकीकृत करने** से ज़िम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- **जनजातीय गाँवों के लिये विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड:** कई जनजातीय क्षेत्र **अभी भी ग्रिड से बाहर हैं या वहाँ विद्युत आपूर्ति अविश्वसनीय** रहती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका प्रभावित होती है।
  - **सामुदायिक स्वामित्व वाले सौर, पवन या बायोमास माइक्रोग्रिड** स्थापित करने से स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है, तथा बाहरी आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम हो सकती है।
  - आदिवासियों को **सौर पैनल रखरखाव, बायोगैस उत्पादन और बैटरी भंडारण में प्रशिक्षण देने** से स्थानीय रोज़गार उत्पन्न होगा। ये माइक्रोग्रिड **जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिये कोल्ड स्टोरेज को भी विद्युत् प्रदान कर सकते हैं**, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा।
- **वैश्विक और घरेलू बाजारों के लिये जनजातीय सुपरफूड विकसित करना:** जनजातीय क्षेत्रों में **पोषक तत्त्वों से भरपूर सुपरफूड जैसे बाज़रा, जंगली शहद, बाँस चावल और मोरिंगा** पाए जाते हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर उच्च मांग है।
  - **जनजातीय सुपरफूड्स के लिये भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणन** बनाने से प्रीमियम मूल्य निर्धारण और बाज़ार पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।
  - **खेत से लेकर मेज तक जनजातीय समूह** स्थापित करने से बिचौलिये समाप्त हो जाएंगे और प्रत्यक्ष लाभ में वृद्धि होगी।
    - इन उत्पादों को ONDC **और जैविक खाद्य ब्रांडों जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ जोड़ने से पोषण सुरक्षा** को बढ़ावा देने के साथ-साथ जनजातीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निष्कर्ष:

भारत ने जनजातीय देखभाल पर **बजट में वृद्धि कर समावेशी विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम** उठाया है। फिर भी, अपर्याप्त **स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक कमियाँ और भूमि विस्थापन** जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। **समुदाय-संचालित परियोजनाओं और कुशल कार्यान्वयन के माध्यम से इन अंतरालों** को कम करना आवश्यक है। तभी जनजातीय समुदाय समान प्रगति और वास्तविक सशक्तीकरण का अनुभव कर पाएँगे।

■■■

भारत की मध्य पूर्व रणनीति

*यह एडिटोरियल 05/02/2025 को **द हिंदू** में प्रकाशित "Middle East crisis must not undermine India-Middle East Economic Corridor: Greek Foreign Minister" पर आधारित है। लेख में IMEC के रणनीतिक महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है, जो पश्चिम एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। जबकि इज़रायल-गाज़ा संघर्ष ने प्रगति में विलंब किया है, फिर भी यह कॉरिडोर भारत के आर्थिक और कूटनीतिक लक्ष्यों के लिये महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।*

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर- 2, द्विपक्षीय समूह और समझौते, भारत को शामिल करने वाले और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते

G20 शिखर सम्मेलन 2023 में शुरू किया गया भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) पश्चिम एशिया में भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। ग्रीस जैसे साझेदारों से मज़बूत समर्थन के बावजूद, जो इसे **'शांति के लिये परियोजना'** के रूप में देखते हैं, इस पहल को चल रहे इज़रायल-गाज़ा संघर्ष के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अपने मुख्य बिंदु में, IMEC केवल एक व्यापार मार्ग से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है - यह **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं** को नया रूप देने में एक **प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए मध्य पूर्व में** गहरे **आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बनाने की भारत की महत्त्वाकांक्षा** को दर्शाता है।

मध्य पूर्व भारत के लिये विदेशी दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- **ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता: मध्य पूर्व से भारत का कच्चे तेल का आयात** 51% (दिसंबर 2024) से बढ़कर **जनवरी 2025 में 53.89%** हो गया है, जिससे यह आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिये अपरिहार्य हो गया है।
  - जनवरी 2023 में, भारत और UAE ने 'वन सन,वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)' **पहल** के तहत ग्रीन हाइड्रोजन विकास और अंडर-सी केबल पर सहयोग करने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
  - फरवरी 2024 में, भारत ने कतर के साथ अपने LNG सौदे को वर्ष 2048 तक 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा संधारणीयता सुनिश्चित हुई।
- **व्यापार, निवेश और आर्थिक गलियारे:** व्यापार, निवेश और आर्थिक गलियारे: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत-GCC द्विपक्षीय व्यापार 161.59 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें मध्य पूर्व एक प्रमुख भागीदार रहा।
  - मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और आर्थिक गलियारों सहित भारत की रणनीतिक आर्थिक भागीदारी का उद्देश्य कनेक्टिविटी और बाज़ार अभिगम को बढ़ाना है।
    - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करेगा और व्यापार लागत को कम करेगा।
  - **संयुक्त अरब अमीरात** भारत का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** और **दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य** है, जिसका वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात 35.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है।
- **धन प्रेषण और कार्यबल योगदान:** मध्य पूर्व में **लाखों से अधिक भारतीय प्रवासी** रहते हैं, जिनके द्वारा धन प्रेषण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक स्थिरता में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  - **भारत के 1.34 करोड़ अनिवासी भारतीयों** (NRI) में से **66% से अधिक** संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन में रहते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- सऊदी अरब के निताकत सुधार श्रम नीतियों को नया रूप दे रहे हैं, जिससे भारत अनुकूल प्रवासन नीतियों पर वार्ता करने के लिये प्रेरित हो रहा है।

◆ भारत को **वर्ष 2022 में 111 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण** प्राप्त हुआ, जो विश्व में सबसे अधिक है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आया है।

- **भू-राजनीतिक और सामरिक सहयोग:** बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच, सऊदी अरब-ईरान और इज़रायल-अरब देशों सहित प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच **भारत की संतुलित कूटनीति, सामरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करती है।**

◆ रक्षा संबंधों का विस्तार हो रहा है, भारत संयुक्त सैन्य अभ्यासों में शामिल है और रक्षा निर्यात को सुरक्षित कर रहा है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2021 में भारत और सऊदी अरब ने **अल-मोहद अल-हिंदी अभ्यास** नामक अपना **पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास** शुरू किया।

◆ भारत-ईरान चाबहार बंदरगाह समझौता पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ाता है।

- **खाद्य एवं समुद्री सुरक्षा:** भारत खाद्य निर्यात के **लिये** मध्य पूर्व पर निर्भर है, **खाड़ी देश भारतीय चावल, गेहूँ और अंडों के शीर्ष खरीदार** हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वित्त वर्ष 2022-23 में, **UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादों का आयातक** बन गया, जिसकी **हिस्सेदारी 1.9 बिलियन डॉलर** (भारत के कुल कृषि निर्यात का 6.9%) है।
  - इसके अलावा, भारत सऊदी अरब को चावल, वस्त्र, परिधान, मशीनरी, अनाज, ऑटोमोबाइल तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात करता है।

- **सांस्कृतिक, धार्मिक और सॉफ्ट पावर कूटनीति:** साझा विरासत, सूफी परंपराओं और प्रवासी समुदायों में निहित मध्य पूर्व के साथ **भारत के ऐतिहासिक संबंध मज़बूत राजनयिक संबंधों को बढ़ावा** देते हैं।
  - **लाखों भारतीय मुसलमानों** (हज, उमराह) **के लिये इस क्षेत्र का धार्मिक महत्त्व** द्विपक्षीय जुड़ाव को और गहरा करता है।
    - बॉलीवुड, योग और आयुर्वेद खाड़ी देशों में भारत की सांस्कृतिक अभिगम को बढ़ाते हैं।
  - इसके अलावा, UAE में हाल ही में बनाया गया BAPS मंदिर, जिसे राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है, **भारत-UAE सांस्कृतिक संबंधों की आधारशिला** है।

भारत-मध्य पूर्व खरीद में प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **ऊर्जा मूल्य में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति में व्यवधान:** मध्य पूर्वी तेल और गैस पर भारत की भारी निर्भरता इसे मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा भू-राजनीतिक संकटों के प्रति सुभेद्य बनाती है।
  - लाल सागर में हूती हमले (वर्ष 2023-24) और OPEC+ उत्पादन में कटौती जैसे बढ़ते तनाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं तथा आयात लागत बढ़ाते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, रूसी तेल आयात सहित ऊर्जा विविधीकरण के लिये भारत का प्रयास, कभी-कभी पारंपरिक ऊर्जा साझेदारी को प्रभावित करता है।
  - उदाहरण के लिये कई **OPEC+ राष्ट्रों ने स्वेच्छा से Q1 2024 में प्रति दिन 2.2 मिलियन बैरल तेल उत्पादन कम करने पर सहमति व्यक्त की**, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिसका असर भारत की ऊर्जा लागत पर पड़ा।

- **भू-राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्ष:** इज़रायल-फिलिस्तीन, यमन और ईरान-सऊदी अरब में लगातार संघर्ष भारत के लिये कूटनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
  - **इज़रायल-गाज़ा संघर्ष** में तटस्थता बनाए रखते हुए ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - पश्चिम एशिया में व्यवधान भारतीय व्यापार, प्रवासी (भारत द्वारा इज़रायल से 18,000 भारतीयों को निकालने के लिये शुरू किया गया ऑपरेशन अजय) और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जिससे भारत को जटिल कूटनीतिक रुख अपनाने के लिये मजबूर होना पड़ता है।
    - **इज़रायल-गाज़ा संघर्ष** संघर्ष के कारण IMEC परियोजना के लॉन्च में विलंब हुआ है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार योजनाएँ प्रभावित हुई हैं। हालाँकि, संघर्ष में युद्धविराम देखा गया है, लेकिन तनाव और मुद्दे अभी भी बने हुए हैं।

- **व्यापार बाधाएँ और विलंबित आर्थिक समझौते:** मज़बूत व्यापार संबंधों के बावजूद, GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की अनुपस्थिति पूर्ण आर्थिक क्षमता को सीमित करती है।
  - विनियामक मुद्दे, टैरिफ बाधाएँ और श्रम कानून व्यापार विस्तार में बाधा डालते हैं।
  - यद्यपि **UAE** (वर्ष 2022) के साथ CEPA ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया, फिर भी क्षेत्रीय जटिलताओं के कारण **भारत-GCC FTA के लिये समझौते में मामूली प्रगति** देखी गई।
  - इसके अलावा, IMF ने बताया है कि मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, काकेशस और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाएँ पिछले दो दशकों में बिगड़ती विकास संभावनाओं के साथ व्यापार पैटर्न में बदलाव का सामना कर रही हैं।
    - ये चुनौतियाँ **मध्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के भारत के प्रयासों में बाधा** डाल सकती हैं।

- **समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों के लिए खतरे:** लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर भारत के व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी उन्हें समुद्री डकैती एवं भू-राजनीतिक संघर्षों से बढ़ते सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों से शिपिंग लागत बढ़ जाती है, कार्गो के आवागमन में विलंब होता है और भारत की संचार के समुद्री मार्ग (SLOC) को खतरा होता है।
  - भारत की **नौसेना ने गश्त तेज़ कर दी** है, लेकिन **अस्थिरता बनी हुई** है।
- **लाल सागर में** हूती हमलों (वर्ष 2023-24) ने कई शिपिंग कंपनियों को अपना मार्ग बदलने के लिये मजबूर किया। इसने **भारतीय व्यापार को भी बाधित किया,** जिससे **कच्चे तेल के आयात** (स्वेज़ नहर के माध्यम से 65%) **पर असर** पड़ा।
  - **बढ़ती शिपिंग लागत** (40-60%), **विलंब** (20 दिनों तक) और **उच्च बीमा प्रीमियम** (15-20%) ने बड़ी चुनौतियाँ पेश कीं।

- **श्रम अधिकार और प्रवासन मुद्दे:** मध्य पूर्व में **भारत के कार्यबल को** नौकरी छूटने, वेतन में विलंब और श्रम शोषण जैसे **मुद्दों का सामना** करना पड़ रहा है।
  - यद्यपि **खाड़ी देश श्रम कानूनों में सुधार कर रहे हैं** (जैसे, सऊदी निताकत नीति), फिर भी **चुनौतियाँ बनी हुई हैं।**
  - भारत नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये नए **प्रवासन कार्यढाँचे पर वार्ता** कर रहा है, लेकिन **अवैध प्रवासन एक चिंता का विषय** बना हुआ है।
    - वर्ष 2024 में, **कुवैत में आग लगने से 46 भारतीय प्रवासी श्रमिकों की दुखद मृत्यु** ने उनके निर्वहन की स्थिति को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है।
- **रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बाहरी प्रभाव:** बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (BRI) निवेश और रक्षा संबंधों के माध्यम से मध्य पूर्व में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के प्रभाव के लिये चुनौती बन गई है।
  - मार्च 2023 में, चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब ने राजनयिक संबंधों को स्थापित करने पर सहमति जताई, जिससे चीनने अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया तथा भारत की क्षेत्रीय भागीदारी के लिये चिंताएँ बढ़ गईं।
    - साथ ही, वर्ष 2005 से 2022 के दौरान, चीन ने मध्य पूर्व में $273 बिलियन से अधिक का निवेश किया।

भारत की विदेश नीति को आकार देने में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ क्या भूमिका निभाती हैं?

- **क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार विस्तार को मजबूत करना:** भारत की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ **व्यापार मार्गों को बढ़ाने और वैश्विक बाज़ारों के साथ एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाती हैं।
  - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और चाबहार बंदरगाह जैसी पहल भारत की आपूर्ति श्रृंखला समुत्थानशक्ति को मज़बूत करती हैं तथा पारंपरिक व्यापार मार्गों पर निर्भरता को कम करती हैं।
- **भू-राजनीतिक लाभ और रणनीतिक प्रभाव:** विदेशों में बुनियादी अवसंरचनाओं में निवेश करने से भारत को अपने भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को संतुलित करने में मदद मिलती है।
  - कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और त्रिपक्षीय राजमार्ग (भारत-म्याँमार-थाईलैंड) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया है।
  - अफ्रीका के डिजिटल और भौतिक बुनियादी अवसंरचना (AAGC) में भारत का निवेश अफ्रीका में **चीन के BRI निवेश का मुकाबला** करता है।
- **ऊर्जा और समुद्री हितों की सुरक्षा:** ऊर्जा क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ आपूर्ति स्रोतों की दीर्घकालिक सुरक्षा एवं विविधीकरण सुनिश्चित करती हैं।
  - TAPI (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) गैस पाइपलाइन जैसी परियोजनाएँ और मध्य पूर्वी बंदरगाहों में निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सेशेल्स में असम्पशन द्वीप** और **मॉरीशस में अगालेगा** के विकास के साथ, **ओमान में दुकम भारत की सक्रिय समुद्री सुरक्षा रणनीति के अनुरूप** है।

- **सॉफ्ट पावर और विकास साझेदारी को बढ़ाना:** भारत की विदेशी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ सतत् और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर सॉफ्ट पावर के उपागम के रूप में भी काम करती हैं।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** जैसी पहलों और अफ्रीका में जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से, भारत सद्भावना व दीर्घकालिक राजनयिक विश्वास का निर्माण करता है।
  - ये परियोजनाएँ एक जिम्मेदार विकास भागीदार के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति को मज़बूत करती हैं।

मध्य पूर्व के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **सह-विकास के माध्यम से ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना:** भारत को **अनवीकरणीय ऊर्जा आयातक से हटकर** मध्य पूर्व में **ऊर्जा अवसंरचना में सक्रिय सह-निवेशक** बनना चाहिये।
  - नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन उत्पादन और तेल शोधन में संयुक्त उद्यम **दीर्घकालिक अंतरनिर्भरता उत्पन्न करेंगे तथा मूल्य अस्थिरता के जोखिम को कम करेंगे।**
  - **सामरिक तेल भंडार और LNG अवसंरचना पर साझेदारी** दोनों पक्षों के लिये **सतत् आपूर्ति श्रृंखला** भी सुनिश्चित करेगी।
  - **भारत की 44 बिलियन डॉलर की रत्नागिरी रिफाइनरी** (विलंबित लेकिन व्यवहार्य) **में सऊदी अरामको की हिस्सेदारी** दीर्घकालिक ऊर्जा संबंधों को सुरक्षित कर सकती है।
- **तेल से परे व्यापार और आर्थिक एकीकरण का विस्तार:** विनिर्माण, IT, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर हाइड्रोकार्बन से परे व्यापार में विविधता लाने से एक गहरा आर्थिक संबंध बनेगा।
  - भारत-GCC FTA को अंतिम रूप देने से निवेश प्रवाह में तेजी आएगी और व्यापार बाधाएँ कम होंगी। IMEC
    - **IMEC कॉरिडोर के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा** बन जाएगा।
  - G20 (2023) में घोषित **IMEC कॉरिडोर को** इज़रायल-गाज़ा संघर्ष के कारण हुए विलंब के बावजूद **तेज़ी से आगे बढ़ाया जाना चाहिये।**
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग में सह-विकास:** भारत को केवल रक्षा उपकरण बेचने के बजाय संयुक्त रक्षा उत्पादन को और सुदृढ़ करना चाहिये जिससे खाड़ी देशों को सह-विकासकर्त्ता बनाया जा सके।
  - **संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में रक्षा प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने से** आपूर्ति श्रृंखलाएँ एकीकृत होंगी, जिससे **पश्चिमी रक्षा निर्माताओं पर निर्भरता कम** होगी।
  - **खुफिया जानकारी साझा करने** और **आतंकवाद विरोधी कार्यढाँचों को मज़बूत करने से सुरक्षा सहयोग** भी बढ़ेगा।
- **डिजिटल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को सुदृढ़ करना:** मध्य पूर्वी संप्रभु निधियों (जैसे सऊदी PIF, UAE ADIA और कतर निवेश प्राधिकरण) को भारत के AI, फिनटेक, डिजिटल बुनियादी अवसंरचना और स्मार्ट शहरों में सह-निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करने से **आपसी आर्थिक निर्भरता** उत्पन्न होगी।
  - भारत **IT, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष तकनीक सहयोग की पेशकश कर**के स्वयं को एक **प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में भी स्थापित** कर सकता है।
- **कृषि-तकनीक सहयोग के माध्यम से खाद्य और जल सुरक्षा को बढ़ाना:** भारत मध्य पूर्व में कृषि तकनीक पार्कों का सह-विकास कर सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा भारतीय कृषि-तकनीक निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
  - अलवणीकरण, हाइड्रोपोनिक्स और स्मार्ट सिंचाई में सहयोग से खाड़ी देशों की खाद्य आयात पर निर्भरता कम होगी तथा भारतीय फर्मों को स्थानीय उत्पादन में हिस्सेदारी मिलेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भारत-मध्य पूर्व खाद्य गलियारा भारत और UAE के बीच एक महत्त्वपूर्ण गठबंधन** का प्रतिनिधित्व करता है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साझा लक्ष्य से प्रेरित है। **जल संरक्षण में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिये इसका विस्तार** किया जा सकता है।

- **प्रवासन ढाँचों को संस्थागत बनाना:** केवल कम कुशल श्रमिकों को भेजने के बजाय, भारत को स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और AI जैसे उच्च कुशल क्षेत्रों के लिये कौशल उन्नयन एवं श्रम गतिशीलता समझौते बनाने पर सहयोग करना चाहिये।
  - **खाड़ी देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की संयुक्त स्थापना** से मज़दूरी, कार्य स्थितियों और पारस्परिक आर्थिक लाभ में सुधार होगा।
  - साथ ही, **प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY), ECR-श्रेणी के भारतीय प्रवासियों के लिये एक अनिवार्य बीमा** योजना है, जिसका **विस्तार किया जा सकता है** तथा इसे **अधिक समावेशी** बनाया जा सकता है।
- **समुद्री और रसद अवसंरचना को मजबूत करना:** भारत को समुद्री व्यापार और आपूर्ति शृंखला संपर्क को मज़बूत करने के लिये मध्य पूर्व में बंदरगाह अवसंरचना और रसद केंद्रों का सह-विकास करना चाहिये।
  - **सऊदी अरब, ओमान और ग्रीस में बंदरगाह निवेश का विस्तार** करने से भारत IMEC और उससे आगे के लिये **एक रसद केंद्र** बन जाएगा।
    - यूरोप में भारत के व्यापार पदचिह्न का विस्तार करने के लिये ग्रीक बंदरगाहों (वर्ष 2024) में **निवेश की संभावना तलाशने वाली अडानी पोर्ट्स एक महत्त्वपूर्ण कदम** है।
- **सीमा पार आतंकवाद विरोधी सिद्धांत को मजबूत करना:** भारत को खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास और साइबर निगरानी नेटवर्क को संस्थागत बनाकर मध्य पूर्वी देशों के साथ **आतंकवाद विरोधी सहयोग** को बढ़ाना चाहिये।
  - खाड़ी देशों के साथ एक क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र की स्थापना सटीक समय के खतरे के आकलन और संकट प्रतिक्रिया में सुधार कर सकती है।
    - SCO में मध्य पूर्वी राज्यों को संवाद भागीदारों के रूप में शामिल करने से भारत के लिये क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के माध्यम से सहयोग करने का एक रास्ता खुल जाता है।
  - संयुक्त वित्तीय खुफिया इकाइयों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण पर नज़र रखने में सहयोग से सुरक्षा कार्यढाँचे को मज़बूती मिलेगी।

निष्कर्ष:

मध्य पूर्व के साथ भारत का जुड़ाव अब केवल ऊर्जा आयात तक सीमित नहीं रह गया है - यह **व्यापार, रणनीतिक संपर्क, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक कूटनीति को शामिल करते हुए बहुआयामी साझेदारी में बदल गया है।** अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिये भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए बुनियादी अवसंरचना के विकास में तेज़ी लानी चाहिये, व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देना चाहिये और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहिये।

■■■

शासन के लिये AI का उपयोग

यह एडिटोरियल 11/02/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "Paris AI Action Summit: India should take the lead for the Global South" पर आधारित है। इस लेख में पेरिस AI एक्शन समिट 2025 की तस्वीर पेश की गई है, जहाँ भारत और फ्राँस AI गवर्नेंस पर वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करते हैं। भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और STEM विशेषज्ञता के साथ AI डिवाइड को समाप्त करने तथा संतुलित, समावेशी विनियमन का नेतृत्व करने के लिये तैयार है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर - 3, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैज्ञानिक नवाचार और खोज, आईटी और कंप्यूटर, सामान्य अध्ययन पेपर - 2, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत और फ्राँस की सह-अध्यक्षता में आयोजित **पेरिस AI एक्शन समिट, 2025** वैश्विक AI शासन में एक महत्त्वपूर्ण क्षण है, जिसने **डिजिटल डिवाइड** से लेकर **AI सुरक्षा तक की महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान** करने के लिये 90 से अधिक देशों को एकजुट किया है। **भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और STEM विशेषज्ञता** इसे पाश्चात्य तकनीकी महत्त्वाकांक्षाओं और ग्लोबल साउथ की जरूरतों को पाटने की स्थिति में रखती है। जैसे-जैसे AI विनियमन को गति मिली है, भारत एक संतुलित दृष्टिकोण को आगे बढ़ा सकता है, जिसमें नवाचार को व्यावहारिक निगरानी के साथ मिश्रित किया जा सकता है, साथ ही विकासशील देशों के लिये AI सुरक्षा का नेतृत्व किया जा सकता है।

शासन में AI के प्रमुख अनुप्रयोग क्या हैं?

- **नीति निर्माण में सुधार और निर्णय लेने में सहायता:** AI **आर्थिक रुझानों का पूर्वानुमान** करने, **सामाजिक चुनौतियों का आकलन** करने और **संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने के लिये** विशाल डेटासेट का विश्लेषण करके **डेटा-संचालित नीति निर्माण को सक्षम** बनाता है।
  - सरकारें कार्यान्वयन से पहले **नीति प्रभावों का अनुकरण करने के लिये AI का उपयोग** कर सकती हैं, जिससे सूचित निर्णय लेना सुनिश्चित होता है।
  - उदाहरण के लिये, अप्रैल 2018 में **NITI आयोग ने IIT दिल्ली से** एक AI उपकरण का चयन किया जो उपग्रह चित्रों का प्रयोग करके क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का पता लगाता है और पूर्वानुमान करता है।
    - भारत सरकार की **भाषिनी** परियोजना **बहुभाषी संचार को बढ़ाती** है जिससे **विविध भाषाई समूहों तक नीतिगत अभिगम** में सहायता मिलती है।
- **सार्वजनिक सेवा वितरण और दक्षता को सुदृढ़ करना:** AI-संचालित स्वचालन **प्रशासनिक विलंब को कम करता है, मानवीय त्रुटियों को न्यूनतम करता है** तथा शासन में तीव्रता से सेवा वितरण सुनिश्चित करता है।
  - चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करते हैं, जबकि AI-आधारित प्रणालियाँ कल्याणकारी योजना के वितरण को अनुकूलित करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल **इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX)** भारतीय शहरों के लिये **डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करती है।
    - **स्मार्ट सिटीज़ मिशन** के तहत विकसित और **IISc बंगलुरु द्वारा कार्यान्वित** यह परियोजना शहरी हितधारकों के बीच निर्बाध डेटा साझाकरण, शासन और सेवा वितरण को बढ़ाने में सक्षम बनाती है।
- **कानून प्रवर्तन और आंतरिक सुरक्षा में सुधार:** AI **पूर्वानुमानित पुलिसिंग, रियल टाइम क्राइम मैपिंग** और **फेशियल रिकग्निशन-आधारित निगरानी** को सक्षम करके कानून प्रवर्तन को सुदृढ़ करता है।
  - AI-आधारित एनालिसिस सुरक्षा एजेंसियों को साइबर खतरों का पता लगाने, आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है।
  - उदाहरण के लिये, **दिल्ली पुलिस की AI-संचालित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS)** न केवल अपराधों को सुलझाने में पुलिस की सहायता कर रही है, बल्कि लापता बच्चों का पता लगाने और शवों की पहचान करने में भी मदद कर रही है।
- **स्वास्थ्य सेवा और महामारी प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव:** AI-संचालित निदान, रोबोट सर्जरी और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण स्वास्थ्य सेवा सुलभता और परिणामों में सुधार करते हैं।
  - AI-सक्षम रोग निगरानी से **रोग की गंभीरता का शीघ्र पता लगाने में मदद** मिलती है, जिससे सरकार त्वरित कार्रवाई कर पाती है।
  - उदाहरण के लिये, **बंगलुरु स्थित एक स्टार्ट-अप Niramai** द्वारा स्तन कैंसर के शुरुआती चरण में पता लगाने के लिये मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है। एक अन्य स्टार्ट-अप **ChironX**, रेटिना असामान्यता का पता लगाने के लिये डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा का अनुकूलन:** AI-संचालित परिशुद्ध कृषि फसल उपज पूर्वानुमान को बढ़ाती है, सिंचाई को अनुकूलित करती है तथा इनपुट अपव्यय को कम करती है।
  - AI के साथ रिमोट सेंसिंग के द्वारा **कीटों के संक्रमण, मृदा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और जलवायु संबंधी जोखिमों का पता लगाने में मदद** मिलती है।
  - उदाहरण के लिये, एक **AI-संचालित चैटबॉट 'किसान ई-मित्र'** को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने में किसानों की सहायता के लिये विकसित किया गया है।
    - **जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले उपज के नुकसान** से निपटने के लिये राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, फसलों में कीटों के संक्रमण का पता लगाने के लिये **AI और मशीन लर्निंग का उपयोग** करती है, जिससे **स्वस्थ फसलों के लिये समय पर हस्तक्षेप संभव** हो पाता है।
- **न्याय वितरण और कानूनी प्रणालियों को बढ़ाना:** AI **मामले के प्रसंस्करण में तेज़ी** लाता है, कानूनी तौर पर लंबित मामलों को कम करता है और न्यायिक दक्षता में सुधार करता है।
  - AI-संचालित कानूनी अनुसंधान उपकरण न्यायाधीशों और वकीलों को उदाहरणों का विश्लेषण करने तथा निर्णयों का प्रारूप तैयार करने में सहायता करते हैं।
    - स्वचालित अनुवाद उपकरण बहुभाषी समाजों में न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी) एक **AI-संचालित उपकरण** है जो **न्यायाधीशों को मामलों पर शोध करने में मदद** करता है।
    - इसे **भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने अप्रैल 2021 में पेश किया** था।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रबंधन से निपटना:** AI अति-स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, जलवायु मॉडलिंग, आपदा पूर्वानुमान और पर्यावरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग में सहायता करता है।
  - AI-संचालित सेंसर प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखते हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में समय पर हस्तक्षेप संभव हो पाता है। स्मार्ट ग्रिड और AI-संचालित ऊर्जा प्रबंधन अक्षय ऊर्जा खपत को अनुकूलित करते हैं।
  - **गूगल का डीपमाइंड** मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिये AI का उपयोग करता है। **NASA के उपग्रह डेटा पर निर्मित IBM Watsonx.ai** का भू-स्थानिक आधार मॉडल वैश्विक **मौसम पैटर्न का विश्लेषण** करता है, **भूमि उपयोग परिवर्तनों को ट्रैक** करता है तथा **फसल की उपज का पूर्वानुमान** करता है, जो **वैश्विक एवं स्थानीय दोनों स्तरों पर काम** करता है।
  - इसके अलावा, बाढ़ का पूर्वानुमान करने के लिये **AI मॉडल** का लाभ उठाते हुए, **पेरियार और चालाकुडी नदी घाटियों** में **CoS-it-FloWS की शुरुआत** की गई। यह जलवायु डेटा रुझानों का विश्लेषण करने तथा पूर्वानुमान सटीकता को बढ़ाने के लिये **गतिशील विज़ुअलाइज़ेशन** और **इंटरैक्टिव मानचित्रों** का उपयोग करता है।
- **शिक्षा और व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा देना:** AI-संचालित एडटेक प्लेटफॉर्म अनुकूली शिक्षा प्रदान करते हैं, जो **छात्रों के अधिगम की गति के आधार पर उनके लिये अनुकूलित शिक्षा** सुनिश्चित करते हैं।
  - AI-संचालित भाषा अनुवाद उपकरण कई क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट की सुलभता को सक्षम बनाते हैं।
  - शिक्षा बाज़ार में वैश्विक **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** का मूल्य वर्ष 2022 में 2.5 बिलियन डॉलर था और वर्ष 2032 तक इसके **88.2 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान** है।
  - भारत का शिक्षा मंत्रालय भी सरकार के ऑनलाइन शिक्षा मंच **DIKSHA** पर **AI को एकीकृत करने के तरीकों की खोज़** कर रहा है।
- **शहरी शासन और स्मार्ट शहरों को मज़बूत करना:** AI-संचालित यातायात प्रबंधन भीड़भाड़ को कम करता है और शहरी गतिशीलता को बढ़ाता है।
  - AI-संचालित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ **अपशिष्ट संग्रहण और पुनर्चक्रण** को अनुकूलित करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, **बेंगलुरु ने 41 जंक्शनों पर AI-संचालित अनुकूली यातायात नियंत्रण प्रणाली (ATCS) लागू की** है, जिससे मैनुअल यातायात प्रबंधन की आवश्यकता कम हो गई है।

- **वित्तीय प्रशासन और कराधान में सुधार:** AI स्वचालित धोखाधड़ी का पता लगाना, **वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना** और **कर चोरी को कम करना।**
  - AI-संचालित चैटबॉट नागरिकों के लिये कर दाखिल करने की प्रक्रिया और शिकायत निवारण को सरल बनाते हैं। AI-आधारित पूर्वानुमान विश्लेषण सब्सिडी आवंटन को अनुकूलित करने और लीकेज को रोकने में मदद करते हैं।
    - स्वचालित लेखापरीक्षा प्रणालियाँ वित्तीय लेनदेन में अनुपालन निगरानी में सुधार करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय धोखाधड़ी के लिये उपयोग किये जाने वाले **म्यूल एकाउंट्स की समस्या** से निपटने के लिये **MuleHunter.ai** नामक एक AI/ML-आधारित मॉडल विकसित किया है।

भारत के शासन परिदृश्य के लिये AI द्वारा उत्पन्न प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **नौकरी विस्थापन और श्रम बाज़ार पर प्रभाव:** AI-संचालित स्वचालन लाखों कम-कुशल और नियमित नौकरियों को खतरे में डालता है, **विशेष रूप से विनिर्माण, BPO और गिग इकॉनमी** में।
  - भारत के श्रम-प्रधान उद्योग (जो **बड़े कार्यबल पर बहुत अधिक निर्भर** हैं) में यदि पुन: कौशल विकास के प्रयासों में तेज़ी नहीं लाई गई तो बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
    - यदि AI अंगीकरण को मानव-केंद्रित नीतियों के साथ संतुलित नहीं किया जाता है, तो बढ़ती असमानता और नौकरी की हानि सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती है।
  - **उदाहरण के लिये,** विश्व आर्थिक मंच के एक अध्ययन से पता चलता है कि AI वर्ष 2025 तक **भारत में 75 मिलियन नौकरियों को खत्म** कर सकता है।

- **एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण परिणाम:** डेटासेट पर प्रशिक्षित AI मॉडल संभावित रूप से **जाति, लिंग और क्षेत्रीय भेदभाव को मज़बूत** कर सकते हैं, जिससे अनुचित **शासन निर्णय** लिये जा सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2018 में **अमेज़न ने अपने गुप्त AI रिक्रुटिंग टूल को बंद कर दिया** था, क्योंकि यह महिलाओं के प्रति पक्षपाती पाया गया था।
  - इसके अलावा, **भारत में विविध और प्रतिनिधि डेटासेट की कमी** विशेष रूप से सीमांत समुदायों के लिये अपवर्जन संबंधी परिणामों को और बढ़ा देती है।
    - सुदृढ़ पूर्वाग्रह-शमन कार्यढाँचे के बिना, AI प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को हल करने के बजाय उन्हें बढ़ा सकता है।

- **गोपनीयता का उल्लंघन और बड़े पैमाने पर निगरानी का जोखिम:** चेहरे की पहचान और प्रेडिक्टिंग पुलिसिंग सहित AI-संचालित निगरानी, **पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना विसंगतियों तथा बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह के बारे में चिंताएँ** बढ़ाती है।
  - उदाहरण के लिये, दिल्ली पुलिस **80% से अधिक समानता वाले फेशियल रेकग्निशन तकनीक (FRT)** को सकारात्मक परिणाम मानती है, जिससे चिंता उत्पन्न हो सकती है।
  - इसके अलावा, वर्ष 2024 में **UPSC ने परीक्षा में धोखाधड़ी तथा प्रतिरूपण को रोकने के लिये फेशियल रेकग्निशन और AI-संचालित CCTV मॉनिटरिंग के अंगीकरण की योजना** की घोषणा की। परीक्षा की अखंडता के लिये एक सकारात्मक कदम होने के बावजूद, यह गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर चिंता उत्पन्न कर सकता है।

- **डीपफेक और गलत सूचना:** AI-जनित डीपफेक और गलत सूचना अभियान **चुनावों को कमज़ोर कर सकते हैं, शासन को बाधित कर सकते हैं** तथा **संस्थानों में जनता का विश्वास समाप्त कर सकते हैं।**
  - AI-जनित विषय-वस्तु की बढ़ती परिष्कृतता के कारण वास्तविक और नकली समाचार में अंतर करना कठिन हो जाता है, जिससे सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारत में डीपफेक मामलों में वर्ष 2019 के बाद से **550% की वृद्धि** हुई है और अकेले वर्ष 2024 में नुकसान 70,000 करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान था।
  - वर्ष 2024 के भारत के **आम चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी और विपक्षी नेताओं** के डीप फेक वीडियो वायरल हो गए, जिससे चुनावी शुचिता पर चिंता बढ़ गई।

- **साइबर सुरक्षा कमज़ोरियाँ और AI-संचालित हमले:** फिशिंग और स्वचालित हैकिंग सहित AI-संचालित साइबर हमले भारत के डिजिटल बुनियादी अवसंरचना के लिये गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं।
  - **बैंकिंग, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा** जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को AI-संवर्द्धित सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका सामना मौजूदा साइबर सुरक्षा उपाय नहीं कर सकते।
  - AI-संचालित प्रत्युपायों के बिना, भारत का डिजिटल इको-सिस्टम परिष्कृत खतरों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य बना रहेगा।
  - वर्ष 2024 में भारतीयों को **साइबर घोटालों में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान** हुआ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण घोटाले **300% तक बढ़े।**

- **डिजिटल डिवाइड और असमान AI अभिगम:** AI का अंगीकरण **अत्यधिक असमान बना** हुआ है, **शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता** दी जा रही है **जबकि ग्रामीण भारत पीछे छूट रहा है,** जिससे डिजिटल डिवाइड और बढ़ता जा रहा है।
  - सीमित इंटरनेट अभिगम, AI लिटरेसी की कमी और बुनियादी अवसंरचना की कमी, विशेष रूप से सीमांत समुदायों के लिये समान AI लाभ को रोकती है।
  - NSSO के आँकड़ों के अनुसार, **केवल 24% ग्रामीण भारतीय परिवारों के पास** इंटरनेट एक्सेस है, जबकि शहरों में यह एक्सेस 66% है, जिससे ग्रामीण सेवा वितरण में AI-संचालित शासन लाभ सीमित हो जाता है।
    - NITI आयोग की रिपोर्ट का अनुमान है कि **भारत में केवल 22% कंपनियाँ किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया में AI का उपयोग** करती हैं।

- **AI-प्रेरित पर्यावरणीय चिंताएँ:** AI प्रणालियों को विशाल कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप **ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि** होती है।
  - भारत में AI डेटा सेंटरों की वृद्धि से **बिजली की मांग** और **कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये जल के उपयोग पर चिंताएँ** बढ़ गई हैं।
  - हरित AI नीतियों के बिना, AI का तीव्र विस्तार भारत के स्थिरता लक्ष्यों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, **एक एकल ChatGPT सर्च में 2.9 वाट-घंटे की खपत** होती है, जबकि **गूगल सर्च में केवल 0.3 वाट-घंटे** की खपत होती है।
    - गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि AI की मांग के कारण वर्ष 2023 से वर्ष 2030 तक **डेटा केंद्रों में वार्षिक बिजली खपत में 200 टेरावाट-घंटे की वृद्धि** होगी।

- **कमज़ोर AI विनियमन और नीतिगत खामियाँ:** भारत में एक **व्यापक AI विनियामक कार्यढाँचे का अभाव** है, जिसके कारण अनियंत्रित AI विकास और तैनाती हो रही है। यूरोपीय संघ के AI अधिनियम **के विपरीत,** भारत ने अभी तक **सख्त AI-विशिष्ट नीति पेश नहीं किया है,** जिससे कानूनी खामियाँ बनी हुई हैं।
  - इसके अलावा, शासन में AI द्वारा निर्णय लेने से **जवाबदेही और पारदर्शिता के बारे में मौलिक नैतिक प्रश्न** उठते हैं।
    - **स्पष्ट कानूनी कार्यढाँचे के अभाव** के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि शासन में जब **AI-संचालित त्रुटियाँ होती हैं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार** है।

- **विदेशी AI प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता: भारत क्लाउड सेवाओं और उन्नत AI चिप्स** सहित विदेशी AI अवसंरचना पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे रणनीतिक कमज़ोरियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - घरेलू AI नवाचार के बिना, **भारत को अमेरिकी और चीनी AI फर्मों पर आर्थिक निर्भरता का खतरा** होगा, जिससे डिजिटल संप्रभुता प्रभावित होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- स्वदेशी AI अनुसंधान एवं विकास की कमी से आत्मनिर्भरता में बाधा आती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक हित कमज़ोर हो जाते हैं।
- हाल ही में, अमेरिकी प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण **कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्स के आयात को प्रतिबंधित करने वाले एक नए कार्यढाँचे का प्रस्ताव भारत की AI हार्डवेयर योजनाओं के लिये खतरा** बन गया है।

वैश्विक शासन के लिये AI द्वारा उत्पन्न प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **विनियामक विखंडन और वैश्विक AI मानकों का अभाव:** देशों की AI नीतियाँ अलग-अलग हैं, **यूरोपीय संघ सख्त विनियमन (AI अधिनियम)** लागू कर रहा है, जबकि **अमेरिका और चीन** अधिक खुले बाज़ार के दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जिसके कारण AI शासन में **सामंजस्य की कमी** हो रही है।
- **AI-संचालित गलत सूचना और लोकतंत्र के लिये खतरा:** डीपफेक और AI-जनित गलत सूचना का उपयोग चुनावों में हेरफेर करने तथा राष्ट्रों को अस्थिर करने के लिये किया जा रहा है, जैसा कि वर्ष 2024 के **अमेरिकी चुनावों के दौरान AI-संचालित गलत सूचना** में देखा गया है।
- **AI शस्त्रीकरण और स्वायत्त युद्ध जोखिम: स्वायत्त घातक हथियारों (किलर ड्रोन)** और AI-संचालित साइबर युद्ध के बढ़ने से सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं, **संयुक्त राष्ट्र सैन्य उपयोग में AI को विनियमित करने के लिये संघर्ष** कर रहा है।
- **निर्णय लेने में AI पूर्वाग्रह और नैतिक चिंताएँ** - पक्षपातपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित AI सिस्टम कानून प्रवर्तन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव को जन्म देते हैं, जैसा कि **अमेरिका में AI पुलिसिंग टूल्स में नस्लीय पूर्वाग्रह** में देखा गया है।
- **निगरानी और गोपनीयता का उल्लंघन - सरकारें और निगम बड़े पैमाने पर निगरानी के लिये AI का दुरुपयोग** करते हैं, **गोपनीयता को नष्ट करते हैं, जैसा कि चीन की AI-संचालित सामाजिक क्रेडिट प्रणाली** में देखा गया है।
- **ग्लोबल साउथ का AI नुकसान और डिजिटल उपनिवेशवाद:** AI विकास पर **अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ के तकनीकी दिग्गजों का वर्चस्व** है, जिससे **विकासशील देश विदेशी AI बुनियादी अवसंरचना पर निर्भर** हो रहे हैं तथा डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है।

AI विनियामक कार्यढाँचे को बढ़ाने और वैश्विक AI व्यवस्था को आकार देने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **संतुलित विनियामक दृष्टिकोण के साथ व्यापक AI कानून:** भारत को **एक समर्पित AI कानून का मसौदा तैयार करना चाहिये** जो **नवाचार और विनियमन को संतुलित करता हो** तथा **यूरोपीय संघ के अति-विनियमन** एवं **अमेरिका के अहस्तक्षेप दृष्टिकोण** की चरम सीमाओं से बचाव कर सके।
  - एक लचीला, **जोखिम-आधारित AI गवर्नेंस मॉडल** AI प्रणालियों को **निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत** कर सकता है, जिससे **आनुपातिक विनियमन सुनिश्चित** हो सके।
  - **AI-विशिष्ट कानूनों में एल्गोरिदम जवाबदेही, पूर्वाग्रह शमन और नैतिक AI विकास** के प्रावधान शामिल होने चाहिये।
    - **क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देशों के साथ** डिजिटल इंडिया (AI) अधिनियम के पारित होने में तीव्रता लाने से एक सुदृढ़ एवं अनुकूलनीय AI शासन कार्यढाँचा तैयार होगा।
    - इसके अलावा, भारत के **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP अधिनियम, 2023)** का विस्तार **AI-विशिष्ट जोखिमों**, विशेष रूप से स्वचालित निर्णय लेने, **AI निगरानी और डीपफेक रोकथाम** में किया जाना चाहिये।
- **राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण की स्थापना:** भारत AI नैतिकता, अनुपालन, जोखिम मूल्यांकन और सार्वजनिक-निजी सहयोग की देखरेख के लिये एक AI शासन प्राधिकरण (AIGA) की स्थापना कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- प्राधिकरण को पक्षपातपूर्ण या हानिकारक परिणामों को रोकने के लिये **AI ऑडिट, प्रभाव आकलन** और **एल्गोरिदम पारदर्शिता मानकों को अनिवार्य** बनाना चाहिये।
  - AIGA नैतिक अनुपालन के आधार पर **AI उत्पादों को भी प्रमाणित कर सकता है**, ठीक उसी तरह जैसे **BIS इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** को प्रमाणित करता है।
- इसके अलावा, **AI की नैतिकता पर यूनेस्को की सिफारिश** AI के नैतिक शासन को सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक कार्यढाँचे के रूप में कार्य करती है।

- **ग्लोबल साउथ के लिये AI सुरक्षा में अग्रणी भूमिका: भारत समावेशी और न्यायसंगत AI शासन को** आकार देकर **विकासशील देशों के लिये AI सुरक्षा में अग्रणी** के रूप में अपनी स्थिति बना सकता है।
  - **अपने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) मॉडल का लाभ** उठाकर, भारत ग्लोबल साउथ देशों को **AI नियामक क्षमता के निर्माण में सहायता** कर सकता है, साथ ही **पश्चिमी-प्रभुत्व वाले AI कार्यढाँचे द्वारा वैश्विक स्तर पर AI नैतिकता को निर्धारित करने से रोक सकता है।**
  - BRICS या G20 के भीतर **AI नैतिकता संघ** की स्थापना से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये उपयुक्त **वैकल्पिक शासन मॉडल** विकसित करने में मदद मिल सकती है।
- **व्याख्या योग्य और विश्वसनीय AI को बढ़ावा देना:** भारत को **व्याख्या योग्य AI (XAI) नीतियों को अनिवार्य** बनाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि **सरकारी और निजी AI मॉडल पारदर्शी एवं व्याख्या योग्य** बने रहें।
  - विनियामक कार्यढाँचे में **एल्गोरिदम उत्तरदायित्व नियम** शामिल होने चाहिये, जहाँ बैंकिंग, भर्ती और शासन में **AI-संचालित निर्णय प्रभावित व्यक्तियों के लिये समझाने योग्य** होने चाहिये।
- **कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा में AI को विनियमित करना:** पुलिसिंग, निगरानी और साइबर सुरक्षा में AI को **बड़े पैमाने पर निगरानी, गलत प्रोफाइलिंग और मानवाधिकार उल्लंघन** को रोकने के लिये **स्पष्ट कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन** करना चाहिये।
  - सरकार को **कानून प्रवर्तन के लिये AI जवाबदेही संहिता** पेश करनी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AI-संचालित फेशियल रिकग्निशन, अपराध का पूर्वानुमान और बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग **पारदर्शी तरीके से तथा न्यायिक निगरानी के साथ** किया जाए।
  - **भारत को AI-संचालित साइबर खतरों** और **मिसइनफार्मेशन वारफेयर** का मुकाबला करने के लिये **AI-सक्षम साइबर सुरक्षा रणनीति** भी विकसित करनी चाहिये।
- **नवाचार-अनुकूल विनियमन के लिये AI सैंडबॉक्स बनाना:** भारत को **AI विनियामक सैंडबॉक्स** स्थापित करना चाहिये, जहाँ स्टार्टअप, व्यवसाय और नीति निर्माता कुछ नियमों पर अस्थायी छूट के साथ **वास्तविक दुनिया की स्थितियों में AI अनुप्रयोगों का परीक्षण** कर सकते हैं।
  - ये सैंडबॉक्स **क्षेत्र-विशिष्ट AI दिशानिर्देशों के तहत काम** कर सकते हैं, जिससे **वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा AI मॉडल को नियंत्रित कानूनी परिवेश में परीक्षण** किया जा सकता है।
  - **RBI के फिनटेक विनियामक सैंडबॉक्स मॉडल** को AI-संचालित **वित्तीय सेवाओं,** जैसे **AI-संचालित क्रेडिट स्कोरिंग** और **धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणालियों तक विस्तारित** किया जा सकता है।
- **डिजिटल संप्रभुता के लिये स्वदेशी AI विकास को बढ़ावा देना:** भारत को **घरेलू AI चिप विनिर्माण, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और संप्रभु AI मॉडल** में निवेश करके **विदेशी AI मॉडल, कंप्यूटिंग शक्ति एवं अर्द्धचालक आपूर्ति शृंखलाओं पर अपनी निर्भरता** कम करनी चाहिये।
  - **IndiaAI मिशन** और **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन** को **भारत की AI सुपरकंप्यूटिंग क्षमता के निर्माण** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जिससे **AI अनुसंधान में आत्मनिर्भरता** सुनिश्चित हो सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **AI-संचालित गलत सूचना और डीपफेक खतरों से निपटना:** भारत को **AI-जनित डीपफेक, गलत सूचना और चुनावी हेरफेर जोखिम को सक्रिय रूप से नियंत्रित** करना चाहिये।
  - सरकार को **AI-सत्यापित कंटेंट लेबलिंग प्रणाली** शुरू करनी चाहिये, जिसमें प्लेटफॉर्म को **राजनीतिक अभियानों में AI-जनित मीडिया** और **गलत सूचनाओं को चिह्नित करने की आवश्यकता** होगी।
  - AI-संचालित **तथ्य-जाँच उपकरणों को सरकारी सूचना पोर्टलों** में एकीकृत किया जाना चाहिये, जिससे **सोशल मीडिया पर फर्ज़ी खबरों** को फैलने से रोका जा सके।
  - **डिजिटल इंडिया अधिनियम (अभी पारित होना शेष है)** के तहत डीप फेक विनियमन नियम पेश किये जा सकते हैं, ताकि **AI- जनित राजनीतिक गलत सूचनाओं को अपराधी** बनाया जा सके, जिससे **चुनावी अखंडता** और **शासन में जनता का विश्वास** सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष:

पेरिस AI एक्शन समिट वैश्विक विनियामक ढाँचों के लिये एक निर्णायक क्षण है, जिसके परिणामों पर सभी की नज़र है। एक **उभरते डिजिटल पावरहाउस के रूप में,** भारत को संतुलित, भविष्य के लिये तैयार नियमों को आयाम देने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये जो नैतिक शासन सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देते हैं। समावेशी और अनुकूलनीय नीतियों का समर्थन करके, **भारत एक वैश्विक मिसाल कायम** कर सकता है, जिससे **डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख वास्तुकार के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत हो सकती है।**

■■■

फिनटेक पावरहाउस के रूप में भारत

यह एडिटोरियल 07/05/2024 को द हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Lessons from India's fintech revolution" पर आधारित है। यह लेख भारत की फिनटेक क्रांति को दर्शाता है, जिसने पारंपरिक बैंकिंग को दरकिनार करते हुए मोबाइल-फर्स्ट वित्तीय समाधानों की ओर संक्रमण को संभव बनाया है। यद्यपि यह मॉडल उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है, फिर भी वैश्विक नेतृत्व के लिये प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-3, पूंजी बाज़ार, आईटी और कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा, वैज्ञानिक नवाचार और खोजें

भारत की फिनटेक क्रांति ने पारंपरिक बैंकिंग को दरकिनार कर दिया है, जिससे लाखों लोग **मोबाइल-फर्स्ट वित्तीय समाधान अपनाने में सक्षम हुए हैं।** वर्ष 2009 से, **NPCI ने अंतर-बैंक अंतरण को मानकीकृत किया** है, जिससे डिजिटल भुगतान में सीधा संक्रमण संभव हुआ है, जो **पश्चिम के क्रमिक विकास से भिन्न** है। यह **सार्वजनिक-निजी संचालित मॉडल** उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, स्वयं को **वैश्विक फिनटेक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिये,** भारत को आगे आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना होगा।

भारत में फिनटेक क्षेत्र का विकास कैसे हुआ?

- **फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) के बारे में:** फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) से तात्पर्य **वित्तीय सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग** से है।
  - भारत की फिनटेक यात्रा स्मार्टफोन की पहुँच, इंटरनेट पहुँच, नियामक समर्थन और डिजिटल भुगतान नवाचार जैसे कारकों से आकार ले रही है।
- **विकास के चरण**
  - **प्रारंभिक चरण (वर्ष 2000 से पूर्व)**
    - बैंकिंग क्षेत्र **कोर बैंकिंग समाधान (CBS)** और IT संचालित सेवाओं पर निर्भर था।
    - **ATM, NEFT, RTGS** और **इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाओं** की शुरूआत।
  - **विकास चरण (वर्ष 2000-2015)**
    - **वर्ष 2009:** आधार का शुभारंभ, जिससे डिजिटल पहचान सत्यापन संभव हुआ।
    - **वर्ष 2010:** NPCI द्वारा तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) की शुरूआत, जिससे समयोचित लेनदेन की सुविधा मिली।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वर्ष 2013:** बढ़ते ई-कॉमर्स के कारण डिजिटल वॉलेट्स (जैसे, Paytm) का उदय।
- **वर्ष 2014:** वित्तीय समावेशन का विस्तार करते हुए **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** शुरू की गई।
- **वर्ष 2015:** वैकल्पिक ऋण प्लेटफॉर्मों और डिजिटल NBFC का उदय।

◆ **त्वरण चरण (वर्ष 2016-2020)**

- **वर्ष 2016: विमुद्रीकरण** से डिजिटल लेनदेन में तेज़ी आई।
- **वर्ष 2016: एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)** के लॉन्च ने रियल टाइम में धन अंतरण में क्रांति ला दी।

- ऋण, धन प्रबंधन और बीमा (जैसे, **ज़ेरोधा, पॉलिसीबाज़ार, फोनपे**) **में फिनटेक स्टार्टअप्स की वृद्धि।**

◆ **वर्तमान चरण (वर्ष 2020-वर्तमान)**

- **कोविड-19 महामारी (वर्ष 2020):** डिजिटल बैंकिंग, संपर्क रहित भुगतान और फिनटेक अपनाने को बढ़ावा मिला।
- **वर्ष 2021:** निर्बाध वित्तीय डेटा साझाकरण के लिये **अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क** लॉन्च किया गया।
- **वर्ष 2022:** RBI ने ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिये **डिजिटल ऋण दिशानिर्देश** पेश किये।
- **Buy Now, Pay Later: BNPL** (अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें) **मॉडल** और अंतर्निहित वित्त समाधान का उदय।

- **Rupay क्रेडिट कार्ड से जुड़े UPI भुगतान, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज (विनियमित)** और **AI-संचालित वित्तीय सेवाओं** का विकास।

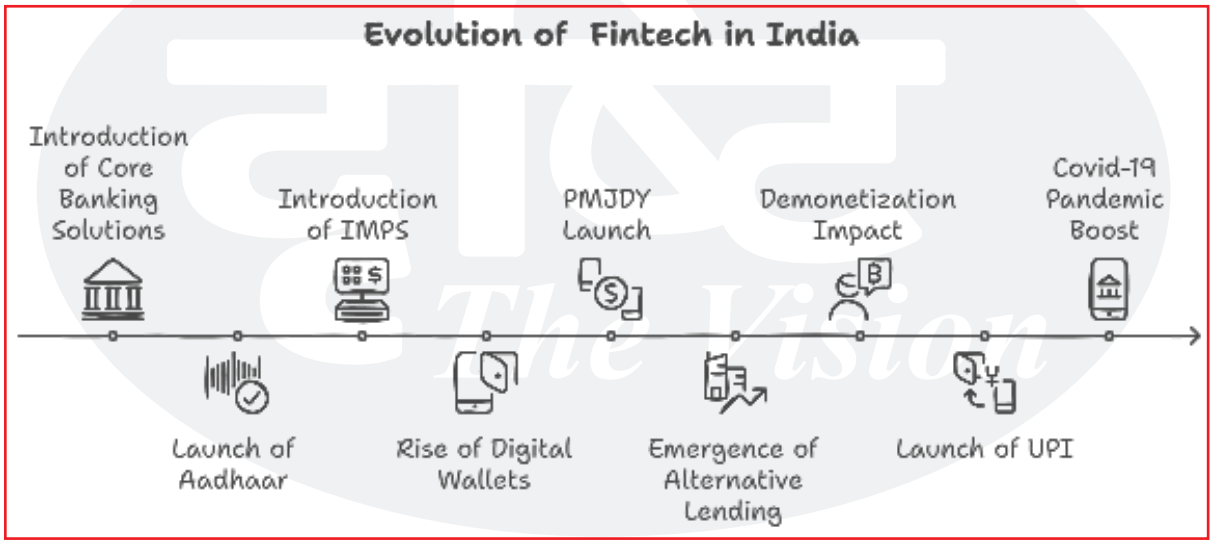

भारत में फिनटेक विकास के प्रमुख चालक कौन से हैं?

- **तीव्र डिजिटल अंगीकरण, स्मार्टफोन का प्रचलन और 5G: किफायती स्मार्टफोन** और **सस्ते इंटरनेट** की व्यापक उपलब्धता ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा दिया है।
  - 80 करोड़ से अधिक **इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं** के साथ, वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुलभ हो गए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन की खाई को समाप्त किया जा रहा है।
  - एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले **घरों का प्रतिशत लगभग 88%** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारत में **5G सदस्यता** वर्ष 2029 के अंत तक **कुल मोबाइल सदस्यता का लगभग 65% होने की उम्मीद** है, जो **840 मिलियन** तक पहुँच जाएगी।

- **सरकारी पहल और विनियामक समर्थन:** डिजिटल इंडिया, JAM ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल) और **वित्तीय समावेशन योजनाओं** के माध्यम से नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिये भारत सरकार के प्रयास ने फिनटेक को काफी बढ़ावा दिया है।
  - 15 जनवरी, 2025 तक **54.58 करोड़** से अधिक **जन धन खाते** खोले जा चुके हैं, जिनमें से **55.7% खाते महिलाओं के पास** हैं।
  - **RBI** और **SEBI ने डिजिटल ऋण, डिजिटल बैंकिंग इकाइयों और खाता एग्रीगेटर्स** के लिये नियामक कार्यढाँचे की शुरुआत की है, जिससे फिनटेक विकास के लिये एक स्थिर वातावरण सुनिश्चित हो सके।
- **UPI क्रांति और भुगतान नवाचार:** भारत के **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** ने डिजिटल लेन-देन में परिवर्तन दिया है, जिससे निर्बाध अंतर-संचालन और शून्य-लागत लेनदेन की सुविधा मिल रही है।
  - **UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भुगतान** के शुभारंभ से इसका अभिगम और बढ़ गया है।
  - अनुमान है कि अगले पाँच वर्षों में खुदरा डिजिटल भुगतान में **UPI का योगदान** कुल **लेन-देन मात्रा का 90%** होगा।
  - भारत सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और फ्राँस (NPCI) के साथ साझेदारी के साथ **वैश्विक बाज़ारों में UPI के अंगीकरण का विस्तार** कर रहा है।
- **डिजिटल ऋण और वैकल्पिक क्रेडिट मॉडल का उदय:** फिनटेक-संचालित ऋण ने पारंपरिक क्रेडिट स्कोर के बजाय AI-आधारित जोखिम मूल्याँकन का उपयोग करके विशेष रूप से MSME और गिग वर्कर्स **के लिये ऋण तक अभिगम का विस्तार** किया है।
  - डिजिटल ऋणदाता और **बाय नाव, पे लेटर (BNPL)** मॉडल उपभोक्ता वित्त को नया रूप दे रहे हैं तथा तत्काल, **संपार्श्विक-मुक्त ऋण** की पेशकश कर रहे हैं।
  - भारतीय डिजिटल ऋण देने वाली कंपनियों का आकार वर्ष 2021 में **38.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2030** तक लगभग **515 बिलियन अमरीकी डॉलर** हो जाएगा।
- **इंश्योरटेक और वेल्थटेक प्लेटफॉर्मों का विकास:** फिनटेक क्षेत्र ने **बीमा (InsurTech)** और **धन प्रबंधन (WealthTech) में व्यवधान** उत्पन्न किया है, जिससे डिजिटल चैनलों के माध्यम से वित्तीय उत्पाद अधिक सुलभ हो गए हैं।
  - AI-संचालित सलाहकार सेवाओं, रोबो-एडवाइज़र और ब्लॉकचेन-संचालित बीमा दावों ने वित्तीय नियोजन में दक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है।
  - **भारत में वेल्थटेक बाज़ार वर्ष 2025 तक 60 बिलियन डॉलर से अधिक** हो जाने का अनुमान है, जो **12-15% CAGR (NASSCOM) की दर से** बढ़ रहा है।
  - बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय इंश्योरटेक क्षेत्र को पिछले पाँच वर्षों में 12 गुना संप्राप्ति वृद्धि प्राप्त हुई है, जो वर्ष 2023 में 750 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई।
- **एम्बेडेड फाइनेंस और ओपन बैंकिंग का विस्तार:** एम्बेडेड फाइनेंस, जहाँ **वित्तीय सेवाओं को गैर-वित्तीय प्लेटफॉर्मों** (जैसे: अमेज़न पे, ओला मनी) **में एकीकृत** किया जाता है, निर्बाध लेनदेन को बढ़ावा दे रहा है।
  - **अकाउंट एग्रीगेटर कार्यढाँचे** द्वारा सुगम ओपन बैंकिंग, सुरक्षित वित्तीय डेटा साझाकरण को सक्षम बनाती है तथा व्यक्तियों और व्यवसायों के लिये ऋण पहुँच में सुधार करती है।
  - एम्बेडेड फाइनेंस वर्ष 2030 तक भारत के डिजिटल और वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्मों के लिये 25 बिलियन डॉलर के राजस्व अवसर खोल सकता है।
  - **भारत के अकाउंट एग्रीगेटर (AA)** पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिसमें **1.1 बिलियन AA-सक्षम खाते** और **2.05 मिलियन उपयोगकर्त्ता** स्वेच्छा से ऋण प्राप्त करने तथा वित्तीय उत्पादों पर बेहतर, तीव्र लेन-देन हासिल करने के लिये बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ अपना वित्तीय डेटा साझा कर रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **ब्लॉकचेन और CBDC (डिजिटल रुपया) का उदय:** ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी वित्तीय लेनदेन में सुरक्षा, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ा रही है।
  - RBI द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) या डिजिटल रुपया लॉन्च करने का **उद्देश्य भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाना** तथा **नकदी पर निर्भरता को कम करना** है।
  - नवीनतम मुद्रा और वित्त रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जून 2024 के अंत तक खुदरा **ई-रुपी उपयोगकर्त्ताओं** की संख्या 5 मिलियन तक पहुँच गई।
  - भारत के ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी बाज़ार ने वर्ष 2022 में **321.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का राजस्व** उत्पन्न किया और वर्ष 2030 तक इसके **53,182.9 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान** है।
- **बढ़ता विदेशी निवेश और फिनटेक स्टार्टअप्स में उछाल:** भारत का फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र **विश्व में सबसे तेज़ी से विकसित** हो रहा है, जो **वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।**
  - विशाल उपभोक्ता आधार, प्रगतिशील विनियमन और तकनीकी प्रगति का संयोजन भारत को फिनटेक हब बनाता है।
    - भारत में **2,500 से अधिक** फिनटेक स्टार्टअप हैं, जो **अमेरिका** (इन्वेस्ट इंडिया) **के बाद दूसरे स्थान पर** है।

भारत में फिनटेक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **विनियामक अनिश्चितता और अनुपालन चुनौतियाँ:** भारत में फिनटेक क्षेत्र **तेज़ी से विकसित हो रहे विनियामक वातावरण** में काम करता है, जिससे स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिये अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
  - **RBI ने** नियामक उल्लंघनों के कारण Paytm पेमेंट्स बैंक (वर्ष 2024) पर **नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध** लगा दिया, जिससे इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अनुपालन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।
  - इसके अलावा, **AI-सक्षम फिनटेक, क्रिप्टोकरेंसी और डेटा सुरक्षा** पर स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी से अनुपालन मुश्किल हो जाता है।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम और डिजिटल धोखाधड़ी:** डिजिटल लेनदेन में वृद्धि के साथ, **फिशिंग, पहचान की चोरी** और **वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर खतरे** बढ़ गए हैं।
  - कई फिनटेक फर्मों के पास मज़बूत साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे का अभाव है, जिससे ग्राहक डेटा के उल्लंघन का खतरा बना रहता है।
  - भारत में वर्ष 2023 में **भुगतान धोखाधड़ी के मामलों में 65% की वृद्धि** देखी गई, जिसमें वित्तीय नुकसान **1200 करोड़ रुपए से अधिक** हो गया।
    - इन घटनाओं में UPI धोखाधड़ी की हिस्सेदारी लगभग 40% थी, जिसमें **डिजिटल अरेस्ट** से संबंधित धोखाधड़ी प्रमुख थी।
- **डिजिटल ऋण और शोषणकारी प्रथाएँ:** डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्मों के उदय से **उच्च ब्याज दरें, अनैतिक वसूली प्रथाएँ** और **उधारकर्त्ताओं का उत्पीड़न** जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
  - कई ऋण ऐप्स बिना RBI पंजीकरण के संचालित होते हैं, जिससे कम आय वाले उपयोगकर्त्ता ऋण चक्र में फँस जाते हैं।
    - यद्यपि RBI के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों **का उद्देश्य इस क्षेत्र को विनियमित करना** है, फिर भी प्रवर्तन संबंधी **चुनौतियाँ बनी हुई** हैं।
  - भारत सरकार ने हाल ही में अनियमित ऋण देने पर प्रतिबंध लगाने तथा **उल्लंघनकर्त्ताओं पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना** लगाने के लिये एक कानून का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसका क्रियान्वयन एक बड़ी चिंता बनी हुई है।
- **डेटा गोपनीयता और सहमति संबंधी मुद्दे:** फिनटेक कंपनियाँ भारी मात्रा में उपयोगकर्त्ता डेटा एकत्र करती हैं, लेकिन गोपनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये उनके पास सुदृढ़ कार्यढाँचे का अभाव है।
  - वर्ष 2023 में **वैश्विक डेटा उल्लंघनों में** भारत 5.3 मिलियन लीक खातों के साथ 5वें स्थान पर होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- कई ऐप्स **उपयोगकर्त्ता की सहमति के बिना संवेदनशील जानकारी तक पहुँच** बनाते हैं, जिससे डेटा का दुरुपयोग और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - **भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023)** अपने हाल ही में जारी नियमों के साथ अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।

- **डिजिटल डिवाइड और वित्तीय समावेशन अंतराल:** फिनटेक विकास के बावजूद, **ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी** भारत अभी भी डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना कर रहा है।
  - **सीमित इंटरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता की कमी** और भाषा संबंधी बाधाएँ लाखों लोगों को फिनटेक समाधानों से लाभ उठाने से रोकती हैं।
    - JAM (जनधन-आधार-मोबाइल) कार्यढाँचे ने पहुँच का विस्तार किया है, लेकिन **डिजिटल अंगीकरण की गति धीमी** बनी हुई है।
  - केवल **38% ग्रामीण या अर्द्ध शहरी** भारतीय डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, **11.30 करोड़ जन धन खाते निष्क्रिय** हैं।
- **उच्च ग्राहक अधिग्रहण लागत और लाभप्रदता संबंधी चिंताएँ: तीव्र प्रतिस्पर्द्धा** और **छूट एवं कैशबैक ऑफर पर भारी निर्भरता** के कारण फिनटेक स्टार्टअप उच्च ग्राहक अधिग्रहण लागत से जूझते हैं।
  - कई फर्में **कम मार्जिन पर काम** करती हैं, जिससे **दीर्घकालिक लाभ कमाना एक चुनौती** बन जाता है। एक स्थायी राजस्व मॉडल की कमी के कारण कई स्टार्टअप बंद हो गए हैं।
  - भारत में फिनटेक ने वर्ष 2023 में केवल **2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** जुटाए, जो **वर्ष 2022 की तुलना** में लगभग **300% की गिरावट** दर्शाता है।
- **एकाधिकार संबंधी चिंताएँ और बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा का अभाव:** भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र पर कुछ ही **भागीदारों का प्रभुत्व** है, जिससे एकाधिकार संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - **तीन कंपनियाँ 94% से अधिक UPI लेनदेन को नियंत्रित करती हैं** - फोनपे, गूगल पे और पेटीएम।
    - प्रतिस्पर्द्धा का अभाव नवाचार को कम करता है तथा कुछ ही प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता उत्पन्न करता है।
  - NPCI ने बड़े भागीदारों के प्रभुत्व को सीमित करने के लिये **UPI मार्केट कैप नियम पेश** किये, लेकिन **पूर्ण कार्यान्वयन में विलंब** हो रहा है और **समय सीमाएँ बढ़ती जा रही** हैं।

भारत अपने फिनटेक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और वैश्विक मॉडल बनने के लिये क्या कदम उठा सकता है?

- **एक व्यापक और अनुकूली नियामक कार्यढाँचे की स्थापना:** भारत को एक **एकीकृत और गतिशील नियामक कार्यढाँचे की आवश्यकता** है जो उपभोक्ता संरक्षण के साथ नवाचार को संतुलित कर सके।
  - **डिजिटल ऋण, डेटा गोपनीयता, क्रिप्टोकरेंसी और एम्बेडेड फाइनेंस** पर स्पष्ट दिशानिर्देश फिनटेक भागीदारों के लिये स्थिरता उत्पन्न करेंगे।
  - विनियामक **सैंडबॉक्स 2.0** पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले नए वित्तीय उत्पादों के नियंत्रित परीक्षण की अनुमति दे सकता है।
  - **RBI, SEBI और NPCI के बीच समन्वय** को मज़बूत करने से सुव्यवस्थित निगरानी सुनिश्चित होगी।
- **डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करना: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून को सहमति**, डेटा पोर्टेबिलिटी और सुरक्षा पर स्पष्ट प्रावधानों के साथ पूरक किया जाना चाहिये, जो उपयोगकर्त्ता की गोपनीयता की रक्षा करेगा।
  - **ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर** और **AI-संचालित धोखाधड़ी का पता लगाने को अनिवार्य बनाने से** साइबर सुरक्षा समुत्थानशीलन बढ़ेगा।
  - **डेटा उल्लंघनों के लिये कठोर दंड** और **फिनटेक फर्मों के लिये अनुपालन अनिवार्यता** से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **स्वदेशी साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को बढ़ावा** देने से विदेशी सुरक्षा समाधानों पर निर्भरता कम हो सकती है।
  - इसके अलावा, भारत सुरक्षित लेनदेन के लिये **ब्लॉकचेन** को एकीकृत करके वैश्विक फिनटेक सुरक्षा मानकों का नेतृत्व कर सकता है।

- **क्षेत्रीय भाषा फिनटेक समाधानों के माध्यम से वित्तीय समावेशन: डिजिटल डिवाइड** को समाप्त करने के लिये, फिनटेक प्लेटफॉर्मों को **बहुभाषी, वॉइस-इनेबल्ड और AI-संचालित इंटरफेस** प्रदान करना होगा।
  - **UPI लाइट, ऑफलाइन भुगतान** और **फीचर फोन बैंकिंग** का लाभ उठाने से निम्न आय वर्ग के लिये पहुँच में सुधार होगा।
  - भारतीय फिनटेक स्टार्टअप्स को **स्थानीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम** विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अंगीकरण में वृद्धि होगी।
  - **MSME, गिग वर्कर्स** और **महिला उद्यमियों के लिये विशेष वित्तीय उत्पाद** समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे। भारत फिनटेक को विश्व के समक्ष व्यापक वित्तीय सशक्तीकरण के साधन के रूप में पेश कर सकता है।

- **निर्बाध लेनदेन के लिये ओपन बैंकिंग और इंटर-ऑपरेबिलिटी को प्रोत्साहित करना: अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित** एक अच्छी तरह से संरचित **ओपन बैंकिंग इकोसिस्टम,** सुरक्षित और निर्बाध वित्तीय डेटा साझाकरण को सक्षम करेगा।
  - **सार्वभौमिक API मानकों** को अनिवार्य करने से फिनटेक फर्मों, बैंकों और NBFC के बीच अंतर-संचालन क्षमता में सुधार होगा।
  - **वैश्विक धन प्रेषण और सीमा पार लेनदेन** के लिये **UPI जैसे मॉडल का विस्तार** (जैसा कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर शुरू किया है) से भारत की वैश्विक फिनटेक उपस्थिति बढ़ेगी।
  - एकाधिकार नियंत्रण को रोकते हुए वित्तीय डेटा तक निष्पक्ष अभिगम सुनिश्चित करने से **स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा** मिलेगा। ओपन बैंकिंग भारत को लोकतांत्रिक डिजिटल वित्त के लिये एक मॉडल के रूप में स्थापित कर सकती है।

- **जिम्मेदार ऋण दिशानिर्देशों के साथ एम्बेडेड फाइनेंस और BNPL को बढ़ावा:** एम्बेडेड फाइनेंस (गैर-वित्तीय प्लेटफॉर्मों के भीतर फिनटेक) और **बाय नाव, पे लेटर (BNPL) मॉडल** को उपभोक्ता संरक्षण सुरक्षा उपायों के साथ विनियमित किया जाना चाहिये।
  - अनिवार्य **जोखिम मूल्यांकन एल्गोरिदम** से अति-उधार और **ऋण जाल को रोका जा सकेगा।**
    - **केंद्रीय डिजिटल क्रेडिट ब्यूरो** की शुरूआत से वैकल्पिक ऋण उधार पर निकट समयोचित निगरानी रखी जा सकेगी।
  - **ब्याज दर पारदर्शिता और जिम्मेदार ऋण वसूली नीतियों** के माध्यम से नैतिक ऋण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने से वायदा ऋण में कमी आएगी।
- **फिनटेक फंडिंग को सुदृढ़ करना:** फिनटेक नवाचार को बनाए रखने के लिये, सरकारी-निजी साझेदारी द्वारा समर्थित **फिनटेक वेंचर फंड** को प्रारंभिक चरण की पूंजी उपलब्ध करानी चाहिये।
  - **AI-संचालित वित्त,** ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा में स्टार्टअप के लिये कर प्रोत्साहन अधिक फिनटेक उद्यमियों को आकर्षित करेगा।
    - **फिनटेक फर्मों** और **पारंपरिक बैंकों के बीच सह-ऋण मॉडल** का विस्तार करने से हाइब्रिड वित्तीय समाधान तैयार हो सकते हैं।
  - यह सुनिश्चित करना कि **फिनटेक स्टार्टअप्स के पास कैशबैक** और **छूट पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय लाभप्रदता का एक स्पष्ट मार्ग** हो, इस क्षेत्र को अधिक समुत्थानशील बनाएगा।
    - एक **संतुलित वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र** भारत को वैश्विक फिनटेक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
- **नेक्स्ट जेनरेशन की फिनटेक के लिये AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग का लाभ उठाना: AI-संचालित धन प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाने और स्वचालित ऋण देने** को प्रोत्साहित करने से वित्तीय दक्षता में वृद्धि हो सकती है।
  - व्यापार वित्त और परिसंपत्ति टोकनीकरण के लिये **ब्लॉकचेन-संचालित स्मार्ट अनुबंध** वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अति-सुरक्षित लेन-देन के लिये क्वांटम कंप्यूटिंग का अन्वेषण** भारत को फिनटेक सुरक्षा अनुसंधान में अग्रणी स्थान पर ला सकती है।
- **विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) विनियमों को बढ़ावा** देने से भारत **वेब3-संचालित वित्तीय प्रणालियों में अग्रणी** बन सकेगा।
  - गहन प्रौद्योगिकी आधारित फिनटेक मॉडल के अंगीकरण से भारत **अगली पीढ़ी की वित्तीय महाशक्ति के रूप में स्थापित** हो जाएगा।

- **वैश्विक फिनटेक मानकों और विचार नेतृत्व को संस्थागत बनाना:** भारत को वैश्विक विनियमनों को प्रभावित करने के लिये **G20, BIS और IMF** के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक मानकीकरण प्रयासों का नेतृत्व** करना चाहिये।
  - अनुसंधान, नीति निर्माण और विनियामक नवाचार के लिये **भारत वैश्विक फिनटेक संस्थान की स्थापना** से विचार नेतृत्व को मज़बूती मिलेगी।
  - भारत **विनियामक और प्रौद्योगिकीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अंगीकरण कर** फिनटेक **की सिलिकॉन वैली के रूप में** उभर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की फिनटेक क्रांति ने **डिजिटल भुगतान, AI-संचालित ऋण और ब्लॉकचेन नवाचारों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को पुन: परिभाषित किया है।** डेटा सुरक्षा को दृढ़ करना, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और वैश्विक फिनटेक साझेदारी को बढ़ाना इस क्षेत्र में नेतृत्व के लिये महत्त्वपूर्ण होगा। एक संतुलित दृष्टिकोण- **उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना,** भारत को एक वैश्विक फिनटेक पावरहाउस के रूप में स्थापित कर सकता है।

■■■

लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका की पुनर्कल्पना

यह एडिटोरियल 13/01/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Wilful violation: On the Tamil Nadu Governor's conduct" पर आधारित है। इस लेख में तमिलनाडु के राज्यपाल की सर्वोच्च न्यायालय की जाँच पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें राज्य के विधेयकों को मंजूरी न देने में राज्यपाल के अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई है। यह संकट भारत के संघीय कार्यढाँचे में राज्यपाल की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, संवैधानिक निकाय, राज्यपाल की भूमिका, सहकारी संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, द्वितीय एआरसी

तमिलनाडु के राज्यपाल की हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जाँच** से **राज्यपालों के कार्यालयों द्वारा संवैधानिक अतिक्रमण** के बढ़ते पैटर्न पर प्रकाश पड़ता है। यह मामला **राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी न देने** और उन्हें **राष्ट्रपति के पास भेजने पर आधारित** है, जबकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किये जाने के बाद ही विधेयक को मंजूरी दी जानी चाहिये। राज्य विधानमंडल में लंबे समय तक **विलंब और कथित अवरोध** ने **राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग** के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। जबकि अटॉर्नी-जनरल केंद्रीय कानूनों के साथ टकराव का हवाला देते हैं, मुख्य मुद्दा **राज्य शासन में राज्यपाल की भागीदारी** है। यह संकट **भारत के संघीय कार्यढाँचे में राज्यपालों की भूमिका** और **अधिकार का पुनर्मूल्यांकन** करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में राज्यपाल के प्रमुख संवैधानिक कार्य क्या हैं?

- **राज्य का कार्यकारी प्रमुख:** राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो नाममात्र प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, जबकि वह **केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी** कार्य करता है।
  - **अनुच्छेद 154** के अनुसार, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राज्यपाल के नाम से की जाती हैं और **अनुच्छेद 166 के तहत,** कार्य संचालन के नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, राज्यपाल **मुख्यमंत्री** और उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।
- **विधायी भूमिका और विधेयकों पर स्वीकृति:** राज्य विधानमंडल और संघ के बीच संवैधानिक कड़ी के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल **राज्य के विधानमंडल का सत्र आमंत्रित, सत्रावसान और उसका विघटन** करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- किसी विधेयक को **कानून बनने के लिये राज्यपाल की स्वीकृति** प्राप्त होनी चाहिये, जैसा कि संघ स्तर पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है अथवा इसे अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है।
- राज्य के वित्तीय शासन में राज्यपाल की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है, क्योंकि **अनुच्छेद 207 के तहत उनकी सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं** किया जा सकता है।
  - वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि **राज्य का वित्त संवैधानिक और राजकोषीय जिम्मेदारियों के अनुरूप** हो।

- **त्रिशंकु विधानसभाओं में विवेकाधीन शक्तियाँ और भूमिका:** राज्यपाल कुछ स्थितियों में विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे **अनुच्छेद 356 के तहत** राष्ट्रपति शासन **की सिफारिश** करना या त्रिशंकु विधानसभा के मामले में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करना।
  - वे **उन मामलों पर भी निर्णय** लेते हैं जहाँ **संविधान उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होकर विवेकाधिकार** प्रदान करता है।
- **नियुक्तियों और प्रशासन में भूमिका:** राज्यपाल **अनुच्छेद 165 और 316** के तहत महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों सहित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
  - वे **राज्य विश्वविद्यालयों के** कुलपतियों **की नियुक्ति** करते हैं, जो हाल के वर्षों में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।
  - यह कार्य राज्य के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करता है, लेकिन इसे राज्य सरकार के परामर्श से किया जाना चाहिये।
- **राष्ट्रपति शासन लागू करने में भूमिका: अनुच्छेद 356** के तहत, यदि राज्यपाल का मानना है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।
  - यह **प्रावधान** आपातकालीन **उपाय के रूप में** है, लेकिन इसका प्राय: राजनीतिक लाभ के लिये दुरुपयोग किया जाता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ऐसी सिफारिशें न्यायोचित होनी चाहिये, मनमानी नहीं।
- **न्यायिक शक्तियाँ:** भारतीय राज्य के राज्यपाल को संविधान के **अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त** हैं, जिसके तहत उन्हें **राज्य के कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिये क्षमा, विलंब, राहत या सजा में छूट** देने की अनुमति है।
  - हालाँकि, क्षमादान के मामलों में राष्ट्रपति के अधिकार की तुलना में यह शक्ति सीमित है, क्योंकि **राज्यपाल मृत्युदंड या कोर्ट-मार्शल मामलों में क्षमादान नहीं** कर सकते हैं।
    - यह प्रावधान न्याय में मानवीय विचारों को शामिल करते हुए जाँच और संतुलन की प्रणाली सुनिश्चित करता है।
- **अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय कल्याण के लिये विशेष जिम्मेदारियाँ: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम** राज्यों में राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्रों पर विशेष शक्तियाँ हैं।
  - इन राज्यों को संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त ज़िलों **के रूप में प्रशासित** किया जाता है।
  - वे **स्वदेशी अधिकारों की रक्षा** और **कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा** देने के लिये जनजातीय प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब:** राज्यपालों ने **राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब** की है, जिससे विधायी प्रक्रिया एवं संघीय सिद्धांतों को नुकसान पहुँच रहा है।
  - यद्यपि **अनुच्छेद 200** राज्यपालों को विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की अनुमति देता है, अत्यधिक विलंब से विधायी निष्क्रियता उत्पन्न होती है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अनुच्छेद 200 में उल्लिखित **"जितनी जल्दी हो सके"** वाक्यांश का **अक्षरश: पालन** किया जाना चाहिये, फिर भी कई राज्यों में **दो वर्षों से अधिक का विलंब** देखा गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ***उदाहरण*: पंजाब (वर्ष 2023) में राज्यपाल** ने कई विधेयकों पर दो वर्ष तक मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।
  - इसी प्रकार, **तमिलनाडु में राज्यपाल ने 12 विधेयकों में विलंब** किया, जिसके कारण न्यायिक हस्तक्षेप करना पड़ा।
- **पक्षपातपूर्ण आचरण और केंद्रीय प्रभाव:** केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल, तटस्थ मध्यस्थ होने के बजाय, प्राय: संघ में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करते हैं।
  - इससे राजनीतिक पूर्वाग्रह और विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिये **विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग** के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - ***उदाहरण*: अरुणाचल प्रदेश (वर्ष 2016)** में राज्यपाल के कार्यों के कारण निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बहाल कर दिया था।
- **सरकार गठन में विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग:** राज्यपाल प्राय: त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करते समय **मनमाने ढंग से विवेकाधिकार का प्रयोग** करते हैं।
  - **स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव** के कारण **असंगत निर्णय** लिये जाते हैं, जो कभी-कभी **विशेष दलों के पक्ष में** जाते हैं, जिससे **लोकतांत्रिक जनादेश विकृत** हो जाता है।
  - ***उदाहरण*: कर्नाटक (वर्ष 2018)** में राज्यपाल ने एक राजनीतिक दल को बहुमत साबित करने के लिये **15 दिन का समय** दिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने **घटाकर 24 घंटे** कर दिया था।
    - **महाराष्ट्र (वर्ष 2019)** में राज्यपाल कोश्यारी द्वारा बहुमत साबित किये बिना **मुख्यमंत्री उम्मीदवार को शपथ दिलाने के निर्णय के कारण 80 घंटे की सरकार बनी।**
- **विश्वविद्यालय नियुक्तियों पर संघर्ष:** राज्यपाल, **राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में,** प्राय: निर्वाचित सरकारों को दरकिनार करते हुए नियुक्तियों में हस्तक्षेप करते हैं।
  - इससे **कुलपति के चयन को लेकर राज्य सरकारों एवं राज्यपालों के बीच गतिरोध** उत्पन्न हो गया है और प्राय: न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ता है।
  - बढ़ते विवाद ने यह प्रश्न उठा दिया है कि **क्या राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद पर बने रहना चाहिये।**
  - ***उदाहरण*: पश्चिम बंगाल (वर्ष 2023)** में राज्यपाल ने एकतरफा कुलपतियों की नियुक्ति की, जिससे राज्य सरकार के साथ कानूनी लड़ाई हुई।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव:** मुख्यमंत्री के विपरीत, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है और उसे **केंद्र सरकार के विवेक पर (अनुच्छेद 156) हटाया जा सकता है।**
  - इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ राज्यपालों को अपने कार्यों के लिये **किसी प्रत्यक्ष परिणाम का सामना किये बिना ही कार्य करना** पड़ता है।
    - **महाभियोग प्रावधानों का अभाव** उन्हें जाँच से बचाता है, जिससे महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ होने के बावजूद वे जवाबदेह नहीं रह जाते।
- **प्रशासनिक मामलों में अतिक्रमण: राज्यपालों ने निर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को** दरकिनार करते हुए दिन-प्रतिदिन के शासन में हस्तक्षेप (अनुच्छेद 163) करना शुरू कर दिया है।
  - इस अतिक्रमण के कारण प्राय: शासन में निष्क्रियता आ जाती है, जहाँ **राज्यपाल फाइलों को मंजूरी देने से इनकार** कर देते हैं, **कैबिनेट के निर्णयों में विलंब** करते हैं, या **राज्य की नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना** करते हैं।
  - ***उदाहरण*: दिल्ली (वर्ष 2023) में प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर उपराज्यपाल** और **राज्य सरकार के बीच लगातार टकराव** के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **दिल्ली की चुनी हुई सरकार का सेवाओं पर नियंत्रण** है, **LG का नहीं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **राष्ट्रपति शासन का मनमाना प्रयोग:** राज्यपाल ऐतिहासिक रूप से **अनुच्छेद 356** (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने में सहायक रहे हैं, प्राय: संदिग्ध आधारों पर, जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता है।
  - यद्यपि **एस.आर. बोम्मई निर्णय** (**वर्ष 1994**) ने इस तरह के दुरुपयोग को सीमित कर दिया था, लेकिन हाल के उदाहरणों से पता चलता है कि **राज्यपाल राजनीतिक रूप से प्रेरित बर्खास्तगी में भूमिका** निभा रहे हैं।
  - *उदाहरण*: **उत्तराखंड** (**वर्ष 2016**) **में** राज्यपाल ने **फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश** की थी।

भारत में राज्यपाल के पद को पुनः परिभाषित करने और बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **विधेयकों पर राज्यपालों के निर्णय के लिये समय-सीमा निर्धारित करना:** विधायी निष्क्रियता को रोकने और संघीय सिद्धांतों को कायम रखने के लिये राज्यपालों को एक **निश्चित समय-सीमा** के भीतर विधेयकों पर कार्य करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये।
  - **पंजाब मामले** (**वर्ष 2023**) **में सर्वोच्च न्यायालय** ने फैसला दिया कि राज्यपाल स्वीकृति में अनिश्चित काल तक विलंब नहीं कर सकते, जिससे स्पष्ट समयसीमा की आवश्यकता पर बल मिलता है।
  - **पुंछी आयोग** (**2010**) ने आरक्षित विधेयकों पर राज्यपाल के निर्णय के लिये **छह महीने की सीमा** की सिफारिश की थी।
- **सरकार गठन में विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना:** पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रह को रोकने के लिये चुनावों के बाद राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने में राज्यपालों के विवेकाधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये।
  - **एस.आर. बोम्मई निर्णय** (**वर्ष 1994**) ने सरकारों को बर्खास्त करने में राज्यपाल की भूमिका को सीमित कर दिया था, और **चुनाव के बाद के परिदृश्यों के लिये भी इसी तरह के दिशानिर्देशों** की आवश्यकता है।
  - **पुंछी आयोग** ने एक संरचित क्रम का पालन करने का सुझाव दिया: **चुनाव पूर्व गठबंधन > सबसे बड़ी पार्टी > चुनाव के बाद गठबंधन,** जिससे हेरफेर को रोका जा सके।
- **विश्वविद्यालय नियुक्तियों में तटस्थता सुनिश्चित करना: राज्यपाल की स्थिति का कुलाधिपति के रूप में पुनर्मूल्यांकन** किया जा सकता है।
  - **सरकारिया आयोग** (**वर्ष 1988**) ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों को उनकी **संवैधानिक भूमिका से असंबद्ध वैधानिक शक्तियाँ नहीं दी जानी चाहिये** तथा विश्वविद्यालयों के प्रशासन में राज्यों की अधिक भागीदारी होनी चाहिये।
  - हाल ही में **पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल** ने कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को कम करने वाले विधेयक पारित किये हैं।
    - नियुक्तियों के लिये **राज्य-स्तरीय स्वतंत्र आयोगों** की स्थापना से इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण हो जाएगा।
- **नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में संशोधन:** नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने के बजाय स्वतंत्र रूप से कार्य करें।
  - **सरकारिया आयोग** ने सिफारिश की थी कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से बचने के लिये राज्यपालों की नियुक्ति **मुख्यमंत्री से परामर्श** के बाद की जानी चाहिये।
  - इसी प्रकार, **पुंछी आयोग** ने सलाह दी कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये राज्यपालों को हाल ही में **किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं** होना चाहिये।
- **न्यायिक समीक्षा के माध्यम से राज्यपालों को जवाबदेह बनाना:** हालाँकि **अनुच्छेद 361** राज्यपालों को उन्मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन असंवैधानिक आचरण को रोकने के लिये उनके कार्यों की न्यायिक जाँच होनी चाहिये।
  - **रामेश्वर प्रसाद मामले** (**वर्ष 2006**) में फैसला सुनाया गया कि यदि राज्यपाल के निर्णय **दुर्भावनापूर्ण या असंवैधानिक** पाए जाते हैं तो उनकी **समीक्षा** की जा सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **संसदीय जवाबदेही तंत्र** (जैसे कि राज्य सभा को राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट) को शामिल करने के लिये **संवैधानिक संशोधन से पारदर्शिता** बढ़ेगी।

- **राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश (अनुच्छेद 356): अनुच्छेद 356** के दुरुपयोग के कारण बार-बार निर्वाचित सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया गया है, जिसके लिये कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
  - एस.आर. **बोम्मई मामले (वर्ष 1994)** में कहा गया कि **राष्ट्रपति शासन न्यायोचित** होना चाहिये और **न्यायिक समीक्षा के अधीन** होना चाहिये।
  - **पुंछी आयोग** ने **आपातकाल के दौरान केंद्र की शक्तियों पर अंकुश** लगाकर राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया, **राज्यव्यापी आपातकालीन शासन के बजाय संकटग्रस्त क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप** की सिफारिश की और इसकी **अवधि को तीन महीने तक सीमित करने की सिफारिश** की।
  - **सरकारिया आयोग ने सिफारिश** की थी कि जब राज्य की संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने या सुधारने में सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाएँ तो **राष्ट्रपति शासन को अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग** किया जाना चाहिये।

- **राज्यपालों के लिये महाभियोग प्रक्रिया का निर्माण:** वर्तमान में, **राज्यपालों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता** है, जिससे राज्य स्तर पर उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिये कोई तंत्र नहीं है।
  - **पुंछी आयोग** ने **राष्ट्रपति के समान महाभियोग प्रक्रिया** शुरू करने का सुझाव दिया, जहाँ राज्य विधानसभाएँ हटाने के लिये प्रस्ताव पारित कर सकती हैं।
  - इसके अलावा, ***बीपी सिंघल बनाम भारत संघ (वर्ष 2010)*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **'आनंद सिद्धांत'** को बरकरार रखा, लेकिन इस बात पर बल दिया कि राज्यपाल को हटाने के लिये वैध कारण होना चाहिये।
    - हालाँकि न्यायालय ने राष्ट्रपति के निर्णय को उचित माना है, लेकिन यदि इसे चुनौती दी जाती है तो केंद्र को इसके लिये कारण बताने होंगे।

निष्कर्ष:

राज्यपाल की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, लेकिन **स्वीकृति में विलंब, राजनीतिक पूर्वाग्रह** और **अतिक्रमण के कारण** यह **लगातार विवादास्पद** होती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मानदंडों के पालन पर ज़ोर दिया है। समयबद्ध निर्णय, सरकार गठन में विवेकाधिकार को सीमित करना और नियुक्तियों में तटस्थता सुनिश्चित करना जैसे सुधार महत्त्वपूर्ण हैं। न्यायिक समीक्षा और संसदीय निगरानी के माध्यम से जवाबदेही को सुदृढ़ करने से दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

■■■

भारत-फ्राँस संबंधों का सुदृढ़ीकरण

यह एडिटोरियल 14/02/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Shared understanding: On India-France ties" पर आधारित है। इस लेख में भारत-फ्राँस के बीच मज़बूत होती साझेदारी का का उल्लेख किया गया है जो रक्षा, परमाणु ऊर्जा और AI में प्रमुख समझौतों पर प्रकाश डालता है क्योंकि दोनों देश अमेरिका एवं चीन के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए सामरिक स्वायत्तता का अनुकरण कर रहे हैं।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर प्रभाव

भारत-फ्राँस के बीच बढ़ती साझेदारी, जो उनके लगातार उच्च-स्तरीय समन्वय द्वारा चिह्नित है, अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में स्वायत्त राह की तलाश करने वाली दो शक्तियों के बीच सामरिक संरेखण को दर्शाती है। पेरिस और मार्सिले में हाल की बैठकों के दौरान, **दोनों देशों ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और तकनीकी सहयोग**, विशेष रूप से AI में महत्त्वपूर्ण समझौतों को आगे बढ़ाया। जैसे-जैसे बदलती भू-आर्थिक नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को नया आयाम देर ही हैं, दोनों देश सामरिक रूप से स्वयं को स्वतंत्र शक्तियों के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जबकि **अमेरिका और चीन दोनों के साथ रचनात्मक जुड़ाव** बनाए रख रहे हैं।

भारत और फ्राँस के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **असैन्य परमाणु सहयोग:** भारत और फ्राँस ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने एवं जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये परमाणु ऊर्जा सहयोग को मज़बूत कर रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- अब ध्यान 9,900 मेगावाट जैतापुर परियोजना जैसे **बड़े परमाणु संयंत्रों से हटकर** स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) **पर केंद्रित** हो गया है, जो लागत-प्रभावशीलता और तीव्र स्थापना प्रदान करते हैं।
- **परमाणु प्रौद्योगिकी में फ्राँस** की विशेषज्ञता उसे **वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा** उत्पन्न करने की भारत की योजना में एक प्रमुख साझेदार बनाती है।
  - सत्र 2024-25 के बजट में घोषित **20,000 करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा मिशन** SMR में अनुसंधान का समर्थन करता है।

- **रक्षा एवं सामरिक साझेदारी:** संयुक्त सैन्य परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी अंतरण और समुद्री सहयोग के माध्यम से भारत-फ्राँस रक्षा संबंध मज़बूत हुए हैं।
  - फ्राँस एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्त्ता है, जो राफेल जेट, **स्कॉर्पीन पनडुब्बियों** और **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग** के माध्यम से **भारत के सैन्य आधुनिकीकरण का समर्थन** कर रहा है।
  - **फ्राँस और संयुक्त राज्य अमेरिका** भारत के **प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता** के रूप में उभर रहे हैं, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी भारत के आयुध आयात में 46% है।
  - इसके अलावा, **दिसंबर 2024 में पेरिस में FRIND-X (फ्राँस-भारत रक्षा स्टार्टअप उत्कृष्टता)** के शुभारंभ के लिये दोनों राष्ट्रों ने अपना समर्थन व्यक्त किया।
- **अंतरिक्ष और एयरोस्पेस सहयोग:** फ्राँस **भारत की अंतरिक्ष महत्त्वाकांक्षाओं**, विशेष रूप से उपग्रह प्रौद्योगिकी, प्रक्षेपण वाहनों और जलवायु निगरानी में एक दीर्घकालिक साझेदार रहा है।
  - **सहयोग में तृष्णा (उच्च-रिज़ॉल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिये थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट)** जैसे संयुक्त उपग्रह मिशन और अंतरिक्ष सुरक्षा पर संयुक्त अनुसंधान शामिल हैं।
  - भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप भी **AI-आधारित उपग्रह अनुप्रयोगों में फ्राँस** की विशेषज्ञता से लाभान्वित हो रहे हैं।
  - वर्ष 2021 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और फ्राँसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने **बैंगलोर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC) में एक नए अंतरिक्ष सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर** किये।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी नवाचार:** भारत और फ्राँस **नैतिक AI विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक** और **रणनीतिक विकास के लिये AI का लाभ** उठा रहे हैं।
  - हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री और फ्राँसीसी राष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) **पर भारत-फ्राँस रोडमैप का अनावरण** किया, जो **सुरक्षित, खुले, संरक्षित एवं भरोसेमंद AI** विकसित करने के लिये उनके साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।
    - उन्होंने **फ्राँसीसी स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्टेशन F** में भारतीय स्टार्टअप की भागीदारी का स्वागत किया और फ्राँस में भारत की वास्तविक काल भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) **के उपयोग के लिये विस्तारित अवसरों को स्वीकार** किया।
- **हिंद-प्रशांत सुरक्षा और समुद्री सहयोग:** फ्राँस, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने क्षेत्रों के साथ, भारत के **स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के दृष्टिकोण के साथ संरेखित** है।
  - दोनों देश **संयुक्त नौसैनिक अभ्यास (वरुण)** करते हैं तथा **तीसरे देशों में जलवायु अनुकूलन** और कनेक्टिविटी के लिये संयुक्त परियोजनाएँ विकसित कर रहे हैं।
  - **भारत-फ्राँस हिंद-प्रशांत त्रिकोणीय सहयोग** का उद्देश्य संधारणीय परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:** फ्राँस भारत के सबसे बड़े यूरोपीय निवेशकों में से एक है, जो **विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और वित्तीय सेवाओं पर ध्यान** केंद्रित करता है।
  - भारत-फ्राँस व्यापार बढ़ रहा है, विशेष रूप से **उच्च तकनीक क्षेत्रों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी** में।
  - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जिसके लिये फ्राँस ने मार्सिले को केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया है, संपर्क और व्यापार को बढ़ावा देगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भारत और फ्राँस के बीच व्यापार संबंधों में लगातार वृद्धि** देखी गई है, सत्र 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 13.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

- **नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियाँ:** दोनों देश **जलवायु कार्रवाई, अक्षय ऊर्जा** और **डीकार्बोनाइज़ेशन** पर मिलकर काम कर रहे हैं।
  - फ्राँस भारत की **सौर और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का समर्थन** करता है, विशेष रूप से **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** के तहत।
  - **ऊर्जा भंडारण समाधान** और **ग्रिड आधुनिकीकरण** पर संयुक्त अनुसंधान कुशल नवीकरणीय एकीकरण सुनिश्चित करता है।
  - **फ्राँस** तकनीकी विशेषज्ञता के साथ भारत के **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में भी सहायता** कर रहा है।
- **शिक्षा और सांस्कृतिक समन्वय:** फ्राँस भारतीय छात्रों के लिये एक शीर्ष यूरोपीय गंतव्य है, जहाँ **शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 7,344 भारतीय छात्र दाखिल** हुए।
  - **युवा पेशेवर योजना (YPS)** भारत-फ्राँस प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते (MMPA) का उद्देश्य गतिशीलता को बढ़ाना है, जबकि संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम **लोगों से लोगों के बीच संबंधों को** मज़बूत करते हैं।

भारत और फ्राँस के बीच टकराव के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **रक्षा खरीद और प्रौद्योगिकी अंतरण में विलंब:** फ्राँस के साथ भारत के रक्षा सौदों को प्राय: प्रशासनिक विलंब, लागत वृद्धि और नीतिगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - **राफेल जेट, स्कॉर्पीन पनडुब्बी** और **जेट इंजन सहयोग** जैसी परियोजनाएँ **अनुबंध वार्ता, नीतिगत परिवर्तन एवं स्थानीयकरण की मांग** के कारण धीमी हो गई हैं।
    - **प्रोजेक्ट 75(I)** के तहत स्कॉर्पीन **पनडुब्बी परियोजना को वर्ष 2017 से विलंब का सामना** करना पड़ रहा है।
- **असैन्य परमाणु ऊर्जा बाधाएँ:** मज़बूत परमाणु सहयोग के बावजूद, **जैतापुर परमाणु संयंत्र (9,900 मेगावाट)** जैसी **परियोजनाओं को उच्च लागत, स्थानीय विरोध और कानूनी अस्पष्टताओं से संबंधित बाधाओं का सामना** करना पड़ रहा है।
  - **परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्त्व अधिनियम, 2010**, आपूर्तिकर्त्ताओं पर वित्तीय दायित्व डालता है जिससे फ्राँसीसी परमाणु कंपनियाँ गहन सहयोग करने से हतोत्साहित होती हैं।
  - वर्ष 2023 में, फ्राँस ने कहा कि जैतापुर परियोजना के लिये **परमाणु दायित्व का मुद्दा अभी भी अनसुलझा** है।
- **व्यापार असंतुलन और बाज़ार अभिगम संबंधी मुद्दे:** यद्यपि भारत और फ्राँस के बीच व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन **उच्च टैरिफ, नियामक बाधाएँ और स्थानीयकरण आवश्यकताएँ जैसी बाधाएँ** टकराव उत्पन्न करती हैं।
  - फ्राँस अपने **फार्मास्यूटिकल, लक्ज़री गुड्स और रक्षा उद्योगों** के लिये अधिक अभिगम चाहता है, जबकि भारत फ्राँसीसी बाज़ार में **IT, कृषि और जेनेरिक दवाओं** के लिये सुगम प्रवेश की मांग करता है।
    - **भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर धीमी प्रगति व्यापार गतिशीलता को और अधिक जटिल बनाती है।
- **वैश्विक AI और डेटा विनियमन पर असहमति:** यद्यपि भारत और फ्राँस **AI विकास पर सहयोग** करते हैं, फिर भी **डेटा गोपनीयता और डिजिटल विनियमन पर मतभेद** बने हुए हैं।
  - फ्राँस **यूरोपीय संघ के सख्त सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) मॉडल का समर्थन** करता है, जबकि भारत अपने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत **एक समुत्थानशील, नवाचार-अनुकूल दृष्टिकोण को प्राथमिकता** देता है।
  - **ओपन-सोर्स AI, साइबर सुरक्षा मानदंडों और डिजिटल इंटिग्रिटी** पर असहमति गहन AI सहयोग को सीमित कर सकती है।
- **हिंद-प्रशांत और सामरिक स्वायत्तता में मतभेद:** यद्यपि दोनों देश **एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन** करते हैं, फिर भी **सैन्य संतुलन और सामरिक स्वतंत्रता** में उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- NATO सदस्य **फ्राँस प्राय: पश्चिमी नीतियों के समर्थन में** रहता है, जबकि **भारत बहुध्रुवीय, गुटनिरपेक्ष रणनीति का अनुसरण** करता है।
  - रूस के साथ भारत के बढ़ते संबंध **(ऊर्जा और रक्षा के लिये)** कभी-कभी फ्राँस के साथ तनाव उत्पन्न करते हैं, जिसने रूस के यूक्रेन आक्रमण का कड़ा विरोध किया है।
- भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद **रूस पर NATO के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार** कर दिया था, जबकि **फ्राँस यूक्रेन का प्रमुख सैन्य समर्थक** रहा है।

- **आव्रजन और आवागमन प्रतिबंध:** बढ़ते शैक्षिक और व्यावसायिक संबंधों के बावजूद, **वीज़ा प्रतिबंध, वर्क परमिट लिमिट्स और भारतीय योग्यताओं की मान्यता** फ्राँस में **भारतीय छात्रों एवं पेशेवरों के लिये चुनौतियाँ** बनी हुई हैं।
  - भारत अपने कुशल कार्यबल के लिये **आसान निवास और कार्य के अवसर** चाहता है, लेकिन **फ्राँस यूरोपीय संघ-व्यापी आव्रजन नीतियों को प्राथमिकता देता है,** जिससे लचीलापन सीमित हो जाता है।
  - **युवा पेशेवर योजना (YPS)** को आवागमन को आसान बनाने के लिये शुरू किया गया है, लेकिन फ्राँस **शेंगेन वीज़ा नीतियों को सख्त बनाने पर विचार** कर रहा है।

फ्राँस के साथ संबंधों को और मज़बूत करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **तीव्र रक्षा सह-विकास और प्रौद्योगिकी साझाकरण:** भारत को **क्रेता-विक्रेता संबंध से हटकर** उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के **संयुक्त विकास और उत्पादन** की ओर बढ़ना चाहिये।
  - फ्राँस के साथ **भारत के रक्षा औद्योगिक रोडमैप** के तहत **जेट इंजन, नौसैनिक प्रणोदन और मिसाइल प्रणालियों** के लिये समर्पित अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने से स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **नौसेना के लिये** प्रोजेक्ट 75 (I) सबमरीन्स और राफेल-M पर वार्ता में तेज़ी लाने से समुद्री सुरक्षा सहयोग मज़बूत होगा।
  - परमाणु सहयोग में तेज़ी लाने के लिये, भारत को **परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को संशोधित करना** चाहिये, ताकि विदेशी निवेश को बाधित किये बिना संतुलित आपूर्तिकर्त्ता दायित्व सुनिश्चित हो सके।
    - **जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र** के लिये **त्वरित मंजूरी** और **बिजली खरीद समझौतों (PPA) पर स्पष्टता** से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
- **AI और डिजिटल इंटिग्रिटी सहयोग को मज़बूत करना:** भारत को अपने AI नियमों को **फ्राँस के AI नैतिकता कार्यढाँचे के साथ संतुलित** करना चाहिये, जिससे **डेटा इंटिग्रिटी, साइबर रेज़िलिएंस और सुरक्षित AI गवर्नेंस** सुनिश्चित हो सके।
  - **विश्वसनीय AI, साइबर सुरक्षा एवं सेमीकंडक्टर** में भारतीय और फ्राँसीसी स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिये **द्विपक्षीय AI इनोवेशन फंड** बनाने से सहयोग में तेज़ी आएगी।
  - **संयुक्त AI अनुसंधान प्रयोगशालाओं** और **प्रतिभा विनिमय कार्यक्रमों** को शामिल करने के लिये **भारत-फ्राँस AI रोडमैप का विस्तार** करने से **एथिकल AI विकास** में नेतृत्व को बढ़ावा मिल सकता है।
- **भारत-प्रशांत समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार:** भारत और फ्राँस को **वरुण जैसे संयुक्त अभ्यास** से हटकर हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में गश्त के लिये **स्थायी सागरीय कार्य बलों की स्थापना** करनी चाहिये।
  - **खुफिया जानकारी साझा** करने, **अंतर-संचालन और नौसैनिक रसद समझौतों को बढ़ाने** से क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रबल होगी।
  - **भारतीय भागीदारी** के साथ **रीयूनियन द्वीप समूह में समुद्री नवाचार और सुरक्षा केंद्र की स्थापना** से भारत-प्रशांत रणनीतिक जुड़ाव प्रगाढ़ होगा।
- **हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में तेज़ी लाना:** भारत को **इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण, हाइड्रोजन ईंधन सेल** और **ऊर्जा भंडारण प्रणालियों** के लिये फ्राँस के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण समझौतों को सुविधाजनक बनाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारत के 19,700 करोड़ रुपए के **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत फ्राँस के निवेश का दायरा बढ़ाने से** औद्योगिक पैमाने पर तैनाती बढ़ेगी।
- **द्विपक्षीय हरित ऊर्जा कोष की स्थापना** से **अपतटीय पवन, सौर पी.वी.** और **कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों** के निवेश में तेज़ी आ सकती है।

- **बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी सहयोग को गहन करना: भारत को मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट पोर्ट विकास और डिजिटल व्यापार सुविधा** में फ्राँस को शामिल करके **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) का तेज़ी से कार्यान्वयन** सुनिश्चित करना चाहिये।
  - **हाई-स्पीड रेल, मेट्रो और संधारणीय शहरी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं** में फ्राँसीसी भागीदारी को प्रोत्साहित करने से दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
  - **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत फ्राँसीसी फर्मों** के लिये वित्तीय प्रोत्साहन को मज़बूत करने से अधिक **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** आकर्षित होगा।
- **सामरिक स्वायत्तता के लिये अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाना:** भारत और फ्राँस को सामरिक समुत्थानशक्ति के लिये **दोहरे उपयोग वाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, उपग्रह आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों एवं सुरक्षित संचार नेटवर्क का सह-विकास** करना चाहिये।
  - **अंतरिक्ष सहयोग रोडमैप- 2047** के तहत सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - **अंतरिक्ष शस्त्रीकरण** और **उपग्रह नेटवर्कों के लिये साइबर खतरों का मुकाबला** करने के लिये **द्विपक्षीय अंतरिक्ष सुरक्षा मंच** की स्थापना से दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित हो सकता है।
  - **अर्थ ऑब्ज़र्वेशन, अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) और चंद्र अन्वेषण** में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करने से भारत-फ्राँस अंतरिक्ष सहयोग भी बढ़ेगा।

- **व्यापार और निवेश सुविधा को मज़बूत करना:** भारत को फ्राँस के साथ व्यापार विषमताओं को संतुलित करने के लिये **फार्मास्यूटिकल्स, कृषि व्यवसाय और उच्च-स्तरीय विनिर्माण** में **क्षेत्र-विशिष्ट बाज़ार अभिगम समझौतों पर बल** देना चाहिये।
  - **फ्राँस स्थित उद्यम पूंजी फर्मों को भारत के डीप-टेक, सेमीकंडक्टर और AI स्टार्टअप्स** में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करने से आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।
    - **बेंगलुरु, पुणे एवं पेरिस** में **AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर निर्माण** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **संयुक्त नवाचार क्लस्टर** बनाने से तकनीकी तालमेल को बढ़ावा मिलेगा।
- **शैक्षिक और गतिशीलता समझौतों का विस्तार:** भारत को फ्राँस के शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ **दोहरे डिग्री कार्यक्रमों का विस्तार** करना चाहिये, जिससे भारतीय छात्रों के लिये **क्रेडिट अंतरण और सरलीकृत वीज़ा प्रक्रिया** सुनिश्चित हो सके।
  - **AI, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान अनुदान** के लिये वित्त पोषण बढ़ाने से शैक्षणिक संबंध बढ़ेंगे।
  - **युवा पेशेवर योजना (YPS) को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा और नीति क्षेत्रों** के मध्य-कॅरियर पेशेवरों तक विस्तारित करने से लोगों के बीच आपसी जुड़ाव गहरा हो सकता है।

भारत-यूरोप संबंधों को बढ़ाने में फ्राँस क्या भूमिका निभा सकता है?

- **भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता को जोड़ना:** फ्राँस, एक प्रमुख यूरोपीय संघ सदस्य के रूप में, भारत और यूरोपीय संघ के बीच **विनियामक और व्यापार मानक संरेखण में मध्यस्थता** कर सकता है।
  - **टैरिफ में कमी, बाज़ार अभिगम को आसान बनाने,** तथा **डिजिटल और पर्यावरण नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने का समर्थन करके,** फ्राँस FTA को अंतिम रूप देने में तेज़ी ला सकता है, जिससे अरबों डॉलर की व्यापार संभावनाएँ खुल सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **IMEC के माध्यम से भारत-यूरोप संपर्क को मज़बूत करना:** फ्राँस का रणनीतिक बंदरगाह **मार्सिले** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (**IMEC**) **में एक प्रमुख केंद्र के रूप में** काम कर सकता है।
  - **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स, डिजिटल व्यापार सुविधा और आपूर्ति शृंखला विविधीकरण में निवेश** करके, फ्राँस स्वयं को भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच एक महत्त्वपूर्ण पारगमन बिंदु के रूप में स्थापित कर सकता है।
- **यूरोपीय रक्षा नेटवर्क के साथ भारत की गहन सहभागिता को सुगम बनाना:** फ्राँस **यूरोपीय रक्षा सहयोग में भारत के प्रवेश बिंदु के रूप में** कार्य कर सकता है, विशेष रूप से **OCCAR (संयुक्त आयुध सहयोग संगठन)** के साथ।
  - हाल ही में, **भारत सरकार आधिकारिक तौर पर OCCAR द्वारा प्रबंधित MALE RPAS (यूरोड्रोन) कार्यक्रम** में नवीनतम पर्यवेक्षक राज्य बन गई है।
- **यूरोप में जलवायु और ऊर्जा साझेदारी को मज़बूत करना:** फ्राँस यूरोप में भारत की **नवीकरणीय ऊर्जा पहलों का समर्थन** कर सकता है तथा **भारत की सौर, पवन और हाइड्रोजन परियोजनाओं** के लिये यूरोपीय संघ आधारित अधिक वित्तपोषण को प्रोत्साहित कर सकता है।
  - **प्रौद्योगिकी अंतरण और हरित वित्त का समर्थन** करके, फ्राँस भारत को यूरोपीय संघ का ग्रीन डील फ्रेमवर्क में एक पसंदीदा भागीदार के रूप में स्थापित कर सकता है।
- **भारत-यूरोप डिजिटल और AI सहयोग का विस्तार:** फ्राँस **भारत की डेटा गवर्नेंस और AI नीतियों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप बनाने में मदद** कर सकता है, जिससे सुचारू तकनीकी सहयोग सुनिश्चित हो सके।
  - **भारत के AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र** को यूरोपीय AI केंद्रों के साथ एकीकृत करके, **साइबर सुरक्षा प्रयासों में समन्वय करके** और **भारत-यूरोपीय संघ क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान को बढ़ावा देकर,** फ्राँस एक संरचित डिजिटल साझेदारी को आगे बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत-फ्राँस साझेदारी एक व्यापक **रणनीतिक गठबंधन के रूप में विकसित** हो रही है, जो **रक्षा, परमाणु ऊर्जा, AI और अंतरिक्ष में सहयोग पर आधारित** है। **चूँकि दोनों देश अनिश्चित वैश्विक व्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिये वे बहुध्रुवीयता और तकनीकी संप्रभुता** के लिये अपने साझा दृष्टिकोण का लाभ उठा रहे हैं। इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, हरित ऊर्जा निवेश तथा AI गवर्नेंस को सुदृढ़ करना इस साझेदारी को और मज़बूत कर सकता है।

■■■

भारत में वनाग्नि का बढ़ता खतरा

यह एडिटोरियल 12/02/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Addressing the growing threat of forest fires" पर आधारित है। यह लेख दो दशकों के दौरान वनाग्नि की घटना में दस गुना वृद्धि को दर्शाता है, जिससे सालाना 1.74 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है तथा कार्यान्वयन अंतराल और जलवायु परिवर्तन के कारण संरक्षण प्रयास बाधित होते हैं।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर -,सामान्य अध्ययन पेपर-3,संरक्षण, विकास से संबंधित मुद्दे,सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का प्रबंधन,वन संसाधन

वनाग्नि एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती के रूप में उभरी है, भारत में पिछले दो दशकों में **वन क्षेत्र में मात्र 1.12% की वृद्धि के बावजूद वनाग्नि की घटनाओं में दस गुना वृद्धि** देखी गई है। **भारत के 36%** से अधिक वन क्षेत्रों में आगजनी की संभावना है, जिससे होने वाली तबाही **पर्यावरणीय क्षति से** बढ़कर बहुत **बड़े आर्थिक नुकसान** तक पहुँच जाती है, जिसका अनुमान **सालाना ₹1.74 लाख करोड़** है। प्रगतिशील नीतियों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, वन प्रबंधन में कार्यान्वयन की कमियाँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ मिलकर भारत के वन संरक्षण प्रयासों को कमज़ोर कर रही हैं।

भारत में वनाग्नि की घटना प्रायः क्यों होती है?

- **जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान:** भारत में बढ़ते तापमान, **लंबे समय तक सूखे की स्थिति** और अनियमित मानसून पैटर्न **के कारण वनाग्नि की संभावना** बढ़ गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

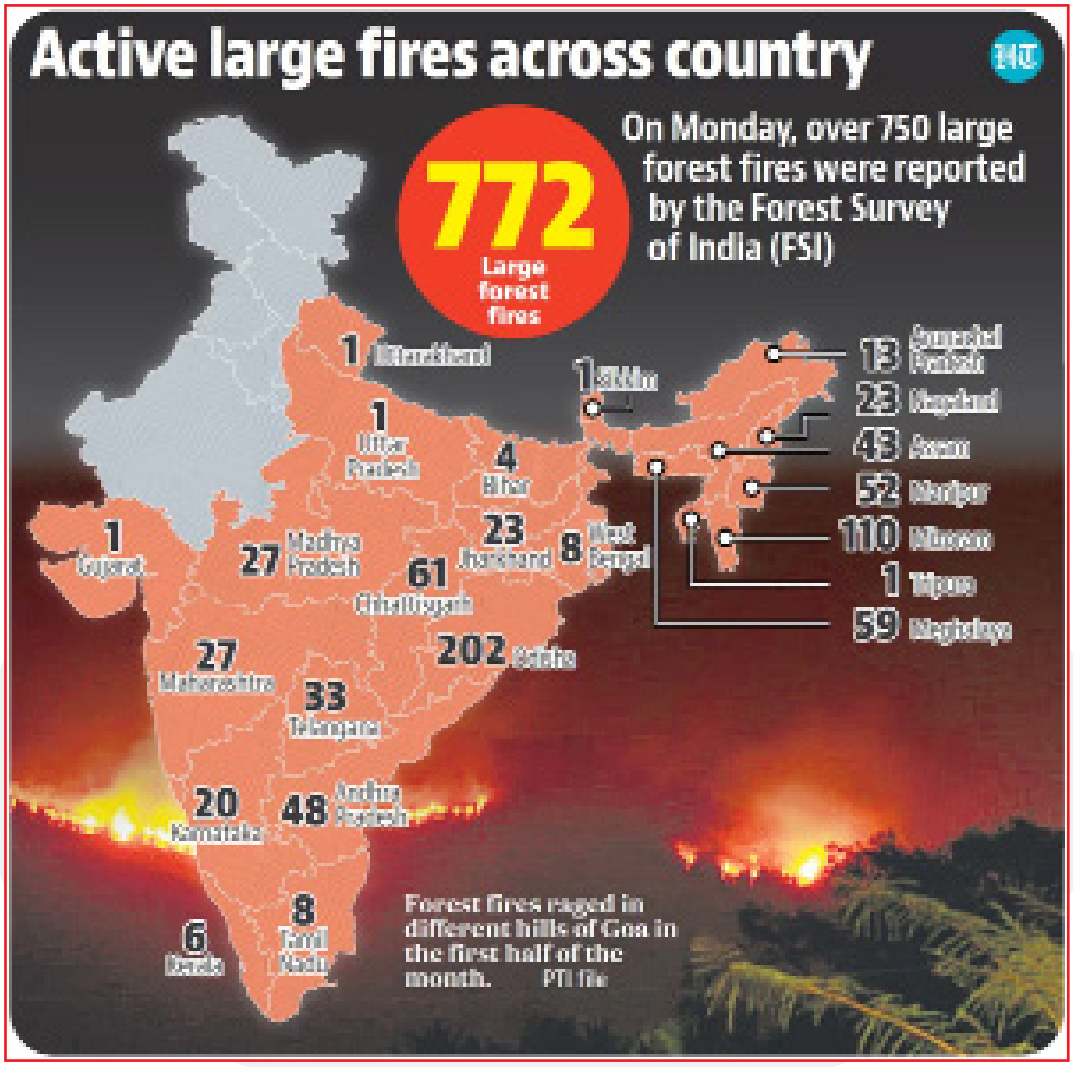

- तापमान वृद्धि के कारण वन सूख रहे हैं, वनस्पति में नमी का स्तर कम हो रहा है, जिससे वे दहन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य होते जा रहे हैं।
- **मार्च-अप्रैल में** बेमौसम **हीट वेव्स** ने, विशेषकर **हिमालयी राज्यों में,** वनाग्नि से संबद्ध खतरे को बढ़ा दिया है।
- **भारत ने वर्ष 2023 में अपना सबसे गर्म फरवरी दर्ज किया (IMD),** जिससे मानसून पूर्व मृदा की नमी प्रभावित हुई।
  - परिणामस्वरूप,**भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023** से पता चला कि **अकेले उत्तराखंड में** नवंबर 2022 और जून 2023 के दौरान **5,351 वनाग्नि की घटनाएँ** हुईं।
- इसके अलावा,जलवायु परिवर्तन के कारण एल-नीनो की घटनाएँ आम होती जा रही हैं। **एल-नीनो वर्ष में औसत से कम वर्षा** होती है, शुष्क अवधि में वृद्धि होती है तथा आग लगने का जोखिम बढ़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- अनियमित मानसून के कारण वन लंबे समय तक शुष्क रह जाते हैं, जिससे वनाग्नि के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
- एल-नीनो (2023-2024) को **इतिहास में दर्ज पाँच सबसे प्रबल एल-नीनो दक्षिणी दोलन घटनाओं में से एक** माना गया है।
- वर्ष 2024 में, IMD ने **पूर्व और पूर्वोत्तर में 30%** तथा **दक्षिण में 68% की कमी** के साथ **मानसून पूर्व वर्षा की कमी की रिपोर्ट** दी है।

- **मानव-जनित कारण और अतिक्रमण:** कृषि सीमाओं का विस्तार और अवैध भूमि के निर्वनीकरण के कारण प्राय: आग लगती है।
  - पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित कर्तन एवं दहन तकनीक से, विशेष रूप से **शुष्क मौसम के दौरान, वनाग्नि की घटनाएँ** बढ़ जाती हैं।
  - सड़क और रेलवे जैसी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ भी **आकस्मिक वनाग्नि की घटनाओं** को बढ़ाती हैं।
    - WWF इंटरनेशनल ने अपनी वर्ष 2020 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि लगभग **75% वनाग्नि की घटनाओं के लिये मनुष्य जिम्मेदार** हैं।
  - वन क्षेत्रों में पर्यटन के लिये लोगों की बढ़ती संख्या, **विशेष रूप से हिमालय और पश्चिमी घाटों में,** आकस्मिक वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि का कारण बनी है।
    - **वैष्णो देवी** जैसे तीर्थयात्रा मार्गों पर अनुचित अपशिष्ट निपटान के कारण खुलेआम आग लगने की घटनाएँ होती हैं, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
- **अपर्याप्त प्रारंभिक चेतावनी और अग्नि प्रबंधन प्रणालियाँ:** अपर्याप्त अग्नि निगरानी, पुरानी मोचन प्रणाली, तथा अग्नि निवारण कानूनों का कमज़ोर प्रवर्तन संकट को और भी बढ़ा देता है।
  - अधिकांश राज्य वन विभागों में **वास्तविक कला निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों का अभाव** है।
  - वर्ष 2019 तक, देश में **8,559 की आवश्यकता के मुकाबले सिर्फ 3,377 अग्निशमन केंद्र** थे तथा तब से **इसमें बहुत कम प्रगति हुई** है।
    - यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि **भारत के 60% से अधिक राज्य** वनाग्नि की घटनाओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं।
- **जैव-विविधता हॉटस्पॉट और ज्वलनशील वनस्पति: भारत की वृहत जैव-विविधता, विशेष रूप से शुष्क पर्णपाती एवं देवदार के वनों** में, वनाग्नि की संभावना अत्यधिक है।
  - **उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के** देवदार वनों **के वृक्ष राल युक्त शुष्क सुइयाँ** (देवदार वृक्षों की नुकीली पत्तियाँ) गिराते हैं, जो प्राकृतिक ईंधन का काम करती हैं।
    - उदाहरण के लिये, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य हिमालय एवं निचले क्षेत्रों में वनाग्नि का सीधा संबंध **चीड़ के वनों से** हो सकता है।
  - **मध्य भारत में घास के मैदान और बाँस के उद्यान** भी सूखे के दौरान आसानी से आगजनी की चपेट में आ जाते हैं।
- **अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता:** कई ग्रामीण समुदाय आजीविका के लिये वनों पर निर्भर हैं, लेकिन उनमें **वनाग्नि/आगजनी के खतरों तथा इसके शमन के बारे में जागरूकता का अभाव** है।
  - पारंपरिक अग्नि नियंत्रण पद्धतियों में गिरावट आई है, तथा अग्नि निवारण के लिये प्रोत्साहन अपर्याप्त बना हुआ है।
    - **पंचायतों, वन अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के बीच समन्वय की कमी** से स्थिति और बदतर होती जा रही है।
- **अग्नि निवारण में तकनीकी एकीकरण का अभाव:** उपग्रह निगरानी में प्रगति के बावजूद, भारत में AI-संचालित पूर्वानुमानात्मक अग्नि मॉडल और वास्तविक काल ड्रोन निगरानी का अभाव है।
  - वर्तमान वन अग्नि चेतावनियों में प्राय: विलंब होता है, जिससे समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती।
  - मौसम आधारित अग्नि पूर्वानुमान का अभाव तैयारी को और अधिक बाधित करता है।
  - **AI-आधारित अग्नि पूर्वानुमान मॉडल** को पायलट परियोजनाओं से परे व्यापक रूप से लागू किया जाना बाकी है (MoEFCC)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

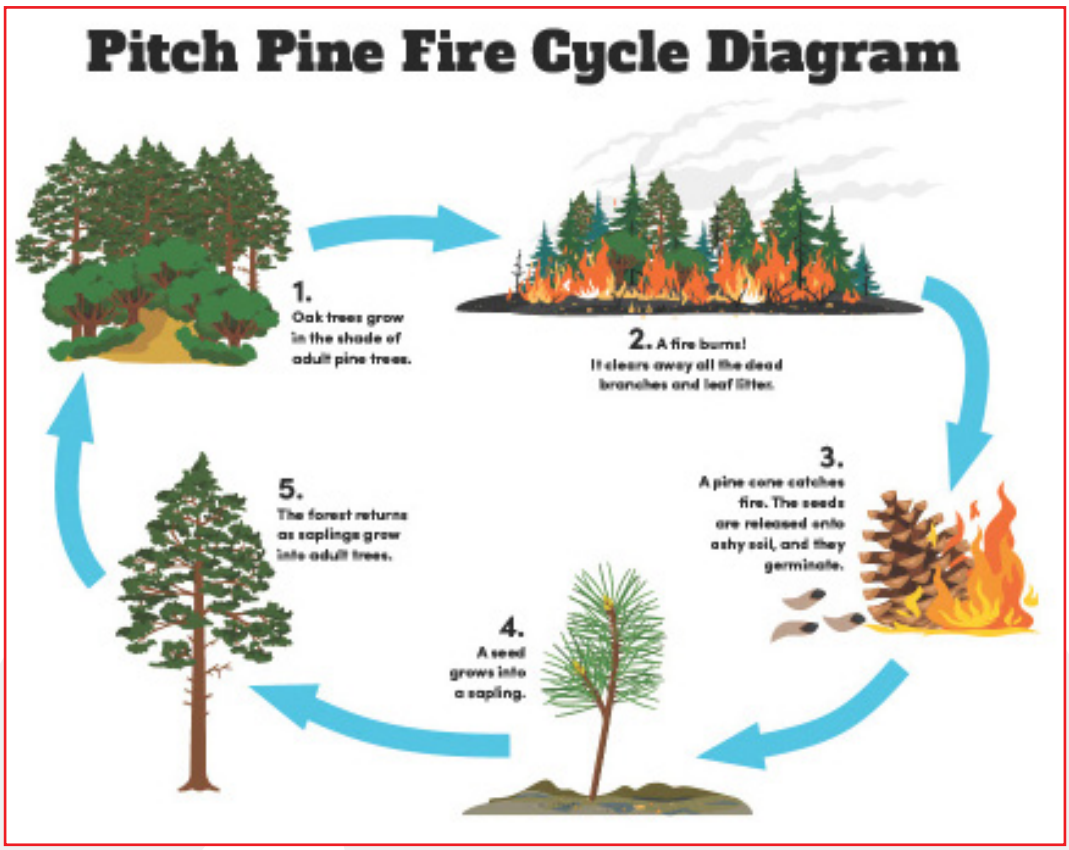

भारत में वनों से संबंधित अन्य मुद्दे क्या हैं?

- **बुनियादी अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण निर्वनीकरण:** राजमार्ग, रेलवे और खनन जैसी **बड़े पैमाने की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के कारण** बड़े पैमाने पर वनों की क्षति हुई है।
  - **बढ़ते शहरीकरण** और **औद्योगिक विस्तार** के कारण वन पारिस्थितिकी तंत्र विखंडित हो रहा है, जिससे **वन्यजीव गलियारे कम हो रहे** हैं।
  - प्रतिपूरक वनरोपण कानूनों के बावजूद **वन भूमि का डायवर्ज़न अनियंत्रित रूप से जारी** है।
  - **ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (GFW)** के अनुसार, भारत में वर्ष 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र का ह्रास हुआ है, जो **वर्ष 2001 और वर्ष 2023 के दौरान 6% की गिरावट** को दर्शाता है।
    - ग्रेट निकोबार परियोजना जैसी परियोजनाएँ, जिनमें **130 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को परिवर्तित कर** ट्रांसशिपमेंट सहित कई विकास परियोजनाओं का निर्माण शामिल है, भी सुर्खियों में आ गई हैं।
- **जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों में घटता वन क्षेत्र:** जनजातीय समुदाय जीविका के लिये वनों पर निर्भर हैं, लेकिन आक्रामक वाणिज्यिक वृक्षारोपण एवं अतिक्रमण उन्हें विस्थापित कर रहे हैं।
  - वन अधिकार अधिनियम (FRA) **का कार्यान्वयन अपर्याप्त** बना हुआ है तथा कई उचित दावे खारिज़ कर दिये गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- सरकारी वनरोपण कार्यक्रम प्राय: देशी जैव-विविधता की तुलना में व्यावसायिक प्रजातियों को प्राथमिकता देते हैं।
  - वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत **नवंबर 2022 तक भूमि पर किये गए सभी दावों में से 38% से अधिक दावे खारिज़** कर दिये गए हैं।

- **प्राकृतिक जैव-विविधता को प्रभावित करता हुआ एकल-फसल वृक्षारोपण:** वनरोपण के प्रयास प्राय: **नीलगिरी/यूकेलिप्टस, सागौन या बबूल जैसी वाणिज्यिक एकल-फसलों पर केंद्रित** होते हैं, जो भूजल को नष्ट करते हैं तथा मूल जैव-विविधता को बनाए रखने में विफल होते हैं।
  - इस तरह के वृक्षारोपण से नष्ट हुए प्राकृतिक **वनों के पारिस्थितिक मूल्य की भरपाई नहीं** होती, जिससे **जैव-विविधता में असंतुलन** उत्पन्न होता है।
  - उदाहरण के लिये, **यूकेलिप्टस वृक्षारोपण** से प्रभावित क्षेत्रों में **भूजल स्तर में 20-30% की कमी** आई है।
- **क्षरित होते प्राकृतिक आवासों के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष:** तेज़ी से हो रहे निर्वनीकरण के कारण **वन्यजीव मानव बस्तियों की ओर विस्थापित होने को मजबूर** हो रहे हैं, जिससे **मानव-वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि** हो रही है, विशेष रूप से हाथियों, तेंदुआ और बाघों के साथ।
  - जंगलों के बीच से कृषि क्षेत्रों और राजमार्गों का विस्तार करने से मानव-वन्यजीव संघर्ष और बढ़ जाते हैं, जिससे मानव एवं पशु दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष **2019 और 2024 के दौरान भारत में हाथियों के हमलों में 2,727 लोगों की जान गई,** जबकि **बाघों के हमलों में 349 मौतें** हुईं।
- **अनियमित चारण के कारण वन क्षरण:** पशुओं द्वारा **अतिचारण**, विशेष रूप से सुभेद्य पारिस्थितिकी प्रणालियों में, पुनर्जनन क्षमता को कम करती है, मृदा अपरदन की गति को तीव्र कर देती है।
  - **पारंपरिक चरागाह प्रणालियों का ह्रास हो रहा है,** जिससे असंधारणीय चारण पैटर्न उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे वन बायोमास नष्ट हो रहा है। सरकारी नीतियाँ प्राय: संधारणीय चारण प्रबंधन को नज़रअंदाज़ करती हैं।
  - सितंबर 2020 की 'भारत में पशुपालकों का लेखा-जोखा' रिपोर्ट के अनुसार, **देश के 77% पशुधन को पशुपालकों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर चरने के लिये छोड़ दिया जाता है।**
- **वन पारिस्थितिकी तंत्र में जलवायु-प्रेरित बदलाव: बढ़ते तापमान और अनियमित मानसून पैटर्न** के कारण **भारत की वन संरचना में परिवर्तन हो रहा** है, जिससे **वन्य-प्रजातियों का पलायन** तथा **पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन** हो रहा है।
  - **अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय वनों में वनस्पतियों और जीव-जंतुओं में परिवर्तन** देखने को मिल रहा है, जिससे जैव-विविधता एवं स्थानीय आजीविका पर असर पड़ रहा है।
    - उदाहरण के लिये, हिमालय में **ओक के वनों का स्थान चीड़ के पेड़ों ने** ले लिया है।
  - इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले दो दशकों में **पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में 110 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र का ह्रास** हो गया है।
- **संरक्षण नीतियों और कानूनों का कमज़ोर कार्यान्वयन:** सुदृढ़ कानूनी कार्यढाँचे के बावजूद, लापरवाह प्रवर्तन, प्रशासनिक विलंब और राजनीतिक हस्तक्षेप संरक्षण प्रयासों को कमज़ोर करते हैं।
  - **CAMPA और ग्रीन इंडिया मिशन** जैसी **नीतियों की अकुशलता तथा धन के गलत आवंटन के लिये आलोचना** की गई है।
    - स्थानीय समुदायों को प्राय: निर्णय लेने से अपवर्जित कर दिया जाता है।
  - **वर्ष 2017 से 2022** के दौरान **अनिवार्य वनरोपण के लिये केंद्र द्वारा आवंटित धनराशि का लगभग 45% राज्य द्वारा उपयोग नहीं किया गया** है।

संधारणीय वन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **समुदाय-नेतृत्व वाली अग्नि रोकथाम और नियंत्रण प्रणाली: वन पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMC)** के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने से वन अग्नि तैयारी को बढ़ाया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ग्रामीणों को शीघ्र पता लगाने, नियंत्रित दहन तकनीक और त्वरित मोचन तंत्र का प्रशिक्षण देने से समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
  - **इकोटूरिज़्म राजस्व साझेदारी** के माध्यम से **स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित** करके इन पहलों को बनाए रखा जा सकता है।
  - ***उदाहरण:*** **उत्तराखंड की वन पंचायतों ने सामुदायिक गश्त और अग्निरोधक उपायों के माध्यम से** चुनिंदा क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं को सफलतापूर्वक कम किया है।
- **AI और उपग्रह-आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियों का उपयोग:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता **(AI)-संचालित पूर्वानुमान मॉडल** और वास्तविक काल उपग्रह निगरानी की तैनाती से अग्नि-प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
  - थर्मल इमेजिंग से लैस ड्रोन वनाग्नि के खतरों का आकलन करने और अग्निशमन प्रयासों को निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं।
  - भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) पूरे भारत में वनाग्नि की निगरानी के लिये दो उपग्रह सेंसरों: **मोडिस (मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर)** और **SNPP-VIIRS (सुओमी नेशनल पोलर-ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप- विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट)** से प्राप्त वनाग्नि अभिनिर्धारण डेटा का उपयोग करता है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है।
- **अग्निरोधी वनरोपण और हरित अग्निरोधक: एकल-फसल वृक्षारोपण के स्थान पर अग्निरोधी मूल प्रजातियों के वृक्षारोपण** से अग्नि-प्रवण क्षेत्रों में वनाग्नि की संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है।
  - **हरित अग्निरोधक क्षेत्र (साल,महुआ और जामुन** जैसी अग्नि-रोधी प्रजातियों वाले क्षेत्र) का निर्माण करके, वनाग्नि को प्रसार से रोका जा सकता है।
    - इसके अलावा, **ओक और रोडोडेंड्रोन** जैसे चौड़े पत्ते वाले पेड़ वनाग्नि के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं।
  - इसके अलावा, **कवक-आधारित माइसीलियम अवरोधों** और वन अपशिष्ट से बने जैव-ईंटों का उपयोग करके प्राकृतिक, अग्नि-रोधी क्षेत्र बनाए जा सकते हैं।
    - ये अवरोध प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं तथा सुभेद्य क्षेत्रों में आग को फैलने से रोकते हैं। इन्हें ग्रीन फायरब्रेक्स के साथ एकीकृत करने से अग्नि-शमन के प्रयासों में वृद्धि होगी।
- **वन अधिकारों और जनजातीय भागीदारी को सुदृढ़ करना: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के दावों को मान्यता** देना और उनमें तेज़ी लाना जनजातीय समुदायों को वनों का स्थायी प्रबंधन करने में सशक्त बनाएगा।
  - **पारंपरिक ज्ञान-आधारित संरक्षण प्रथाओं,** जैसे सीड बॉल डीस्पर्सन और जल संचयन को बढ़ावा देने से वनों की आघातसहनीयता में वृद्धि होगी।
  - वन-उत्पाद संग्रहण से प्रत्यक्ष लाभ-साझाकरण मॉडल संरक्षण के लिये आर्थिक प्रोत्साहन उत्पन्न कर सकते हैं।
    - **ओडिशा के सिमिलिपाल बायोस्फीयर** ने सहकारी समितियों के माध्यम से जनजातीय शहद संग्राहकों को संरक्षण प्रयासों में एकीकृत किया है।
- **जलवायु-अनुकूल वानिकी की ओर संक्रमण:** जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत करना, जैसे कि **सूखा-सहिष्णु मूल प्रजातियों का चयन** करना और वन परिदृश्यों के भीतर आर्द्रभूमि का पुनर्भरण करना, पारिस्थितिक समुत्थानशक्ति को बढ़ा सकता है।
  - भारत के कार्बन क्रेडिट तंत्र को और अधिक परिष्कृत किये जाने की आवश्यकता है, ताकि **वन-आधारित कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम विकसित** किये जा सकें, जो वनरोपण एवं संरक्षण के लिये निवेश आकर्षित कर सकें।
  - वन नीतियों को **भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्यों** के साथ संरेखित करने से दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित होगी।
    - **मेघालय का लिविंग रूट ब्रिजेज़ इको-सिस्टम** एक शानदार उदाहरण है जो प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन के सिद्धांतों के अनुरूप है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में विनाशकारी खनन और बुनियादी अवसंरचना पर प्रतिबंध लगाना:** सुभेद्य वन पारिस्थितिकी प्रणालियों में **खनन, सड़क विस्तार और जलविद्युत परियोजनाओं को सख्ती से विनियमित करने** से अपरिवर्तनीय क्षति को रोका जा सकेगा।
  - खनन के लिये **नो-गो ज़ोन लागू करना** तथा **सख्त पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) लागू करना** जैव-विविधता की सुरक्षा करेगा।
    - **निर्वनीकरण कर भारी बिजली आपूर्ति लाइनों को बिछाने** के स्थान पर **भूमिगत केबल बिछाने जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा** देने से नुकसान को कम किया जा सकता है।
  - वर्ष 2013 में, सर्वोच्च न्यायालय ने वनवासियों से यह तय करने को कहा था कि क्या **नियमगिरि पहाड़ियों में खनन** से **उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रभावित होंगे,** जो **वन समुदायों को शामिल करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम** था।
- **कृषि वानिकी और सतत् वन-आधारित आजीविका का एकीकरण:** कृषि वानिकी मॉडल को बढ़ावा देना, जहाँ **किसान फसलों के साथ-साथ पेड़ उगाते** हैं, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किये बिना वृक्ष आवरण को बढ़ा सकता है।
  - **औषधीय पौधों** और **बाँस जैसे गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) मूल्य शृंखलाओं को** सुदृढ़ करने से स्थायी आजीविका प्रदान की जा सकती है।
  - **वन धन योजना** जैसी पहलों के माध्यम से बाज़ार संपर्क से उचित मूल्य निर्धारण और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी।
- **वन पारिस्थितिकी तंत्र में जल संरक्षण को बढ़ाना: वन आधारित जल निकायों का पुनर्भरण** करना, पारंपरिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं को पुनर्जीवित करना और तटवर्ती वनों की रक्षा करना **जल-विज्ञान चक्र को मज़बूत** कर सकता है।
  - वन-विहीन नदी घाटियों में जलग्रहण क्षेत्र शोधन को प्रोत्साहित करने से भूजल पुनर्भरण में सुधार होगा।
  - समग्र वन स्वास्थ्य के लिये नीतियों में जलग्रहण प्रबंधन को वनरोपण परियोजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
    - **हरियाणा में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 35,000 हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित** कर रही है और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये जल निकायों का पुनर्भरण कर रही है, जो एक आदर्श के रूप में काम कर सकती है।
- **संरक्षण के लिये सतत् पर्यटन का लाभ उठाना:** ज़िम्मेदार पर्यटन दिशानिर्देशों के माध्यम से इकोटूरिज़्म को विनियमित करने से वनों की सुरक्षा के साथ-साथ राजस्व भी उत्पन्न किया जा सकता है।
  - **कम प्रभाव वाली पर्यटन अवसंरचना का विकास** करने तथा वहन क्षमता सीमा लागू करने से मानवीय व्यवधान कम होंगे।
  - होमस्टे और प्रकृति गाइड कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से समावेशी संरक्षण प्रयास सुनिश्चित होंगे।
    - ***उदाहरण:*** **काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** ने **समुदाय-आधारित इकोटूरिज़्म** को संरक्षण प्रोत्साहनों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा है।
- **देशी और जलवायु-अनुकूल प्रजातियों पर सीड बॉम्बिंग:** ड्रोन का उपयोग क्षरित वनों पर हवाई सीड बॉम्बिंग/बीज-बिखराव के लिये किया जा सकता है, जिससे वनरोपण दक्षता में सुधार होगा।
  - न्यूनतम जल की आवश्यकता वाले और कीट प्रतिरोधी स्वदेशी बीजों का उपयोग बेहतर जीवन सुनिश्चित करता है।
    - यह तकनीक दुर्गम या संघर्ष-प्रवण वन क्षेत्रों के लिये आदर्श है।
- **पारदर्शी संरक्षण वित्तपोषण के लिये वन-आधारित ब्लॉकचेन:** वनीकरण और संरक्षण वित्तपोषण पर नज़र रखने के लिये ब्लॉकचेन का उपयोग करने से वृक्षारोपण कार्यक्रमों में जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है।
  - इससे यह सत्यापित करने में मदद मिलेगी कि **क्या CAMPA और CSR पहलों के तहत वनरोपण प्रतिबद्धताओं को वास्तव में ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित** किया जा रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- स्मार्ट अनुबंध, वित्तपोषण को वृक्षों की उत्तरजीविता दर जैसे आकलन योग्य परिणामों से जोड़ सकते हैं।

- **शुष्क वनों में कृत्रिम तुषार (धुँध) संग्रहण:** वायुमंडलीय आर्द्रता को रोकने के लिये तुषार संजालों का प्रयोग करने से शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में वन पुनर्जीवन के लिये जल उपलब्ध हो सकता है।
  - यह **उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी** है **जहाँ पारंपरिक जल संरक्षण विधियाँ कठिन** हैं। बेहतर अंकुरण के लिये तुषार (धुँध) के माध्यम से जल-संग्रहण प्रक्रिया को वृक्षारोपण नर्सरी के साथ एकीकृत किया जा सकता है, ताकि पौधों के जीवन बचाने में मदद मिल सके।
  - तमिलनाडु के तटीय वनों में वनरोपण प्रयासों के लिये तुषार (धुँध) के माध्यम से जल-संग्रहण प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

भारत में वनाग्नि की बढ़ती समस्या समग्र और संधारणीय वन प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। यद्यपि मानवीय अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और लापरवाह प्रवर्तन के कारण **आगजनी का खतरा बढ़ गया है;** फिर भी, **समुदाय द्वारा संचालित संरक्षण, AI-संचालित पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, अग्निरोधी वनरोपण एवं अधिक सख्त कानूनी प्रवर्तन ही इसका समाधान** हैं। परंपरागत ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देना और वन नीतियों को भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ना महत्त्वपूर्ण होगा।

■■■

सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र का निर्माण

यह एडिटोरियल 15/02/2025 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "What India needs to do in the Indian Ocean" पर आधारित है। यह लेख हिंद महासागर के सामरिक महत्त्व पर प्रकाश डालता है, जिस पर कभी भारत का प्रभुत्व था, लेकिन अब वैश्विक शक्तियाँ इस पर विवाद कर रही हैं। आठवें हिंद महासागर सम्मेलन में इसके बढ़ते भू-राजनीतिक महत्त्व और भारत की नई समुद्री आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला गया है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर - 1, भारत को शामिल करने वाले और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह एवं समझौते, द्विपक्षीय समूह और समझौते, भारत और उसके पड़ोसी

हिंद महासागर, जिसका नाम **भारत के सहस्राब्दी पुराने सभ्यतागत प्रभाव से लिया गया है, ग्लोबल कंटेनर शिपिंग के 70%** का निर्वहन करने वाला एक महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यद्यपि भारत ने पहली सहस्राब्दी में इन जल क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित किया था, जिससे उसका **आर्थिक वर्चस्व** बना। लेकिन आज, जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति हिंद महासागर क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो रही है, इस जल क्षेत्र में **प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती जा रही** है, जिसमें **अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन** जैसी प्रमुख शक्तियाँ प्रभाव के लिये होड़ कर रही हैं। मस्कट में चल रहा **आठवाँ हिंद महासागर सम्मेलन,** जिसमें 30 देशों के विदेश मंत्री एक साथ आ रहे हैं, वैश्विक भू-राजनीति में इस क्षेत्र के बढ़ते **महत्त्व और भारत की नई समुद्री आकांक्षाओं** को रेखांकित करता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख हित क्या हैं?

- **आर्थिक जीवनरेखा और व्यापार प्रभुत्व:** हिंद महासागर भारत का प्राथमिक व्यापार मार्ग है, जो इसके **लगभग 80% बाह्य व्यापार** और **90% ऊर्जा आयात का वहन** करता है।
  - वित्त वर्ष 2022 में भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों ने **720.29 मिलियन टन (MT) कार्गो यातायात का प्रबंधन** किया। **वित्त वर्ष 2023 में भारत का व्यापारिक निर्यात 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था।
  - आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बनाये रखने के लिये मुक्त एवं सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
    - सरकार की सागरमाला परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने और रसद लागत को कम करने के लिये बंदरगाह आधारित विकास पर केंद्रित है।
- **भू-राजनीतिक और सामरिक प्रभाव:** भारत का उद्देश्य **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति** और **बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का प्रतिकार** करना चाहता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिये खतरा हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- सागर (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) विज़न और हिंद-प्रशांत महासागर पहल के माध्यम से भारत अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को सुदृढ़ कर रहा है।
- क्वाड, IORA, BIMSTEC और ASEAN सहित द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारियाँ प्रभाव बनाए रखने के लिये प्रमुख हैं।
- ओमान, मालदीव और सेशेल्स जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ संबंधों को मज़बूत करने से भारत की सामरिक गहनता बढ़ेगी।

- **समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद निरोध:** हिंद महासागर **समुद्री डकैती, तस्करी और समुद्र आधारित आतंकवाद का केंद्र** है, जिससे समुद्री सुरक्षा एक प्रमुख प्राथमिकता बन गई है।
  - भारत ने बेड़े के आधुनिकीकरण, गश्त बढ़ाने और खुफिया जानकारी साझा करने के समझौतों के माध्यम से नौसैनिक क्षमताओं को मज़बूत किया है।
  - गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) समुद्री खतरों पर नज़र रखता है और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाव देता है।
  - भारतीय नौसेना ने **मलक्का जलडमरूमध्य** सहित **प्रमुख अवरोध बिंदुओं** पर **मिशन-आधारित तैनाती (MBD)** तैनात की है।
- ऊर्जा सुरक्षा और ब्लू इकॉनमी का विस्तार: मध्य पूर्व से ऊर्जा आयात को सुरक्षित करने और भारत की ब्लू इकॉनमी की क्षमता का विस्तार करने के लिये हिंद महासागर महत्त्वपूर्ण है।
  - अपतटीय ऊर्जा अन्वेषण, गहन सागरीय उत्खनन (Deep-sea mining) और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी (Marine biotechnology) नए विकास के अवसर प्रदान करते हैं।
    - भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिये अपतटीय पवन फार्मों और हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन में निवेश कर रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत की ब्लू इकॉनमी सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान देती है। डीप ओशन मिशन (MATYSA 6000) का उद्देश्य मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का पता लगाना है।

- अवसंरचना विकास और कनेक्टिविटी: अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति को मज़बूत करने के लिये भारत हिंद महासागर क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अवसंरचना का विकास कर रहा है।
  - ईरान में चाबहार बंदरगाह और म्याँमार में सित्तवे बंदरगाह जैसी परियोजनाएँ क्षेत्रीय व्यापार एवं संपर्क को बढ़ावा देती हैं।
  - द्वीप विकास और स्मार्ट बंदरगाहों के लिये जापान एवं ASEAN के साथ सहयोग से भारत की समुद्री रसद व्यवस्था मज़बूत होगी।
  - वर्ष 2035 तक भारत बंदरगाह परियोजनाओं में 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना के साथ मज़बूत बुनियादी अवसंरचना के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नेतृत्व: चूँकि समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय शहरों और द्वीपीय देशों के लिये खतरा बन रहा है, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।
  - आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहलें सतत् विकास को बढ़ावा देती हैं।
    - जून 2024 में, CDRI ने अपने **IRIS कार्यक्रम के माध्यम से** लघु द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) में आपदा-रोधी बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये 8 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- जलवायु कूटनीति को मज़बूत करने से एक जिम्मेदार महासागरीय देश के रूप में भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
  - पर्यावरण-अनुकूल तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 12 **भारतीय समुद्र तटों को ब्लू** फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है।
- सॉफ्ट पावर को मज़बूत करने वाले सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध: दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ भारत के ऐतिहासिक सागरीय संबंध इसे IOR में एक वास्तविक अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करते हैं।
  - बौद्ध धर्म के प्रसार और प्राचीन व्यापार नेटवर्क सहित साझा सभ्यतागत संबंध भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं।
  - प्रोजेक्ट मौसम और नौसैनिक सद्भावना मिशनों के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति गहन क्षेत्रीय सहभागिता को बढ़ावा देती है।
  - उदाहरण के लिये भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (IAFS) अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करता है तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - इसके अलावा, भारत ग्लोबल साउथ के एक अग्रणी समर्थक के रूप में उभरा है, जो विभिन्न हिंद महासागर देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिये प्रमुख रणनीतिक चिंताएँ क्या हैं?

- चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और घेराव की रणनीति: स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के माध्यम से हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिये खतरा है।
  - हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सैन्य अड्डे, दोहरे प्रयोग वाले बंदरगाह और निरंतर नौसैनिक गश्त भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती देते हैं।
  - श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को पट्टे पर देने से बीजिंग को भारत के महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट प्रभाव जमाने का अवसर मिल गया है।
  - चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में 17 **रणनीतिक बंदरगाहों में निवेश** किया है, जिनमें जिबूती का नौसैनिक अड्डा और कंबोडिया में रीम नौसैनिक अड्डा भी शामिल है।
    - वर्ष 2023 में, चीनी अनुसंधान एवं जासूसी पोत शि यान 6 ने मालदीव में डॉक किया, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न हुई।
- समुद्री सुरक्षा खतरे— समुद्री डकैती, आतंकवाद और अवैध गतिविधियाँ: हिंद महासागर में समुद्री डकैती, आयुधों की तस्करी और आतंकवाद में वृद्धि से व्यापार मार्ग बाधित होते हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है।
  - सोमाली समुद्री डकैती और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नेटवर्क का पुनरुत्थान निरंतर खतरा उत्पन्न कर रहा है ।
  - अरब सागर में मादक पदार्थों और मानव तस्करी के नेटवर्क क्षेत्रीय स्थिरता और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को कमज़ोर करते हैं।
    - भारतीय नौसेना ने अपने ऑपरेशन संकल्प के तहत दिसंबर 2023 के मध्य से मार्च 2024 तक अरब सागर में 18 बचाव अभियान चलाए।
  - इसके अलावा, चीनी डीप-सी ट्रॉलर्स (गहन समुद्र में चलने वाले जहाज़) सहित विदेशी जहाज़ों द्वारा अविनियमित मत्स्यन से भारत के समुद्री संसाधन नष्ट हो रहे हैं।
- भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा और बढ़ती विदेशी सैन्य उपस्थिति: हिंद महासागर में तीव्र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा देखी जा रही है, जिसमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्राँस और रूस अपनी नौसैनिक तैनाती बढ़ा रहे हैं।
  - विश्व की प्रमुख शक्तियाँ (जैसे अमेरिका और रूस) विभिन्न स्थानों पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रही हैं। अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में एक नौसैनिक बेस स्थापित किया है, जबकि रूस ने सूडान में अपनी पहली नौसैनिक बेस स्थापित किया है, जिससे इन राष्ट्रों को लाल सागर में महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति मिल रही है। चूँकि लाल सागर एक अत्यधिक व्यस्त व्यापार मार्ग है, और इस पर नियंत्रण रखना वैश्विक व्यापार एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हिंद महासागर में कौन-से प्रमुख बहुपक्षीय समूह हैं जिनका भारत हिस्सा है?

- **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA):** समुद्री सुरक्षा, व्यापार, ब्लू इकॉनमी और आपदा समुत्थानशीलन में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - भारत की भूमिका: संस्थापक सदस्य, सुरक्षा, व्यापार और क्लाइमेट एक्शन में पहल को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना।
- **हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS)**
  - **उद्देश्य:** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को मज़बूत करना।
  - **भारत की भूमिका:** भारतीय नौसेना द्वारा पहल **(वर्ष 2008);** संयुक्त अभ्यास और सूचना-साझाकरण में प्रमुख भागीदार।
- **बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC)**
  - **उद्देश्य:** सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और आपदा प्रबंधन में बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग।
  - **भारत की भूमिका:** सुरक्षा, परिवहन संपर्क और ऊर्जा सहयोग में अग्रणी देश।
- **कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC)**
  - **उद्देश्य:** आतंकवाद, साइबर खतरों और HADR पर ध्यान केंद्रित करते हुए हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करना।
  - **भारत की भूमिका:** श्रीलंका और मालदीव के साथ संस्थापक सदस्य;
- **इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI)**
  - **उद्देश्य:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुली और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना।
  - **भारत की भूमिका:** भारत द्वारा शुरू किया गया (वर्ष 2019); समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी के प्रयासों का नेतृत्व करता है।
- **जिबूती आचार संहिता (DCoC) और जेद्दा संशोधन**
  - **उद्देश्य:** पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैती, अवैध मत्स्यन और समुद्री अपराधों का मुकाबला करना।
  - **भारत की भूमिका:** पर्यवेक्षक राष्ट्र, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पहलों का समर्थन करना।
- **क्वाड (भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया)**
  - **उद्देश्य:** समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना।
  - **भारत की भूमिका:** संयुक्त नौसैनिक अभ्यास (मालाबार) और हिंद महासागर क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में सक्रिय।
- **ASEAN-भारत समुद्री सहयोग**
  - यह **ASEAN और भारत के बीच समुद्री परिवहन सहयोग को बढ़ावा** देता है तथा बंदरगाहों के विकास में संभावित निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

- विदेशी शक्तियों द्वारा महत्त्वपूर्ण बंदरगाहों और बुनियादी अवसंरचना को पट्टे पर देने से क्षेत्रीय सुरक्षा को आयाम देने की भारत की क्षमता सीमित हो जाती है।

- **AUKUS संधि (2021)** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी उपस्थिति को और मज़बूत कर रही है, जिससे IOR में शक्ति गतिशीलता में बदलाव आ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **हिंद महासागर में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय जोखिम:** समुद्र का बढ़ता स्तर, निरंतर चक्रवाती घटनाएँ और प्रवाल भित्तियों का क्षरण भारत की तटीय सुरक्षा एवं समुद्री अर्थव्यवस्था के लिये खतरा है।
  - मालदीव और सेशेल्स जैसे द्वीपीय देशों से जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों का विस्थापन भू-राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।
  - हिंद महासागर सबसे तेज़ी से गर्म होते महासागरों में से एक बन गया है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर हीट वेव्स और अत्यधिक वर्षा के भयंकर परिणाम होते हैं।
    - समुद्री हीट वेव्स भी अब प्रवालों और मत्स्यपालन के लिये एक बड़ी चिंता का विषय हैं।
  - इसके अलावा, वर्ष 2024 में पश्चिमी हिंद महासागर में प्रवाल विरंजन (coral bleaching) की घटना अधिक गंभीर रही, क्योंकि एल नीनो और धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) की स्थिति इसके लिये जिम्मेदार थीं।
- **कमज़ोर नौसैनिक अवसंरचना और जहाज़ निर्माण क्षमता में कमी:** भारत का नौसैनिक आधुनिकीकरण और घरेलू जहाज़ निर्माण उद्योग वैश्विक मानकों से पीछे है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपण की इसकी क्षमता सीमित हो गई है।
  - पनडुब्बियों और विमानवाहक पोतों सहित उन्नत नौसैनिक उपकरणों के लिये विदेशी आयात पर निर्भरता परिचालन में बाधा डालती है।
  - प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर बुनियादी अवसंरचना की बाधाएँ रसद और समुद्री व्यापार की दक्षता को कम करती हैं।
  - वैश्विक जहाज़ निर्माण में भारत मात्र 0.06% हिस्सेदारी के साथ 20वें स्थान पर है, जबकि अकेले चीन की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।
    - भारतीय शिपयार्डों का वार्षिक जहाज़ निर्माण उत्पादन केवल 0.072 मिलियन GT है।
- **साइबर सुरक्षा खतरे और अंडर-सी केबल भेद्यता:** वर्तमान में अंडर-सी केबल विश्व के 99% से अधिक इंटरनेट ट्रैफिक का संचार करते हैं।
  - भारत एशिया एक्सप्रेस (IAX) और भारत यूरोप एक्सप्रेस (IEX) अंडर-सी केबलों की स्थापना, एशिया एवं यूरोप के साथ भारत की कनेक्टिविटी में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है।
    - इससे साइबर खतरों के प्रति हमारी सुभेद्यता अत्यधिक बढ़ जाती है।
  - बंदरगाहों और नौसैनिक संजालों सहित भारत के समुद्री बुनियादी अवसंरचना पर बढ़ते साइबर हमले, सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
  - वर्ष 2021 में, रिकॉर्डेड फ्यूचर नामक एक साइबर सुरक्षा कंपनी ने यह पाया कि चीन से जुड़े किसी समूह ने भारतीय समुद्री पोर्ट के साथ एक नेटवर्क कनेक्शन स्थापित किया था और कुछ कनेक्शन अभी भी चालू हैं। इस तरह के कनेक्शन साइबर सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का कारण हैं, क्योंकि यह संकेत दे सकता है कि कुछ संवेदनशील जानकारी साझा हो रही है जो एक साइबर हमले का जोखिम है।

हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **नौसेना और समुद्री क्षमताओं का विस्तार:** भारत को अपनी शक्ति को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिये अधिक विमान वाहक, परमाणु पनडुब्बियों और बहु-भूमिका वाले युद्धपोतों को शामिल करके अपनी समुद्री नौसेना के विस्तार में तेज़ी लानी चाहिये।
  - प्रमुख अवरोध बिंदुओं पर मिशन-आधारित तैनाती (MBD) को मज़बूत करने से समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ेगी।
  - एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल (A2/AD) क्षमताओं और अंडर-सी सर्विलांस नेटवर्क विकसित करने से बाह्य सैन्य खतरों का मुकाबला किया जा सकेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **AI-संचालित समुद्री खुफिया जानकारी** और साइबर-समुत्थानशील नौसैनिक प्रणालियों में निवेश से तकनीकी श्रेष्ठता सुनिश्चित होगी।
  - क्षेत्रीय साझेदारों के साथ रसद समझौतों को सुदृढ़ करने से हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सतत् नौसैनिक संचालन संभव हो सकेगा।

- **भारतीय नेतृत्व वाले बुनियादी अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना:** भारत को डायमंड ऑफ नेकलेस रणनीति के माध्यम से चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का मुकाबला करने के लिये सह-विकास मॉडल के तहत रणनीतिक बंदरगाह बुनियादी अवसंरचना के विकास का नेतृत्व करना चाहिये।
  - चाबहार बंदरगाह (ईरान), सबांग बंदरगाह (इंडोनेशिया) और सित्तवे बंदरगाह (म्याँमार) जैसी परियोजनाओं को मज़बूत करने से व्यापार एवं संपर्क बढ़ेगा।
  - कांडला, कोच्चि और विशाखापत्तनम जैसे भारतीय बंदरगाहों को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में उन्नत करने से भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
  - द्वीपीय देशों में भारत के नेतृत्व में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना से सतत् क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- **क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारी को गहन करना:** भारत को भारत-फ्राँस और UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास तथा इंडो-पैसिफिक क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) जैसे रक्षा सहयोग कार्यढाँचे को संस्थागत बनाना चाहिये।
  - नौसैनिक उपकरणों और स्वदेशी जहाज़ निर्माण परियोजनाओं के रक्षा निर्यात का विस्तार करने से क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
  - साझेदार देशों में तटीय राडार नेटवर्क स्थापित करने से साझी समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार होगा।
  - मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) क्षमताओं को बढ़ाने से भारत क्षेत्रीय संकटों में प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में स्थापित हो सकेगा।

- **आर्थिक और व्यापार कूटनीति को मज़बूत करना:** भारत को हिंद महासागर में नए व्यापार गलियारों के विकास में तेज़ी लानी चाहिये, जैसे कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)।
  - मुद्रा विनिमय समझौते और क्षेत्रीय भुगतान तंत्र विकसित करने से बाह्य मुद्राओं पर व्यापार निर्भरता कम हो जाएगी।
  - मात्स्यिकी, समुद्री खनन, अपतटीय पवन ऊर्जा और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से ब्लू इकॉनमी सहयोग को बढ़ाने से पारस्परिक आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा।
  - **'मेक इन इंडिया' नौसैनिक जहाज़ निर्माण सहयोग को बढ़ावा** देने से क्षेत्रीय समुद्री उद्योग के विकास को समर्थन मिलेगा।
    - क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिये BIMSTEC और **IORA का लाभ** उठाने से भारत का आर्थिक नेतृत्व मज़बूत होगा।

- **एक मज़बूत साइबर और डिजिटल रणनीति की स्थापना:** भारत को विदेशी नेटवर्क पर निर्भरता कम करने के लिये सुरक्षित समुद्री डेटा केबल, 5G विस्तार और स्वदेशी उपग्रह-आधारित नेविगेशन (NavIC) में निवेश करना चाहिये।
  - आधार, UPI (UAE की तरह) और कोविन जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) परियोजनाओं का हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में विस्तार करने से भारत का तकनीकी प्रभाव बढ़ेगा।
  - भारतीय बंदरगाहों, नौसैनिक नेटवर्क और तेल अवसंरचना के लिये साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे को सुदृढ़ करने से डिजिटल खतरों से सुरक्षा मिलेगी।
  - डेटा गवर्नेंस और AI सहयोग पर ASEAN एवं अफ्रीका के साथ सहयोग करने से एक क्षेत्रीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।

- **जलवायु और सतत् विकास नेतृत्व को सुदृढ़ बनाना:** भारत को ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर का नेतृत्व करना चाहिये और समुद्री व्यापार में डीकार्बोनाइज़ेशन को बढ़ावा देना चाहिये ताकि वह स्वयं को एक स्थायी अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित कर सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के तहत सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार करने से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी।
- मैंग्रोव पुनरुद्धार और महासागर संरक्षण कार्यक्रम जैसी ब्लू कार्बन पहलों को विकसित करने से भारत की पारिस्थितिक कूटनीति मज़बूत होगी।
- समुद्र आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन और संधारणीय मत्स्यन प्रबंधन को प्रोत्साहित करने से सागरीय जैव-विविधता को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- **सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना:** भारत को प्रोजेक्ट मौसम, बौद्ध सर्किट कूटनीति और IOR देशों के लिये शिक्षा छात्रवृत्ति के माध्यम से ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को गहन करना चाहिये।
  - पर्यटन, चिकित्सा कूटनीति और छात्र विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करने से भारत की क्षेत्रीय सद्भावना बढ़ेगी।
  - DD इंडिया और भारतीय समाचार एजेंसियों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में प्रसारण और डिजिटल अभिगम को बढ़ावा देने से बाह्य आख्यानों का मुकाबला किया जा सकेगा।
  - आयुर्वेद, योग और पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से भारत का सांस्कृतिक प्रभाव मज़बूत होगा।

निष्कर्ष:

हिंद महासागर में भारत के सामरिक हित इसके ऐतिहासिक समुद्री महत्त्व और सुरक्षा, व्यापार एवं क्षेत्रीय सहयोग पर इसके समकालीन फोकस से आकार लेते हैं। जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय कूटनीति के स्तंभों के रूप में 5S कार्यढाँचे- सम्मान, संवाद, सहयोग, समृद्धि और शांति पर ज़ोर दिया तथा SAGAR और इंडो-पैसिफिक महासागर पहल जैसी पहलों के माध्यम से, भारत इस क्षेत्र को अधिक स्थिरता, संवहनीयता एवं साझा विकास की ओर ले जाने के लिये तैयार है, जिससे हिंद महासागर में एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का सुदृढ़ीकरण

यह एडिटोरियल 17/02/2024 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Foundation for layered India-America relations" पर आधारित है। इस लेख में भारत-अमेरिका संबंधों की मज़बूती का उल्लेख किया गया है जो रक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सहयोग में प्रगति पर प्रकाश डालता है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, द्विपक्षीय समूह और समझौते, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, भारतीय प्रवासी, भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह एवं समझौते

वाशिंगटन डीसी में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में हुई **उच्च स्तरीय कूटनीतिक साझेदारी** ने व्यापक प्रशासनिक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता का एक क्षण प्रदान किया। द्विपक्षीय बैठक में प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई। इसने **वैश्विक गतिशीलता में बदलाव के बावजूद भारत-अमेरिका संबंधों की समुत्थानशक्ति** को प्रदर्शित किया, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी अंतरण और रक्षा सहयोग जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में। हालाँकि, महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना अब भी शेष है, **विशेषकर व्यापार नीतियों और व्यापक भू-राजनीतिक संतुलन के संबंध में।**

भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा संबंधों का काफी विस्तार किया है, तथा वे **क्रेता-विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर सह-उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी साझाकरण की ओर** बढ़ गए हैं।
  - भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार (MDP) **का दर्जा** दिये जाने तथा **STA-1 में शामिल** किये जाने से उच्च तकनीक रक्षा व्यापार में सुविधा होगी, जिसमें F-35 लड़ाकू विमानों **तक संभावित अभिगम** भी शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- 'ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस (ASIA)' और **Anduril Industries एवं महिंद्रा ग्रुप** और **L3 हैरिस-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स** के बीच समझौते AI-संचालित रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हैं।
  - **जैवलिन मिसाइलों** और **स्ट्राइकर व्हीकल्स (वर्ष 2025) की खरीद** तथा विस्तारित '**टाइगर ट्रायम्फ**' **त्रि-सेवा अभ्यास** बढ़ती हुई अंतर-संचालन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

- **व्यापार और निवेश संबंध:** दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक **द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 500 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना** है, जिसमें बाज़ार अभिगम, टैरिफ और आपूर्ति शृंखला समुत्थानशीलता जैसे दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान करना शामिल है।
  - वर्ष 2025 तक नियोजित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) **निष्पक्ष व्यापार को बढ़ाएगा, टैरिफ को कम करेगा** तथा **विनियमन को आसान बनाएगा, विशेष रूप से कृषि, ICT एवं औद्योगिक वस्तुओं** में।
  - भारत ने **बॉर्बन, मोटरसाइकिल और ICT उत्पादों पर टैरिफ कम कर दिया** है, जबकि अमेरिका ने **भारतीय आम, अनार और फार्मा उत्पादों तक बाज़ार अभिगम में सुधार** किया है।
  - लगभग **155 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 22 अरब डॉलर का निवेश किया** है, जबकि **टेस्ला और माइक्रोन जैसी अमेरिकी कंपनियाँ भारत में अपना विस्तार कर रही हैं।**

- **ऊर्जा और जलवायु सहयोग:** ऊर्जा सुरक्षा भारत-अमेरिका संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसमें अमेरिका भारत को **कच्चे तेल, LNG और पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता** बन गया है।
  - **अमेरिका-भारत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी (वर्ष 2025)** हाइड्रोकार्बन व्यापार, नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा पर केंद्रित है, जिसमें **भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिये तैयार** है।
  - **जनवरी-नवंबर 2024 के दौरान:** भारत ने अमेरिका से **5.12 मिलियन टन LNG आयात** किया, जो **कुल LNG आयात का 20%** है।

- **प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी:** दोनों राष्ट्र '**यूएस-इंडिया ट्रस्ट**' **पहल (2025)** के तहत **AI, अर्द्धचालक, क्वांटम और जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग** को आगे बढ़ा रहे हैं।
  - **रिकवरी और प्रसंस्करण पहल** लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्त्व और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग को मज़बूत करती है, जो **EV एवं रक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण** हैं।
  - **INDUS इनोवेशन (वर्ष 2025)** मंच निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देता है, तथा **रक्षा तकनीक सहयोग के लिये INDUS-X का पूरक** है।
    - वर्ष 2023 में, माइक्रोन ने भारत में **चिप सुविधाओं** में **825 मिलियन डॉलर तक के निवेश की पुष्टि** की।

- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारत और अमेरिका **मानव अंतरिक्ष उड़ान और ग्रह अन्वेषण में NASA-ISRO साझेदारी** के साथ अंतरिक्ष सहयोग को मज़बूत कर रहे हैं।
  - **NISAR उपग्रह (2024)** पृथ्वी के वायुमंडल होने वाले परिवर्तनों की मैपिंग करेगा, जिससे जलवायु अनुकूलन में सहायता मिलेगी।
  - **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को वर्ष 2025 में **NASA-ISRO AXIOM मिशन- 4** पर भेजा जाएगा।
  - NASA के साथ **आर्टेमिस समझौते (2023)** में भारत का प्रवेश प्रगाढ़ होते संबंधों को रेखांकित करता है।
    - अमेरिका भारत के **गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का भी समर्थन** कर रहा है।

- **सामरिक हिंद-प्रशांत सहयोग:** प्रमुख क्वाड साझेदारों के रूप में, भारत और अमेरिका चीन की आक्रामकता का मुकाबला करते हुए एक **स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये प्रतिबद्ध** हैं।
  - **प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिक मोचन को समर्थन** देने के लिये **साझा एयरलिफ्ट कैपेसिटी** और अंतर-संचालन क्षमता में सुधार के लिये **समुद्री गश्त पर क्वाड पहल वैश्विक ध्यान** आकर्षित कर रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **क्वाड क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक ग्रुप** बुनियादी अवसंरचना, व्यापार एवं डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं।

- नवंबर 2023 में घोषित बहुराष्ट्रीय **अमेरिकी नेतृत्व वाली कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेज़ (CMF) में भारत की पूर्ण सदस्यता**, भारत-अमेरिका संबंधों में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है।

- **जन-जन संपर्क और शैक्षणिक संबंध:** भारतीय-अमेरिकी समुदाय, जिसकी संख्या वर्ष **2023 में 5 मिलियन** तक हो जाएगी, कई बाधाओं को पार कर सबसे प्रभावशाली आप्रवासी समूहों में से एक बन गया है।
  - **अमेरिका में 3.3 लाख** से अधिक भारतीय छात्रों ने (वर्ष 2024 तक) वहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है जिसमें **शिक्षा** इस **द्विपक्षीय संबंध की आधारशिला** है।
  - शिक्षा एवं कौशल विकास पर भारत-अमेरिका कार्य समूह **ड्यूअल डिग्री, संयुक्त अनुसंधान और संकाय आदान-प्रदान को बढ़ावा** दे रहा है।
  - **IIT काउंसिल** और **एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़** ने वर्ष 2023 में इंडो-US ग्लोबल चैलेंजेज़ इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

भारत और अमेरिका के बीच टकराव के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **व्यापार विवाद और टैरिफ बाधाएँ:** प्रगति के बावजूद, **व्यापार असंतुलन और टैरिफ विवाद** बाधाएँ बनी हुई हैं।
  - अमेरिका लंबे समय से **कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर भारत के उच्च टैरिफ की आलोचना** करता रहा है, जबकि भारत को **फार्मास्यूटिकल्स और IT सेवाओं पर गैर-टैरिफ बाधाओं से आपत्ति** है।
  - वर्ष 2018 में जब **अमेरिका ने स्टील और एल्युमीनियम पर शुल्क लगाया तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 29 अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया।**
    - भारत के साथ अमेरिकी **वस्तु व्यापार घाटा वर्ष 2024 में 5.4% बढ़कर 45.7 बिलियन डॉलर** हो गया, जो व्यापार असंतुलन को लेकर वाशिंगटन के लिये बढ़ती चिंता का विषय है।

- **रक्षा प्रौद्योगिकी और निर्यात नियंत्रण प्रतिबंध:** बढ़ते रक्षा संबंधों के बावजूद, अमेरिकी निर्यात नियंत्रण **प्रौद्योगिकी अंतरण और सह-विकास को सीमित** करते हैं।
  - भारत **पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट** और **उन्नत समुद्री प्रणालियाँ** चाहता है, लेकिन अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध (हालाँकि इस पर समीक्षा चल रही है) लगा दिया है।
  - **पारस्परिक रक्षा खरीद (RDP) समझौते** (वर्ष 2025) का उद्देश्य **नियामक विसंगतियों को दूर करना** है।
  - यद्यपि भारत को **STA-1 का दर्जा** (वर्ष 2018) प्रदान किया गया था, यह अभी भी **AI, ड्रोन और मिसाइल प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंधों से जूझ रहा** है।

- **चीन नीति और सामरिक स्वायत्तता पर मतभेद:** हालाँकि दोनों देश **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर चिंता** व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके रणनीतिक दृष्टिकोण अलग-अलग हैं।
  - अमेरिका चाहता है कि भारत **पश्चिमी सुरक्षा कार्यढाँचे के साथ अधिक निकटता से जुड़े,** लेकिन भारत **गुटनिरपेक्ष और स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना** चाहता है।
  - भारत द्वारा **संधि-आधारित सुरक्षा गठबंधन में शामिल होने की अनिच्छा** के कारण क्वाड की **सैन्य क्षमता कुछ हद तक बाधित** हो रही है।
    - **BRICS** और **SCO** में **भारत की भागीदारी** वाशिंगटन के लिये असहजता उत्पन्न करती है, क्योंकि वह **एक साथ चीन और रूस के साथ भी जुड़ा** हुआ है।

- **भारतीय पेशेवरों के लिये वीज़ा और आव्रजन प्रतिबंध:** सुदृढ़ शैक्षिक और व्यावसायिक संबंधों के बावजूद, **वीज़ा प्रतिबंध और कार्य परमिट के मुद्दे** टकराव उत्पन्न करते रहते हैं।
  - भारत के IT क्षेत्र के लिये महत्त्वपूर्ण **H-1B वीज़ा कार्यक्रम कोटा, विलंब और विस्तार पर प्रतिबंधों का सामना** करना पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारतीयों के बीच अमेरिकी ग्रीन कार्ड की मांग अभी भी उच्च बनी हुई है, फिर भी लंबित आवेदनों की संख्या एवं सख्त वार्षिक सीमा के कारण प्रगति धीमी है।

- **असैन्य परमाणु सहयोग में प्रगति का अभाव:** ऐतिहासिक अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते (2008) के बावजूद, **देयता संबंधी चिंताओं और नियामक बाधाओं** के कारण परमाणु सहयोग अवरुद्ध हो गया है।
  - अमेरिका चाहता है कि भारत **परमाणु क्षति के लिये असैन्य दायित्व अधिनियम (CLNDA) में संशोधन करे,** ताकि आपूर्तिकर्त्ताओं को अत्यधिक उत्तरदायित्व से बचाया जा सके।
    - लेकिन हाल ही में केंद्रीय बजट 2025 में भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिये **परमाणु ऊर्जा अधिनियम** और **परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम** में **संशोधन करने की योजना** बनाई है।
- **डिजिटल व्यापार और डेटा स्थानीयकरण मुद्दे:** अमेरिका भारत के **डेटा स्थानीयकरण आदेशों का विरोध** करता है और यह तर्क देता है कि इससे **गूगल, अमेज़न और मेटा जैसी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों को नुकसान** होगा।
  - दूसरी ओर, भारत उपयोगकर्त्ता की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिये **डेटा सॉवरेनिटी** पर बल देता है।
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) **सेंसिटिव डेटा के लोकल स्टोरेज को अनिवार्य** बनाता है, जिससे सीमा पार डेटा फ्लो प्रभावित होता है।
    - अमेरिका ने **बिग टेक में भारत की एंटी ट्रस्ट प्रोब पर भी आपत्ति** जताई है, जिसमें **बाज़ार प्रभुत्व के लिये गूगल और एप्पल** के खिलाफ हाल के मामले भी शामिल हैं।
- **बहुपक्षीय मंचों और वैश्विक शासन पर मतभेद:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में **भारत की स्थायी सदस्यता के लिये अमेरिकी समर्थन के बावजूद, वैश्विक शासन दृष्टिकोण पर मतभेद** बने हुए हैं।
  - अमेरिका चाहता है कि भारत **संयुक्त राष्ट्र में रूस विरोधी रुख** अपनाए, लेकिन भारत **तटस्थ रुख** अपनाए हुए है। अमेरिकी दबाव के बावजूद **भारत ने** यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने वाले **UNGA वोट से स्वयं को दूर रखा** है।
  - **कृषि सब्सिडी पर WTO विवाद** से भी संबंध खराब हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) **नीति का विरोध** कर रहा है।
  - नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापार असंतुलन और अनुचित प्रथाओं का हवाला देते हुए **भारत सहित BRICS देशों पर उच्च शुल्क लगाने की धमकी** दी है।

अमेरिका के साथ संबंधों को और भी बेहतर बनाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **रक्षा सह-विकास और औद्योगिक सहयोग को मज़बूत करना:** भारत को **भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप** जैसी पहलों के तहत **अधिक प्रौद्योगिकी अंतरण, संयुक्त उत्पादन एवं सह-विकास** पर बल देना चाहिये।
  - **पारस्परिक रक्षा खरीद (RDP) संधि** जैसे समझौतों में तेज़ी लाने से रक्षा उपकरणों की खरीद और अंतर-संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
  - **संयुक्त AI, ड्रोन और समुद्री युद्ध परियोजनाओं का विस्तार** करने से रक्षा संतुलन में वृद्धि होगी।
    - **रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी** को बढ़ावा देने से भारत एक मज़बूत रणनीतिक साझेदार बनेगा।
- **व्यापार बाधाओं का समाधान और द्विपक्षीय समझौतों का विस्तार:** भारत को टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं और व्यापार विवादों को कम करने के लिये **द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने की दिशा में काम** करना चाहिये।
  - **खुदरा, कृषि और डिजिटल क्षेत्रों** में **अमेरिकी फर्मों के लिये बाज़ार अभिगम** बढ़ाने तथा **भारतीय निर्यात के लिये तरज़ीही व्यवस्था** सुनिश्चित करने से व्यापार संतुलन में सुधार होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अर्द्धचालकों, क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल्स** में **आपूर्ति शृंखला एकीकरण** को सुदृढ़ करने से भू-राजनीतिक जोखिमों को कम किया जा सकता है।
- आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये भारत को **IPEF जैसे क्षेत्रीय व्यापार कार्यढाँचे का लाभ** उठाना चाहिये।
  - **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** और **विनियामक मानकों को अमेरिकी मानदंडों के अनुरूप** बनाने से व्यापार को सुगम बनाया जा सकता है।

- **ऊर्जा और जलवायु सहयोग को गहन करना:** भारत को **LNG, कच्चे तेल और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार** को सुरक्षित करने के लिये अमेरिका के साथ **दीर्घकालिक ऊर्जा समझौतों का विस्तार** करना चाहिये।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण** में साझेदारी को मज़बूत करना **वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप** होगा।
  - **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR)** और **असैन्य परमाणु परियोजनाओं** के संयुक्त विकास से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है।
    - **कार्बन कैप्चर, बैटरी प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी** पर सहयोग से भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को समर्थन मिलेगा।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी को गति देना:** भारत को **अमेरिका-भारत ट्रस्ट पहल** के तहत **AI, अर्द्धचालक, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी** और **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों** में **संयुक्त अनुसंधान एवं विकास तथा सह-विकास में तीव्रता** लानी चाहिये।
  - **INDUS-X और INDUS इनोवेशन प्लेटफॉर्मों** के विस्तार से रक्षा-तकनीक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
  - **विश्वसनीय डिजिटल आपूर्ति शृंखलाओं** को समुत्थानशील करना तथा **चुनिंदा रूप से डेटा लोकलाइज़ेशन मानदंडों में ढील देना** अमेरिकी तकनीकी निवेशों को आकर्षित कर सकता है।
    - भारतीय तकनीकी स्टार्टअप्स में **अमेरिकी उद्यम पूंजी की भागीदारी** को सुविधाजनक बनाने से नवाचार विकास को बढ़ावा मिलेगा।
    - **अगली पीढ़ी के दूरसंचार** और **5G/6G बुनियादी अवसंरचना** का संयुक्त उत्पादन तकनीकी संबंधों को मज़बूत कर सकता है।
- **सामरिक और हिंद-प्रशांत सहयोग बढ़ावा देना:** भारत को **हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र** में **समुद्री एवं खुफिया सहयोग का विस्तार** करना चाहिये।
  - **अमेरिकी समर्थन से दक्षिण पूर्व एशिया में रक्षा अवसंरचना परियोजनाओं का विस्तार** करके क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों का मुकाबला किया जा सकता है।
  - **अमेरिका-भारत रणनीतिक वार्ता** के अंतर्गत साइबर एवं अंतरिक्ष सुरक्षा नीतियों को संतुलित करने से सुरक्षा सहयोग में सुधार होगा।
    - **IMEC** जैसे **आर्थिक गलियारों पर सहयोग** बढ़ाने से क्षेत्रीय संपर्क मज़बूत होगा।
- **आव्रजन और गतिशीलता कार्यढाँचे में सुधार:** भारत को **H-1B वीज़ा की सीमा बढ़ाने, ग्रीन कार्ड में छूट देने** और भारतीय पेशेवरों के लिये सुव्यवस्थित कार्य परमिट के लिये वार्ता करनी चाहिये।
  - **दोहरी डिग्री कार्यक्रम** और **विश्वविद्यालय सहयोग** की स्थापना से ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ सकता है।
  - **व्यावसायिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता** को सुदृढ़ करने से कुशल कार्यबल की गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
    - **तीव्र वीज़ा प्रक्रिया** सुनिश्चित करने तथा कार्य परमिट प्रतिबंधों को कम करने से भारतीय छात्रों एवं पेशेवरों को लाभ होगा।
- **बहुपक्षीय और वैश्विक शासन सहभागिता का विस्तार:** भारत को **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता एवं वैश्विक संस्थाओं में नेतृत्व** की भूमिका के लिये अमेरिका से पूर्ण समर्थन प्राप्त करना चाहिये।
  - **विश्व व्यापार संगठन के कार्यढाँचे के भीतर वैश्विक व्यापार नीतियों** को संरेखित करने से व्यापार असंतुलन कम हो जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **आतंकवाद-प्रतिरोध, साइबर सुरक्षा और परमाणु निरस्त्रीकरण** पर समन्वय से **रणनीतिक संतुलन में वृद्धि** होगी।
- **वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा** तथा **विश्वमारी मोचन हेतु तैयारी** पर सहयोग को मज़बूत करने से राजनयिक संबंध और गहरे हो सकते हैं।
  - **क्वाड, I2U2 और IPEF जैसे बहुपक्षीय समूहों** में शामिल होने से भारत का वैश्विक प्रभाव मज़बूत हो सकता है।

- **डिजिटल और डेटा गवर्नेंस सहयोग को मज़बूत करना:** भारत को डिजिटल व्यापार प्रतिबंधों को कम करने के लिये अमेरिकी मानकों के साथ **डेटा गोपनीयता नियमों को सुसंगत बनाने** पर काम करना चाहिये।
  - अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों को भारत में **अनुसंधान एवं विकास केंद्र** तथा **सेमीकंडक्टर फैब स्थापित** करने के लिये प्रोत्साहित करने से निवेश प्रवाह में वृद्धि होगी।
  - **साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे और AI शासन नीतियों को संरेखित** करने से उभरती हुई तकनीकी सहयोग हेतु विश्वास में सुधार हो सकता है।
    - **फिनटेक विनियमन के लिये संयुक्त कार्यढाँचे** का विकास डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार कर सकता है।
- **राजनयिक संलग्नता के माध्यम से द्विपक्षीय मतभेदों का समाधान:** भारत को व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकार संबंधी मतभेदों को सक्रिय रूप से हल करने के लिये **उच्च स्तरीय रणनीतिक वार्ता** को संस्थागत बनाना चाहिये।
  - **ट्रैक 1.5** और **ट्रैक 2 राजनयिक चैनलों** को सुदृढ़ करने से सतत् संचार सुनिश्चित होगा।
  - **अमेरिकी राज्यों** और **भारतीय राज्यों के बीच विधायी एवं उप-राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार** करने से स्थानीय साझेदारियाँ बढ़ सकती हैं।
    - **नीतिगत सिफारिशों को आकार देने के लिये थिंक टैंक** और **उद्योग समूहों** को शामिल करने से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार होगा।
    - सांस्कृतिक और प्रवासी कूटनीति को बढ़ावा देना (**क्रिकेट कूटनीति के माध्यम से**, जैसा कि T20 वर्ल्ड कप- 2024 में देखा गया है) पारस्परिक सद्भावना को दृढ़ करेगा।

भारत और अमेरिका किन प्रमुख समूहों का हिस्सा हैं?

- **क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता):** एक **स्वतंत्र, खुला और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिये जापान एवं ऑस्ट्रेलिया** के साथ रणनीतिक साझेदारी।
- **I2U2 (भारत-इज़रायल-UAE-USA):** मध्य पूर्व में **आर्थिक सहयोग, बुनियादी अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान** केंद्रित करता है।
- **इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF):** **व्यापार, आपूर्ति शृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और भ्रष्टाचार विरोधी** हेतु अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल, जिसके चार स्तंभों में से **तीन में भारत शामिल** है।
- **G20:** एक वैश्विक आर्थिक मंच जहाँ भारत और अमेरिका **जलवायु कार्रवाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर सहयोग** करते हैं।
- **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF):** दोनों देश **आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन विरोधी प्रयासों पर सहयोग** करते हैं।
- **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA):** **संवहनीय ऊर्जा संक्रमण** और **जैव ईंधन अंगीकरण** के लिये संयुक्त प्रयास।

आर्टेमिस समझौता: NASA के चंद्र और डीप स्पेस मिशनों के अंतर्गत अंतरिक्ष अन्वेषण सहयोग।

निष्कर्ष:

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय साझेदारी **वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उनकी रणनीतिक साझेदारी की समुत्थानशीलता** को रेखांकित करती है। यद्यपि **रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग** में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन व्यापार बाधाओं, रणनीतिक स्वायत्तता संबंधी चिंताओं एवं नियामक बाधाओं जैसी प्रमुख चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। संस्थागत

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

कार्यढाँचों को मज़बूत करना, उभरती प्रौद्योगिकियों में सह-विकास को बढ़ावा देना और व्यापार असंतुलन का हल करना इस साझेदारी की पूरी क्षमता का सदुपयोग करने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा।

■■■

भारत की आपदा रणनीति में सुधार

यह एडिटोरियल 18/02/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Bill to amend Disaster Management Act: a proposed solution involving the States" पर आधारित है। इस लेख में आपदा राहत निधि को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को सामने लाया गया है, जो विलंब और अपर्याप्त आवंटन को उजागर करता है। यह समय पर रिकवरी सुनिश्चित करने के लिये एक पारदर्शी, न्यायसंगत और गैर-राजनीतिक आपदा प्रबंधन कार्यढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, सामान्य अध्ययन पेपर-3, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए), पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट

भारत की आपदा मोचन **निधि व्यवस्था** केंद्र और राज्यों के बीच **विवाद का विषय** बन गई है, जैसा कि **तमिलनाडु में चक्रवात के बाद** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की पर्याप्त सहायता के लिये हाल ही में किये गए संघर्ष में देखा गया है। जबकि राज्य जलवायु-प्रेरित आपदाओं का सामना कर रहे हैं, **SDRF और NDRF से विलंब एवं अपर्याप्त आवंटन समय पर पुनर्प्राप्ति प्रयासों में बाधा** डालते हैं। आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 जैसे विधायी प्रस्तावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय लेने में आनुपातिक राज्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। जैसे-जैसे चरम मौसम की घटनाएँ बढ़ती हैं, **भारत को तत्काल एक समुत्थानशील और गैर-राजनीतिक आपदा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता** है।

भारत के समक्ष प्रमुख आपदा खतरे क्या हैं?

- **चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति:** भारत में जलवायु-जनित आपदाओं जैसे **चक्रवात, बाढ़ और हीट वेव्स में वृद्धि** देखी जा रही है, **जो बढ़ते वैश्विक तापमान एवं अनियमित मानसून पैटर्न से प्रेरित** हैं।
  - **हिंद महासागर के गर्म होने से** चक्रवातों की तीव्रता बढ़ रही है, जबकि **मानसून की बदलती प्रवृत्ति के कारण अप्रत्याशित सूखा** और **बाढ़** आ रही है।
  - चक्रवात मिचौंग **(वर्ष 2023)** के कारण तमिलनाडु में **₹37,000 करोड़ का नुकसान** हुआ; हिमाचल प्रदेश में **वर्ष 2023 में बाढ़ के कारण ₹10,000 करोड़ की क्षति** हुई।
    - भारत में वर्ष 2022 में चरम मौसम की घटनाओं के कारण 2,227 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है (IMD, 2024)।
- **निम्नस्तरीय बुनियादी अवसंरचना के कारण शहरी बाढ़:** अनियोजित शहरीकरण, अवरुद्ध जल निकासी प्रणालियाँ और लुप्त होती आर्द्रभूमि ने **मौसमी बारिश को विनाशकारी** शहरी बाढ़ **में** बदल दिया है।
  - **दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु** जैसे शहरों में **कंक्रीटीकरण एवं अपर्याप्त जल प्रबंधन** के कारण गंभीर जलभराव की समस्या है।
    - उदाहरण के लिये, **दिल्ली में जुलाई 2023 में 41 वर्षों में सबसे अधिक एक दिवसीय वर्षा (153 मिमी) दर्ज** की गई, जिसके कारण **यमुना में बाढ़ आ** गई और व्यापक यातायात बाधित हुआ।
    - वर्ष 2022 में बाढ़ के कारण बेंगलुरु को **2.25 अरब रुपए** का नुकसान हुआ।
- **सूखा और जल की कमी से कृषि प्रभावित हो रही है:** अनियमित मानसून, बढ़ता तापमान एवं भूजल में कमी के कारण **सूखा लगातार और गंभीर** होता जा रहा है।
  - भारत की मानसून आधारित कृषि **पर अत्यधिक निर्भरता,** इसकी खाद्य सुरक्षा को अत्यधिक कमज़ोर बना देती है।
  - **अकुशल सिंचाई पद्धतियाँ** और **जलवायु-अनुकूल कृषि के क्रियान्वयन में विलंब से** संकट बढ़ रहा है।
  - भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष 2023 के **अगस्त महीने को 122 वर्षों में सबसे शुष्क माह** घोषित किया है, जिससे खरीफ फसल की उत्पन्नवार पर गंभीर असर पड़ेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इसके अलावा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के एक हालिया अनुमान के अनुसार, वर्ष **2050 तक 30 भारतीय शहरों को 'गंभीर जल जोखिम'** का सामना करना पड़ेगा।

- **हिमालयी हिमनदों का पिघलना और फ्लैश फ्लड:** वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण **हिमालय में हिमनदों का पिघलना तीव्र** हो रहा है, जिससे ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है।
  - **सुभेद्य हिमालयी क्षेत्रों में जलविद्युत बाँध एवं राजमार्ग** जैसी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ स्थिति को और भी बदतर कर रही हैं।
    - **पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा-रोधी बुनियादी अवसंरचना** के अभाव से महत्त्वपूर्ण मानवीय एवं आर्थिक क्षति होती है।
  - अक्तूबर 2023 में, **उत्तरी सिक्किम के दक्षिण ल्होनक झील से एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)** की घटना हुई, जिससे व्यापक विनाश हुआ।
- **समुद्र का बढ़ता स्तर और तटीय क्षरण:** भारत की **7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा समुद्र के बढ़ते स्तर, तटीय क्षरण और अलवण जल के प्रवेश** के प्रति संवेदनशील होती जा रही है।
  - अनियंत्रित **रेत खनन, बंदरगाह विस्तार एवं मैंग्रोव विनाश** से स्थिति और भी खराब हो रही है।
    - **भारत की जलवायु कार्य योजना** के बावजूद, तटीय समुत्थानशीलन प्रयास धीमे बने हुए हैं।
  - **राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR)** के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग **33.6% तट का क्षरण** हो रहा है।
- **उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भूकंप:** भारत कई भूकंपीय क्षेत्रों के मध्य स्थित है, जिस कारण **भारत के उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्य अत्यधिक भूकंप-प्रवण** हैं।
  - **भवन निर्माण संहिताओं** का लापरवाह क्रियान्वयन और पुरानी बुनियादी अवसंरचना आपदा के प्रभाव को बढ़ा देती हैं।
    - **पुरानी इमारतों और महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना के लिये पुनर्निर्माण नीतियों की कमी** से भूकंप-मोचन की तैयारी कमज़ोर हो जाती है।
  - **असम में 6.4 तीव्रता वाले भूकंप** (वर्ष 2021) **से व्यापक संरचनात्मक क्षति हुई।**
    - **दिल्ली-NCR** में हाल ही में आए भूकंप, जिनका संभावित केंद्र धौला कुआं के पास था, बढ़ते भूकंपीय खतरों को उजागर करते हैं।
- **औद्योगिक और रासायनिक आपदाएँ:** कड़े **सुरक्षा अनुपालन के बिना तेज़ी से औद्योगिक विस्तार के कारण रासायनिक आपदाएँ और गैस रिसाव** बढ़ रहे हैं।
  - खतरनाक उद्योगों में अपर्याप्त नियामक निगरानी और पुरानी तकनीक जोखिम को बढ़ा देती है।
  - **विज़ाग LG पॉलिमर** गैस रिसाव के कारण कई लोग हताहत हुए। **दिल्ली की मुंडका फैक्ट्री में आगजनी (वर्ष 2022),** निम्नस्तरीय औद्योगिक सुरक्षा मानकों को उजागर करती है।
- **जैविक आपदाएँ और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट:** महामारी, संक्रामक (जूनोटिक) रोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध **दीर्घकालिक आपदा जोखिम** उत्पन्न करते हैं।
  - **बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण वेक्टर जनित रोगों की आवृत्ति** बढ़ रही है।
    - **कोविड-19 महामारी ने भारत के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना में खामियों को उजागर किया** है, तथा **सुदृढ़ रोग निगरानी तंत्र** की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
  - भारत को घरेलू पशुओं और मनुष्यों दोनों में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण उभरते **एंटीबायोटिक प्रतिरोध के केंद्र के रूप में अभिनिर्धारण** किया गया है।

भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति में प्रमुख संरचनात्मक मुद्दे क्या हैं?

- **अतिकेंद्रीकरण और विलंबित निधि वितरण:** भारत का आपदा प्रबंधन अत्यधिक **केंद्रीकृत** बना हुआ है, राज्य **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) पर निर्भर** हैं, जिसके कारण विलंब और अकुशलता होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- राज्य प्राय: **अपर्याप्त राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) आवंटन** से जूझते हैं, जिससे **समय पर राहत और पुनर्वास** के लिये उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- तमिलनाडु ने हाल ही में केंद्र सरकार से **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 6,675 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह** किया है ताकि **राज्य चक्रवात फेंगल** के बाद आवश्यक राहत और बहाली कार्य कर सके।

- **कमज़ोर स्थानीय शासन और कार्यान्वयन अंतराल: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के बावजूद**, स्थानीय प्राधिकरणों के पास **पर्याप्त धन नहीं** है और **निर्णय लेने की शक्ति का अभाव** है, जिससे आपदा मोचन धीमी और अप्रभावी हो जाती है।
  - **प्रशिक्षित कार्मिकों और तकनीकी क्षमता की कमी** के कारण कई ज़िलों में **ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) निष्क्रिय** या **गैर-कार्यात्मक** हैं।
    - यहाँ तक कि **आपदा-प्रवण राज्यों** में भी ज़मीनी स्तर पर उचित **जोखिम आकलन और तैयारी योजनाओं का अभाव** है।
  - **वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में बाढ़** के दौरान ज़िला स्तर पर समन्वय की कमी के कारण **राहत कार्य धीमा** हो गया, जिससे **हजारों लोगों को सहायता मिलने में देर हुई।**
- **पुरानी पड़ चुकी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ और अपर्याप्त पूर्वानुमान:** भारत की **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ (EWS) तकनीकी खामियों, अंतिम बिंदु तक अपर्याप्त कनेक्टिविटी और गलत पूर्वानुमान** से ग्रस्त हैं, जिसके कारण **मोचन एवं निकासी में विलंब** होता है और **हताहतों की संख्या** बढ़ जाती है।
  - हालाँकि **IMD चेतावनियाँ जारी** करता है, लेकिन वे प्राय: **विशिष्ट या स्थानीयकृत नहीं** होतीं, जिससे अधिकारियों के लिये **समय पर निवारक उपाय करना कठिन** हो जाता है।
    - कई **ग्रामीण और जनजातीय समुदाय रियल टाइम अलर्ट** के अभिगम से बाहर हैं, जिससे उनकी असुरक्षा बढ़ रही है।
    - **अवसंरचना संबंधी सीमाएँ,** जैसे **अपर्याप्त डॉपलर रडार कवरेज,** पूर्वानुमान क्षमताओं को और कमज़ोर कर देती हैं।
  - सिक्किम में दक्षिण **ल्होनक झील GLOF (वर्ष 2023) के लिये कोई उचित पूर्व चेतावनी प्रणाली** नहीं थी, जिसके कारण **कई लोग हताहत हुए** और **बड़े पैमाने पर बुनियादी अवसंरचना का नुकसान** हुआ।
    - इसके अलावा, अनुमान है कि **भारत में 72% ज़िले** अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं के संपर्क में हैं, लेकिन उनमें से **केवल 25% में ही बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र** हैं।
- **अपर्याप्त शहरी नियोजन और बुनियादी अवसंरचना का समुत्थांशक्ति:** तीव्र, अनियोजित शहरीकरण ने **शहरों को बाढ़, भूकंप और हीट वेव्स के प्रति अत्यधिक सुभेद्य** बना दिया है, **कमज़ोर भवन संहिता और अपर्याप्त जल निकासी प्रणालियों** ने आपदाओं की स्थिति को और भी बदतर बना दिया है।
  - **पुरानी संरचनाओं के नवीनीकरण** की उपेक्षा की जाती है, जिससे भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान हताहतों का खतरा बढ़ जाता है।
    - **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), 2016** का निम्नस्तरीय प्रवर्तन, डेवलपर्स को आपदा-प्रतिरोधी निर्माण मानकों की अनदेखी करने की अनुमति देता है।
  - एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि NBC दिशानिर्देशों का ठीक से पालन न किये जाने के कारण **दिल्ली की 80% से अधिक इमारतें बड़े भूकंप के प्रति सुभेद्य** हैं।
- **अपर्याप्त सामुदायिक जागरूकता और तैयारी:** भारत की उच्च आपदा भेद्यता के बावजूद, **आपदा तैयारी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता कम** है, विशेष रूप से ग्रामीण और सीमांत समुदायों में।
  - **आपदा अभ्यास, शिक्षा कार्यक्रम और निकासी प्रशिक्षण** के अभाव के कारण **हताहतों की संख्या अधिक** होती है और आपदा मोचन अकुशल होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **समावेशी आपदा नीतियों के अभाव** का अर्थ है कि **कमज़ोर समूह - महिलाएँ, वृद्ध जन, दिव्यांग जन- प्राय: तैयारी योजनाओं से अपवर्जित** रह जाते हैं।

- **प्रौद्योगिकी और नवाचार का सीमित उपयोग:** भारत का आपदा प्रबंधन **पारंपरिक मोचन तंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर** करता है, तथा आपदा पूर्वानुमान एवं राहत के लिये **AI, रिमोट सेंसिंग और GIS मैपिंग के अंगीकरण की प्रक्रिया धीमी** है।
  - ब्लॉकचेन और उपग्रह इमेजरी से वास्तविक काल में क्षति का आकलन और तेज़ी से धन वितरण में सुधार हो सकता है, लेकिन कार्यान्वयन अभी भी सीमित है।
  - **अंतर-एजेंसी डेटा साझाकरण और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के एकीकरण का अभाव निर्णय लेने एवं समन्वय को कमज़ोर** करता है।
  - जबकि **जापान जैसे देश AI-आधारित सुनामी पूर्वानुमान मॉडल का उपयोग** करते हैं, भारत का तटीय EWS अभी भी पारंपरिक सेंसर पर निर्भर है।

- **खंडित आपदा स्वास्थ्य प्रबंधन:** आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राय: **आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं, ट्रॉमा देखभाल केंद्रों** एवं **प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी** होती है, जिससे आपदा के बाद मृत्यु दर और भी बढ़ जाती है।
  - कई राज्य आपदा योजनाओं में **समर्पित सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुक्रिया रणनीतियों का अभाव** है, जिसके कारण वे **निवारक के बजाय प्रतिक्रियात्मक** बन जाती हैं।
  - **हीटवेव, महामारी और रासायनिक आपदाओं** के लिये **विशेष स्वास्थ्य देखभाल अनुक्रियाओं की आवश्यकता** होती है, लेकिन **NDMA और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समन्वय कमज़ोर** बना हुआ है।
    - आपदा प्रभावित क्षेत्रों में **मोबाइल अस्पतालों** और **टेलीमेडिसिन समाधानों का कम उपयोग** किया जाता है।
  - **वर्ष 2024 के ओडिशा हीटवेव** के दौरान, **24 घंटों में 26 से अधिक लोगों की जान चली गई** तथा कई अस्पतालों में पर्याप्त आपातकालीन राहत सुविधाओं का अभाव था।

भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **विकेंद्रीकृत आपदा प्रशासन और निधि आवंटन:** तीव्र मोचन सुनिश्चित करने के लिये **निधि उपयोग में स्वायत्तता** के साथ **राज्य और ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA और DDMA)** को सशक्त बनाया जाना चाहिये।
  - राजनीतिक हस्तक्षेप और विलंब से बचने के लिये एक **सूत्र-आधारित, प्रभाव-संचालित NDRF आवंटन तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिये।
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को **पंचायती राज संस्थान (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में एकीकृत करके स्थानीय शासन कार्यढाँचे** को मज़बूत किया जाना चाहिये।
  - **SDRF के उपयोग में समुत्थानशक्ति** बढ़ाया जाना चाहिये ताकि राज्य उभरते आपदा जोखिमों पर अनुक्रिया कर सकें।

- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और वास्तविक काल निगरानी को सुदृढ़ करना: स्थानीयकृत और सटीक पूर्वानुमान** को बढ़ाने के लिये **डॉपलर रडार नेटवर्क, उपग्रह इमेजिंग और AI-आधारित पूर्वानुमान विश्लेषण** को उन्नत किया जाना चाहिये।
  - अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी के लिये, विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में, **SMS, सोशल मीडिया और मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से स्वचालित अलर्ट प्रणाली** लागू किया जाना चाहिये।
  - बाढ़, चक्रवात, भूकंप और हीट वेव्स को एकीकृत तरीके से कवर करने वाली **बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली (MHEWS)** विकसित किया जाना चाहिये।
  - स्थानीय स्वयंसेवी नेटवर्क के माध्यम से **समुदाय-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रसार को** बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- **जलवायु-लचीला बुनियादी अवसंरचना और शहरी नियोजन सुधार: राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), 2016 का सख्ती से क्रियान्वयन** किया जाना चाहिये और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सभी नए निर्माण **भूकंप, बाढ़ एवं चक्रवात प्रतिरोधी** हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- शहरी बाढ़ को कम करने के लिये **आर्द्रभूमि पुनरुद्धार, मैंग्रोव वृक्षारोपण और पारगम्य शहरी सतहों** जैसे **प्रकृति-आधारित समाधानों को** बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- स्मार्ट सिटी और अमृत परियोजनाओं में **आपदा भेद्यता आकलन** को एकीकृत करके **जोखिम-संवेदनशील भूमि-उपयोग नियोजन को** अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
- विशेष रूप से भूकंपीय क्षेत्रों में **पुरानी इमारतों, पुलों और बांधों के आपदा-रोधी पुनर्निर्माण** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - **सतत् शहरीकरण को बढ़ावा** देने के लिये **हरित बुनियादी अवसंरचना को प्रोत्साहन** दिया जाना चाहिये।

- **सामुदायिक जागरूकता और आपदा तैयारी को बढ़ाना: तैयारी की संस्कृति** को बढ़ावा देने के लिये स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में **आपदा जोखिम शिक्षा को** एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - समुदाय एवं कार्यस्थल स्तर पर **नियमित रूप से आपदा अभ्यास, मॉक ईवैक्यूएशन** और **जागरूकता अभियान** चलाए जाने चाहिये।
  - आपदा-प्रवण क्षेत्रों में प्रथम मोचनकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिये **स्वयं सहायता समूहों (SHG), स्थानीय गैर सरकारी संगठनों** और **नागरिक प्रतिक्रिया टीमों को** सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये।
  - अधिक प्रभावी जोखिम संचार के लिये **स्थानीय मीडिया, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और डिजिटल आउटरीच का** उपयोग किया जाना चाहिये।
- **आपदा प्रबंधन के लिये प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना:** वास्तविक काल आपदा जोखिम मूल्यांकन के लिये **AI, ब्लॉकचेन और GIS-आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियों** के उपयोग का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - **बाँधों, पुलों और भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों** में विफलता के प्रारंभिक संकेतों का पता लगाने के लिये **IoT-आधारित स्मार्ट सेंसर** तैनात किये जाने चाहिये।
  - तेजी से राहत कार्यों के लिये **ड्रोन आधारित आपदा मैपिंग और आपातकालीन आपूर्ति वितरण** को मज़बूत किया जाना चाहिये।
  - **एकीकृत आपदा प्रबंधन मोबाइल अनुप्रयोग** विकसित किया जाना चाहिये जो रियल टाइम अलर्ट, निकासी मार्ग और आपातकालीन संपर्क प्रदान करें।
- **स्वास्थ्य देखभाल और आपदा-पश्चात मोचन तंत्र को सुदृढ़ बनाना:** आपदा प्रभावित क्षेत्रों में **मोबाइल आपातकालीन अस्पताल और त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया दल** स्थापित किया जाना चाहिये।
  - **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC)** और **ज़िला अस्पतालों को हीटवेव, बाढ़ और महामारी से निपटने की तैयारी के प्रोटोकॉल** से लैस किया जाना चाहिये।
  - **पैरामेडिक्स, आशा कार्यकर्त्ताओं और आपदा स्वयंसेवकों** को सामूहिक दुर्घटना प्रबंधन एवं मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
  - आपदा के बाद त्वरित हस्तक्षेप के लिये **आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति, टीके और पोर्टेबल डायग्नोस्टिक उपकरणों का भण्डारण** किया जाना चाहिये।
- **संस्थागत सुधार और अंतर-एजेंसी समन्वय:** एकीकृत **राष्ट्रीय आपातकालीन समन्वय केंद्र (NECH) के माध्यम से IMD, ISRO, NDMA और NDRF** के बीच समन्वय बढ़ाया जाना चाहिये।
  - **प्रशासनिक अधिकारीयों, प्रथम मोचनकर्त्ताओं और कानून प्रवर्तन कर्मियों को** आधुनिक आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
  - समन्वित जलवायु अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों के लिये **अंतर-मंत्रालयी सहयोग को** बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
    - **वैज्ञानिक संस्थानों, आपदा मोचन बलों** और **स्थानीय सरकारों** के बीच **वास्तविक काल की खुफिया जानकारी साझा करना** सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वित्तीय समुत्थानशक्ति और आपदा बीमा तंत्र को मज़बूत करना: फसल हानि, संपत्ति की क्षति** और **आजीविका व्यवधानों को** कवर करने के लिये **राज्य स्तरीय आपदा जोखिम बीमा योजनाओं का** विस्तार किया जाना चाहिये।
  - पूर्वनिर्धारित आपदा ट्रिगर्स के आधार पर **स्वचालित मुआवज़ा** प्रदान करने के लिये **पैरामीट्रिक बीमा मॉडल** विकसित किया जाना चाहिये।
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिये **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - **जलवायु अनुकूलन और आपदा-पूर्व शमन रणनीतियों** का समर्थन करने के लिये **एक समर्पित राष्ट्रीय लचीलापन कोष (NRF)** की स्थापना की जानी चाहिये।
    - **कमज़ोर समुदायों के लिये सूक्ष्म बीमा कार्यक्रमों** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे आपदा के बाद के आर्थिक झटकों को कम किया जा सके।
- **प्रकृति-आधारित समाधान और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन को बढ़ावा देना: प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण और जलवायु अनुकूलन** बढ़ाने के लिये **बड़े पैमाने पर वनरोपण एवं आर्द्रभूमि संरक्षण परियोजनाओं को** लागू किया जाना चाहिये।
  - चक्रवातों और अपरदन से बचाने के लिये **मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों और रेत के टीलों** को पुनर्स्थापित करके **तटीय क्षेत्र प्रबंधन** को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
  - सूखे के जोखिम को कम करने के लिये **संधारणीय कृषि और जल संरक्षण** को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता के लिये **आपदा अनुकूलन को MGNREGA और जल शक्ति अभियान** में एकीकृत किया जाना चाहिये।
- **त्वरित पुनर्वास और आजीविका पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना:** आपदा-पश्चात पुनर्निर्माण प्रयासों को कारगर बनाने के लिये **पूर्व-अनुमोदित आपदा पुनर्प्राप्ति कार्यढाँचे का** विकास किया जाना चाहिये।
  - आपदा प्रभावित आबादी को आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद करने के लिये **आजीविका विविधीकरण कार्यक्रमों को** सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
  - आपदा-प्रवण क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल डिज़ाइन के साथ **त्वरित आवास पुनर्निर्माण योजनाओं को** क्रियान्वित किया जाना चाहिये।
  - आघात से प्रभावित लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता के लिये **मनो-सामाजिक सहायता कार्यक्रम** स्थापित किया जाना चाहिये।
    - आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिये **स्थानीय उद्यमशीलता और व्यावसायिक प्रशिक्षण को** बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली को बढ़ते खतरों से निपटने के लिये एक विकेंद्रीकृत, प्रौद्योगिकी-संचालित और जलवायु-अनुकूल कार्यढाँचे में विकसित होना चाहिये। आपदा प्रभावों को कम करने के लिये प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक तैयारी और संधारणीय बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है। **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (वर्ष 2015-2030) के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क जोखिम न्यूनीकरण, समुत्थानशील पुनर्स्थापन** और **समावेशी शासन** पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सक्रिय दृष्टिकोण पर ज़ोर देता है।

■■■

मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड

यह एडिटोरियल 17/02/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Making in India for the world" पर आधारित है। यह लेख नीतिगत सुधारों, कुशल कार्यबल और तकनीकी प्रगति द्वारा संचालित औपनिवेशिक अभाव से वैश्विक विनिर्माण केंद्र में भारत के परिवर्तन पर प्रकाश डालता है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, सामान्य अध्ययन पेपर-3, औद्योगिक विकास, औद्योगिक नीति

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

औपनिवेशिक अभाव के बाद से **वैश्विक विनिर्माण केंद्र** तक **भारत की यात्रा इसकी आर्थिक समुत्थानशक्ति और नीति-संचालित विकास** को दर्शाती है। कुशल कार्यबल, तकनीकी प्रगति और व्यापार-समर्थक सुधारों के साथ देश उद्योगों के लिये एक संपन्न परिवेश प्रदान करता है। **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन** जैसी पहल बुनियादी अवसंरचना, कार्यबल विकास और MSME विकास को बढ़ावा दे रही है। जैसे-जैसे भारत अपने विनिर्माण आधार को मज़बूत कर रहा है, यह **घरेलू और वैश्विक दोनों बाज़ार को कुशलतापूर्वक सेवा देने के लिये तैयार** है— **"मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड !"**

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **नीतिगत सुधार और व्यापार में आसानी:** भारत सरकार ने विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये कई नीतिगत सुधार पेश किये हैं।
  - **14 क्षेत्रों में उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना**, कॉर्पोरेट कर दरों में कमी **(नई विनिर्माण इकाइयों के लिये 15%)** और सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियाओं ने व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाया है।
  - इसके अतिरिक्त, **भारत-UAE CEPA और भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA जैसे व्यापार समझौतों में** भारत के सक्रिय दृष्टिकोण से **बाज़ार अभिगम में सुधार** हुआ है।
  - परिणामस्वरूप भारत **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (विश्व बैंक की 2020 रिपोर्ट) में 63वें स्थान पर** पहुँच गया।
- **बुनियादी अवसंरचना का विकास और रसद उन्नति:** भारत औद्योगिक विस्तार और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता का समर्थन करने के लिये अपने **बुनियादी अवसंरचना को अति महत्त्वाकांक्षी रूप से उन्नत कर रहा** है।
  - **गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स के विस्तार के लिये **सड़क, रेल, वायु और बंदरगाह संपर्क को एकीकृत करना** है।
  - **PM MITRA मेगा टेक्सटाइल पार्क** और **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)** जैसी पहल औद्योगिक क्लस्टरों को सुदृढ़ कर रही हैं।
  - **विकसित भारत @2047 विज़न** के अनुरूप **बजट 2025-26 में बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र के लिये 11.21 लाख करोड़ रुपए** आवंटित किये गए हैं।
- **प्रौद्योगिकी अंगीकरण और उद्योग 4.0:** भारत विनिर्माण को आधुनिक बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करने के लिये स्वचालन, **AI, IoT और रोबोटिक्स** को अपना रहा है।
  - **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन** और सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश (जैसे: **धोलेरा में सेमीकंडक्टर संयंत्र**) उच्च तकनीक विनिर्माण की ओर संक्रमण का संकेत देते हैं।
  - **IT हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये PLI योजना** इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है, तथा फॉक्सकॉन एवं माइक्रोन जैसी वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर रही है।
  - अनुमान है कि वर्ष 2026 तक **भारत 300 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र** बन जाएगा और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम ने **चिप विनिर्माण के विकास के लिये 76,000 करोड़ रुपए (9 बिलियन डॉलर) निर्धारित** किये हैं।
- **हरित एवं संधारणीय विनिर्माण का विकास:** संधारणीय उत्पादन की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, भारत स्वयं को हरित विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।
  - **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों के लिये प्रोत्साहन निवेश को आकर्षित कर रहे हैं।
  - **इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (FAME) योजना** एवं **सौर ऊर्जा आधारित जीवन-सहायता योजना** जैसी नीतियाँ उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा के अंगीकरण को बढ़ावा देती हैं।
    - भारत ने **वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% ऊर्जा** प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2030 तक **प्रतिवर्ष 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन** करने का लक्ष्य रखा है, जिससे यह एक आकर्षक निर्यातक बन जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण और चाइना+1 रणनीति: अमेरिका-चीन तनाव** और **कोविड-19 व्यवधानों से प्रेरित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन** के कारण भारत में निवेश में वृद्धि हुई है।
  - कंपनियाँ अपने विनिर्माण आधार में विविधता ला रही हैं और भारत को चाइना+1 रणनीति **से लाभ** मिल रहा है।
    - **एप्पल, टेस्ला और सैमसंग** जैसी प्रमुख कंपनियाँ चीन पर निर्भरता कम करने के लिये भारतीय उत्पादन सुविधाओं का विस्तार कर रही हैं।
    - वित्त वर्ष 2023 में **भारत से एप्पल के iPhone का निर्यात** पिछले वर्ष की तुलना में लगभग **चार गुना बढ़कर 5 बिलियन डॉलर** (40,000 करोड़ रुपए से अधिक) को पार कर गया।
  - भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार **वी. अनंथा नागेश्वरन ने सुझाव दिया** है कि भारत रणनीतिक रूप से **कुछ आयातों को चीनी निवेशों से प्रतिस्थापित करके विनिर्माण को बढ़ावा** दे सकता है, तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण के लिये **चाइना+1 रणनीति के साथ तालमेल** स्थापित कर सकता है।

भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में बाधक प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **उच्च रसद और आपूर्ति श्रृंखला लागत:** वैश्विक मानकों की तुलना में **भारत की रसद लागत काफी अधिक** बनी हुई है, जिससे **निर्यात प्रतिस्पर्द्धा कम हो रही है।**
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बताया गया है कि **भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के 14-18% के दायरे में** रही है, जबकि **वैश्विक बेंचमार्क 8%** है।
  - परिवहन नेटवर्क में अकुशलता, **बंदरगाहों पर भीड़भाड़** तथा **अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी में विलंब** के कारण निर्माताओं की परिचालन लागत बढ़ जाती है।
- सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक्स के बिना, भारत बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिये लागत-प्रभावशीलता में **चीन और वियतनाम की बराबरी करने में संघर्ष** करता है।
  - **कठोर श्रम कानून और कौशल अंतराल: श्रम संहिता सुधारों** के बावजूद, प्रशासनिक बाधाएँ और अनुपालन बोझ बने हुए हैं, जो बड़े पैमाने पर श्रम-गहन उद्योगों को हतोत्साहित कर रहे हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **उन्नत विनिर्माण, AI-संचालित उत्पादन और अर्द्धचालक निर्माण में कौशल अंतराल** भारत की उच्च तकनीक उद्योगों में प्रतिस्पर्द्धा करने की क्षमता को सीमित करता है।
    - वर्ष 2026 तक **भारत को डिजिटल कौशल वाले 30 मिलियन श्रमिकों की आवश्यकता** होगी तथा इसके **वर्तमान कार्यबल के 50% हिस्से को पुन: प्रशिक्षित करने की आवश्यकता** है।
  - **भारत के मुख्यत: असंगठित कार्यबल (90%)** से वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी श्रम बल की ओर परिवर्तन धीमा बना हुआ है।
- **कमज़ोर MSME पारिस्थितिकी तंत्र और ऋण संबंधी बाधाएँ:** MSME, जो भारतीय विनिर्माण की रीढ़ हैं, गंभीर ऋण की कमी और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच का सामना कर रहे हैं।
  - ऋण प्राप्त करने में विलंब, **उच्च ब्याज दरें और संपार्श्विक आवश्यकताएँ** उनकी विकास क्षमता को सीमित करती हैं।
  - **क्रिसिल के अनुमान** के अनुसार, **भारत के केवल 20% MSME को औपचारिक ऋण तक अभिगम** प्राप्त है।
    - हालाँकि **CGTMSE गारंटी में वृद्धि से कुछ राहत** मिली है, लेकिन **6.3 करोड़ MSME में से केवल 2.5 करोड़ ने ही औपचारिक ऋण का लाभ उठाया** है, जो एक बहुत बड़े अंतर को रेखांकित करता है।
- **बुनियादी अवसंरचना में अंतराल और बिजली विश्वसनीयता के मुद्दे:** सुधारों के बावजूद, **असंगत बिजली आपूर्ति, अपर्याप्त औद्योगिक भूमि** और **निम्नस्तरीय शहरी नियोजन विनिर्माण** विस्तार में बाधा डालते हैं।
  - औद्योगिक क्षेत्रों में बार-बार बिजली बाधित होने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है और विदेशी निवेशक हतोत्साहित होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- बिजली की कमी के कारण **सकल घरेलू उत्पाद पर कुल प्रभाव** लगभग 1-1.9% **की गिरावट** होने की उम्मीद है।

◆ इसके अतिरिक्त, **भूमि अधिग्रहण में विलंब एवं जटिल विनियामक अनुमोदन के कारण** नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना में विलंब होता है, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और EV जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में।

- **प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पारिस्थितिकी** का अभाव एक गंभीर बाधा बनी हुई है।

● **महत्त्वपूर्ण घटकों और कच्चे माल के लिये चीन पर निर्भरता:** भारत के आत्मनिर्भरता के प्रयासों के बावजूद, **कच्चे माल, इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्त्वपूर्ण इनपुट के लिये चीन पर इसकी भारी निर्भरता** इसकी आपूर्ति शृंखला समुत्थानशक्ति को कमज़ोर करती है।

◆ फार्मास्यूटिकल्स (एक्टिव फार्मास्युटिकल इंडिकेटर का 70%), **इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा** (सेमीकंडक्टर वेफर्स) **जैसे प्रमुख उद्योग चीनी आयात पर निर्भर** हैं, जिससे भारत भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति सुभेद्य हो जाता है।

◆ जबकि PLI योजना जैसी पहल का उद्देश्य उत्पादन को स्थानीय बनाना है, घरेलू सोर्सिंग की ओर संक्रमण धीमा एवं महंगा बना हुआ है।

◆ भारत अपनी 70% API (**एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स**) चीन से आयात करता है। भारत द्वारा वर्ष 2023 में आयातित सौर मॉड्यूल के उपयोग पर प्रतिबंध हटाने के बाद, एक वर्ष से भी कम समय में **चीनी सौर घटकों का आयात 400% बढ़ गया।**

◆ **उच्च तकनीक विनिर्माण के अंगीकरण में धीमापन और अनुसंधान एवं विकास में कमज़ोरी:** भारत **उन्नत विनिर्माण क्षमताओं,** विशेष रूप से AI, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण में पिछड़ा हुआ है।

◆ यद्यपि सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना है, लेकिन कार्यान्वयन में विलंब और मज़बूत अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र की कमी चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

◆ भारत **अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.65% व्यय** करता है, जबकि **चीन में यह 2.4% और दक्षिण कोरिया में 4.8%** है।

● **वैश्विक व्यापार अनिश्चितताएँ और भू-राजनीतिक जोखिम: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, संरक्षणवादी नीतियों और भू-राजनीतिक तनावों** के कारण भारत की व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता चुनौतियों का सामना कर रही है।

◆ भारत को अभी यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा के साथ **महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देना शेष है,** जिससे इसकी निर्यात क्षमता सीमित हो जाती है।

◆ इसके अतिरिक्त, **अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध** और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान (जैसे: लाल सागर संकट) भारत के कच्चे माल की आपूर्ति एवं निर्यात बाज़ार को प्रभावित करते हैं।

◆ मज़बूत व्यापार गठबंधनों के बिना, भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में अवसर खोने का खतरा है।

◆ कम मांग के कारण जनवरी 2025 में **भारत का निर्यात 2.38% घटकर 36.43 बिलियन डॉलर रह गया,** जबकि आयात 10.28% बढ़कर 59.42 बिलियन डॉलर हो गया।

मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में आगे बढ़ने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

● **लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला दक्षता में वृद्धि:** भारत को **गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को तेज़ी से आगे बढ़ाकर, मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क** को अनुकूलित करके और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) को औद्योगिक समूहों के साथ एकीकृत करके लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना चाहिये।

◆ बंदरगाह आधुनिकीकरण, भंडारण अवसंरचना और अंतर्देशीय जलमार्गों को मज़बूत करने से पारगमन में विलंब कम होगा जिससे वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्द्धा में सुधार होगा।

◆ **सीमा शुल्क निकासी को सुव्यवस्थित करना, एकल खिड़की मंज़ूरी** तथा आपूर्ति शृंखला पारदर्शिता के लिये ब्लॉकचेन का लाभ उठाना दक्षता को बढ़ाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- क्षेत्रीय व्यापार केंद्रों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थान मिल सकता है।

- **श्रम कानून सुधार और कार्यबल कौशल:** अनुपालन को आसान बनाने और श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये चारों श्रम संहिताओं का पूर्ण कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण है।
  - **लचीली नियुक्ति नीतियाँ, गिग इकॉनमी एकीकरण** और **क्षेत्र-विशिष्ट वेतन नीतियाँ** लागू करने से रोज़गार सृजन में वृद्धि होगी।
  - **स्किल इंडिया, PMKVY** और **उद्योग 4.0, AI, रोबोटिक्स एवं सेमीकंडक्टर के साथ जुड़े** प्रशिक्षुता कार्यक्रमों का विस्तार करने से भविष्य के लिये तैयार कार्यबल तैयार होगा।
  - **उद्योग-अकादमिक संबंधों, व्यावसायिक शिक्षा और STEM शिक्षा** को मज़बूत करने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
  - **कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों और प्रोत्साहनों** के माध्यम से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को प्रोत्साहित करने से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।
  - **MSME पारिस्थितिकी तंत्र और ऋण पहुँच को मज़बूत करना:** डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऋण संवितरण को सुव्यवस्थित करना, **ECLGS (आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) कवरेज को बढ़ाना** और **संपार्श्विक आवश्यकताओं को कम करना MSME विकास को बढ़ावा** देगा।
  - **मुद्रा ऋण, SIDBI सहायता** और **फैक्टरिंग तंत्र** का विस्तार करने से छोटे निर्माताओं के लिये चलनिधि में सुधार होगा।
  - **क्लस्टर आधारित विकास, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और निर्यात प्रोत्साहन** के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में MSME की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।
  - **आत्मनिर्भर भारत पहल** और **एक ज़िला एक उत्पाद पहल** के तहत स्थानीय घटक विनिर्माण को समर्थन देने से आयात पर निर्भरता कम होगी।

- **बुनियादी अवसंरचना का आधुनिकीकरण और औद्योगिक गलियारे: DMIC** (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा), **CBIC** (चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा) और **AKIC** (अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा) जैसी औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं में तेज़ी लाने से विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा।
  - तैयार बुनियादी अवसंरचना, निर्बाध बिजली आपूर्ति और कम लागत वाली भूमि अधिग्रहण नीतियों के साथ प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार निवेश को आकर्षित करेगा।
  - **स्मार्ट शहरों, शहरी लॉजिस्टिक्स केंद्रों और हरित ऊर्जा ग्रिडों** को सुदृढ़ करने से संधारणीय औद्योगिकीकरण सुनिश्चित होगा।
  - बुनियादी अवसंरचना के वित्तपोषण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का लाभ उठाने से राजकोषीय बाधाएँ कम होंगी।
  - **प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के साथ उच्च गति रेल माल ढुलाई प्रणालियों को एकीकृत** करने से आपूर्ति श्रृंखला की समुत्थानशक्ति में सुधार होगा।
- **आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करना:** भारत को **सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा विनिर्माण** जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशीकरण में तेज़ी लानी चाहिये।
  - **PLI (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजनाओं का विस्तार करने** तथा उच्च मूल्य विनिर्माण के लिये अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहनों को एकीकृत करने से विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी।
  - **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** और **ऑटो पार्ट्स के लिये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** विकसित करने से आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिल सकता है।
  - संयुक्त उद्यमों, प्रौद्योगिकी अंतरण और घरेलू मूल्य श्रृंखला एकीकरण को प्रोत्साहित करने से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- **उच्च तकनीक विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना: भारत** को लक्षित

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अनुसंधान एवं विकास वित्त पोषण के माध्यम से **अर्द्धचालक, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बायोटेक और डीप-टेक क्षेत्रों** में उच्च मूल्य वाले विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिये।

- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, AI नवाचार केंद्रों और स्टार्टअप इनक्यूबेशन कार्यक्रमों** का विस्तार करने से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी तकनीक-संचालित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।
- **पेटेंट संरक्षण, प्रौद्योगिकी अंतरण नीतियों और विश्वविद्यालय अनुसंधान अनुदानों** को मज़बूत करने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को बढ़ावा देने से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का तेज़ी से व्यावसायीकरण संभव होगा।

- **वैश्विक व्यापार साझेदारी और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को तीव्र करना:** भारत को निर्माताओं के लिये बाज़ार अभिगम का विस्तार करने के लिये **यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा के साथ लंबित FTA को महत्त्वाकांक्षी तरीके से अंतिम रूप** देना चाहिये।
  - **घरेलू उद्योगों को बहुराष्ट्रीय आपूर्ति नेटवर्क के साथ एकीकृत करके वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) में भागीदारी** को दृढ़ करने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
  - निर्यात ऋण सुविधाएँ बढ़ाने, **सीमा पार ई-कॉमर्स एकीकरण** और **वैश्विक विपणन सहायता** से व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार होगा।
  - उभरते बाज़ार (जैसे: **अफ्रीका**) में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को मज़बूत करने से **निर्यात गंतव्यों में विविधता** आएगी।
- **संवहनीय और हरित विनिर्माण की ओर संक्रमण: कार्बन-शून्य औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा** देना, हरित हाइड्रोजन मिशन का विस्तार करना तथा सौर और पवन ऊर्जा अंगीकरण को प्रोत्साहित करना भारत को संवहनीय विनिर्माण में अग्रणी बनाएगा।
  - **वृत्तीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं, पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग** और **शून्य-अपशिष्ट उत्पादन मॉडल** को प्रोत्साहित करने से उद्योगों को वैश्विक ESG मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा।
  - **स्थायित्वपूर्ण निवेश के लिये कर प्रोत्साहन प्रदान करते हुए हरित विनियमन** लागू करने से पर्यावरण के प्रति जागरूक विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
  - **कार्बन क्रेडिट, ग्रीन बॉण्ड और नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण** के लिये प्रमाणन कार्यढाँचे की स्थापना वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेगी।

निष्कर्ष:

भारत की विनिर्माण वृद्धि वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिये **नीतिगत सुधारों, बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन** एवं **तकनीकी प्रगति पर निर्भर** करती है। **रसद, MSME समर्थन, उच्च तकनीक अनुसंधान एवं विकास** और **संवहनीय प्रथाओं को सुदृढ़ करके**, राष्ट्र वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत कर सकता है। **'वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल' को अपनाना** भारत को विश्व स्तरीय विनिर्माण का केंद्र बनाने की कुंजी होगी।

■■■

भारत में राष्ट्रपति शासन और संघवाद

यह एडिटोरियल 20/02/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "President's Rule and the road ahead" पर आधारित है। लेख में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर चर्चा की गई है, जिसमें विश्वास के पुनर्निर्माण, निष्पक्षता को बढ़ावा देने तथा स्थायी शांति के लिये विभाजनकारी एजेंडे से बचने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, भारतीय संविधान, संवैधानिक संशोधन, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान, न्यायपालिका।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने से संघवाद और केंद्रीय हस्तक्षेप पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। **शासन की विफलताओं** के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में बनाया गया **अनुच्छेद 356**, इसके

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

संभावित दुरुपयोग के लिये **प्राय: आलोचना** का सामना करता रहा है। **वर्ष 1950** से, इसे **134 बार लगाया गया** है, जिसमें से **मणिपुर में 11 बार इसका सामना** करना पड़ा है। **अनुच्छेद 356** के तहत राष्ट्रपति शासन, शासन के विफल होने पर **केंद्र को राज्य प्रशासन संभालने की अनुमति** देता है। हालाँकि, **संघवाद, संवैधानिक अखंडता और संभावित राजनीतिक दुरुपयोग** पर चिंताएँ इसके अनुप्रयोग को भारतीय लोकतंत्र में एक विवादास्पद मुद्दा बनाती हैं।

राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक प्रावधान और महत्त्व क्या हैं?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **संवैधानिक आधार और आपातकालीन प्रावधान:** भारतीय संविधान, भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) के तहत, तीन प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान करता है: **राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)** और **वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।**
  - **संघ का उत्तरदायित्व: अनुच्छेद 355 में** यह प्रावधान है कि **संघ सरकार प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाएगी** तथा **संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन** सुनिश्चित करेगी।
  - **राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार:** राष्ट्रपति शासन **दो संवैधानिक प्रावधानों के तहत घोषित** किया जा सकता है:
    - **अनुच्छेद 356** राष्ट्रपति को राज्य प्रशासन संभालने का अधिकार देता है, कार्यकारी शक्तियों **पर संघ का नियंत्रण** प्रदान करता है और संसद को **विधायी प्राधिकार का प्रयोग करने की अनुमति** देता है।
    - **अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति को यह अधिकार** देता है कि **यदि कोई राज्य संघ के निर्देशों की अवहेलना करता है तो वह शासन की विफलता की घोषणा कर सकता है,** जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 356 लागू हो सकता है।
  - **लागू करने की प्रक्रिया:** राष्ट्रपति शासन की घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों **द्वारा अनुमोदित** किया जाना चाहिये।
  - **अवधि और विस्तार:** राष्ट्रपति शासन आरंभ में **छह महीने के लिये** लगाया जाता है और इसे **तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।**
    - एक वर्ष से अधिक के लिये विस्तार हेतु **अनुच्छेद 352** के अंतर्गत **राष्ट्रीय आपातकाल** या **चुनाव आयोग से प्रमाणीकरण की आवश्यकता** होती है कि राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते।
- **महत्त्व:**
  - **संवैधानिक शासन सुनिश्चित करना: अनुच्छेद 356** के अंतर्गत **राष्ट्रपति शासन,** राज्य के प्रशासनिक पतन के दौरान **नेतृत्व शून्यता** को रोकता है।
  - **स्थिरता और कानून एवं व्यवस्था बहाल करना:** यह केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने, **स्थिरता बहाल करने** और नए **चुनाव कराने की अनुमति** देता है।
  - **संविधान सभा पर बहस: अनुच्छेद 356 और 365** पर बहस से **राजनीतिक दुरुपयोग** और संवैधानिक विघटन को परिभाषित करने में **अस्पष्टता की आशंकाएँ** उत्पन्न हुईं।
    - जहाँ **कुछ सदस्यों को अत्यधिक केंद्रीकरण की आशंका** थी वहीं अन्य ने इन प्रावधानों को **राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखने के लिये आवश्यक** बताया।
    - **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने इन प्रावधानों का **संवैधानिक व्यवस्था के लिये आवश्यक सुरक्षा के रूप में** समर्थन किया, लेकिन आशा व्यक्त की कि ये **'मृत पत्र' बने रहेंगे** और **केवल असाधारण मामलों में ही उपयोग** किये जाएंगे।

भारत में अब तक राष्ट्रपति शासन

- वर्ष 1950 से अब तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है,** जो शासन के साधन के रूप में इसकी **उपयोगिता एवं इसके दुरुपयोग पर चिंता** दोनों को दर्शाता है।
- **प्रथम उदाहरण (वर्ष 1951) - पंजाब राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाला पहला राज्य** था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया** - **मणिपुर और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 11-11 बार राष्ट्रपति शासन** लगाया गया, जो **दीर्घकालिक राजनीतिक अस्थिरता** को दर्शाता है।
- **सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन** –
  - **जम्मू और कश्मीर** में अलगाववादी आंदोलनों के कारण **12 वर्ष (4,668 दिन) से अधिक समय तक** अलगाववाद रहा।
  - **पंजाब (1980 का दशक) में 10 वर्षों (3,878 दिन) से अधिक समय तक उग्रवाद** रहा।
  - **पुडुचेरी सात वर्षों (2,739 दिन) से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन** रहा।

राष्ट्रपति शासन किस प्रकार कार्य करता है?

- **कार्यकारी और विधायी नियंत्रण:** राष्ट्रपति शासन के तहत, **राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ केंद्र सरकार में स्थानांतरित** हो जाती हैं तथा **विधायी कार्य संसद द्वारा निष्पादित** किये जाते हैं।
  - हालाँकि, उच्च न्यायालय सहित न्यायपालिका अप्रभावित रहती है।
- **केंद्रीय प्रशासक के रूप में राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रशासन** करता है, जिसमें **मुख्य सचिव या केंद्र द्वारा नियुक्त सलाहकार उसकी सहायता करते हैं।**
- **राज्य विधानमंडल पर प्रभाव:** राज्य विधान सभा को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित या भंग किया जा सकता है।
  - राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान राज्य में **कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद पर** होती है।
  - अत्यावश्यक मामलों के समाधान के लिये **जब संसद सत्र में न हो, तब भी अध्यादेश जारी किये जा सकते हैं।**
- **वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण:** राष्ट्रपति राज्य के शासन के लिये **राज्य की संचित निधि से व्यय को मंजूरी** दे सकता है।
  - **प्रशासनिक कार्यवाहियाँ और नीतिगत निर्णय केंद्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप** होते हैं तथा प्रायः **राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को दरकिनार कर दिया जाता है।**
- **राष्ट्रपति शासन का निरसन: राष्ट्रपति संसदीय अनुमोदन** की आवश्यकता के बिना, **एक नई घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को निरस्त** कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बीच अंतर

पहलू	राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)	राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
आरोपण के आधार	जब भारत की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो इसकी घोषणा की जाती है।	यह घोषणा तब की जाती है जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है तथा इसका संबंध युद्ध या बाह्य आक्रमण से नहीं होता है।
राज्य सरकार पर प्रभाव	राज्य कार्यपालिका और विधायिका कार्य करना जारी रखती हैं, जबकि केंद्र को समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।	राज्य कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है और विधायिका को निलंबित या इसका विघटन कर दिया जाता है तथा राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाता है।
विधायी शक्तियाँ	संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, लेकिन शक्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।	संसद कानून बनाने की शक्तियाँ राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारियों को सौंप सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अवधि	कोई अधिकतम अवधि नहीं; प्रत्येक छह माह में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है।	तीन वर्ष की अधिकतम सीमा संवैधानिक शासन की बहाली के साथ समाप्त होती है।
केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव	सभी राज्यों के साथ केंद्र के संबंधों में संशोधन करता है।	केवल प्रभावित राज्य के साथ केंद्र के संबंधों में संशोधन करता है।
संसदीय अनुमोदन	अनुमोदन और जारी रखने के लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।	अनुमोदन और जारी रखने के लिये साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
मौलिक अधिकारों पर प्रभाव	अनुच्छेद 19, 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है।	नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
निरसन प्रक्रिया	लोक सभा निरसन हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है।	निरसन पूर्णत: राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है।

राष्ट्रपति शासन लागू करने से जुड़ी बहसें क्या हैं?

- **संघवाद और संवैधानिक स्वायत्तता:** राष्ट्रपति शासन सत्ता के **अत्यधिक केंद्रीकरण और राज्य की स्वायत्तता को कम करके संघवाद** को कमज़ोर करता है।
  - **राष्ट्रपति शासन** लागू होने से निर्वाचित राज्य सरकारें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे **केंद्र को कार्यकारी और विधायी नियंत्रण हासिल करने का मौका** मिल जाता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता कम हो जाती है।
- **सत्ता सुदृढ़ीकरण के लिये राजनीतिक दुरुपयोग:** वर्ष 1950 से ही **राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग विपक्ष शासित राज्य सरकारों को बर्खास्त** करने के लिये किया जाता रहा है।
  - उदाहरण के लिये, **सत्र 1966-1977 की अवधि में 48 बार राष्ट्रपति शासन** लगाया गया।
- **संवैधानिक विफलता की परिभाषा:** संविधान में **'संवैधानिक मशीनरी की विफलता'** को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण केंद्र द्वारा **व्यक्तिपरक व्याख्याएँ और दुरुपयोग को बढ़ावा** मिलता है।
- **संवैधानिक सुरक्षा:** प्रारंभ में, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे थी।
- **38वें संशोधन (वर्ष 1975)** ने राष्ट्रपति शासन को गैर-न्यायसंगत बना दिया, लेकिन **44वें संशोधन (1978) ने न्यायिक समीक्षा** को बहाल कर दिया।
- **शासन-व्यवस्था पंगु हो जाती है:** राष्ट्रपति शासन से नीतियों के क्रियान्वयन में विलंब होता है तथा प्रशासन कमज़ोर होता है, क्योंकि राज्य के अधिकारी सीधे केंद्र को रिपोर्ट करते हैं।
- **राज्यपाल द्वारा दुरुपयोग:** राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद रही है, जैसा कि **अरुणाचल प्रदेश मामले (वर्ष 2016)** में देखा गया है।
  - **पुंछी आयोग** ने सुझाव दिया कि राज्यपालों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिये और उन्हें 'केंद्र का एजेंट' नहीं बनना चाहिये।

राष्ट्रपति शासन पर सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ क्या हैं?

- **राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (वर्ष 1977): सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन** लगाने के लिये **अनुच्छेद 365** के तहत **केंद्र के व्यापक विवेक** को बरकरार रखा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि **न्यायिक समीक्षा सीमित** है, जिससे **भारतीय संघवाद में एकात्मक पूर्वाग्रह को बल** मिलता है तथा संवैधानिक गैर-अनुपालन के लिये राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति मिलती है।

- **एस.आर. बोम्मई केस (वर्ष 1994):** एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) निर्णय ने अनुच्छेद 356 के उपयोग पर महत्त्वपूर्ण सीमाएँ निर्धारित कीं।
- न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि **राष्ट्रपति शासन सशर्त** है, **निरपेक्ष नहीं** तथा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **अनुच्छेद 356 का प्रयोग** केवल **अंतिम उपाय के रूप में** किया जाना चाहिये, राजनीतिक उद्देश्यों के लिये नहीं।
  - न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि राष्ट्रपति **संसद की मंज़ूरी के बिना किसी राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकते** तथा उन्हें पहले राज्य सरकार को चेतावनी जारी करनी होगी।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने से पहले **सदन में सरकार के बहुमत का परीक्षण** किया जाना चाहिये।
- **रामेश्वर प्रसाद केस (वर्ष 2006):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **राष्ट्रपति शासन के तहत बिहार विधानसभा को भंग करना असंवैधानिक** था।
  - इसने **ऐसे निर्णयों की न्यायिक समीक्षा पर ज़ोर** दिया तथा **इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग केवल शासन में वास्तविक व्यवधान के लिये ही किया जाना चाहिये, राजनीतिक कारणों से नहीं।**
- **गुजरात मजदूर सभा केस (वर्ष 2020):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **अनुच्छेद 356 के तहत** राष्ट्रपति शासन केवल तभी लागू किया जा सकता है जब **आंतरिक गड़बड़ी किसी राज्य की संवैधानिक कार्यप्रणाली** को बाधित करती है, जिससे राज्य सरकार के लिये संविधान के अनुसार कार्य करना असंभव हो जाता है।

आगे की राह:

- **सरकारिया आयोग की सिफारिशें: अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में, अंतिम उपाय के रूप में** किया जाना चाहिये, जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो गए हों।
  - राज्यपाल **मंत्रिपरिषद को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकते** जब तक कि राज्य विधानसभा में उसे **बहुमत प्राप्त** है।
- **पुंछी आयोग की सिफारिशें: जब राज्य प्रशासन बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति** के कारण निरस्त हो जाता है, तो संघ को संवैधानिक विफलता के लिये **अनुच्छेद 356 को सख्ती से लागू** करने से पहले **अनुच्छेद 355 के तहत सभी विकल्पों को समाप्त** कर लेना चाहिये।
  - दुरुपयोग को रोकने के लिये, **अनुच्छेद 356 को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से एस.आर. बोम्मई (वर्ष 1994) के फैसले के अनुरूप** बनाया जाना चाहिये, जिससे स्पष्टता सुनिश्चित हो और केंद्र-राज्य संबंधों **का संरक्षण** हो सके।
  - अनुच्छेद 352 और 356 के लिये सख्त शर्तों को देखते हुए, एक **स्थानीय आपातकालीन कार्यढाँचा राज्य विधानसभा** को भंग किये बिना लक्षित केंद्रीय हस्तक्षेप की अनुमति देगा, जिससे राज्य शासन को बनाए रखा जा सकेगा।
- **NCRWC की सिफारिशें: संविधान के कार्यकरण की समीक्षा** के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने **राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले गैर-अनुपालन के लिये स्पष्ट मानदंड** सुनिश्चित करके **अनुच्छेद 365 के दुरुपयोग को सीमित करने की सिफारिश** की।
  - इसने **न्यायिक सुरक्षा पर ज़ोर दिया, राज्यपाल की रिपोर्ट को विस्तृत बनाने की मांग** की तथा राज्य के मामलों में केंद्रीय हस्तक्षेप से पहले वैकल्पिक उपायों पर बल दिया।
- **सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना:** अनुच्छेद 356 को लागू करने से पहले सरकार के बहुमत खोने को साबित करने के लिये **अनिवार्य रूप से शक्ति परीक्षण की आवश्यकता** होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- जब तक संसद राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी नहीं दे देती, तब तक राज्य विधानसभाओं का तत्काल विघटन नहीं किया जाना चाहिये, ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके।

- **कानूनी और संवैधानिक सुधार: अनुच्छेद 356** में **'संवैधानिक तंत्र की विफलता'** को परिभाषित करना दुरुपयोग और व्यक्तिपरक व्याख्या से बचने के लिये आवश्यक है।
  - लंबे समय तक केंद्रीय नियंत्रण को रोकने के लिये राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि को कम करने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।
- **शासन की जवाबदेही में सुधार: लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने के लिये समय पर चुनाव कराना आवश्यक** है, तथा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि **शासन को निर्वाचित सरकार के हाथों में लौटाने के लिये चुनाव शीघ्रता से कराए जाएँ।**
  - **स्थानीय शासन तंत्र को सुदृढ़ करके राष्ट्रपति शासन के दौरान विकेंद्रीकृत प्रशासन** को प्रोत्साहित करने से राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता को रोका जा सकता है।
- **लोकतांत्रिक अखंडता और संघीय संतुलन सुनिश्चित करना:** राष्ट्रपति शासन को राजकौशल के साधन के बजाय **संकट प्रबंधन के लिये एक संवैधानिक सुरक्षा** के रूप में काम करना चाहिये।
  - न्यायिक जाँच को सुदृढ़ करना, संवैधानिक दिशा-निर्देशों को संशोधित करना और संघवाद को सुदृढ़ करना यह सुनिश्चित करेगा कि **अनुच्छेद 356 को** लोकतांत्रिक कार्यढाँचे के भीतर विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाए।

निष्कर्ष:

डॉ. बी.आर. अंबेडकर को उम्मीद थी कि **राष्ट्रपति शासन** एक **'मृत पत्र'** बनकर रह जाएगा। **लोकतंत्र को बनाए रखने के लिये, इसे एक संवैधानिक सुरक्षा कवच होना चाहिये, न कि एक राजनीतिक साधन।** न्यायिक निगरानी को सुदृढ़ करना, शासन की विफलता को परिभाषित करना और समय पर चुनाव सुनिश्चित करना दुरुपयोग को रोक सकता है। एक **संतुलित दृष्टिकोण** जो स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संघवाद का सम्मान करता है, भारत के लोकतांत्रिक कार्यढाँचे के लिये महत्त्वपूर्ण है।

■■■

समुत्थानशक्ति और समावेशिता के लिये भावी शहरों की योजना

यह एडिटोरियल 21/02/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "Kumbh's transient city raises lessons in urban planning and resilience" पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कुंभ मेला क्षणिक शहरीकरण का उदाहरण है, जो कुंभ मेला अस्थायी शहरीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है, जो एक छोटे अस्थायी शहर के लिये त्वरित बुनियादी अवसंरचना के निर्माण को प्रदर्शित करता है तथा शहरी डिज़ाइन में सुरक्षा, संवहनीयता, मानव व्यवहार और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, शहरीकरण, स्थानीय स्वशासन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

कुंभ मेले के लिये निर्मित **अस्थायी शहर (अवसंरचना) में तेज़ी से शहरीकरण** का प्रदर्शन किया गया है, लेकिन यह संवहनीयता, समुत्थानशक्ति और शासन में **चुनौतियों को भी उजागर** करता है। **वर्ष 2050 तक, भारत की 50% आबादी शहरों में रहने की उम्मीद** है, जिससे अनियंत्रित विस्तार के कारण **संसाधनों, आवास और परिवहन पर दबाव** पड़ेगा। **अपर्याप्त नियोजन, लापरवाह शासन और शहरी योजनाकारों की कमी** से भीड़भाड़ एवं **पर्यावरणीय समस्याओं** की स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। भविष्य के लिये तैयार शहरों के लिये **शहरी नियोजन, शासन** और **संधारणीय बुनियादी अवसंरचना** को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

शहरी नियोजन और परिवर्तन में सुधार की क्या आवश्यकता है?

- **तीव्र शहरीकरण:** अनुमान है कि वर्ष 2050 तक भारत की शहरी आबादी 50% तक पहुँच जाएगी, जिससे बुनियादी अवसंरचना पर दबाव बढ़ेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- वर्ष 2001 और 2011 के दौरान जनगणना कस्बों की संख्या 1,362 से बढ़कर 3,892 हो गयी, जो **अनियोजित वृद्धि** को उजागर करती है।
- अपर्याप्त शहरी नियोजन से **भीड़भाड़, आवास की कमी, पर्यावरण क्षरण और** संसाधन कुप्रबंधन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अनुमान** है कि **भारत को** वर्ष 2030 तक शहरी **बुनियादी अवसंरचना में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता** है।

- **व्यापक नियोजन तंत्र का अभाव:** NITI आयोग के अनुसार, 4,041 वैधानिक शहरों (भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार) में से **52% में वर्तमान में अनुमोदित मास्टर प्लान का अभाव** है या वे तैयार नहीं हैं।
  - **अनियोजित शहरी विस्तार** के परिणामस्वरूप **अकुशल परिवहन प्रणाली,** जल की कमी और **स्वच्छता संबंधी समस्याएँ** उत्पन्न होती हैं।
  - **एक बार जब अनियमित विस्तार** हो जाता है तो शहरों की पुनर्रचना महंगी और अप्रभावी हो जाती है।
- **कुशल शहरी नियोजकों की कमी:** NITI आयोग के लिये TCPO और NIUA द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में केवल 17,000 शहरी नियोजक हैं, जबकि **12,000 नगर नियोजकों** की कमी है।
  - **कुशल पेशेवरों** के बिना, **शहरी शासन खंडित, अकुशल और असंवहनीय** बना रहता है।
- **खंडित शहरी शासन:** 74वें संविधान संशोधन **का उद्देश्य** शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को सशक्त बनाना था, लेकिन इसका क्रियान्वयन अपर्याप्त रूप से किया गया।
  - शहरी नियोजन का कार्य स्वतंत्र रूप से करने वाली अनेक एजेंसियों के कारण **अकुशलताएँ और निम्नस्तरीय सेवा वितरण** होता है।
  - शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय स्वायत्तता **का अभाव** है, जिसके कारण वे धन के लिये राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भर रहते हैं।
    - उदाहरण के लिये, **बेंगलुरु और जयपुर** शहर संपत्ति कर से संभावित आय का मात्र **5 से 20% ही एकत्र** कर रहे हैं।

शहरी नियोजन और परिवर्तन में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **पुराने नियामक कार्यढाँचे:** अधिकांश राज्य स्तरीय **नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम** पुराने हो चुके हैं, जो आधुनिक शहरी चुनौतियों का समाधान करने में विफल हैं।
  - विनियमों में जलवायु अनुकूलन, **स्मार्ट बुनियादी अवसंरचना और सतत् शहरीकरण** के प्रावधानों का अभाव है।
  - **धीमी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया** बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के **समय पर कार्यान्वयन में बाधा** डालती है।
- **अकुशल भूमि उपयोग और झुग्गी-झोपड़ियों की वृद्धि:** लापरवाह भू-उपयोग नीतियों के कारण भीड़भाड़, अनियोजित विस्तार और झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या में वृद्धि होती है।
  - ज़ोनिंग कानूनों के कमज़ोर प्रवर्तन के कारण **अतिक्रमण और अनधिकृत कॉलोनियों का विकास** जारी है।
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, **महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की संयुक्त झुग्गी आबादी 2.20 करोड़** है, जो भारत की कुल झुग्गी आबादी **6.55 करोड़ का लगभग 33.6%** है।
  - **धारावी पुनर्विकास परियोजना का लक्ष्य 10 लाख से अधिक झुग्गीवासियों का पुनर्वास** करना है, लेकिन भूमि विवादों के कारण इसमें विलंब हो रहा है।
- **सीमित सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता:** उच्च साक्षरता दर के बावजूद, शहरी नियोजन में सार्वजनिक भागीदारी न्यूनतम बनी हुई है।
  - शहरी प्रशासन के बारे में **जागरूकता की कमी के कारण नीति कार्यान्वयन अप्रभावी** हो जाता है।
  - **सहभागी बजट,** जिसमें निवासी **निर्णय लेने में योगदान** करते हैं, भारतीय शहरों में बहुत हद तक अनुपस्थित है।
- **शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में वित्तीय बाधाएँ: कम संपत्ति कर** अनुपालन और अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन के कारण **ULB को राजस्व सृजन में संघर्ष** करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **RBI की रिपोर्ट** के अनुसार, कर राजस्व **नगर निगमों की आय का केवल 30%** है।
- केंद्रीय और राज्य वित्तपोषण पर निर्भरता शहरों की स्वतंत्र विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने की क्षमता को सीमित करती है।

- **पर्यावरणीय चुनौतियां और जलवायु अनुकूलन:** भारत में प्रतिवर्ष **42 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट (नगर-निगम) उत्पन्न** होता है, जिसमें से **72% टियर-I शहरों से** आता है।
  - अनियमित शहरीकरण से **प्रदूषण, अपशिष्ट कुप्रबंधन और संसाधनों की कमी** बढ़ती है।
  - दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में लापरवाह शहरी नियोजन के कारण वायु की गुणवत्ता लगातार निम्न होती जा रही है।
    - **लैंसेट प्लैनेट हेल्थ** के अध्ययन में पाया गया कि भारत का कोई भी भाग विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करता है, तथा PM2.5 प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 15 लाख लोगों की मृत्यु होती है।

शहरी नियोजन और परिवर्तन के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- **विधायी एवं नीतिगत सुधार:**
  - वर्ष 1996 के शहरी विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन (UDPFI) दिशानिर्देशों ने नियोजन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।
  - वर्ष 2014 **शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (URDPFI)** दिशानिर्देशों ने आधुनिक शहरी रणनीतियों की शुरुआत की।
  - 15वें वित्त आयोग ने नगरपालिका सुधारों और **शहरी प्रशासन** के लिये वित्त पोषण बढ़ाने की सिफारिश की।
  - मॉडल टेनेंसी एक्ट (2021) का उद्देश्य किराये के बाज़ारों को औपचारिक बनाना और आवास की कमी को रोकना है।
  - भारत सरकार ने **स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT** के तहत **शहरी बुनियादी अवसंरचना के वित्तपोषण को बढ़ाने** के लिये नगर-निगम बॉण्ड को बढ़ावा दिया।
    - **पुणे, इंदौर और अहमदाबाद** जैसे शहरों ने सफलतापूर्वक बॉण्ड जारी किये, जिससे वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित हुई तथा बाज़ार-संचालित निवेश के माध्यम से शहरी प्रशासन में सुधार हुआ।
- **पहल:**
  - केंद्रीय बजट 2025-26 में, अर्बन चैलेंज फण्ड **ने शहरों को विकास केंद्र, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास** और **जल एवं स्वच्छता** के समर्थन के लिये ₹1 लाख करोड़ आवंटित किये हैं, जिसमें सत्र 2025-26 के लिये ₹10,000 करोड़ विशेष रूप से निर्धारित किये गए हैं।
  - स्मार्ट सिटीज़ मिशन (वर्ष 2015) **प्रौद्योगिकी-संचालित शासन और बुनियादी अवसंरचना में सुधार** को बढ़ावा देता है।
  - AMRUT (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) योजना **शहरी बुनियादी अवसंरचना के विकास** पर केंद्रित है।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य **शहरी गरीबों को किफायती आवास** उपलब्ध कराना है।
  - स्वच्छ भारत मिशन-शहरी एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है।
  - दीन दयाल अंत्योदय योजना - NULM एक मिशन है जो कौशल विकास, **स्वरोजगार** और वित्तीय समावेशन के माध्यम से **शहरी गरीबों को स्थायी आजीविका के अवसरों के लिये सशक्त** बनाता है।
  - गति शक्ति मास्टर प्लान (2021) विकास को सुव्यवस्थित करने के लिये **परिवहन, रसद और शहरी बुनियादी अवसंरचना को एकीकृत** करता है।
- **डिजिटल और GIS-आधारित योजना का एकीकरण:**
  - AMRUT के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के शहरों के लिये **GIS आधारित मास्टर प्लान क्रियान्वित** किये जा रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- नागरिक सहभागिता के लिये MyGov जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शहरी शासन में पारदर्शिता बढ़ाते हैं।
- AI और बिग डेटा एनालिटिक्स को अपनाने से यातायात प्रबंधन एवं सेवा वितरण में सहायता मिलती है।
  - उदाहरण के लिये, **पुणे एक्सप्रेसवे** यातायात उल्लंघनों की निगरानी करने, पैटर्न का पता लगाने तथा सुगम यात्रा अनुभव हेतु **सुरक्षा और दक्षता में सुधार करने के लिये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS)** का उपयोग करता है।
- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)** ने **95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण** कर दिया है, जिससे शहरी नियोजन में सुधार हुआ है।

- भारत में शहरी परिवर्तन के सर्वोत्तम अभ्यास और उदाहरण
  - **कुंभ मेला: अस्थायी शहरीकरण के लिये एक मॉडल:** प्रयागराज में वर्ष 2025 के कुंभ मेले में तेज़ी से बुनियादी अवसंरचना के विकास, **AI निगरानी और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन** का प्रदर्शन किया जाएगा।
    - 30 पांटून पुलों और 92 नवीनीकृत सड़कों से सुचारू यातायात सुनिश्चित हुआ।
    - 2,700 CCTV कैमरों और ड्रोन के साथ AI-सक्षम निगरानी ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बढ़ाया।
    - इस आयोजन से **2.7 बिलियन डॉलर** की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न हुई, जिससे शहरी नियोजन की आर्थिक क्षमता पर प्रकाश पड़ा।
  - **इंदौर का अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल:** इंदौर की विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली ने स्रोत पर 100% अपशिष्ट पृथक्करण हासिल किया।
    - शहर ने लैंडफिल पर निर्भरता कम करने के लिये सख्त निगरानी, नागरिक सहभागिता और कम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित कीं।
    - **इंदौर को वर्ष 2017 से लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग** में भारत के **सबसे स्वच्छ शहर** का दर्जा दिया गया है।
  - **शहरी यातायात प्रबंधन: चंडीगढ़ की AI ट्रैफिक प्रणाली** 2,000 से अधिक CCTV कैमरों के साथ उल्लंघन का पता लगाने को स्वचालित करती है, जिससे नियमों का निर्बाध प्रवर्तन सुनिश्चित होता है।
    - **कोलकाता का रियल-टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट,** प्रतीक्षा समय को कम करने और वाहनों की आवागमन में सुधार करने के लिये AI का उपयोग करके सिग्नल को समायोजित करता है।
  - **बेंगलुरु की सतत् परिवहन पहल:** मेट्रो विस्तार परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक बस बेड़े का उद्देश्य भीड़भाड़ एवं उत्सर्जन को कम करना है।
    - इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिल-शेयरिंग कार्यक्रमों के साथ लास्ट-माइल कनेक्टिविटी का एकीकरण अभिगम को बढ़ाता है।
    - **नम्मा मेट्रो चरण-2** का विस्तार 72 किमी. तक होगा, जिससे यात्रा का समय 40% कम हो जाएगा।
  - **चेन्नई के जल प्रबंधन सुधार:** अनिवार्य वर्षा जल संचयन को लागू करके, चेन्नई ने अपनी जल गुणवत्ता में सुधार किया है और भूजल स्तर को बहुत हद तक बढ़ाया है।
    - शहर अब अपनी **जल मांग का 15% पुनर्चक्रण के माध्यम से पूरा करता है** तथा 8% उपचारित अपशिष्ट जल उद्योगों को बेचा जाता है।
- **अन्य सर्वोत्तम प्रथाएँ:**
  - **विशाखापत्तनम में भारत का पहला पार्क** बनाया गया है, जो दिव्यांग बच्चों के लिये बनाया गया है, जिसमें समावेशी शहरी स्थानों को बढ़ावा देने के लिये संवेदी अनुभव, व्हीलचेयर सुलभता और सुरक्षित क्रीड़ा क्षेत्र शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जबलपुर का 311 ऐप** नागरिकों को नागरिक सेवाओं तक अभिगम, शिकायतों की रिपोर्ट करने और सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना के मुद्दों को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। ऐप सीधे शासन से **संपर्क और वास्तविक काल समाधान** सुनिश्चित करता है।
- **सूरत** का शहरी प्रबंधन के लिये **एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र** शहर की निगरानी, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन मोचन के लिये IT प्रणालियों को एकीकृत करता है। यह प्रणाली **शहरी शासन, नागरिक सुरक्षा और नगरपालिका दक्षता** को बढ़ाती है।
- **नासिक ने बहुस्तरीय बाढ़ तैयारी योजना** को अपनाया, जिसमें GIS मैपिंग, रियल-टाइम अलर्ट और समन्वित बचाव कार्यों को एकीकृत किया गया, जिससे **शहरी बुनियादी अवसंरचना पर आपदा प्रभाव को बहुत हद तक कम** किया जा सका।
- चेन्नई ने **पॉण्डी बाज़ार को पैदल यात्रियों के अनुकूल सैरगाह में बदल दिया,** जिससे **पैदल चलने की सुविधा, शहरी सौंदर्य और स्थानीय व्यापारिक सहभागिता में वृद्धि हुई**, जिससे शहर अधिक रहने योग्य बन गया।

आगे की राह क्या होनी चाहिये?

- **शहरी शासन और स्वायत्तता को बढ़ाना:** संपत्ति कर **और भूमि मूल्य अधिग्रहण का लाभ** उठाकर शहरों को अधिक **वित्तीय स्वायत्तता** प्रदान की जानी चाहिये।
  - जर्मनी की नगरपालिका वित्त प्रणाली कुल कर राजस्व का लगभग **15% शहरी सरकारों को आवंटित** करती है।
  - इसके अलावा, **मुंबई नगर निगम ने संपत्ति कर सुधार** और **भूमि मुद्रीकरण** के माध्यम से राजस्व में वृद्धि की, **50,000 झुग्गी-झोपड़ियों के व्यवसायों का 350 करोड़ रुपए का मूल्यांकन** करने की योजना बनाई, जो **अन्य शहरी निकायों के लिये एक मॉडल** के रूप में कार्य करेगा।
- **बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विस्तार:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से विकसित बैंगलोर का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहरी बुनियादी अवसंरचना में निजी क्षेत्र की प्रभावी भागीदारी को दर्शाता है।
  - **ब्रिटेन की टेम्स टाइडवे टनल प्रोजेक्ट**, जो एक सफल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पहल है, कुशल सीवेज प्रबंधन के माध्यम से **यमुना और मूसी** जैसी नदियों की सफाई के लिये **एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।**
- **सतत् शहरी विकास: सिंगापुर की ग्रीन प्लान- 2030** सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, **अपशिष्ट प्रबंधन और नेट-ज़ीरो कार्बन** विकास पर केंद्रित है।
  - **कोपेनहेगन** ने शहरी बाढ़ से निपटने के लिये **ब्लू-ग्रीन अवसंरचना** के साथ एक जलवायु अनुकूलन योजना विकसित की है।
  - सूरत की जलवायु अनुकूल रणनीति, जिसमें **बाढ़ प्रबंधन, शहरी हरियाली** और **संधारणीय जल प्रथाओं का संयोजन** किया गया है, समान पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य शहरों के लिये एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।
- **डिजिटल और स्मार्ट शहरी नियोजन को सुदृढ़ बनाना:** बार्सिलोना की स्मार्ट सिटी पहल अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी गतिशीलता को अनुकूलित करने के लिये IoT प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।
  - भारत के **स्मार्ट सिटी मिशन** ने वास्तविक-काल निगरानी के लिये **भोपाल और पुणे** जैसे शहरों में एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित किये हैं।
- **समावेशी और सहभागी शहरी विकास को बढ़ावा देना: ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे** में सहभागी बजट मॉडल, नगरपालिका संबंधी निर्णय लेने में निवासियों को सशक्त बनाता है।
  - **पुणे का सहभागी बजट मॉडल, शहरी परियोजनाओं के प्रस्ताव और कार्यान्वयन** के लिये **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है**, जो समुदाय-संचालित विकास को बढ़ावा देने वाले अन्य शहरों के लिये एक मूल्यवान उदाहरण के रूप में काम कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निष्कर्ष

भारत के शहरी परिवर्तन को **सतत् विकास, कुशल शासन और समावेशी योजना पर ध्यान केंद्रित** करने की आवश्यकता है। **शहरी शासन, डिजिटल एकीकरण और कुशल कार्यबल** को मज़बूत करने से **संधारणीय, जन-केंद्रित शहर** बनेंगे। एक दूरदर्शी दृष्टिकोण **रहने योग्य, पर्यावरण की दृष्टि से समुत्थानशील और आर्थिक रूप से जीवंत शहरी स्थान** सुनिश्चित करेगा, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिये दीर्घकालिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

■■■

भारत का मृदा स्वास्थ्य संकट

यह एडिटोरियल 23/02/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "Fixing India's soil crisis: Farmer awareness, tech can arrest degradation" पर आधारित है। इस लेख में भारत की विषम उर्वरक नीति के प्रतिकूल प्रभावों, जिसमें अत्यधिक यूरिया सब्सिडी के कारण गंभीर पोषक तत्त्व असंतुलन उत्पन्न हो गया है, का उल्लेख किया गया है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-3, संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

भारत का मृदा स्वास्थ्य संकट एक **विषम उर्वरक नीति का परिणाम** है जो **यूरिया पर भारी सब्सिडी** देती है, जिससे **अत्यधिक नाइट्रोजन का उपयोग** होता है। वर्तमान NPK अनुपात 7.7:3.1:1 **आदर्श 4:2:1 अनुपात के बिल्कुल विपरीत** है, जो कृषि मृदा में गंभीर पोषक असंतुलन को दर्शाता है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों पर इस अत्यधिक निर्भरता के साथ-साथ फॉस्फोरस, पोटेशियम, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों और जैविक खाद के अपर्याप्त उपयोग ने **मृदा की उत्पादकता में गिरावट** के दुष्चक्र को जन्म दिया है।

चूँकि भारत अपनी बढ़ती आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, इसलिये **संतुलित पोषक तत्त्व प्रबंधन और नीति सुधारों** के माध्यम से **मृदा स्वास्थ्य संकट पर तत्काल ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता** है।

भारत की कृषि समृद्धि को बनाए रखने में मृदा की क्या भूमिका है?

- **खाद्य सुरक्षा और फसल उत्पादकता की नींव:** मृदा **पौधों की वृद्धि** के लिये प्राथमिक माध्यम है, जो सीधे फसल की उपज, पोषक तत्त्व अवशोषण और समग्र कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है।
  - भारतीय मृदा की उर्वरता **चावल, गेहूँ और दलहन** जैसी प्रमुख फसलों की उच्च उत्पादकता को बनाए रखती है, जिससे 1.4 अरब लोगों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
  - विभिन्न प्रकार की मृदा, जैसे **सिंधु-गंगा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी** और **महाराष्ट्र में काली मिट्टी,** विविध फसल पैटर्न को बढ़ावा देती हैं।
  - **FAO रिपोर्ट** में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि **वैश्विक खाद्य उत्पादन का 95% हिस्सा मृदा पर निर्भर** करता है, जिससे भारत की कृषि संधारणीयता के लिये इसका संरक्षण आवश्यक हो जाता है।
    - **सत्र 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन** के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया तथा तिलहन उत्पादन 41.4 मिलियन टन तक पहुँच गया।
- **पोषक चक्र और मृदा सूक्ष्मजीव स्वास्थ्य सुनिश्चित करना:** स्वस्थ मृदा एक **प्राकृतिक पोषक भंडार** के रूप में कार्य करती है, जो **पौधों की वृद्धि के लिये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम** जैसे आवश्यक तत्त्व प्रदान करती है।
  - **मृदा में सूक्ष्मजैविक गतिविधि** कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण और मृदा की उर्वरता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत का जैविक कृषि गतिविधि, जिसमें **वर्मीकल्चर और** जैव उर्वरक जैसी **पारंपरिक तकनीकें** शामिल हैं, **पोषक तत्त्वों से भरपूर मृदा पर निर्भर** करता है।
  - कुशल पोषक चक्रण के बिना कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **जल प्रतिधारण और सूखे-सहिष्णुता:** मृदा एक **प्राकृतिक स्पंज** के रूप में कार्य करती है, जो **जल के निवेश, प्रतिधारण और जल निकासी** को नियंत्रित करती है, जिससे फसल की स्थिर वृद्धि सुनिश्चित होती है।
  - मृदा में **उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा** जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, सिंचाई की मांग को कम करती है और फसलों को अनियमित मानसून के प्रति अधिक समुत्थाशील बनाती है।
  - **राजस्थान और बुंदेलखंड** जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, **मल्चिंग और कवर क्रॉपिंग** जैसी मृदा नमी संरक्षण पद्धतियाँ कृषि उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करती हैं।
    - उचित मृदा संरचना उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जलभराव और जड़ रोगों को भी रोकती है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन और कार्बन पृथक्करण:** मृदा **कार्बन को अवशोषित करने और संग्रहीत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाती है, जिससे कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है।
  - **कार्बन-समृद्ध मृदा तापमान को स्थिर रखकर और मरुस्थलीकरण को रोककर** चरम मौसम के प्रति बफर के रूप में कार्य करती है।
  - कृषि वानिकी **और संरक्षण कृषि** जैसी पद्धतियाँ मृदा कार्बन अवशोषण को बढ़ाती हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है।
    - भारत की कृषि मृदा का स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए रखने की देश की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है।
  - कृषि मृदा में **20-30 वर्षों तक प्रतिवर्ष 3-8 गीगाटन CO_2 अवशोषित करने की तकनीकी क्षमता** है, जो उत्सर्जन में कमी और जलवायु स्थिरीकरण के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति करने में मदद करती है।
- **जैव-विविधता संरक्षण और कीट नियंत्रण:** स्वस्थ मृदा **लाभकारी सूक्ष्मजीवों, कवकों और कीटों,** जो **प्राकृतिक कीट नियंत्रण में योगदान** करते हैं, के विविध पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देती है।
  - मृदा में पाए जाने वाले जीव, जैसे **केंचुए और माइकोराइज़ल कवक,** मृदा में वायु संचार को बेहतर बनाते हैं तथा फसलों के लिये पोषक तत्त्वों के अवशोषण में सुधार करते हैं।
  - संतुलित मृदा पारिस्थितिकी तंत्र **रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करता है,** जिससे **कृषि अधिक संधारणीय और लागत प्रभावी** बनती है।
    - इसके अलावा, एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि उच्च मृदा जैव-विविधता वाले खेतों में **निम्नस्तरीय मृदा की तुलना में कीटों का प्रकोप कम** होता है।
- **आर्थिक स्थिरता और ग्रामीण आजीविका:** मृदा की उर्वरता सीधे कृषि आय को प्रभावित करती है, क्योंकि **स्वस्थ मृदा से फसल की उपज अधिक** होती है और **बाज़ार में कीमतें भी बेहतर होती हैं।**
  - **भारतीय जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई हिस्सा कृषि पर निर्भर** है और मृदा स्वास्थ्य उनकी आर्थिक स्थिरता और रोज़गार संभावनाओं को निर्धारित करता है।
  - उपजाऊ मृदा उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके **इनपुट लागत को कम करती है, जिससे किसानों का लाभ मार्जिन बढ़ता है।**
    - मृदा-आधारित कृषि-उद्योग, जैसे **जैविक कृषि और खाद उत्पादन,** भी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं।

भारत के मृदा स्वास्थ्य संकट में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **असंधारणीय कृषि पद्धतियाँ:** रासायनिक उर्वरकों, **कीटनाशकों और** मोनोक्रॉपिंग/एकल फसल के अत्यधिक प्रयोग से मृदा की उर्वरता कम हो गई है तथा पोषक तत्त्वों में असंतुलन उत्पन्न हो गया है।
  - **पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में** MSP समर्थित गेहूँ-चावल चक्र द्वारा संचालित गहन कृषि के कारण मृदा का गंभीर क्षरण हुआ है।
    - इसके अतिरिक्त, **अत्यधिक एवं गहन जुताई** से मृदा की संरचना नष्ट हो जाती है, जिससे जल और पोषक तत्त्वों को बनाए रखने की इसकी क्षमता कम हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- वर्ष 2022 की **भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट** में पाया गया कि **भारत की 30% भूमि अवनयन के खतरे में** है।

- **घटता हुआ जैविक कार्बन और मृदा सूक्ष्मजीवी जीवन:** मृदा ऑर्गेनिक कार्बन (SOC) उर्वरता के लिये महत्त्वपूर्ण है, लेकिन **कम जैविक पदार्थ समावेशन के कारण तेज़ी से हो रही कमी ने मृदा स्वास्थ्य का ह्रास** कर दिया है।
  - फसल अवशेषों के दहन (पराली दहन) से, विशेष रूप से **सिंधु-गंगा क्षेत्र** में, मृदा में **पोषक तत्त्वों के पुनर्भरण के बजाय कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं।**
  - **सिंथेटिक उर्वरकों** पर अत्यधिक निर्भरता सूक्ष्मजीवी पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है, जिससे पोषक चक्रण कम हो जाता है।
    - शहरीकरण के लिये निर्वनीकरण और अतिक्रमण से मृदा की प्राकृतिक जैविक मात्रा नष्ट हो रही है।
  - भारत में मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC) की मात्रा **पिछले 70 वर्षों में 1% से घटकर 0.3%** रह गई है।
    - पंजाब जैसे राज्यों में **केवल 6.9% मृदा में उच्च कार्बनिक कार्बन** था तथा सत्र 2024-25 में यह प्रतिशत और कम हो गया।
- **मृदा क्षरण और मरुस्थलीकरण:** बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण, **अतिचारण** और **अपर्याप्त जल प्रबंधन** गंभीर मृदा क्षरण एवं भूमि अवनयन में योगदान करते हैं, विशेष रूप से अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में।
  - असंधारणीय खनन **और औद्योगिक गतिविधियाँ** भी ऊपरी मृदा को नष्ट कर देती हैं, जिससे भूमि की कृषि क्षमता कम हो जाती है।
  - भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन एटलस (SAC-2021) के अनुसार, भारत में **भूमि अवनयन की वर्तमान सीमा 97.85 मिलियन हेक्टेयर** है, जो **देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 29.77%** है।
- **निम्नस्तरीय सिंचाई पद्धतियों के कारण अत्यधिक निष्कर्षण और लवणीकरण: अत्यधिक** भूजल निष्कर्षण और **जल गहन सिंचाई** सहित अवैज्ञानिक-सिंचाई से मृदा में लवणता, क्षारीयता और जलभराव होता है।
  - **पंजाब और हरियाणा** जैसे राज्यों में उचित जल निकासी के बिना निरंतर सिंचाई के कारण **द्वितीयक** लवणीकरण हुआ है।
    - उचित प्रबंधन के बिना नहर सिंचाई से **जलभराव** होता है, जिससे मृदा वातन और सूक्ष्मजीवी गतिविधि कम हो जाती है।
  - वर्ष 2022 में पूरे देश के लिये कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण **239.16 BCM अनुमानित** किया गया है, जिसमें कृषि भूजल संसाधनों का प्रमुख उपभोक्ता है, जो **कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण का लगभग 87%** है।
    - भारत की 6.7 मिलियन हेक्टेयर नमक प्रभावित भूमि के कारण 11.18 मिलियन टन फसल का नुकसान हुआ है, जिसका मूल्य लगभग **150.17 बिलियन रुपए** है।
- **जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएँ: अनियमित मानसून और बढ़ते तापमान** सहित अप्रत्याशित मौसम पैटर्न ने **सूखे, बाढ़ एवं गर्मी** के तनाव के माध्यम से मृदा क्षरण की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है।
  - तीव्र वर्षा के कारण जलभराव होता है, जिससे ऊपरी मृदा बह जाती है और पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं।
    - बढ़ते तापमान से मृदा कार्बन की हानि बढ़ जाती है, जिससे कृषि की दीर्घकालिक संधारणीयता कम हो जाती है।
  - जलवायु परिवर्तन के कारण, **सदी के अंत तक उच्च से अति उच्च मृदा क्षरण क्षेत्र 35.3% से बढ़कर 40.3% हो जाने का अनुमान** है।
    - उदाहरण के लिये, हिमाचल प्रदेश फ्लैश फ्लड-2023 के कारण कृषि क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी सतह को भारी नुकसान हुआ।
- **औद्योगिक एवं शहरी अपशिष्ट से प्रदूषण: भारी धातुओं, औद्योगिक अपशिष्टों और प्लास्टिक अपशिष्टों** के अनियंत्रित डंपिंग के कारण कृषि मृदा में विषाक्त प्रदूषण हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

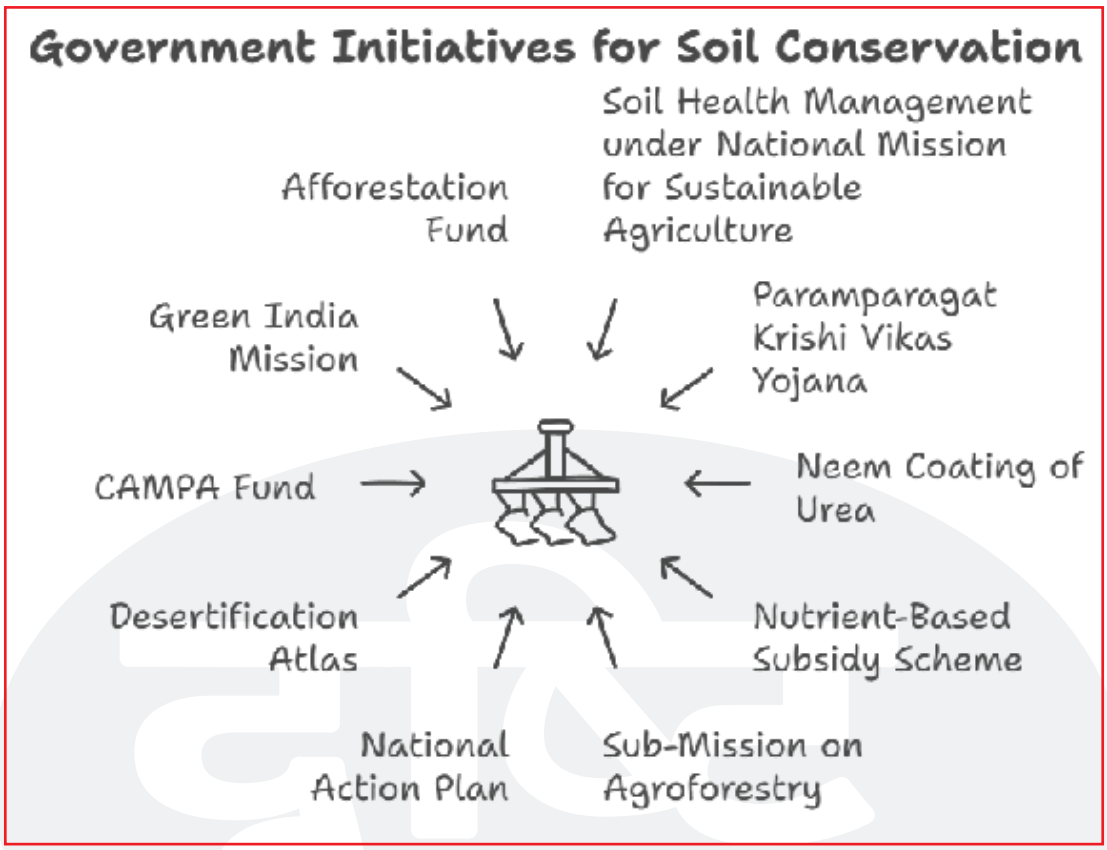

- शहरी क्षेत्रों में **अनुपचारित मल-मूत्र और लैंडफिल से मुक्त होने वाले तरल पदार्थ** मृदा की संरचना को नष्ट कर देते हैं तथा खतरनाक रसायन का समावेश करते हैं।
  - लैंडफिल एवं रासायनिक अपशिष्ट से होने वाला भूजल संदूषण मृदा रसायन को और अधिक प्रभावित करता है।
- भारत की कृष्ट भूमि **सीसा, कैडमियम और आर्सेनिक** जैसी भारी धातुओं से अत्यधिक प्रदूषित है।

- **प्रभावी नीति कार्यान्वयन और जागरूकता का अभाव:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना जैसी योजनाओं के बावजूद, किसानों में अपर्याप्त जागरूकता और अनुवर्ती कार्रवाई के कारण संधारणीय प्रथाओं के अंगीकरण की दर कम बनी हुई है।
  - वित्तीय वर्ष 2024 के लिये, भारत ने अपने **कुल कृषि बजट का नौवां हिस्सा** उर्वरक सब्सिडी **के लिये आवंटित** किया है।
    - लेकिन **कई किसानों के पास अभी भी मृदा की गुणवत्ता आँकड़ों तक वास्तविक काल अभिगम नहीं** है, जिससे उर्वरक उपयोग को अनुकूलित करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
  - संतुलित उर्वरक प्रयोग की सिफारिशों के बावजूद, **यूरिया** पर सरकारी सब्सिडी इसके अति प्रयोग को बढ़ावा देती है।
    - मौजूदा **NPK अनुपात 7.7:3.1:1** आदर्श 4:2:1 से **काफी अधिक** है, जो मृदा में गंभीर पोषक असंतुलन को दर्शाता है।
- **पारंपरिक कृषि-पारिस्थितिकी पद्धतियों का ह्रास:** उच्च उपज वाली, रसायन-निर्भर फसलों के बढ़ते चलन के कारण जैविक खाद, **फसल चक्र और कृषि वानिकी** सहित पारंपरिक जैविक कृषि के तरीकों में गिरावट आई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- देशी मृदा प्रबंधन तकनीकें, जैसे **राजस्थान में 'ज़ई पिट्स'** और **पूर्वोत्तर में 'वर्मीकल्चर' का स्थान गहन, मशीनीकृत कृषि द्वारा लिया जा रहा है।**
  - स्वदेशी ज्ञान का हाशिये पर जाना, विशेष रूप से लघु एवं आदिवासी किसानों के बीच, मृदा क्षरण के प्रति समुत्थानशक्ति कम कर देता है।

- **आनुवंशिकत: रूपांतरित (GM) फसलों और उच्च उपज वाली किस्मों का प्रभाव:** GM फसलों और उच्च उपज वाली किस्मों (HYV) के समावेशन से पोषक तत्त्वों की कमी बढ़ गई है, क्योंकि इन फसलों के लिये अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण के लिये, **Bt कपास** को महाराष्ट्र और तेलंगाना में मृदा जैव-विविधता में गिरावट से जोड़ा गया है।
    - उच्च उपज वाली फसलों के तेज़ी से विस्तार के कारण **पारंपरिक, सहिष्णु फसल किस्मों का भी नुकसान** हुआ है, जो बेहतर मृदा संरचना बनाए रखती हैं।

मृदा स्वास्थ्य पुनर्स्थापन और संरक्षण के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **संतुलित उर्वरक के लिये एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन (INM) को बढ़ावा देना:** भारत को अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग से हटकर **एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन को अपनाना** होगा, जिसमें जैविक खाद, जैवउर्वरक एवं सिंथेटिक इनपुट का विवेकपूर्ण संयोजन किया जाना चाहिये।
  - नैनो यूरिया और जैविक विकल्पों को बढ़ावा देने से उर्वरक के अति प्रयोग को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - जैव-उर्वरक के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC)** और परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) को जोड़ा जाना चाहिये।
    - ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर **कम्पोस्ट बनाने वाली इकाइयाँ** क्षरित मृदा में जैविक कार्बन के स्तर को बढ़ा सकती हैं।
- **कृषि वानिकी और बारहमासी फसल प्रणालियों का विस्तार: राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (NAP)** के माध्यम से **वृक्षों को कृषि के साथ** एकीकृत करने से मृदा कार्बनिक कार्बन में वृद्धि होती है, क्षरण को रोका जाता है तथा कृषि आय में वृद्धि होती है।
  - बहुफसली कृषि पद्धति के तहत उगाए जाने वाले **कदन्न और फलीदार फसलों** की कृषि से उत्पादकता बनाए रखते हुए बंजर भूमि को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
  - कृषि वानिकी, जो पहले से ही **कर्नाटक और ओडिशा में लोकप्रिय** है, को देश भर में बढ़ाया जाना चाहिये।
  - **मृदा संरक्षण कार्यों को** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) से जोड़ने से बंजर कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर वनरोपण को बढ़ावा मिल सकता है।
- **शून्य-जुताई और संरक्षण कृषि को प्रोत्साहित करना: शून्य-जुताई कृषि** के अंगीकरण से मृदा क्षरण कम होता है, सूक्ष्मजैविक गतिविधि बढ़ती है तथा मृदा-नमी का संरक्षण होता है, विशेष रूप से गेहूँ-चावल फसल प्रणालियों में।
  - **पंजाब और हरियाणा में** हैप्पी सीडर तकनीक ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार करते हुए **पराली दहन में सफलतापूर्वक कमी** लायी है।
  - **धान की कृषि में** प्रत्यक्ष बीज विधि (DSR) विधि से भू-जल का उपयोग कम होता है और मृदा संरचना संरक्षित रहती है।
  - **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)** द्वारा समर्थित संरक्षण कृषि को अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाना चाहिये।
    - शून्य-जुताई वाली सोयाबीन की कृषि में **ब्राज़ील की सफलता** को भारत की **दलहन और अनाज की कृषि में** अपनाया जा सकता है।
- **कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के माध्यम से क्षरित भूमि को पुन: स्थापित करना: मृदा पुनरुद्धार प्रयासों में कृषि-पारिस्थितिकी आधारित मॉडल** को अपनाना चाहिये, जिसमें मृदा संरचना एवं उर्वरता में सुधार के लिये प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों को शामिल किया जा सकता है।
  - दलहन और फलियों जैसे नाइट्रोजन-फिक्सिंग पौधों के साथ **अंतर-फसल एवं फसल चक्र** को प्रोत्साहित करने से प्राकृतिक रूप से पोषक तत्त्वों की पूर्ति हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- राजस्थान की **ज़ई पिट तकनीक** जैसी मृदा-पुनर्जीवन तकनीकों से मृदा क्षरण को सफलतापूर्वक रोका जा सकता है।
- इन दृष्टिकोणों को **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)** के अंतर्गत **वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY) के माध्यम से मुख्यधारा में** लाया जाना चाहिये।

- **नियंत्रित सिंचाई को लागू करना और लवणीकरण को रोकना:** अत्यधिक सिंचाई के कारण सिंधु-गंगा के मैदानों में **मृदा में लवणता और जलभराव की समस्या** उत्पन्न हुई है; **ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के अंगीकरण** से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है।
  - **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे मृदा की नमी को संरक्षित किया जा सके तथा अपरदन को कम किया जा सके।
  - **वर्षा जल संचयन और सतही जल सिंचाई** के संयुक्त उपयोग से भूजल की कमी को रोका जा सकता है।
    - लवण प्रभावित क्षेत्रों में **लवण-सहिष्णु फसल किस्मों** का उपयोग (जैसा कि **तटीय गुजरात** में किया गया है) उत्पादकता को पुनर्स्थापित कर सकता है।
- **मृदा जैव-विविधता और सूक्ष्मजीव कायाकल्प सुदृढ़ीकरण: बायोइनॉकुलेंट्स, वर्मीकल्चर और माइकोराइज़ल कवक** के माध्यम से **मृदा सूक्ष्मजैविक विविधता** को बढ़ाने से **मृदा की उर्वरता एवं पौधों की सहिष्णुता में सुधार** हो सकता है।
  - **एकीकृत कृषि प्रणालियाँ (IFS)** जो पशुधन, फसल और मात्स्यिकी को जोड़ती हैं, प्राकृतिक पोषक चक्रण सुनिश्चित करती हैं।
  - **जैविक अवशेषों के पुनर्चक्रण के लिये पूसा बायो-डीकंपोज़र (IARI नवाचार) जैसे डी-कंपोज़र** को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिये।
  - **फुकुओका की प्राकृतिक कृषि** जैसी मृदा-अनुकूल तकनीकों ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं।
- **वेदिका कृषि और चरागाह पुनर्भरण के माध्यम से मृदा क्षरण का मुकाबला करना:** पहाड़ी और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में ऊपरी मृदा के नुकसान को रोकने के लिये **वेदिका (सीढ़ीनुमा) कृषि, चेकडैम और वनस्पति अवरोधों की आवश्यकता** होती है।
  - **समुदाय-नेतृत्व वाले जलग्रहण प्रबंधन** को प्रोत्साहित करने से (जैसा कि **महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि** में किया गया) क्षरणग्रस्त भूदृश्यों का पुन: भरण किया जा सकता है।
  - **गुजरात के बन्नी घास-स्थलों** में चरागाह पुनर्भरण के प्रयास, क्षरित हो चुकी चरागाह भूमि को पुनर्जीवित करने के लिये एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं।
    - **प्रतिपूरक वनीकरण (CAMPA फंड) को मृदा संरक्षण परियोजनाओं के साथ** जोड़ने से संधारणीय भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **नीति कार्यान्वयन और किसान जागरूकता को दृढ़ करना:** कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और **FPO (किसान उत्पादक संगठनों) के माध्यम से क्षमता निर्माण पहल** को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
  - **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के साथ जोड़ने से व्यक्तिगत खेतों के लिये अनुकूलित उर्वरक अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) की उप-योजना,** मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत एक सुदृढ़ नीतिगत प्रयास, राज्य और केंद्र के प्रयासों को प्रभावी ढंग से समन्वित कर सकता है।
- **औद्योगिक एवं शहरी मृदा प्रदूषण को रोकना:** विशेष रूप से शहरों के निकट औद्योगिक अपशिष्टों और **अनुपचारित शहरी अपशिष्टों** के कारण कृषि मृदा का विषाक्त संदूषण हो गया है।
  - **CPCB दिशानिर्देशों** के तहत **मृदा गुणवत्ता निगरानी को सख्त रूप से लागू** करने से भारी धातु संचयन को रोका जा सकता है।
  - **फाइटोरिमेडिएशन (विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने के लिये पौधों का उपयोग करना)** को बढ़ावा देने से शहरी क्षेत्रों में दूषित मृदा का पुनर्भरण किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **तमिलनाडु की नवोन्मेषी बायोचार परियोजनाएँ** और **कोलकाता की ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स आधारित कृषि** जैसी पहल यह दर्शाती हैं कि शहरी अपशिष्ट को किस प्रकार मृदा-समृद्ध संसाधनों में परिवर्तित किया जा सकता है।
  - **स्मार्ट सिटी मिशन** को शहरी मृदा पुनरुद्धार परियोजनाओं के साथ जोड़ने से सतत् शहरी कृषि सुनिश्चित हो सकती है।
- **पुनर्योजी और प्राकृतिक कृषि के अंगीकरण के लिये किसानों को प्रोत्साहित करना:** पुनर्योजी कृषि तकनीकें, जैसे कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF) और **पर्माकल्चर,** बाह्य आदान को कम करते हुए मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ा सकती हैं।
  - **आंध्र प्रदेश** ने पुनर्योजी पद्धतियों को बढ़ावा देने की व्यवहार्यता प्रदर्शित की है।
  - **कवर क्रॉपिंग और मल्चिंग** को प्रोत्साहित करने से मृदा की संरचना में सुधार हो सकता है तथा पोषक तत्त्वों की कमी को रोका जा सकता है।
  - राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन (NMOF) के अंतर्गत नीतिगत प्रोत्साहनों को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत का मृदा स्वास्थ्य संकट दीर्घकालिक कृषि संधारणीयता, खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण आजीविका के लिये खतरा है तथा इसके लिये **खाद्य-ऊर्जा-जल संबंध को गति देने वाले सहयोगात्मक दृष्टिकोण** की आवश्यकता है। इस दिशा में **रासायन-प्रधान कृषि से संतुलित पोषक तत्त्व प्रबंधन, जैविक संशोधन** और **जलवायु-अनुकूल पद्धतियों की ओर संक्रमण** की आवश्यकता है। मृदा की उर्वरता को पुनर्स्थापित करने के लिये **उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने** तथा **कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने सहित नीतिगत सुधार** आवश्यक हैं। किसानों की जागरूकता को सुनिश्चित करना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे तकनीकी हस्तक्षेप से सतत् मृदा प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है।

■■■

RTI के उद्देश्य का पुनर्स्थापन

यह एडिटोरियल 25/02/2024 को द हिंदू में प्रकाशित "The RTI is now the 'right to deny information" पर आधारित है। इस लेख में RTI अधिनियम की घटती प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो कभी पारदर्शिता के लिये एक ऐतिहासिक सुधार था और अब प्रशासनिक प्रभुत्व, लंबित मामलों और प्रणालीगत प्रतिरोध के कारण कमज़ोर हो गया है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, सूचना का अधिकार, अर्ध न्यायिक निकाय

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, जिसकी कभी एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में सराहना की गई थी, साथ ही जिसने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके नागरिकों को सशक्त बनाने का प्रयास किया, सत्तासीन लोगों के **व्यवस्थित प्रतिरोध के कारण इसकी प्रभावशीलता में लगातार गिरावट** आई है। **विश्व के सबसे सुदृढ़ पारदर्शिता कानूनों में से एक** होने के बावजूद, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों के वर्चस्व वाले सूचना आयोगों, **नियुक्तियों में विलंब** और **मामलों के बढ़ते बैकलॉग** के कारण इसका कार्यान्वयन कमज़ोर होता चला गया है। नवीनतम विफलता **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के साथ हुई है,** जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि यह **RTI को "सूचना से अस्वीकृति के अधिकार"** में बदल रहा है।

भारत में सूचना का अधिकार किस प्रकार अस्तित्व में आया?

- **सूचना के अधिकार की न्यायिक मान्यता (वर्ष 1975-1989)**
  - **वर्ष 1975:** सर्वोच्च न्यायालय ने **सूचना के अधिकार** को मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में मान्यता दी।
  - **वर्ष 1982:** अनुच्छेद 19(1)(a) **एवं** अनुच्छेद 21 के तहत विस्तारित व्याख्या के रूप में RTI को **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** और **जीवन के अधिकार** से जोड़ा गया।
  - **वर्ष 1985:** भोपाल गैस त्रासदी के बाद गैर सरकारी संगठनों ने **पर्यावरण संबंधी सूचना तक नागरिक अभिगम** की मांग की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **ज़मीनी स्तर के आंदोलन और प्रारंभिक प्रारूप (सत्र 1990-1999)**
  - **1990 का दशक:** राजस्थान में **मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)** जैसे आंदोलनों ने **जन सुनवाई** के माध्यम से **मजदूरी भुगतान में भ्रष्टाचार** को उजागर किया।
  - **वर्ष 1996: जन सूचना अधिकार के लिये राष्ट्रीय अभियान (NCPRI)** का गठन, जिसने **भारतीय प्रेस परिषद** के साथ मिलकर RTI विधेयक का प्रारूप तैयार किया।
  - **वर्ष 1997:** सरकार ने प्रारूप **एच.डी. शौरी समिति** को भेजा, जिसने अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं।
- **विधायी प्रयास और प्रारंभिक राज्य RTI कानून (2000-2004)**
  - **वर्ष 2000: संसदीय स्थायी समिति** ने RTI प्रारूप की समीक्षा की; **राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक** ने राज्य RTI कानून पारित किये।
  - **वर्ष 2002:** संसद ने **सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम** पारित किया, लेकिन **इसे कभी अधिसूचित नहीं किया गया।**
  - **वर्ष 2003:** सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार पर **RTI आधारित शासन सुधार लागू करने का दबाव** डाला।
  - **वर्ष 2004:** UPA सरकार के **कॉमन मिनिमम प्रोग्राम** में एक सख्त **RTI कानून का वादा** किया गया।
- **RTI अधिनियम का पारित होना (सत्र 2004-2005)**
  - **वर्ष 2004:** NCPRI ने **राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC)** को संशोधन प्रस्तुत किया।
    - **दिसंबर 2004:** सरकार ने केवल केंद्र सरकार को कवर करने वाला एक **सीमित RTI विधेयक** पेश किया, जिसके कारण विरोध हुआ।
  - **वर्ष 2005:** लॉबिंग के बाद, संसद ने **केंद्र और राज्य सरकारों** को कवर करते हुए एक **व्यापक RTI अधिनियम** पारित किया।
    - **12 अक्तूबर 2005: RTI अधिनियम लागू हुआ,** जिसके तहत **पुणे में शाहिद रज़ा बर्नी** द्वारा दायर RTI आवेदन, इस कानून के तहत दायर पहला आवेदन था।

सूचना का अधिकार (RTI) भारत में शासन में किस प्रकार योगदान देता है?

- **लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण और नागरिक सशक्तीकरण:** RTI नागरिकों को **सरकारी रिकॉर्ड, नीतियों और निर्णयों तक पहुँच** बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे **जवाबदेही** सुनिश्चित होती है।
  - यह **सहभागी लोकतंत्र को सुदृढ़ी करता है,** जिससे लोगों को प्राधिकारियों से सवाल करने और बेहतर शासन की मांग करने का अवसर मिलता है।
  - यह **सामाजिक लेखापरीक्षा** के लिये एक साधन के रूप में भी कार्य करता है, जिससे सीमांत समुदायों को अपने अधिकारों का दावा करने में मदद मिलती है।
  - उदाहरण: **चुनावी बॉण्ड योजना** में अनियमितताओं पर सवाल उठाने में RTI आवेदनों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    - इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **चुनावी बॉण्ड योजना मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन** करने के कारण **असंवैधानिक** है।
- **भ्रष्टाचार से लड़ना और सुशासन को बढ़ावा देना:** RTI **भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अकुशलता और नीतिगत विफलताओं को उजागर करने में मदद** करता है, जिससे लोक सेवक अधिक जवाबदेह बनते हैं।
  - शासन में गोपनीयता को कम करके, यह सुनिश्चित करता है कि **सरकारी अनुबंध, धन आवंटन** और **निर्णय लेने की प्रक्रिया** जाँच के अधीन हैं।
  - उदाहरण: **आदर्श हाउसिंग घोटाला (वर्ष 2010)** तब उजागर हुआ जब एक RTI से पता चला कि किस प्रकार सैनिकों व अन्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिये बने फ्लैटों को अवैध रूप से राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को आवंटित कर दिया गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **लोक कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** RTI **सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और धन के उपयोग पर नज़र** रखने, लीकेज और अकुशलता को रोकने में मदद करता है।
  - नागरिक **उपस्थिति रिकॉर्ड, व्यय विवरण और लाभार्थी सूची** की मांग कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सार्वजनिक धन इच्छित प्राप्तकर्त्ताओं तक पहुँचे।
  - उदाहरण: हाल ही में RTI के तहत पूछे गए प्रश्नों से **पश्चिम बंगाल की MNREGA योजना में अनियमितताएँ** उजागर हुईं, जिनमें फर्ज़ी कार्य रिकॉर्ड, पुराने जॉब कार्ड और अनुचित निविदा प्रक्रिया का खुलासा हुआ।
- **मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय को कायम रखना:** RTI अनुच्छेद 21 **(जीवन का अधिकार)** और अनुच्छेद 19(1)(a) **(वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)** से संबद्ध है, क्योंकि सूचना तक पहुँच सूचित निर्णय लेने एवं अन्य मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिये आवश्यक है।
  - यह **मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं, पत्रकारों और सीमांत समूहों** के लिये भेदभाव एवं अन्याय से लड़ने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
  - उदाहरण: **छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में (सत्र 2008-09) RTI से प्राप्त सूचना** में BPL राशन कार्डों के दुरुपयोग का खुलासा हुआ, जिसके कारण वास्तविक लाभार्थियों को उनके हक का अनाज नहीं मिल पा रहा था, जिससे सरकार को इस समस्या को सुधारने के लिये मज़बूर होना पड़ा।
- **मीडिया और व्हिसलब्लोअर्स को सशक्त बनाना:** RTI **पत्रकारों, कार्यकर्त्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स** के लिये एक शक्तिशाली जाँच उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड तक पहुँचने तथा गलत कामों को उजागर करने में मदद मिलती है।
  - इसने **सरकारी अनुबंधों, न्यायिक कार्यवाहियों और प्रशासनिक निर्णयों** को अधिक सुलभ बनाकर खोजी पत्रकारिता को सुदृढ़ किया है।
  - उदाहरण: **कोयला आवंटन घोटाला (Coalgate)** RTI के माध्यम से उजागर हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अवैध कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द कर दिये गए।

RTI की प्रभावशीलता में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **सूचना आयोगों में रिक्तियाँ और लंबित मामले: केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों** में **रिक्तियों की उच्च संख्या** के कारण RTI की दक्षता प्रभावित हो रही है, जिसके कारण अपील और शिकायतों में विलंब होता रहा है।
  - पर्याप्त आयुक्तों के बिना **मामले वर्षों तक अनसुलझे** रहते हैं, जिससे RTI की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
  - जून 2024 तक 29 सूचना आयोगों में **4 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित** थीं।
    - **सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट** के अनुसार, अक्तूबर 2024 तक, **4 राज्य** सूचना आयोग आयुक्तों की अनुपस्थिति के कारण **निष्क्रिय बने रहे,** जबकि केंद्रीय सूचना आयोग **11 स्वीकृत सदस्यों में से केवल 3 के साथ** काम कर रहा है।
- **विधायी संशोधनों के माध्यम से कमज़ोर करना:** हाल के संशोधनों ने सूचना आयोगों की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया है, जिससे वे सरकारी प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।
  - RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन निर्धारित करने की शक्ति दी, जिससे उनकी स्वायत्तता कम हो गई।
  - इसके अलावा, **DPDP अधिनियम, 2023** ने RTI की **धारा 8(1) में संशोधन** किया, जिससे **सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट** मिल गई, भले ही वह लोक सेवकों से संबंधित हो।
- **प्रशासनिक प्रतिरोध और गैर-अनुपालन:** कई लोक सेवक अपनी **अक्षमताओं और भ्रष्टाचार के उजागर होने के भय से जानबूझकर सूचना देने में विलंब** करते हैं या उसे अस्वीकार करते हैं।
  - कुछ संस्थाएँ तो **लोक सूचना अधिकारी (PIO) नियुक्त करने से भी अस्वीकृत** कर देती हैं, जिससे नागरिकों के लिये सूचना प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- राजनीतिक दलों ने भी RTI का उल्लंघन किया है, जिससे उनके वित्त पोषण और आंतरिक कामकाज़ की जाँच सीमित हो गई है।

- **सत्र 2023-24** में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को भेजी गई लगभग **42% RTI अपीलें बिना सुनवाई के वापस** कर दी गईं।

- **छूट और गोपनीयता कानूनों का विस्तार:** कई सरकारी निकाय व्यापक छूट के कारण RTI के दायरे से बाहर हैं।
  - यह देखा गया है कि **सरकारी विभाग प्राय:** आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए RTI के तहत सूचना साझा करने से इनकार कर देते हैं।**
    - **RAW, IB** और **CERT-In सहित 27 सुरक्षा एजेंसियों को** RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत **छूट** दी गई है।
- **सूचना प्रकटीकरण में अत्यधिक विलंब:** RTI अधिनियम के तहत **30 दिनों के भीतर** (या आजीवन कारावास और स्वतंत्रता के मामलों में **48 घंटे**) जवाब देना अनिवार्य है, लेकिन अधिकारी प्राय: इन समय-सीमाओं का उल्लंघन करते हैं।
  - इससे न्याय में विलंब होता है, विशेषकर मानवाधिकार उल्लंघन, पर्यावरण अनुमोदन और भ्रष्टाचार जाँच से संबंधित मामलों में।
    - इस तरह के विलंब के लिये कठोर दंड का अभाव अधिकारियों में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
  - वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि **भारत में 29 में से 12 सूचना आयोगों में सूचना देने से अनुचित अस्वीकृति** या **शिकायत पर अपील की सुनवाई के लिये प्रतीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक** है।
- **RTI कार्यकर्त्ताओं और मुखबिरों को धमकियाँ:** RTI कार्यकर्त्ताओं को उत्पीड़न और हिंसा सहित गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिससे नागरिक भ्रष्टाचार को उजागर करने से हतोत्साहित होते हैं।
  - संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के कारण कई कार्यकर्त्ताओं पर हमला किया गया या उनकी हत्या कर दी गई, फिर भी सुरक्षा तंत्र कमज़ोर बना हुआ है।
    - मुखबिरों की सुरक्षा के लिये बनाया गया **व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014** प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है।
  - **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI)** के अनुसार, वर्ष 2006 से अब तक **भारत भर में 99 RTI कार्यकर्त्ताओं की जान जा चुकी है** और **180 पर हमला** हुआ है।
- **RTI संस्थाओं में लैंगिक प्रतिनिधित्व का विषमता:** सूचना आयोगों में लैंगिक विविधता का अभाव **महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर परिप्रेक्ष्य** को सीमित करता है।
  - RTI की शुरुआत से ही इस पर **पुरुष अधिकारियों का वर्चस्व** रहा है, जिससे **लिंग-संवेदनशील शासन सुनिश्चित करने में असफलता** मिली है।
    - इससे पारदर्शिता तंत्र में **महिलाओं की चिंताओं का प्रतिनिधित्व कमज़ोर** होता है।
  - वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद से, देश भर में **सूचना आयुक्तों में से केवल 9% महिलाएँ** हैं।
    - इसके अलावा, 29 में से **12 सूचना आयोगों में** स्थापना के बाद से **एक भी महिला आयुक्त नहीं** है।
- **नागरिकों में जागरूकता का अभाव:** कई नागरिक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने **RTI अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ** रहते हैं, जिसके कारण इसका **कम उपयोग** होता है।
  - अभियान और शिक्षा के माध्यम से RTI जागरूकता को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास अपर्याप्त हैं।
  - प्रक्रिया की जानकारी के बिना, सीमांत समुदायों को जवाबदेही की मांग करने में संघर्ष करना पड़ता है।
  - PWC के एक अध्ययन के अनुसार, केवल **12% ग्रामीण आबादी** और **30% शहरी आबादी को RTI अधिनियम के संदर्भ में जानकारी** थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम का दुरुपयोग:** RTI अधिनियम **पारदर्शिता के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन** है, लेकिन तुच्छ या गैर-गंभीर प्रश्नों के लिये इसका दुरुपयोग सार्वजनिक कार्यालयों पर बोझ डालता है तथा महत्त्वपूर्ण शासन संबंधी मामलों से संसाधनों को हटाता है।
  - कुछ व्यक्ति **अधिकारियों को परेशान करने या व्यक्तिगत विवादों को निपटाने के लिये RTI दायर** करते हैं, जिससे **अधिनियम का मूल उद्देश्य कमज़ोर** होता है।
  - उदाहरण के लिये, एक बार किसी क्षेत्र में **मवेशियों की संख्या की गणना के लिये RTI दायर** की गई थी, जिससे यह पता चला कि किस प्रकार **अप्रासंगिक प्रश्न प्रशासनिक दक्षता पर असर डाल सकते हैं।**
    - इस तरह का **दुरुपयोग RTI अधिनियम की प्रभावशीलता** को कमज़ोर करता है तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी **भूमिका को बाधित करता है।**

RTI की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **रिक्तियों की भर्ती और लंबित मामलों को कम करना:** केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर **सूचना आयुक्तों की समय पर नियुक्ति** सुनिश्चित करना लंबित मामलों को निपटाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - भर्ती के लिये एक निश्चित समयसीमा और **स्वतंत्र चयन प्रक्रिया** से नियुक्तियों में राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।
  - अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिये फास्ट-ट्रैक तंत्र और अतिरिक्त पीठें शुरू की जानी चाहिये।
  - **AI-संचालित केस प्रबंधन प्रणालियों** का लाभ उठाने से तत्काल मामलों को प्राथमिकता देने एवं सुनवाई में तीव्रता लाने में मदद मिल सकती है।
    - दक्षता सुनिश्चित करने के लिये **सूचना आयोगों** का नियमित निष्पादन ऑडिट किया जाना चाहिये।
- **सूचना आयोगों की स्वायत्तता की आंशिक बहाली:** राज्य और केंद्रीय **सूचना आयोगों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता** को मज़बूत करने से सरकारी हस्तक्षेप को रोका जा सकेगा।
  - नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यकारी विवेक के बजाय **संसदीय निगरानी** शामिल होनी चाहिये।
  - **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की आवधिक समीक्षा** के माध्यम से न्यायिक जाँच से स्वतंत्रता को मज़बूती मिल सकती है।
- **सक्रिय प्रकटीकरण को सुदृढ़ बनाना (RTI अधिनियम की धारा 4):** सार्वजनिक प्राधिकरणों को RTI अनुरोधों की आवश्यकता को कम करने के लिये **ऑनलाइन सक्रिय रूप से जानकारी प्रकट करने के लिये अधिकृत** किया जाना चाहिये।
  - सरकारी वेबसाइटों को **बजट, निविदाओं, अनुबंधों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और निधि आवंटन** के विवरण के साथ **नियमित रूप से अद्यतन** किया जाना चाहिये।
  - **ओपन डेटा पोर्टल्स** के अंगीकरण से गैर-संवेदनशील जानकारी तक वास्तविक काल पर अभिगम सुनिश्चित हो सकता है।
  - प्रमुख योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के लिये **सामाजिक अंकेक्षण** और **तृतीय पक्ष के मूल्यांकन** को संस्थागत बनाया जाना चाहिये।
- **प्रशासनिक प्रतिरोध पर अंकुश लगाना और अनुपालन बढ़ाना:** बिना वैध कारण के सूचना देने में विलंब करने वाले या इनकार करने वाले अधिकारियों पर कठोर दंड लगाया जाना चाहिये।
  - मंत्रालयों और विभागों के लिये **RTI अनुपालन रेटिंग प्रणाली** स्थापित करने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सकता है।
    - जागरूकता और दक्षता में सुधार के लिये लोक सूचना अधिकारियों (PIO) को **अनिवार्य वार्षिक प्रशिक्षण** दी जानी चाहिये।
- **RTI कार्यकर्त्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना: व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014** को गुमनाम **शिकायतों और आपातकालीन सुरक्षा तंत्र** के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- फास्ट-ट्रैक अदालतों को **RTI कार्यकर्त्ताओं पर हमलों के मामलों को सख्त कानूनी प्रतिबंधों के साथ निपटाना चाहिये।**
- ज़िला स्तर पर समर्पित **RTI कार्यकर्त्ता हेल्पलाइन** और **सहायता प्रकोष्ठ** स्थापित किये जाने चाहिये।
- सरकार और नागरिक समाज की साझेदारी खतरों का सामना कर रहे कार्यकर्त्ताओं के लिये **कानूनी सहायता कोष** स्थापित कर सकती है।

- **सूचना आयोगों में लैंगिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना:** विविधता सुनिश्चित करने के लिये सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में न्यूनतम लैंगिक कोटा लागू किया जाना चाहिये।
  - सरकारी भर्ती नीतियों को अधिक महिलाओं को **PIO और IC पदों के लिये आवेदन** करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - RTI प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों **(SHG) और ज़मीनी स्तर के संगठनों के अनुरूप** होना चाहिये।
  - **महिला-केंद्रित पारदर्शिता पहलों** को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास में।
- **जागरूकता और डिजिटल अभिगम का विस्तार:** RTI साक्षरता को कम उम्र से ही जागरूकता उत्पन्न करने के लिये **स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल** किया जाना चाहिये।
  - सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म, सामुदायिक रेडियो और स्थानीय शासन निकायों का उपयोग करके **देशव्यापी RTI जागरूकता अभियान** चलाना चाहिये।
  - **क्षेत्रीय भाषा समर्थन** और **मोबाइल आधारित एप्लीकेशन** सहित RTI दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने से पहुँच बढ़ सकती है।
  - **ग्राम पंचायतों को RTI जागरूकता सत्र** आयोजित करने के लिये प्रोत्साहित करने से ग्रामीण भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।
- **सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 जैसे अतिव्यापी कानूनों का समाधान:** सरकारी **गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923** को RTI सिद्धांतों के अनुरूप बनाने और अनुचित गोपनीयता को कम करने के लिये सुधार किया जाना चाहिये।
  - सरकार की निर्णय प्रक्रिया, विशेषकर **राष्ट्रीय सुरक्षा से असंबंधित मुद्दों पर,** अधिक पारदर्शी होनी चाहिये।
  - **RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची,** जो 27 सुरक्षा एजेंसियों को छूट देती है, की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **गैर-संवेदनशील जानकारी का खुलासा न हो।**
- **RTI कार्यान्वयन के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** AI-संचालित **चैटबॉट और स्वचालित RTI सहायक** नागरिकों को बेहतर RTI आवेदन तैयार करने में मदद कर सकते हैं।
  - ब्लॉकचेन-आधारित **रिकॉर्ड-कीपिंग** से डेटा से छेड़छाड़ को रोका जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रकट की गई सूचना प्रामाणिक बनी रहे।
  - सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ों तक सुगमता प्रदान करने के लिये **RTI पोर्टलों को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत** किया जाना चाहिये।
  - **रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम** शुरू की जानी चाहिये, जिससे आवेदक अपने RTI अनुरोध की स्थिति पर नज़र रख सकें।

निष्कर्ष:

सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता को पुन: स्थापित करने के लिये, भारत को **समय पर नियुक्तियों को प्राथमिकता** देनी चाहिये, **डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिये** और **व्हिसलब्लोअर सुरक्षा को सुदृढ़** करना चाहिये। सक्रिय खुलासे और AI-संचालित केस प्रबंधन विलंब को कम कर सकते हैं और शासन को बेहतर बना सकते हैं। एक सही मायने में सशक्त RTI कार्यढाँचा जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करके लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा। पारदर्शिता का भविष्य **भागीदारीपूर्ण शासन के लिये एक साधन के रूप में RTI को पुनर्जीवित करने पर निर्भर** करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी का सुदृढ़ीकरण

यह एडिटोरियल 26/02/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "In Trump's world, India and Europe need each other" पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अमेरिका की बदलती नीतियाँ अनिश्चितता उत्पन्न कर रही हैं, जिससे यूरोप भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बन गया है।

एस टैग: सामान्य अध्यन पेपर-2, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

यूरोपीयन कमीशन के अध्यक्ष की संपूर्ण आयुक्त मंडल के साथ हाल ही में भारत की अधिकारिक यात्रा, जिसमें आयुक्तों का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है, भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के बढ़ते महत्त्व को उजागर करती है। जैसे-जैसे अमेरिकी विदेश नीति बदलती जा रही है, **ट्रान्स-अटलांटिक गठबंधनों, व्यापार नीतियों और सुरक्षा प्रतिबद्धताओं में व्यवधान आ रहे हैं, भारत और यूरोप** दोनों को ही अपनी **साझेदारी को मज़बूत करने की आवश्यकता** हुई है। भारत के लिये यूरोपीय संघ के साथ व्यापार, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा करना **आर्थिक स्थिरता, रणनीतिक विविधीकरण** तथा चीन व अमेरिका के लिये एक भू-राजनीतिक प्रतिपक्ष प्रदान करता है। यह यात्रा सहयोग का विस्तार करने और लंबे समय से चली आ रही व्यापार एवं निवेश बाधाओं को दूर करने का अवसर प्रदान करती है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का क्या महत्त्व है?

- **आर्थिक और व्यापार संबंध:** यूरोपीय संघ **भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक** है (साथ ही, भारत **यूरोपीय संघ का 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है), वर्ष 2023 में **भारत के कुल व्यापार** में इसका हिस्सा 12.2% होगा, जो **अमेरिका और चीन** दोनों से आगे होगा।
  - **पिछले दशक** में भारत और यूरोपीय संघ के बीच **वस्तुओं के व्यापार में 90% की वृद्धि** हुई, जबकि **वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक सेवाओं के व्यापार में 96% की वृद्धि** हुई।
- **यूरोपीय संघ से** पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) होता है, जो भारत के औद्योगिक विकास, रोज़गार सृजन और प्रौद्योगिकी अंतरण में सहायक है।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर वार्ता लंबे गतिरोध के बाद वर्ष 2021 में फिर से शुरू हुई, जिसमें टैरिफ कटौती, **निवेश संरक्षण** और **नियामक सरेखण पर ध्यान** केंद्रित किया गया।
  - यूरोपीय संघ भारत में अधिक बाज़ार अभिगम चाहता है, जबकि भारत निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने के लिये व्यापार बाधाओं को कम करना चाहता है।
- **सुरक्षा और रक्षा सहयोग:** यूरोपीय संघ भारत के साथ समुद्री सहयोग का विस्तार कर रहा है, गुरुग्राम में भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र में एक **संपर्क अधिकारी तैनात** कर रहा है।
  - **दोनों पक्ष** संयुक्त सैन्य अभ्यास और **आतंकवाद-रोधी रणनीतियों** पर चर्चा के साथ-साथ रक्षा प्रौद्योगिकी में **अधिक सहयोग की संभावनाएँ** तलाश रहे हैं।
  - यूरोपीय संघ की **एशिया के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने (ESIWA)** पहल, भारत सहित एशिया के साथ सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देती है, ताकि हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा की जा सके।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करना **चीन की विस्तारवादी नीति** का मुकाबला करने में भारत के हितों के अनुरूप है तथा यूरोपीय भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- **प्रौद्योगिकी, डिजिटल और बुनियादी अवसंरचना सहयोग:** भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) अर्द्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) का उद्देश्य **वैश्विक व्यापार मार्गों और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना** है।
  - **डिजिटल भुगतान** और फिनटेक में यूरोपीय संघ-भारत **सहयोग बढ़ रहा है,** जिसमें **सीमा पार डिजिटल लेनदेन पर चर्चा** हो रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

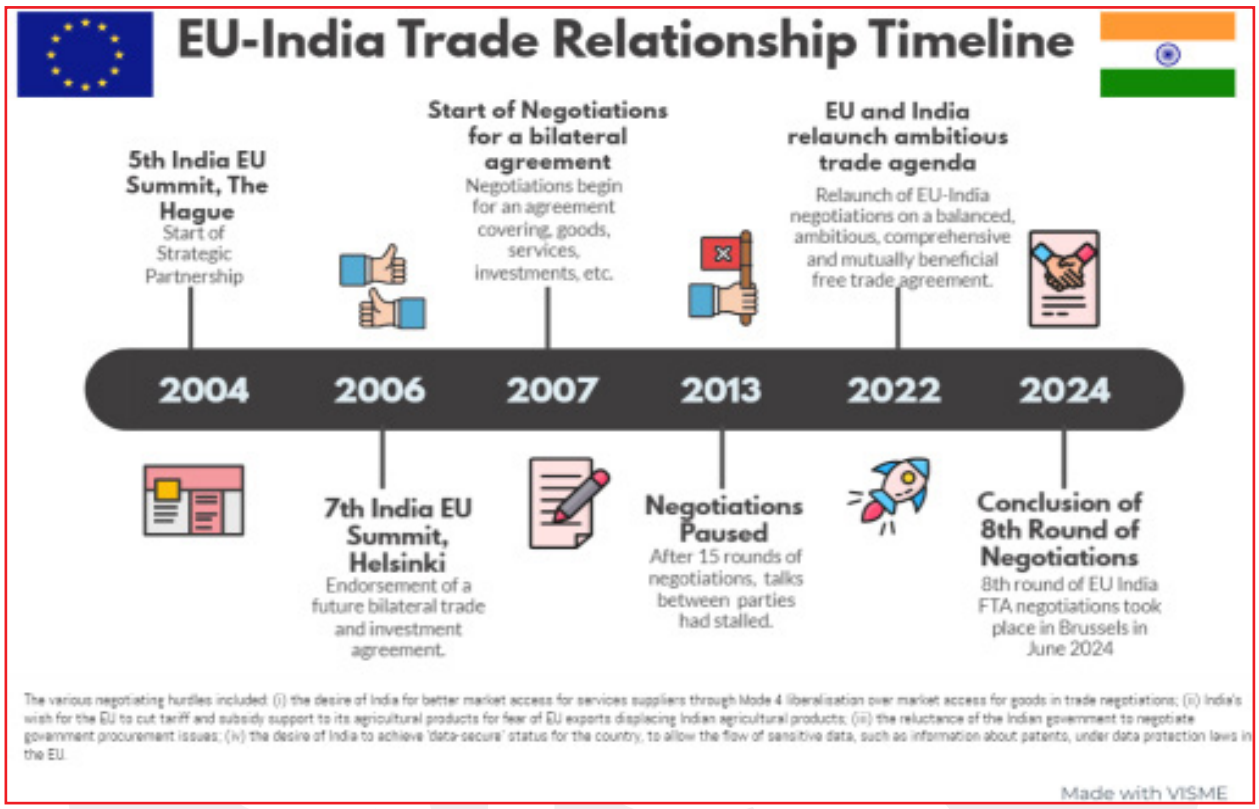

- प्रौद्योगिकी संबंधों को मज़बूत करने से नवाचार में भारत का नेतृत्व सुनिश्चित होता है, **डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा** मिलता है और **चीन के नेतृत्व वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम** होती है।

- **रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण: रूस और चीन** के साथ अमेरिका के संभावित साझेदारी से वैश्विक संरेखण में बदलाव आ सकता है, जिससे **भारत के लिये साझेदारी को व्यापक बनाना अनिवार्य** हो जाएगा।
  - यूरोपीय संघ एक **स्थायी और पूर्वानुमानित साझेदार** है, जो सुरक्षा निर्भरता के बिना आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।
  - **यूरोपीय संघ की रणनीतिक स्वायत्तता** का उद्देश्य अमेरिका पर निर्भरता को कम करना है तथा सुरक्षा उलझनों के बिना आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग सुनिश्चित करके **भारत की बहु-संरेखण नीति के साथ तालमेल** स्थापित करना है।
- **वैश्विक शासन एवं भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण:** यूरोपीय संघ भारत की व्यापार विविधीकरण की रणनीति के साथ तालमेल बिठाते हुए **चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम कर रहा है।**
  - जैसे-जैसे ट्रान्स-अटलांटिक तनाव बढ़ रहा है, यूरोपीय संघ स्वतंत्र विदेश नीति चाहता है, जिससे **भारत का कूटनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है।**
  - दोनों साझेदार **G20, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** सहित **बहुपक्षीय संस्थाओं** में **नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन** करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत-यूरोपीय संघ की प्रमुख पहल

- **रणनीतिक सहयोग एवं वैश्विक शासन:**
  - **यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक साझेदारी: वर्ष 2025 के लिये रोडमैप: व्यापार, निवेश, डिजिटलीकरण, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, ग्लोबल गवर्नेंस** तथा **जलवायु अनुकूलन, सतत् विकास और तकनीकी उन्नति** सुनिश्चित करना।
    - **स्वच्छ ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा** पर ध्यान केंद्रित करना, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ाना।
- **ऊर्जा एवं जलवायु कार्रवाई:**
  - **यूरोपीय संघ-भारत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी: अक्षय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड** और **सतत् ऊर्जा के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकी वित्तपोषण में सहयोग** का विस्तार।
    - **जलवायु अनुकूलन** और **जलवायु परिवर्तन शमन का समर्थन** करता है, वैश्विक हरित परिवर्तन में भारत की भूमिका को बढ़ाता है।
  - **यूरोपीय संघ-भारत ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी: ग्रीन हाइड्रोजन** और **अपतटीय पवन ऊर्जा** को बढ़ावा देने के लिये **नीतिगत कार्यढाँचे एवं पायलट परियोजनाएँ** विकसित करती है।
    - **1 बिलियन यूरो के यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) कोष** के साथ **भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन** करता है।
  - **सतत् उपभोग और उत्पादन (SWITCH-एशिया कार्यक्रम): पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और संधारणीय उपभोक्ता प्रथाओं** को प्रोत्साहित करता है।
    - **एनवायरमेंटल फूटप्रिंट** को कम करता है, चक्रीय अर्थव्यवस्था पहल को आगे बढ़ाता है।
- **व्यापार एवं आर्थिक सहयोग:**
  - **यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC):** भविष्य के लिये तैयार अर्थव्यवस्थाओं के लिये **डिजिटल गवर्नेंस, व्यापार समुत्थानशीलन** और **हरित प्रौद्योगिकी साझेदारी** को बढ़ाता है।
    - **आपूर्ति शृंखला विविधीकरण** को मज़बूत करता है, **एकल बाज़ार स्रोतों पर आर्थिक निर्भरता को कम करता है।**
  - **ग्लोबल ग्रीन बॉण्ड पहल: संधारणीय बुनियादी अवसंरचना** और **जलवायु परियोजनाओं के वित्तपोषण** के लिये **ग्रीन बॉण्ड** जारी करने को बढ़ावा देती है।
    - **जलवायु वित्त कार्यढाँचे** को बढ़ाता है, स्वच्छ ऊर्जा में निजी निवेश को आकर्षित करता है।
- **संधारणीय शहरीकरण और कनेक्टिविटी:**
  - **यूरोपीय संघ-भारत कनेक्टिविटी साझेदारी: डिजिटल और भौतिक बुनियादी अवसंरचना** को बढ़ाती है, **आपूर्ति शृंखलाओं एवं रसद में सुधार** करती है।
    - **परिवहन नेटवर्क, शहरी गतिशीलता** और **अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण** को मज़बूत करता है।
  - **भारत-यूरोपीय संघ शहरी मंच:** यह संधारणीय शहरी विकास के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतियों और नवीन दृष्टिकोणों को साझा करने के लिये अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं हितधारकों के बीच संवाद को सक्षम बनाता है।
- **सामाजिक विकास और लैंगिक समानता:**
  - **वी-इम्पॉवर इंडिया पहल: स्वच्छ ऊर्जा और संधारणीय उद्योगों में लैंगिक समानता** एवं **महिलाओं की भागीदारी को** मज़बूत करती है।
    - **महिला उद्यमिता और समावेशी व्यापार मॉडल का समर्थन** करती है, आर्थिक विविधता को बढ़ावा देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के लिये चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अवरुद्ध मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता:** यूरोपीय संघ ने ऑटोमोबाइल, स्पिरिट्स और डेयरी पर कम टैरिफ की मांग की, जो **भारत की घरेलू व्यापार नीतियों के साथ असंगतता** है।
  - भारत को **फार्मास्यूटिकल्स, IT सेवाओं और कृषि उत्पादों** के लिये अधिक बाज़ार अभिगम की आवश्यकता है तथा उसे यूरोपीय संघ के सख्त नियमों का सामना करना पड़ रहा है।
  - यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) भारतीय निर्यातकों के लिये अतिरिक्त चुनौतियाँ पेश करती है।
- **निवेश बाधाएँ और विनियामक बाधाएँ:** भारत के व्यापार नियम प्रतिबंधात्मक बने हुए हैं, जिनमें **व्यापार में तकनीकी बाधाएँ (TBT)** और स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (Sp) उपाय यूरोपीय व्यवसायों को प्रभावित कर रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यूरोपीय निवेशक **अधिक पूर्वानुमानित नीतिगत परिवेश** चाहते हैं, विशेष रूप से निवेश संरक्षण समझौतों के मामले में।

- **डेटा गोपनीयता विनियम: यूरोपीय संघ के सख्त डेटा कानून** भारत से डिजिटल निर्यात को **महंगा और जटिल** बनाते हैं।
  - भारत के पास **यूरोपीय संघ की डेटा पर्याप्तता स्थिति का अभाव** है, जिससे निर्बाध डेटा ट्रांसफर में बाधा उत्पन्न होती है, जबकि लघु IT कंपनियाँ **उच्च अनुपालन लागत** से जूझती हैं, जिससे **प्रतिस्पर्द्धा सीमित** हो जाती है।
  - भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ के बाज़ार तक पहुँचने के लिये महंगी अनुपालन प्रणाली की आवश्यकता है।
- **विदेश नीति में मतभेद:** यूरोपीय संघ को उम्मीद है कि रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों पर भारत का रुख और मज़बूत होगा, जबकि **भारत तटस्थ रुख बनाए रखेगा** तथा **कूटनीति को प्राथमिकता** देगा।
  - रूस, अमेरिका और यूरोप के साथ **भारत के बहु-संरेखण दृष्टिकोण** के कारण ब्रुसेल्स के साथ **कभी-कभी नीतिगत विसंगतियाँ** उत्पन्न हो जाती हैं।
- **सीमित रक्षा सहयोग:** रूस के साथ भारत के गहरे रक्षा संबंधों और अमेरिका के साथ बढ़ते संबंध **यूरोपीय रक्षा सहयोग के लिये बहुत कम संभावनाएँ** छोड़ते हैं।
  - यूरोपीय संघ की खंडित **रक्षा रणनीति** दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं में अनिश्चितताएँ उत्पन्न करती है।
- **आपूर्ति शृंखला जोखिम:** व्यापार में विविधता लाने के भारत के प्रयासों के बावजूद, चीन भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिये एक प्रमुख **आर्थिक अभिकर्त्ता** बना हुआ है।
  - वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण के लिये **निरंतर निवेश** और **नियामक समायोजन की आवश्यकता** होती है।

आगे की राह:

- **FTA को तीव्र गति देना और व्यापार बाधाओं को दूर करना: टैरिफ विवादों** को हल करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, विशेष रूप से **ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल ट्रेड** में।
  - FTA वार्ता में तीव्रता लाने से **आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ होगी, व्यापार बाधाएँ कम होंगी** और **वैकल्पिक आर्थिक संबंध बनेंगे।**
  - **उच्च-तकनीकी निर्यात को बढ़ावा** देने तथा भारत के **विनिर्माण क्षेत्र में अधिक यूरोपीय निवेश** को सुविधाजनक बनाने से **आर्थिक विकास को गति** मिलेगी।
- **डेटा-साझाकरण कार्यढाँचे पर वार्ता:** भारत को सीमा पार डेटा फ्लो को सुचारू बनाने के लिये यूरोपीयन यूनियन-अमेरिका स्टाइल प्राइवेसी शील्ड **पर वार्ता** करनी चाहिये।
  - **पारस्परिक मान्यता कार्यढाँचा** भारतीय फर्मों के लिये **अनुपालन लागत को कम कर सकता है,** जबकि घरेलू डेटा अनुपालन निकाय उन्हें यूरोपीय संघ के गोपनीयता मानदंडों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेंगे।
  - साइबर सुरक्षा कानूनों को दृढ़ करने से **वैश्विक डिजिटल व्यापार में भारत की विश्वसनीयता** बढ़ेगी।
- **रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करना: संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, साइबर रक्षा साझेदारी** और **खुफिया-साझाकरण तंत्र का विस्तार** किया जाना चाहिये।
  - **चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता का मुकाबला करने के लिये** भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को **यूरोपीय रक्षा प्राथमिकताओं के साथ संरेखित** किया जाना चाहिये।
- **वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला विकसित करना: भारत-यूरोपीय संघ** और **व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)** के तहत सेमीकंडक्टर तथा AI सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - IMEC को मज़बूत करने से एक नया **व्यापार और ऊर्जा मार्ग** का सृजन होगा जो चीन को दरकिनार कर देगा।
- **डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाना:** नवीकरणीय ऊर्जा, **फिनटेक और डेटा गोपनीयता** विनियमों में सहयोग बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों** और **कार्बन-शून्य प्रौद्योगिकियों में सहयोग** बढ़ाने से **दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ** होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- डिजिटल व्यापार विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिये **भारत की डेटा सुरक्षा नीतियों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप** बनाना।

- **भारत को वैश्विक कूटनीतिक संतुलनकर्त्ता के रूप में स्थापित करना:** अमेरिका-यूरोप संबंधों में तनाव के बीच, **भारत प्रमुख शक्तियों के बीच एक सेतु** के रूप में कार्य कर सकता है तथा एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है।
  - **G20, BRICS+ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार** जैसे बहुपक्षीय मंचों पर यूरोपीय संघ के साथ जुड़ने से भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा।
- **घरेलू व्यापार एवं निवेश नीतियों में सुधार:** भारत को यूरोपीय निवेश को आकर्षित करने के लिये **नियामक कार्यढाँचे को सरल** बनाना चाहिये, **बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाना चाहिये** तथा **नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित** करनी चाहिये।
  - बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) सुरक्षा को दृढ़ करने और इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सुनिश्चित करने से **यूरोपीय प्रौद्योगिकी कंपनियाँ** भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित होंगी।

निष्कर्ष

भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें **आर्थिक, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग** उनके भविष्य के संबंधों को आयाम दे रहे हैं। **व्यापार विवादों, नियामक बाधाओं और भू-राजनीतिक मतभेदों को सुलझाना** इस साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा। एक मज़बूत **भारत-यूरोपीय संघ गठबंधन** वैश्विक स्थिरता को बढ़ाएगा, आर्थिक समुत्थानशक्ति बढ़ाएगा और विकसित वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करेगा।

■■■

भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन में सुधार

यह एडिटोरियल 25/02/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Clicking through barriers, empowering persons with disabilities" पर आधारित है। इस लेख में कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से दिव्यांगों के अपवर्जन को सामने लाया गया है।

एस टैग: सामान्य अध्ययन पेपर-2, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, कल्याणकारी योजनाएँ

यद्यपि भारत **2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उन्नति कर रहा है,** लेकिन **डिजिटल समावेशन नीतियों में दिव्यांग जनों (PWD) की काफी अनदेखी** की जा रही है। **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और IS 17802 मानक** (जो अभिगम-योग्यता आवश्यकताओं का एक सेट प्रदान करते हैं और यह निर्दिष्ट करते हैं कि कंटेंट को किस प्रकार सुलभ बनाया जाए) जैसे **ढाँचों के बावजूद, दिव्यांग जनों को डिजिटल सेवाओं तक अभिगम में काफी बाधाओं** का सामना करना पड़ता है। भारत में लगभग **70+ मिलियन दिव्यांग जनों** के साथ, देश को न केवल बेहतर **डिजिटल अभिगम की आवश्यकता** है, बल्कि उनकी **सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सभी क्षेत्रों में समग्र परिवर्तन** की आवश्यकता है। भारत को एक ऐसे समाज के निर्माण के लिये अपनी समावेशन रणनीतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन करना चाहिये जहाँ दिव्यांग जन डिजिटल और वास्तविक दोनों जगहों पर **गरिमा और स्वतंत्रता** के साथ पूरी तरह से भाग ले सकें।

भारत में दिव्यांग जनों से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **दिव्यांगता की परिभाषा**
  - **वैधानिक परिभाषा: दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995** दिव्यांगता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जो सामान्य कामकाज़ को प्रभावित करने वाली हानि (**शारीरिक, मानसिक या संवेदी**) का कारण बनती है।
- **प्रमुख कानून:**
  - दिव्यांग जनों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016
    - दिव्यांगता की परिभाषा को 7 श्रेणियों से बढ़ाकर 21 श्रेणियाँ कर दिया गया है।
    - गरिमा, गैर-भेदभाव और समावेश पर ज़ोर दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, अभिगम और कानूनी क्षमता से संबंधित अधिकारों की गारंटी देता है।
- सरकारी नौकरियों में 4% और **उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण** प्रदान करता है।

◆ **अन्य प्रासंगिक कानून**

- **भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992**– पुनर्वास सेवाओं और पेशेवरों को विनियमित करता है।
- **राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999**– ऑटिज़्म (स्वपरायणता), सेरेब्रल पाल्सी (प्रमस्तिष्क घात), बौद्धिक दिव्यांगता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017– अधिकार-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है।

● **संबंधित ऐतिहासिक मामले:**

◆ **बधिर कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ (वर्ष 2013):** श्रवण शक्ति बाधित सरकारी कर्मचारियों के लिये समान परिवहन भत्ता देने का निर्देश दिया गया, जिसमें गैर-भेदभाव सुनिश्चित किया गया।

◆ **भारत संघ बनाम राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (वर्ष 2013):** स्पष्ट किया गया कि **3% आरक्षण** कुल कैडर क्षमता में रिक्तियों पर लागू होता है, न कि केवल चिह्नित पदों पर।

◆ **भारत सरकार बनाम रवि प्रकाश गुप्ता (वर्ष 2010):** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि नौकरी की पहचान का उपयोग दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण से वंचित करने के लिये नहीं किया जा सकता, जिससे निष्पक्ष नियुक्तियाँ सुनिश्चित होंगी।

◆ **सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन (वर्ष 2009):** न्यायालय ने मानसिक रूप से रुग्ण महिला के प्रजनन अधिकारों को बरकरार रखा तथा **गर्भपात के लिये सहमति अनिवार्य** कर दी, जब तक कि वह मानसिक रूप से बीमार न हो।

◆ **भगवान दास बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (वर्ष 2003):** न्यायालय ने निर्णय दिया कि दिव्यांग कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि उन्हें **PwD अधिनियम की धारा 47 के तहत वैकल्पिक रोज़गार** दिया जाना चाहिये, जिससे यह पुष्ट होता है कि **PwD अधिकार एक संवैधानिक दायित्व है,** दान नहीं।

● **दिव्यांगजनों के अधिकारों का समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यढाँचे**

◆ दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन **(वर्ष 2006)**– समान अधिकार और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करता है।

◆ **सलामांका वक्तव्य (वर्ष 1994)**– समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है।

◆ **दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत उद्घोषणा (वर्ष 1992)**– पूर्ण भागीदारी और समानता का समर्थन करती है।

भारत में दिव्यांगजनों से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

● **डिजिटल अपवर्जन और सुगम्यता संबंधी बाधाएँ:** भारत द्वारा 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों के बावजूद, **सहायक प्रौद्योगिकी और समावेशी डिज़ाइन के अभाव** के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-गवर्नेंस सेवाएँ एवं फिनटेक सॉल्यूशन दिव्यांगजनों के लिये बहुत हद तक दुर्गम बने हुए हैं।

◆ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023, अभिभावक से **'सत्यापन योग्य सहमति' की आवश्यकता** के द्वारा, दिव्यांगजनों की स्वतंत्र डिजिटल भागीदारी को सक्षम करने के बजाय उनकी **स्वायत्तता को कमज़ोर करता है।**

◆ **अधिकांश सरकारी वेबसाइट** एवं **डिजिटल सेवाएँ ICT एक्सेसिबिलिटी मानक IS 17802 का अनुपालन नहीं करती हैं,** जिससे डिजिटल इकोसिस्टम में दिव्यांगजन और भी अधिक हाशिये पर चले जाते हैं।

◆ **डिजिटल एम्पॉवरमेंट फाउंडेशन (DEF) के अध्ययन (वर्ष 2024)** के अनुसार, केवल **36.61% दिव्यांगजन नियमित रूप से डिजिटल सेवाओं का उपयोग** करते हैं, जिन्हें **प्रायः प्रयोज्य चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **रोज़गार और आर्थिक हाशियाकरण:** अपनी क्षमता के बावजूद, **दिव्यांगजनों को कार्यस्थल पर भेदभाव,** दुर्गम कार्य वातावरण और सीमित व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों के कारण रोज़गार में बहुत-सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - भारत में लगभग **3 करोड़ दिव्यांग जन** हैं, जिनमें से लगभग **1.3 करोड़ रोज़गार योग्य** हैं, लेकिन **उनमें से केवल 34 लाख को ही रोज़गार** मिला है।
  - **कई कंपनियाँ दिव्यांगता नियुक्ति मानदंडों का पालन करने के बजाय जुर्माना भरना पसंद करती हैं** तथा अनौपचारिक क्षेत्र इस संबंध में बहुत हद तक अनियमित बना हुआ है।
- **स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण योजनाओं में सीमित समावेशन:** दिव्यांगजनों को **दुर्गम अस्पतालों, विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मियों की कमी** और **अपर्याप्त दिव्यांगता-अनुकूल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के कारण** स्वास्थ्य देखभाल तक अभिगम में संघर्ष करना पड़ता है।
  - **आयुष्मान भारत** सहित अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएँ सहायक उपकरणों, पुनर्वास चिकित्सा या दीर्घकालिक दिव्यांगता देखभाल को **पर्याप्त रूप से कवर नहीं करती हैं।**
    - इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजनों के लिये मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ अभी भी अविकसित हैं।
  - भारत में **दिव्यांग जनों के लिये बीमा कवरेज का अभाव** है, जिसके कारण **स्वास्थ्य संबंधी व्यय बहुत अधिक** है तथा बीमा के अभिगम में चुनौतियाँ हैं।
    - इसके अलावा, वर्ष 2021 में लॉन्च होने के बाद से सरकार के **प्रमुख सुगम्य भारत मोबाइल ऐप्लीकेशन** के माध्यम से **सुगम्यता से संबंधित 1,400 से अधिक शिकायतें दर्ज** की गई हैं।
- **दिव्यांगजनों के लिये समावेशी शहरी नियोजन का अभाव:** वर्ष 2015 में शुरू किये गए सुगम्य भारत अभियान के बावजूद, **अधिकांश सार्वजनिक स्थान, परिवहन प्रणालियाँ और शहरी बुनियादी ढाँचा दिव्यांगजनों के लिये दुर्गम** बना हुआ है।
  - **आवास नीतियों में सुगम्यता मानदंडों को अनिवार्य रूप से शामिल नहीं** किया जाता, जिससे दिव्यांगजनों के लिये निजी आवास प्राप्त करना भी कठिन हो जाता है।
  - वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि **भारत की केवल 3% इमारतें ही दिव्यांगजनों के लिये पूरी तरह से सुलभ** हैं।
    - इसके अलावा, वर्तमान में जिन रेलवे स्टेशनों पर उचित रैम्प नहीं हैं, वे या तो एस्केलेटर या भीड़भाड़ वाली लिफ्टों पर निर्भर हैं, **जिनका उपयोग प्राय: स्वस्थ यात्रियों द्वारा** किया जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन और आपदाओं का असंगत प्रभाव:** जलवायु आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के दौरान दिव्यांगजन सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं, क्योंकि निकासी प्रोटोकॉल, आपातकालीन आश्रय और राहत उपायों में शायद ही कभी उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है।
  - **आपदा प्रबंधन नीतियों में दिव्यांगता-समावेशी उपायों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया** गया है, जिसके परिणामस्वरूप **दिव्यांगजनों के बीच हताहतों और विस्थापन की संख्या में वृद्धि** हुई है।
  - भीषण आपदाओं में **दिव्यांगजनों की मृत्यु दर सामान्य लोगों की तुलना में दो से चार गुना अधिक** होती है।
- **अंतर-विभागीय हाशियाकरण: लिंग, ग्रामीण-शहरी विभाजन और जातिगत बाधाएँ:** दिव्यांग महिलाओं को लिंग और दिव्यांगता के कारण **दोहरे भेदभाव का सामना** करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, रोज़गार एवं स्वास्थ्य सेवा तक उनका अभिगम सीमित हो जाता है।
  - लगभग 18 मिलियन दिव्यांग जन **(दिव्यांग जनसंख्या का 69%) ग्रामीण भारत में रहते हैं** तथा सहायक प्रौद्योगिकी और सामुदायिक जागरूकता के अभाव के कारण उन्हें **अधिक अपवर्जन का सामना** करना पड़ता है।
    - इसके अतिरिक्त, दलितों व आदिवासियों जैसे **हाशिये पर स्थित जाति समूहों के दिव्यांगजनों को तिहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है,** जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक अपवर्जन और भी बढ़ जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इसके अलावा, केवल **23% दिव्यांग महिलाएँ ही कामकाज़ी हैं,** जबकि **47% दिव्यांग पुरुष** ही काम कर रहे हैं।

- **कानूनी पहचान और लाभ प्राप्त करने में प्रशासनिक बाधाएँ:** कई दिव्यांगजनों को प्रशासनिक-अकुशलताओं और **कठोर दिव्यांगता मूल्यांकन मानदंडों** के कारण, **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) प्राप्त करने के लिये संघर्ष** करना पड़ता है, जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिये आवश्यक है।
  - डिजिटल अपवर्जन से यह समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कई **दिव्यांगजनों के पास ऑनलाइन आवेदन करने के साधन नहीं होते हैं।**
  - इसके अलावा, भारत की **दिव्यांगता पेंशन योजना** अपर्याप्त मुआवज़े, सख्त सत्यापन की मांग और अपवर्जन पात्रता मानदंडों से ग्रस्त है।
    - हालाँकि, **कानूनी खामियों का भी दुरुपयोग** किया जाता है, जैसा कि **हाल ही में पूजा खेडकर मामले में स्पष्ट** हुआ।
- **सामाजिक कलंक और जागरूकता का अभाव:** दिव्यांगजनों के बारे में सक्षमतावादी दृष्टिकोण एवं रूढ़िवादिता अभी भी कायम है, जिसके कारण **सामाजिक अपवर्जन, भेदभाव** और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सीमित अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।
  - सांस्कृतिक आख्यान प्राय: **दिव्यांगता को सशक्तीकरण की आवश्यकता वाली स्थिति के बजाय एक दायित्व के रूप में प्रस्तुत** करते हैं तथा समावेशन के बजाय निर्भरता को दृढ़ करते हैं।
    - **मीडिया में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम** है तथा प्राय: उन्हें संरक्षणात्मक तरीके से चित्रित किया जाता है।
  - उनका मानना है कि दिव्यांगों को **'समान अवसरों' की बजाय 'विशेष देखभाल' की आवश्यकता** है।
    - फिल्मों में **दिव्यांगता को आपत्तिजनक रूप से दर्शाने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के हालिया मानदंड** तथा दृश्य मीडिया के लिये दिये गए दिशानिर्देश, इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करते हैं।

भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिये क्या प्रमुख उपाय किये गए हैं?

- **डिजिटल और तकनीकी सुगम्यता:** भारत को सरकारी और **निजी डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर ICT सुगम्यता मानक IS 17802 का सार्वभौमिक अनुपालन** सुनिश्चित करना चाहिये।
  - सभी ई-गवर्नेंस पोर्टल, फिनटेक सेवाओं और शैक्षिक प्लेटफॉर्मों को सहायक प्रौद्योगिकियों जैसे **स्क्रीन रीडर, वॉयस कमांड एवं AI-संचालित एक्सेसिबिलिटी टूल्स के साथ एकीकृत** किया जाना चाहिये।
  - डिजिटल समावेशन में सुधार के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को दिव्यांगजनों के लिये **सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों पर सब्सिडी देने पर ध्यान** केंद्रित करना चाहिये।
  - प्रशिक्षित कर्मियों के साथ **दूरस्थ डिजिटल सेवा केंद्रों का विस्तार** करने से ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को आवश्यक डिजिटल सेवाओं तक अभिगम में मदद मिल सकती है।
- **दिव्यांगजन अधिकार कानूनों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना:** सभी क्षेत्रों में **दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के पूर्ण प्रवर्तन** को सुनिश्चित करने के लिये एक **सख्त निगरानी और जवाबदेही तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिये।
  - सरकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों को नौकरी में आरक्षण, पहुँच एवं कल्याणकारी उपायों पर **वार्षिक दिव्यांगता-समावेश रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य** किया जाना चाहिये।
  - गैर-अनुपालन, भेदभाव या अधिकारों से वंचित करने के मामलों को हल करने के लिये **समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली** का गठन किया जाना चाहिये।
  - नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये **दिव्यांग जनों के लिये आयुक्त कार्यालय को** अधिक **स्वायत्तता और प्रवर्तन शक्तियाँ** दी जानी चाहिये।
- **समावेशी रोज़गार और कार्यस्थल नीतियाँ: कार्यस्थल अभिगम, फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑवर, दूरस्थ कार्य विकल्प** और दिव्यांगजनों के लिये **अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनिवार्य** बनाने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की **दिव्यांगता-समावेशी रोज़गार नीति** तैयार की जानी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कौशल भारत और PMKVY के अंतर्गत** कौशल विकास पहलों में बाज़ार की मांग के आधार पर दिव्यांगजनों के लिये **अनुकूलित व्यावसायिक प्रशिक्षण** शामिल होना चाहिये।
- **सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में समावेशी नियुक्ति प्रथाओं पर नज़र रखने के लिये एक दिव्यांगता रोज़गार सूचकांक** शुरू किया जाना चाहिये।
- **स्टार्टअप्स व SME** को दिव्यांगजनों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के लिये **कर प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता** मिलनी चाहिये।

- **व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाएँ:** दिव्यांगजनों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं को **आयुष्मान भारत और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में एकीकृत** किया जाना चाहिये, जिसमें **सहायक उपकरण, चिकित्सा एवं दीर्घकालिक पुनर्वास** शामिल हों।
  - **दूरस्थ चिकित्सा परामर्श, फिजियोथेरेपी सेशन और मानसिक स्वास्थ्य सहायता** प्रदान करने के लिये दिव्यांगता-समावेशी **टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म** विकसित किया जाना चाहिये।
  - ज़िला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों **(DDRC) को विशेषज्ञ कर्मचारियों, उन्नत सहायक प्रौद्योगिकी एवं सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के साथ सुदृढ़** किया जाना चाहिये।
  - बीमा कंपनियों को यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वे **दिव्यांगता-समावेशी स्वास्थ्य पॉलिसियाँ** पेश करें, जिनमें पहले से मौजूद बीमारियों और सहायक उपकरणों को भी शामिल किया जाए।
- **सुगम्य शहरी नियोजन और परिवहन प्रणालियाँ:** सुगम्य भारत अभियान को **बाधा-मुक्त सार्वजनिक अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और आवास** सुनिश्चित करने के लिये **कानूनी रूप से बाध्यकारी कार्यढाँचे** के साथ विस्तारित किया जाना चाहिये।
  - **सभी नई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में दिव्यांगता-अनुकूल डिज़ाइन सिद्धांतों** को शामिल किया जाना चाहिये, जिसमें **व्हीलचेयर-अनुकूल मार्ग, टैक्टाइल पैविंग्स, वोइस असिस्टेड क्रॉसिंग** और **सार्वभौमिक शौचालय** अभिगम शामिल हैं।
  - बसों, मेट्रो और रेलवे सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को **वास्तविक काल अभिगम सहायता, निम्न-तल प्रवेश और दृश्य-श्रव्य सहायता** प्रदान करना अनिवार्य होना चाहिये।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किफायती, सुलभ आवास योजनाएँ** विकसित की जानी चाहिये तथा सभी नए निर्माणों में दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएँ अनिवार्य रूप से शामिल की जानी चाहिये।
- **दिव्यांगजनों के लिये आपदा समुत्थानशीलन और जलवायु अनुकूलन:** दिव्यांगजनों के लिये **पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुलभ आश्रय और लक्षित निकासी रणनीति** सुनिश्चित करने के लिये दिव्यांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DiDRR) कार्यढाँचे को लागू किया जाना चाहिये।
  - आपदा प्रबंधन एजेंसियों और **NDRF टीमों को आपात स्थिति के दौरान दिव्यांगजनों की सहायता करने के लिये विशेष प्रशिक्षण** प्राप्त करना चाहिये।
  - राहत पैकेज में जलवायु आपदाओं से प्रभावित दिव्यांगजनों के लिये **सहायक उपकरण, दवाइयाँ और व्यक्तिगत देखभाल सहायता** शामिल होनी चाहिये।
  - समुदाय-आधारित **आपदा मोचन कार्यक्रमों** की योजना और क्रियान्वयन में दिव्यांगजनों को शामिल किया जाना चाहिये, ताकि **भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण** सुनिश्चित किया जा सके।
- **अंतर्विभागीय बाधाओं को दूर करना: महिलाएँ, ग्रामीण दिव्यांगजन और जातिगत रूप से हाशिये पर होना: दिव्यांग महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान** करने, **सुरक्षित गतिशीलता, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता** और **वित्तीय स्वतंत्रता** सुनिश्चित करने के लिये **लिंग-संवेदनशील दिव्यांगता कार्यढाँचे** का अंगीकरण किया जाना चाहिये।
  - ग्रामीण दिव्यांगजनों को समुदाय आधारित डिजिटल साक्षरता केंद्रों और स्थानीय उद्यमिता पहलों के माध्यम से **डिजिटल इंडिया एवं आजीविका कार्यक्रमों में एकीकृत** किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सहकर्मी नेटवर्क और सामुदायिक मार्गदर्शन** के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिये **गाँव और ज़िला स्तर पर समर्पित सहायता समूह** एवं स्वयं सहायता समूह बनाए जाने चाहिये।
- बेहतर नीतिगत समर्थन के लिये **स्थानीय शासन संरचनाओं** (जैसे **ग्राम पंचायतों**) **में दिव्यांग प्रतिनिधियों** को शामिल किया जाना चाहिये।

- **कानूनी पहचान और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच के लिये प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** कल्याणकारी लाभों तक पहुँच में प्रशासनिक विलंब को कम करने के लिये **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) प्रणाली को स्वचालित आधार एकीकरण** के साथ सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये।
  - सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त करने में गतिशीलता संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले दिव्यांगजनों की सहायता के लिये उनके घर तक **दिव्यांगता प्रमाणन सेवाएँ** शुरू की जानी चाहिये।
  - सभी **दिव्यांगजनों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएँ, रोज़गार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाएँ एवं कानूनी सहायता** एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिये **एकल खिड़की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** बनाया जाना चाहिये।
  - **AI-संचालित चैटबॉट सेवाओं** को शामिल करने से कल्याणकारी योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया अधिक **उपयोगकर्त्ता-अनुकूल और सुलभ** हो सकती है।
- **सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन और दिव्यांगता जागरूकता को बढ़ावा देना: दिव्यांगता के प्रति जागरूकता के लिये** एक **राष्ट्रव्यापी अभियान** शुरू किया जाना चाहिये ताकि दिव्यांगता के प्रति रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती दी जा सके तथा समावेशी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा सके।
  - स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों को स्वीकृति और सहानुभूति की प्रारंभिक संस्कृति बनाने के लिये **दिव्यांगता जागरूकता मॉड्यूल को अपने पाठ्यक्रम में एकीकृत** करना चाहिये।
  - मुख्यधारा के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को **दिव्यांगजनों को सकारात्मक, गैर-रूढ़िवादी भूमिकाओं में दिखाने के लिये प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये, ताकि जनता की धारणा बदल सके।
  - **राष्ट्रीय पुरस्कारों और सार्वजनिक मान्यता के माध्यम से दिव्यांगजनों की उपलब्धियों** (जैसे पैरालम्पिक खेलों के पदक विजेताओं) का जश्न मनाने से सामाजिक स्वीकृति एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष:

1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था और **व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन** की ओर भारत की यात्रा वास्तव में समावेशी होनी चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि **दिव्यांग जन (PwD) पीछे न छूट जाएँ।** इसके लिये एक आदर्श बदलाव— **दिव्यांगता समावेशन को अनुपालन आवश्यकता के रूप में देखने से लेकर इसे राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बनाने तक,** की आवश्यकता है। प्रत्येक स्तर पर समावेशिता को शामिल करके, भारत एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकता है जहाँ दिव्यांग लोग समाज के सभी पहलुओं में सम्मान, स्वतंत्रता एवं समान अवसर के साथ भाग ले सकें।

■■■

भारतीय रेलवे का पुनरुद्धार

एस टैग: सामान्य अध्ययन- 3, राजकोषीय नीति, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, संसाधनों का जुटाना, निवेश मॉडल, समावेशी विकास

यह एडिटोरियल 27/02/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "The bigger tragedy is the Railways and its systemic inertia" पर आधारित है। यह लेख भारतीय रेलवे की व्यवस्थागत विफलताओं को सामने लाता है, जहाँ संसाधनों की कमी नहीं बल्कि लापरवाही बार-बार होने वाली त्रासदियों का कारण बनती है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ **भारतीय रेलवे** में व्यवस्थागत खामियों को उजागर करती है, जो संसाधनों की कमी से अधिक प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम हैं। **एलफिंस्टन रोड (2017) और इलाहाबाद (2013) जैसे स्टेशनों पर बार-बार हुई त्रासदियों के बावजूद, रेलवे प्रशासन बुनियादी भीड़ नियंत्रण उपायों तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने में असफल रहा है। भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिये भारत को**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

व्यवस्थागत निष्क्रियता तुरंत दूर करनी होगी, ताकि ये घटनाएँ रोकी जा सकने वाली विफलताओं के बजाय मात्र दुर्भाग्यपूर्ण संयोग न मानी जाएँ।

भारतीय रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान देता है?

- **राष्ट्रीय परिवहन की रीढ़:** भारतीय रेलवे **देश की जीवन रेखा है,** जो प्रतिदिन लाखों लोगों को किफायती और विश्वसनीय परिवहन उपलब्ध कराती है।
  - यह यात्रियों और माल दोनों की लंबी दूरियों पर आवाजाही को सुगम बनाता है तथा आर्थिक एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **हर साल 8 अरब से अधिक यात्रियों को परिवहन करके, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क में** शामिल हो गया है।
    - कोविड-19 महामारी के दौरान, भारतीय रेलवे ने अपनी **रसद शक्ति** का प्रदर्शन करते हुए राज्यों में मेडिकल ऑक्सीज़न पहुँचाने के लिये **"ऑक्सीज़न एक्सप्रेस" ट्रेनें चलाईं।**
- **आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास: भारतीय रेलवे व्यापार, वाणिज्य और औद्योगीकरण** को बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और कृषि उपज** जैसे कच्चे माल का परिवहन उद्योगों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करता है।
    - कुशल रेल लॉजिस्टिक्स से आपूर्ति श्रृंखला लागत में कमी आएगी, जिससे भारतीय विनिर्माण और निर्यात की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।
    - समर्पित मालवहन गलियारा (डीएफसी) जैसी बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का उद्देश्य दक्षता और आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना है।
  - सीएजी (2021-22) **ने** इस बात पर प्रकाश डाला कि अकेले कोयले से **रेलवे की माल ढुलाई आय का लगभग 50% हिस्सा प्राप्त होता है,** जिससे औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाएँ रेल संपर्क पर अत्यधिक निर्भर हो जाती हैं।
- **रोज़गार सृजन और आजीविका सहायता:** भारतीय रेलवे **वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है,** जो न केवल लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्रदान करता है, बल्कि सहायक उद्योगों के माध्यम से भी व्यापक आजीविका का समर्थन करता है।
  - इसमें 1.2 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं, **जिससे यह विश्व का नौवाँ सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है।**
    - यह **विभिन्न कौशल स्तरों पर स्थायी रोज़गार प्रदान करता है,** जिसमें इंजीनियर, तकनीशियन, स्टेशन प्रबंधक और ट्रैक रखरखाव कर्मी शामिल हैं।
  - रेलवे बुनियादी ढाँचे का विस्तार, स्टेशन पुनर्विकास और नए रोलिंग स्टॉक का निर्माण अतिरिक्त रोज़गार के अवसर उत्पन्न करता है।
    - **रेलवे में निजीकरण और** पीपीपी मॉडल **से** परिचालन और लॉजिस्टिक्स में रोज़गार की संभावनाएँ बढ़ने की उम्मीद है।
- **ग्रामीण संपर्क और क्षेत्रीय विकास:** रेलवे दूर-दराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने एवं उन्हें शहरी केंद्रों तथा बाज़ारों के साथ एकीकृत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **अविकसित क्षेत्रों में बेहतर रेलवे बुनियादी ढाँचे से** शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच बढ़ जाती है।
    - पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी परियोजना जैसे विशेष रेलवे गलियारों का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है।
  - वित्त वर्ष 2023-24 में रेलवे ने **अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने का फैसला किया है।**
  - वंदे भारत एक्सप्रेस का **टियर-2 और टियर-3 शहरों तक विस्तार,** सुगमता तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास में सुधार की दिशा में एक कदम है।
- **सतत् विकास और हरित गतिशीलता के लिये उत्प्रेरक:** रेलवे, कार्बन उत्सर्जन और ईंधन खपत **को कम करके सड़क तथा हवाई परिवहन के लिये एक पर्यावरणीय रूप से स्थायी विकल्प प्रदान करता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भारतीय रेलवे का** लक्ष्य **वर्ष 2030 तक पूर्ण विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के माध्यम से कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है।**
  - जुलाई 2023 तक भारतीय रेलवे द्वारा **14 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है।**
- ऊर्जा-कुशल इंजन, विद्युतीकृत मार्ग तथा जैव-शौचालय जैसी हरित पहल रेलवे क्षेत्र की स्थिरता में सुधार ला रही हैं।
  - **रेल माल ढुलाई सड़क परिवहन की तुलना में प्रति टन किलोमीटर लगभग 80% कम** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करती है, जिससे यह भारत की सतत् गतिशीलता रणनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाती है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक गतिशीलता को मज़बूत करना: सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज़ सैन्य परिवहन और प्रभावी रक्षा रसद सुनिश्चित** करके रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।
  - समर्पित रेलवे लाइनें और माल ढुलाई गलियारे **आपात स्थितियों के दौरान सैन्य आपूर्ति, वाहनों तथा कर्मियों को शीघ्र जुटाने में सहायता करते हैं।**
    - **सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और लद्दाख में रणनीतिक रेलवे लाइनों** के निर्माण से रक्षा तैयारियों में वृद्धि होती है।
  - अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे एक ऐतिहासिक बुनियादी ढाँचा परियोजना है, जो **चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित 12 ज़िलों को जोड़ती है।**
- **शहरी गतिशीलता और सड़क नेटवर्क में भीड़भाड़ कम करना: प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल और उपनगरीय रेल प्रणालियों** के विस्तार से भीड़भाड़ कम हो रही है और शहरी गतिशीलता में सुधार हो रहा है।
  - कुशल जन परिवहन विकल्प **घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यात्रा समय, प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करते हैं।**
    - **मेट्रो, उपनगरीय और क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणालियों** के एकीकरण से निर्बाध बहुविध परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा मिल रहा है।
  - भारत ने 1,000 किलोमीटर से अधिक परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क हासिल कर लिया है और **चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली बन गई है।**
    - दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड **ट्रांजिट सिस्टम, जो वर्ष 2025 में शुरू होगा,** दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगा।
- **पर्यटन और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा:** भारतीय रेलवे किफायती और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करके देश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तक पहुँच को आसान बनाता है, जिससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है।
  - भारत गौरव ट्रेन जैसी विशेष रेलगाड़ियाँ **और पैलेस ऑन व्हील्स जैसी लक्ज़री सेवाएं** घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।
    - **तीर्थ स्थलों, विरासत स्थलों और पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों** तक बेहतर रेल संपर्क से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

भारतीय रेलवे से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **वित्तीय स्थिति में लगातार गिरावट: भारतीय रेलवे को राजस्व अधिशेष में गिरावट,** अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) **पर बढ़ती निर्भरता** और **अस्थिर परिचालन लागत** के कारण गंभीर वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
  - **बढ़ता व्यय और घटता राजस्व आंतरिक संसाधन सृजन को बाधित कर रहा है,** जिससे दीर्घकालिक स्थिरता खतरे में पड़ रही है।
    - इसके अतिरिक्त, **माल ढुलाई आय के माध्यम से यात्री किराये में भारी** क्रॉस-सब्सिडी ने मूल्य निर्धारण तंत्र को विकृत कर दिया है, जिससे माल परिवहन कम प्रतिस्पर्द्धी हो गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सीएजी (2021-22) की रिपोर्ट** के अनुसार, **रेलवे का परिचालन अनुपात 107.39% के रिकॉर्ड स्तर** पर पहुँच गया, यानी **₹100 की कमाई के लिये ₹107.39 खर्च हुए।** यदि पेंशन और परिसंपत्ति नवीनीकरण व्यय को शामिल किया जाए, तो यह अनुपात बढ़कर 109.36% हो जाता है।

- **अवसंरचना संबंधी कमियाँ:** बार-बार होने वाली **ट्रेन दुर्घटनाएँ, जैसे पटरी से उतरना, भगदड़ और टक्करें, अवसंरचना रखरखाव एवं सुरक्षा निरीक्षण में गंभीर कमियों** को उजागर करती हैं।
  - **अप्रचलित ट्रैक, पुरानी सिग्नलिंग प्रणाली और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशन रेल** दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ाते हैं।
  - परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन में देरी सुरक्षा जोखिमों को बढ़ाती है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
    - **सीएजी (2021-22) ने पुरानी परिसंपत्तियों के नवीनीकरण में 34,318.79 करोड़ रुपए के बकाये का उल्लेख किया है।**
    - **जून 2023 में ओडिशा के बालासोर में हुई तिहरी रेल दुर्घटना** ने रेलवे सुरक्षा और सिग्नलिंग प्रणालियों की गंभीर कमज़ोरियों को सामने लाया।
  - **रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये विकसित 'कवच' टक्कर रोधी प्रणाली का** क्रियान्वयन अपेक्षाकृत धीमा रहा है, जिससे इसकी पहुँच अभी तक केवल सीमित मार्गों तक ही रह गई है।

- **भीड़ प्रबंधन और स्टेशन अवसंरचना का अभाव:** प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर **अत्यधिक भीड़ और भीड़ नियंत्रण उपायों की कमी, विशेष रूप से त्योहारों व बड़े आयोजनों के दौरान,** यात्रियों की सुरक्षा के लिये गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है।
  - **उचित बैरिकेडिंग, एकदिशीय आवागमन योजना** और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के अभाव में भगदड़ की संभावना बढ़ जाती है।
  - फरवरी 2025 **में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर** अंतिम क्षणों में ट्रेन की घोषणा से भगदड़ मच गई, जिससे कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।

- **माल ढुलाई राजस्व में स्थिरता और बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा:** माल ढुलाई परिचालन, जो यात्रियों के घाटे की भरपाई करता है, को **अकुशलता और उच्च टैरिफ के कारण सड़क तथा हवाई परिवहन से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है।**
  - रेल माल ढुलाई की गति धीमी बनी हुई है, अंतिम मील कनेक्टिविटी की कमी है और यह मुख्य रूप से **कोयले जैसी थोक वस्तुओं पर निर्भर है, जिससे राजस्व स्रोतों का विविधीकरण बाधित हो रहा है।**
    - नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव से **कोयला परिवहन की** मांग कम हो सकती है, जिससे माल ढुलाई से होने वाली आय पर और अधिक प्रभाव पड़ सकता है।
  - सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि माल परिवहन में रेल की हिस्सेदारी **वर्ष 1951 में 8.5% से लगातार घट कर वर्ष 1991 में 60% हो गई तथा वर्ष 2022 में यह केवल 27% रह गई।**

- **पर्यावरण और स्थिरता संबंधी चुनौतियाँ:** विद्युतीकरण प्रयासों के बावजूद, भारतीय रेलवे कई क्षेत्रों में डीज़ल इंजनों पर निर्भर है, जिससे वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है।
  - **100% विद्युतीकरण का प्रयास धीमा है** तथा बुनियादी ढाँचे के विकास और विद्युत खरीद में देरी हो रही है।
    - **स्टेशनों और रेलगाड़ियों के अंदर अपशिष्ट प्रबंधन अपर्याप्त है,** जिससे स्वच्छता तथा स्थिरता के लक्ष्य प्रभावित हो रहे हैं।
  - भारत का परिवहन क्षेत्र देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में **12% का योगदान देता है, जबकि रेलवे का योगदान लगभग 4% है।**

- **पिछड़ी हाई-स्पीड रेल और बुलेट ट्रेन परियोजनाएँ:** महत्त्वाकांक्षी **मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाओं, वित्तपोषण में विलंब और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत की हाई-स्पीड रेल योजनाएँ** पिछड़ रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वंदे भारत जैसे अर्द्ध-उच्च गति गलियारों का** धीमा विस्तार **और ट्रैक उन्नयन की** कमी पारंपरिक मार्गों पर गति वृद्धि को बाधित कर रही है।
- मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना वर्ष 2022 तक तैयार हो जाएगी, एक दशक बाद भी यह केवल 30% ही पूरी हुई है तथा **संशोधित समय सीमा अब वर्ष 2028 है।**

- **रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुप्रबंधन और वित्तीय व्यवहार्यता संबंधी मुद्दे:** कई रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम **लाभप्रदता में गिरावट, कुप्रबंधन और अकुशलता से जूझ रहे हैं, जिससे भारतीय रेलवे के विकास में उनका योगदान सीमित** हो रहा है।
  - जबकि **वित्तपोषण और पर्यटन क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक उपक्रमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं** निर्माण एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अन्य के रिटर्न में गिरावट देखी गई है।
    - इक्विटी पर घटता **रिटर्न और ऋण पर बढ़ती निर्भरता,** गहरे संरचनात्मक मुद्दों को उजागर करती है।
  - सीएजी (2021-22) ने बताया कि रेलवे पीएसयू के लिये इक्विटी पर रिटर्न वर्ष 2017-18 में 9.17% से घटकर वर्ष **2019-20 में 7.53% हो गया।**

भारतीय रेलवे को पुनर्जीवित करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **वित्तीय स्थिरता और राजस्व अनुकूलन:** भारतीय रेलवे को अतिरिक्त बजटीय उधार पर निर्भरता कम करके **एक स्थायी वित्तीय मॉडल की ओर बढ़ना चाहिये।**
  - **गतिशील किराया मूल्य निर्धारण, रेलवे भूमि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण तथा स्टेशन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी (बिबेक देबरॉय समिति** के अनुसार) से राजस्व प्रवाह में वृद्धि हो सकती है।
  - **माल ढुलाई शुल्क को तर्कसंगत बनाने** और **अंतिम-मील कनेक्टिविटी समाधान से** रेल कार्गो अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन जाएगा।
    - **बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) **को मज़बूत करने से** राजकोषीय बोझ कम हो सकता है।
- **सुरक्षा संवर्द्धन और बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण:** रेलवे को दुर्घटनाओं को कम करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिये **ट्रैक नवीनीकरण, पुल सुदृढ़ीकरण और स्टेशनों पर भीड़भाड़ कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।**
  - **कवच** जैसी **स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणालियों और केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण के व्यापक कार्यान्वयन से** मानवीय त्रुटियों में काफी कमी आ सकती है।
  - **एआई-आधारित पूर्वानुमानित रखरखाव के साथ सिग्नलिंग बुनियादी ढाँचे को** उन्नत करने से वास्तविक समय की निगरानी में वृद्धि होगी।
  - बेहतर स्टेशन डिज़ाइन, समर्पित होल्डिंग ज़ोन और **स्वचालित प्रवेश-निकास प्रणाली सहित प्रभावी भीड़ प्रबंधन रणनीतियों को प्राथमिकता** के साथ लागू किया जाना चाहिये।
- **तकनीकी उन्नति और डिजिटलीकरण: एआई-संचालित पूर्वानुमानित रखरखाव, IoT-आधारित परिसंपत्ति निगरानी और ब्लॉकचेन-सक्षम माल ट्रैकिंग** को लागू करने से दक्षता तथा विश्वसनीयता को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **वास्तविक समय यात्री सूचना प्रणालियों, स्मार्ट टिकटिंग समाधानों** और एकीकृत गतिशीलता ऐप्स की पहुँच का विस्तार करने से ग्राहक अनुभव में सुधार होगा।
  - रेलवे वर्कशॉपों को स्वचालन और रोबोटिक्स के साथ उन्नत करने से रोलिंग स्टॉक रखरखाव को अनुकूलित किया जा सकेगा।
    - एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत **वित्तीय और परिचालन डाटा का पूर्ण एकीकरण** रेलवे प्रशासन को सुव्यवस्थित करेगा।
- **माल ढुलाई क्षेत्र में सुधार और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स एकीकरण: भारतीय रेलवे को कोयले से परे कंटेनरीकृत कार्गो, ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक्स और एक्सप्रेस माल ढुलाई सेवाओं का उपयोग** करके अपनी माल ढुलाई में विविधता लानी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- समर्पित मालवाहक गलियारों (डीएफसी) का बंदरगाहों, राजमार्गों और अंतर्देशीय जलमार्गों तक निर्बाध संपर्क के साथ विस्तार किया जाना चाहिये।
- **माल ढुलाई शुल्क को तर्कसंगत बनाने और टर्मिनल हैंडलिंग समय को कम करने से** रेल परिवहन उद्योगों के लिये लागत प्रभावी हो जाएगा।
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत, रेल, सड़क और बंदरगाहों को जोड़ने वाले एकीकृत **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स ग्रिड को तेज़ी से विकसित किया जाना चाहिये, ताकि माल परिवहन की दक्षता और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।**

- **हाई-स्पीड रेल और सेमी-हाई-स्पीड विस्तार: राकेश मोहन समिति** (2010) की सिफारिशों के आधार पर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के कार्यान्वयन में तेज़ी लाई जानी चाहिये, साथ ही उच्च मांग वाले मार्गों पर अतिरिक्त हाई-स्पीड कॉरिडोर की योजना बनाई जानी चाहिये।
  - समर्पित उच्च गति वाली मालवाहक लाइनों सहित **ट्रैक उन्नयन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।**
  - उच्च गति वाले रोलिंग स्टॉक का स्वदेशी विनिर्माण खरीद लागत को कम करेगा और मेक इन इंडिया **प्रयासों को बढ़ावा देगा।**
  - उच्च गति रेल परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिये **भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण मॉडल और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये।**
- **रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण और शहरी गतिशीलता एकीकरण: स्टेशनों को मेट्रो नेटवर्क, बस टर्मिनलों और हवाई अड्डों से निर्बाध कनेक्टिविटी के साथ मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब** में परिवर्तित किया जाना चाहिये।
  - बुनियादी ढाँचे का उन्नयन, जैसे कि **ऊँचा प्रवेश द्वार, स्वचालित टिकट प्रणाली तथा भीड़-भाड़ रहित यात्री आवागमन क्षेत्र** आवश्यक हैं।
  - उपनगरीय और क्षेत्रीय रेल नेटवर्क के विस्तार से महानगरों में भीड़भाड़ कम होगी तथा आवागमन के लिये तीव्र विकल्प उपलब्ध होंगे।
  - स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिये भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- **सतत् और हरित रेलवे पहल: नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के साथ 100% विद्युतीकरण** प्राप्त करने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा।
  - **रेलवे स्टेशनों, कार्यशालाओं और खाली भूमि क्षेत्रों में सौर और पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों का** विस्तार करने से ऊर्जा स्थिरता बढ़ेगी।
  - डीज़ल इंजन के विकल्प के रूप में **हाइड्रोजन चालित और बैटरी चालित इंजनों का प्रयोग किया जाना चाहिये।**
  - **कार्बन क्रेडिट तंत्र और हरित वित्तपोषण** को मज़बूत करने से दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि: बिबेक देबरॉय समिति** की सिफारिशों के बाद, भारतीय रेलवे को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिये और अधिक अवसर खोलने चाहिये।
  - रोलिंग स्टॉक खरीद, रेलवे खानपान और लॉजिस्टिक्स पार्कों में निजी निवेश से सेवा की गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि होगी।
  - **उच्च मांग वाले मार्गों के लिये प्रतिस्पर्द्धी बोली से** वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार हो सकता है तथा सरकार पर परिचालन संबंधी बोझ कम हो सकता है।

निष्कर्ष:

भारतीय रेलवे भारत के परिवहन और आर्थिक बुनियादी ढाँचे की रीढ़ है, लेकिन **संरचनात्मक अक्षमताएँ, वित्तीय दबाव तथा सुरक्षा में कमियाँ इसके पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में बाधा बनी हुई हैं।** बुनियादी ढाँचे की कमियों को दूर करना, भीड़ प्रबंधन को बढ़ाना और वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देना दीर्घकालिक अनुकूलन के लिये महत्त्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, माल ढुलाई संचालन को मज़बूत करना और हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना रेलवे को एक आधुनिक एवं कुशल इकाई में बदल सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अभ्यास प्रश्न

1. भारत की ऊर्जा रणनीति में इथेनॉल मिश्रण के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इसके कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएँ।
2. भारत में कृषि उत्पादकता में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं तथा तकनीकी नवाचार, नीतिगत सुधार और संधारणीय कृषि पद्धतियाँ इन मुद्दों का किस प्रकार समाधान कर सकती हैं?
3. अपनी रणनीतिक स्थिति और बढ़ते व्यापार के बावजूद, भारत का शिपिंग क्षेत्र अविकसित बना हुआ है, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित हो रही है। प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और इसके पुनरुद्धार के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये।
4. भारत के आर्थिक विकास को गति देने में MSME क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिये, विशेष रूप से रोज़गार सृजन और निर्यात के संदर्भ में। MSME के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, तथा दीर्घकालिक संधारणीयता के लिये सरकारी नीतियाँ और सुधार इनसे किस प्रकार निपट सकते हैं?"
5. भारत में उत्सर्जन के प्राथमिक स्रोतों और उनके शमन में चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। भारत आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन किस प्रकार हासिल कर सकता है?
6. विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद, भारत के आदिवासी समुदाय सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर बने हुए हैं। आदिवासी विकास में प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करने और उनके सतत् और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिये एक समग्र रणनीति का सुझाव दीजिये।
7. मध्य पूर्व के साथ भारत के सीमांत ऊर्जा व्यापार से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधिमंडल, वास्तुशिल्प कार्यढाँचा मंडल और रक्षा सहयोग को भी शामिल किया जा रहा है। इस बदलाव के प्रमुख उद्धरण और इस क्षेत्र के साथ अपने विलयों को गहन करने में भारत के समक्ष आने वाली झलक पर चर्चा कीजिये।
8. शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिये और भारत में इसके विनियमन से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, नवाचार और नैतिक चिंताओं को संतुलित करते हुए एक सुदृढ़ AI शासन कार्यढाँचा स्थापित करने के उपाय सुझाइये।
9. भारत की फिनटेक क्रांति वित्तीय मध्यस्थता को नया आयाम दे रही है, जो प्रायः परंपरागत बैंकिंग संरचनाओं को दरकिनार कर देती है। इस संदर्भ में, गंभीरता से परीक्षण कीजिये कि क्या फिनटेक वित्त का लोकतंत्रीकरण कर रहा है या डिजिटल एवं आर्थिक विभाजन को गहन कर रहा है।
10. "भारत में राज्यपाल का कार्यालय प्रायः संघवाद और संवैधानिक औचित्य पर बहस के केंद्र में रहा है।" राज्यपाल की भूमिका से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सुधार सुझाइये। (250 शब्द)
11. बदलती वैश्विक भू-राजनीति के बीच, भारत और फ्राँस ने कई क्षेत्रों में अपनी सामरिक भागीदारी को और सुदृढ़ किया है। विश्लेषण कीजिये कि ऐतिहासिक संबंध, रक्षा सहयोग और सहयोग के उभरते क्षेत्र इस साझेदारी को किस प्रकार आकार देते हैं।
12. पिछले दो दशकों में भारत में वनाग्नि की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है,जिससे गंभीर पर्यावरणीय,आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। भारत में वनाग्नि की बढ़ती आवृत्ति में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिये।
13. भारत की विदेश नीति के संदर्भ में हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के सामरिक महत्त्व का आकलन कीजिये। बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा के बीच भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभाव किस प्रकार स्थापित कर सकता है?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

14. भारत-अमेरिका संबंधों की उभरती गतिशीलता पर चर्चा कीजिये, सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों और चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। दोनों देश रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करते हुए व्यापार असंतुलन को किस प्रकार दूर कर सकते हैं?
15. जलवायु परिवर्तन ने भारत में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और गंभीरता को बढ़ा दिया है। विश्लेषण कीजिये कि जलवायु अनुकूलन और आपदा मोचन को भारत के शासन कार्यढाँचे में किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है।
16. भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' पहल के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इसकी सफलता में कौन-सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं, तथा इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये कौन-से रणनीतिक उपाय आवश्यक हैं?
17. संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने में अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। शासन की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए उनके दुरुपयोग को किस प्रकार रोका जा सकता है?
18. भारतीय शहर तीव्र शहरीकरण को समावेशी विकास और संसाधनों तक समान अभिगम के साथ किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं?
19. "भारत में मृदा क्षरण का संकट कृषि उत्पादकता, पारिस्थितिकी संतुलन और खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा है।" प्रमुख कारणों, परिणामों का परीक्षण कीजिये और सतत् मृदा प्रबंधन के लिये रणनीतिक उपाय सुझाइये।
20. अधिनियम की प्रभावशीलता को कमज़ोर करने वाले कारकों का आकलन कीजिये तथा इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
21. भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं तथा दोनों पक्ष अधिक सुदृढ़ साझेदारी बनाने के लिये इनसे किस प्रकार निपट सकते हैं?
22. कानूनी प्रावधानों के बावजूद, सरकारी और निजी क्षेत्रों में दिव्यांगों की रोज़गार दर कम बनी हुई है। चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाइये।
23. भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है, जिसमें राजस्व अधिशेष में गिरावट और यात्री किरायों पर माल ढुलाई से भारी क्रॉस-सब्सिडी शामिल है। रेलवे की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये एक प्रभावी रोडमैप क्या हो सकता है?

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट: